खण्ड-285, अंक-2
गुरूवार, 4 आषाढ़, शक संवत् 1892
(25 जून, 1970 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 285 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	१२५–१२६
प्रश्नोत्तर	१२६–१७५
इलाहाबाद नगर महापालिका के चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस को एक बैल का चुनाव चिह्न देने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	१७६
नियम ३०१ के अन्तर्गत दी गई सूचना के सम्बन्ध में जानकारी ..	१७७
एक विधायक द्वारा काउन्सिल हाउस गार्ड को पीटने के सम्बन्ध में शिकायत ..	१७७–१७८
'नेशनल हेराल्ड' द्वारा श्री विश्वनाथ कपूर का दल गलत छापने के संबंध में शिकायत	१७८
दो मंत्रियों के कथित आपस में लड़ने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	१७८–१७९
प्रश्नों के उत्तरों के सम्बन्ध में शिकायत	१७९
उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९७० (सदन के पटल पर रखा गया)	१८०
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९७० (विधान परिषद से वापसी की सूचना)	१८०
श्री राम विलास पाण्डेय द्वारा श्री हरनरायन के विरुद्ध काउन्सिल हाउस गार्ड को पीटने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	१८०–१८३
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	१८३–१८४
उत्तर प्रदेश गुण्डा विरोधी विधेयक, १९७० को संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के विधान परिषद् के प्रस्ताव पर विचार (स्वीकृत) ..	१८४–२११
उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, १९७० (जारी)	२१२–२२७
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें	२२७–२३४
१५ मई, १९७० के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	२३४–२३५
के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ तथा जी० एस० वी० एम० कालेज, कानपुर के पी० एम० टी० अभ्यर्थियों के फार्म अस्वीकृत करने के सम्बन्ध में वक्तव्य	२३५–२३७
ग्राम सजेरा, थाना रेढ़र, जिला जालौन से ११ बच्चों के अपहरण के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	२३८–२४२
कानपुर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत कुछ केन्द्रों का परीक्षा फल रद्द किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	२४२–२४४
नत्थियां	२४५–२६०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २५ जून, १९७०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३७२

अजबासिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
आनन्द ब्रह्म शाह, राजा
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वरदयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदितनारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैयाजी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ वालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री

गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गँदा सिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायन सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्रप्रतापनरायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगरसिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेजनरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायणमणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव श्री
देवराम, श्री
दुर्जन, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाई लाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारीदेवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारेलाल, श्री
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री

बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी , श्री
बल्लन, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशनलाल, श्री
बिहारी लाल , श्री
बैजनाथ श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद , श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल , श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्जूर अहमद , श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी , श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरंजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह चौधरी, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री

रामदेव, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़-फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़-रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
राम रतन पाण्डेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास पाण्डेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
रामसेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर्रफि खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्षमण स्वरूप, श्री
लक्ष्मीनारायण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री

विक्रमसिंह, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, राजा
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रसाद सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्रनाथ बख्शी, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्तिदेवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शान्तीचरन पिड़ारा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिव बचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराजसिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेषनारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छम्मूबाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्री कृष्णबाजपेयी, श्री
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री

सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदारसिंह, श्री
सर्वसुख सिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरजनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंहविष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री (जिला आगरा फतेहाबाद)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट—खाद्य मंत्री श्री बलदेव सिंह आर्य भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

वृहस्पतिवार, २५ जून, १९७०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

उर्वरकों के अत्याधिक प्रयोग से उत्पदित गल्ले द्वारा स्वास्थ्य खराब होना

**१—श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उसे यह रिपोर्ट मिली है कि कृषि में उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से उत्पादित गल्ला तथा सब्जियां मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हो गई हैं,, क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई जांच करवाने की कृपा करेगी ?

कृषि उपमंत्री (श्री शिववक्ष सिंह राठौर)—

जी नहीं। कोई रिपोर्ट इस तरह की शासन को प्राप्त नहीं हुई है। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता है ।

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कृषि में कीमयाबी खादों का प्रयोग हम ज्यादा से ज्यादा करते जा रहे हैं तो जो गल्ला व सब्जियां उस खाद से उत्पादित होती हैं उन का मनुष्य व पशुओं के स्वास्थ्य पर क्या बुरा असर पड़ रहा है ? यदि हां, तो सरकार इसके लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि मंत्री (श्री शिवराजसिंह)—

प्रदेश में किसी भी स्रोत से, कृषकों की संस्थाओं से, कृषक पत्रिकाओं से या खोज करने वाली संस्थाओं से कहीं से भी ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुई है बल्कि इसके बरक्स, इस के विपरीत जो खोज इस दिशा में हुई है उनके नतीजे इस प्रकार हैं कि अधिक मात्रा में उर्वरकों के प्रयोग से जो कृषि उत्पाद हुआ है उसमें ऐसे तत्व बढ़े ही हैं जोकि मनुष्य के ओर पशुओं के स्वास्थ्य के लिये लाभकर हैं। मैं कुछ आंकड़े भी इस सम्बन्ध में दे दूं, मैं यह आंकड़े इंडियन जरनल आफ एग्रीकल्चरल साइन्स, वैल्यूम ४०(२), फरवरी, सन ७० के पृष्ठ १५६ से दे रहा हूं। जब नाइट्रोजन ६७ पौंड इस्तेमाल किया गया तो कृषि उत्पाद में प्रोटिन की मात्रा १३.२१ प्रतिशत थी, जब नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा दी गई और वह १००.५ किलो प्रति हेक्टेयर डाली गई तो प्रोटीन की मात्रा बढ़कर १५.२ प्रतिशत हो गई, और जब यह नाइट्रोजन १३४ किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कर दी तो प्रोटिन १८.०६ प्रतिशत हो गई। इसी तरह से कृषि उत्पाद पर जो प्रभाव फासफेट, कैलशियम और मेगनेशिया खादों का हुआ है वह भी इस टेबिल में दिया गया है।

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो उत्तर उन्होंने दिया है क्या वह ऐसे विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर आधारित है जिन को कि इस संबंध में पूरा ज्ञान है? यदि नहीं, तो क्या इस की स्वयं कोई खोज करायेंगे कि ऐसे कीमयाबी खादों के प्रयोग से उत्पादित गल्ले व सब्जियों से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है? क्या वह इस के तुरन्त कोई आदेश खोज के लिये देंगे?

श्री शिवराज सिंह—

जो उत्तर मैंने अभी दिया, वही इस प्रश्न का भी उत्तर है। मैंने जो आंकड़े अभी इंडियन जरनल आफ एग्रीकल्चरल साइंसेज से पढ़े उनसे भी यह सिद्ध हो चुका है और जो अनुसंधान हमारे प्रदेश में और देश में हो चुके हैं उन से सिद्ध हैं कि अधिक मात्रा में इन उर्वरकों के प्रयोग से प्रोटिन आदि की मात्रा और बढ़ी है जो स्वास्थ्य के लिये आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष—

क्या वह एक्सपर्ट्स का व्यू है?

श्री शिवराज सिंह—

जी हां, वह विशेषज्ञों की राय है।

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)—

देवरिया जिले में सब्जियों में अमोनियम सल्फेट डालने से ४ व्यक्तियों ने शाम को सब्जी खाई और प्रातः को वे मर गये। इसी तरह से मवेशियों में भी तरह-तरह की बीमारियां फलीं। तो क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके किसी के द्वारा इसकी जांच करवाने की कृपा करेंगे?

श्री शिवराज सिंह—

इस प्रकार की शासन के पास कोई सूचना नहीं आयी है। यह बात सही है कि सब्जियों में असंतुलित मात्रा में खाद देने से सब्जियों के जायके में फर्क पड़ जाता है लेकिन इस प्रकार के तथ्य किसी भी अनुसंधानशाला से प्राप्त नहीं हुए हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार को गोरखपुर जिले के किसानों से इस प्रकार की शिकायत मिली है कि प्लानिंग विभाग के कर्मचारियों की गलत राय के कारण जो खाद की मात्रा दी गयी उससे न केवल उसकी बढ़ोत्तरी का ही सवाल पैदा हुआ बल्कि उनके खेत के खेत झुलस कर जल गये? और क्या सरकार ने इस बात की सूचना रखी है और इस बात की जांच करायी है जब कि वहां के काश्तकारों ने रुद्रपुर यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स को भी मामला रेफर किया है, क्या यह भी सही है कि

सरकार ने भी इस पर कुछ आदेश दिये थे और कोई अधिकारी जांच के लिये जाने वाले थे ? यदि हां, तो इसमें क्या हुआ ?

श्री शिवराज सिंह—

श्रीमन्, मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है। यदि माननीय सदस्य लिख कर दे देंगे तो मैं उस सम्बन्ध में सूचना प्राप्त कर लूंगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

इस बात को ध्यान में रख कर कि इस प्रकार की शिकायतें आमतौर पर हो रही हैं, तो क्या मंत्री जी ऐसे आदेश देने की कृपा करेंगे कि जब इस खाद का वितरण किया जाय तो उसका सैम्पिल सर्वे, या जांच करवा लिया करें और उसके उपरान्त ही वितरित किया करें ?

श्री शिवराज सिंह—

प्रश्न बहुत स्पष्ट नहीं है। जो खाद दिया जाता है उसके कट्टों पर निश्चित रूप से यह दिया होता है कि कितने-कितने प्रतिशत इसमें विशेष तत्व हैं और वह जांच करके ही दिया जाता है।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या माननीय कृषि मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो खाद किसानों को बांटा जाता है वह बहुत पुराना होता है और जो तत्व उसमें हो जाते हैं, उनसे इन्फैक्शन हो जाता है ?

श्री शिवराज सिंह—

इस प्रकार की सरकार की चेष्टा रहती है कि खाद अगर खराब हो तो वह किसानों को न दिया जाय। अगर कोई शिकायत भी आती है तो सरकारी आदेश और नियम हैं कि उसकी छानबीन की जाय।

श्री कृष्ण चन्द्र (जिला झांसी)—

क्या सरकार के पास इस प्रकार की सूचना है कि जो उर्वरक बांटा जा रहा है वह प्रत्येक किसान को, चाहे उसके पास सिंचाई के साधन हों या न हों, दिया जाता है और जहां पर सिंचाई के साधन नहीं हैं, वहां पर फसलें जल जाती हैं ? क्या माननीय मंत्री जी अपने विभागों को आदेश देंगे कि इस प्रकार की खाद उन्हीं किसानों को दी जाय जिनके पास सिंचाई के साधन हों, जबरदस्ती उन किसानों को न दी जाय जिनके पास सिंचाई के साधन नहीं हैं ?

श्री शिवराज सिंह—

यह बात सही है और मैं इससे सहमत हूं और विभाग के इस प्रकार के आदेश भी हैं कि जबरदस्ती किसी को खाद न दिया जाय। असिंचित क्षेत्र में खरीफ की फसल में उर्वरक वितरित किया जाता है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

किसानों को जो जबरदस्ती खाद दिया जा रहा है वह अधिक दिनों से स्टाक में पड़ा होता है और सब्जियों में कीड़े तक निकलते हैं, चाहे मंत्री जी को इसकी सूचना प्राप्त न हो, और उन सब्जियों को सेवन किया गया तो उनके बीच में काफी परेशानी हुयी और जो खाते हैं, वह पचा नहीं पाते हैं तो क्या कोशिश की गई है ?

श्री शिवराज सिंह—

मान्यवर, खाद देने के दो तरीके हैं। एक कैश पर, दूसरे तकावी पर। कैश पर जबरदस्ती का प्रश्न नहीं उठता। तकावी पर जो खाद दी जाती है उसमें इस बात की चेष्टा की जाती है कि विभिन्न प्रकार के उर्वरक हम संतुलित मात्रा में दें। यदि खाद असंतुलित मात्रा में प्रयोग करेंगे

तो उनको न लाभ होगा और है न अच्छी प्रकार के कृषि पदार्थ पैदा हो सकेंगे। इसलिये आवश्यक है कि संतुलित मात्रा में खाद दी जाय।

श्री रामकुमार शास्त्री—

उनके विभाग की तरफ से क्या इस तरह का प्रचार किया गया है या नहीं किया गया है?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

चीनी मिलों द्वारा सम्पूर्ण गन्ने को पेरना

**२—चौधरी गिरधारी लाल (जिला बिजनौर) (अनुपस्थित), श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा, (जिला देहरादून) (अनुपस्थित), श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित), श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती) (अनुपस्थित) तथा श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के सारे खड़े गन्ने को चालू सीजन में ही पेराये जाने के लिये सरकार ने गन्ना आयुक्त को आदेश जारी कर दिये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी? क्या बांडेड के साथ-साथ अनबांडेड गन्ना भी शकर मिलों द्वारा पेराई के अन्तर्गत लिया जायगा?

श्रम राज्य मंत्री (श्री राजमंगल पाण्डेय)—

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ की धारा १५ (२) के अन्तर्गत चीनी मिलें केवल उस गन्ने को खरीदने के लिये बाध्य हैं जो उन्हें गन्ना समितियों द्वारा प्रस्तावित (offer) किया जाता है और जिसके खरीदने के वास्ते उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति तथा खरीद आज्ञा, १९५४ की आज्ञा ३ (३) के अधीन मुहायदा हो गया है। उक्त धारा १५ (२) के अन्तर्गत चीनी मिलों को आदेश जारी करने का अधिकार गन्ना आयुक्त को है। अतः शासन द्वारा अलग से कोई आदेश जारी करने का प्रश्न नहीं उठता। शासन का प्रयास है कि चीनी मिलें अपने क्षेत्र का समस्त गन्ना पेर कर बन्द हों। जो मिलें अब तक बन्द हो चुकी हैं, उन्होंने बांडेड तथा अनबांडेड सभी गन्ना पेरा है।

(माननीय मंत्री द्वारा प्रश्न का उत्तर पढ़े जाने पर)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

अध्यक्ष महोदय, उत्तर तेजी से पढ़ा जा रहा है। अच्छा हो यदि मंत्री जी धीरे-धीरे पढ़ें।

श्री अध्यक्ष—

आप जरा धीरे-धीरे पढ़ दें।

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या माननीय मुख्य मंत्री बतायेंगे कि कितने मिल ऐसे हैं जिन्होंने सम्पूर्ण गन्ना पेर दिया है और बन्द हो गईं?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

कुल २७ मिलें हैं जिन्होंने रिजर्व्ड एरिया का सम्पूर्ण बांडेड और अनबांडेड गन्ना पेर दिया है, बाकी तीन ऐसी फैक्टरीज हैं जो ब्रेक डाउन की वजह से बन्द हैं। हम कोशिश कर रहे है कि वे भी चलें। उनका गन्ना भी हमने दूसरी जगह डायवर्ट कर दिया है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या माननीय गन्ना मंत्री बतायेंगे कि गन्ना आयुक्त ने इस प्रदेश के केवल एक किसान जो कृषि मन्त्री जी हैं उनके चार्ज लेने के एक हफ्ते के अन्दर उनका सारा गन्ना पेरवा दिया ?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

श्रीमन्, यह चीज बिलकुल ही गलत है ।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

क्या मंत्री जी के उत्तर से संबंधित क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि उन्होंने जो बांडेड है या जो गन्ना था वह भी पेर दिया है ?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

यह मैं पहिले ही बता चुका हूं कि २७ मिलों ने बांडेड और अनबांडेड दोनों तरह का गन्ना एक्स्ट्रा गन्ना था वह भी पेर लिया है ।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि तीन कौन-सी मिलें हैं जो ब्रेक डाउन के कारण बन्द हो गई थीं और जिनका गन्ना समाप्त नहीं हुआ ? क्या कोशिश करके उनका गन्ना पिरवा देंगे ?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

तीन चीनी मिलें हैं, सहारनपुर, बिसवां और मसौदा ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऐसी कितनी मिलें हैं जिनको उनके अपने रिजर्व्ड एरिया के बाहर का गन्ना भी दिया गया है और उनके रिज्जर्ड एरिया का गन्ना खड़ा है ?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

श्रीमन्, उनकी तालिका तो मेरे पास नहीं हैं । इस सवाल से उनका कोई सम्बन्ध नहीं था । अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो उनकी तालिका हम दूसरे दिन दे देंगे ।

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या माननीय मंत्री जी उन मिलों के नाम बताने की कृपा करेंगे जिन्होंने अपना पूरा गन्ना पेर लिया है ?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

देवरिया, बैतालपुर, गौरीबाजार, भटनी, प्रतापपुर, चौरहा, कटकुइयां, पडरौना, रामकोला, लक्ष्मीगंज, कप्तानगंज, पिपराइच, सिसवा, घुघली, छितौनी, आनन्दनगर, सरदारनगर, मुन्डेरवा, खलीलाबाद, बस्ती, वाल्टरगंज, बभनान, नबावगंज, बलरामपुर, शाहगंज (जौनपुर), हरदोई यह २७ मिलें हैं ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

ऐसी कितनी मिलें हैं जो ब्रेक डाउन के कारण बन्द हो गयीं ?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

तीन हैं।

कुंवर चन्द्रप्रताप नरायन सिंह (जिला देवरिया)—

खड्डा शुगर मिल की, जहां के मैनेजर जेल में बन्द हैं, वहां की क्या पोजीशन है ? कैसे गन्ना वहां का पेरा जायेगा ?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

हमारे पास उस मिल के बन्द होने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि मैनेजर जेल में बन्द होने की वजह यह रही होगी कि उस मिल में लकड़ी वगैरह खत्म हो गयी होगी। वैसे हमने इन्स्ट्रक्शन्स भेज दिये हैं कि मिल को शीघ्र चालू किया जाय।

कुंवर चन्द्रप्रताप नरायन सिंह—

अभी मंत्री जी ने कहा कि हमारे पास कोई सूचना नहीं है और जहां कि इन्स्ट्रक्शन्स भी भेज दिये हैं। क्या वहां के मैनेजर ने एक चिट्ठी मंत्री जी को लिखी है कि इन-इन चीजों की कमी के कारण मिल बन्द है ?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

इस तरह का कोई पत्र नहीं आया है। मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि जेल में बन्द होने का कारण लकड़ी वगैरह का न होना है। सरकार कोशिश कर रही है कि वह मिल फिर से चालू हो जाय।

श्री हिम्मत सिंह—

जिन मिलों का ब्रेक डाउन हो गया है उन क्षेत्रों का गन्ना पिरवाने के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

सहारनपुर की फैक्टरी का गन्ना हमने इन मिलों को डाइवर्ट कर दिया है—मवाना, दौराला, मोदीनगर, खतौली, मंसूरपुर, रोहाना, देवबन्द, सरसाव, इकबालपुर। समौधा का जहां तक सवाल है, उसका गन्ना बाराबंकी और बुढ़वल शुगर मिल को डाइवर्ट कर दिया है। तीसरी जो बिसवां की मिल है उसका गन्ना महोली, जरवल रोड चीनी मिलों को डाइवर्ट कर दिया है।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

खड्डा शुगर मिल का कितना गन्ना पेरा गया है और कितना बाकी है ?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

इसकी सूचना नहीं है, लेकिन यह एक लाख और ५० हजार क्विन्टल के बीच होगा जो बाकी रह गया है।

श्री रामचन्द्र विकल—

सहारनपुर मिल का जो गन्ना आपने दूसरी जगह डाइवर्ट कर दिया है, क्या मंत्री जी को यह सूचना है कि उन मिलों ने उसका गन्ना लिया है या नहीं ?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

जहां तक मेरी जानकारी है गन्ना जरूर गया है क्योंकि न गया होता तो वहां की कोई शिकायत आती।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि मसौधा का गन्ना हमने बुढ़वल और बाराबंकी को डाइवर्ट कर दिया है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां का गन्ना इन मिलों में नहीं जा सकता, तो क्या इसके लिये कोई और व्यवस्था करेंगे ?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

हमारा यह प्रयत्न है कि उन इलाकों के काश्तकारों को जो काफी दूर-दूर हैं उनको कुछ कम्पेन्सेशन के रूप में मिले और उसके लिये हम मिल मालिकों से बात कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ तय नहीं कर पाये हैं ।

श्री ईश्वरदयाल त्यागी (जिला मेरठ)—

मंत्री जी ने बताया है कि मोदीनगर तथा कुछ दूसरी फैक्टरियों को और गन्ना एलाट किया गया है । मैं उनको बताना चाहता हूं कि मोदीनगर फैक्टरी के पास खुद का इतना गन्ना है जिसको कि वे अगस्त तक भी नहीं पेर सकेंगे, तो ऐसी सूरत में इनको और गन्ना देने से क्या लाभ होगा ?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

बहुत सी फैक्टरियां ऐसी हैं, जिनके जोन में गन्ना ज्यादा है, लेकिन यदि उनकी बगल में कहीं ब्रेक-डाउन हो गया है तो इस बात का प्रयत्न किया गया है कि प्रपोर्सनेटली वहां की मिलों का भी गन्ना डाइवर्ट कर दिया जाये ।

श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहराइच)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जरवल शुगर मिल के रिजर्व एरिया का वह भाग जो घाघरा के मंझर में रह गया है, क्योंकि घाघरा में पूरी बाढ़ आ चुकी है, उसे देखते हुये क्या उस क्षेत्र के गन्ने को अन्यत्र भेजवाने और पेरवाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

वहां के काश्तकारों की तरफ से अभी कोई कम्प्लेंट नहीं आई है कि वे क्या व्यवस्था चाहते हैं । माननीय सदस्य लिख कर दे देंगे कि वहां की परिस्थिति क्या है तो उस पर हम अवश्य विचार करेंगे ।

जिला गोंडा के ग्राम धुसाह में सिंचाई प्रयोजनों हेतु जमीन लेना.

**३—श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती) तथा श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बतायेगी कि जिला गोंडा, तहसील बलरामपुर के ग्राम धुसाह में इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने के योजनान्तर्गत जिन किसानों की भूमि सरकार ने ली थी, उसे योजना के कार्यान्वित न करने पर भी किसानों को वापस नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम के किसानों को तुरन्त भूमि वापस करने की कृपा करेगी ?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

यद्यपि कथित भूमि की आवश्यकता अब आई० टी० आई० के लिये नहीं है लेकिन सिंचाई विभाग को कतिपय प्रयोजनों से उसकी आवश्यकता है । अतएव यह वापस नहीं की गई ।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जमीन आई० टी० आई० कालेज को कब दी गई थी और उसका मुआवजा किसानों को कब दिया गया ?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

तारीख तो मेरे पास नहीं है । यह पता है कि २२.१२ बिस्वा जमीन लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट के अन्तर्गत बलरामपुर के ग्राम धुसाह में ली गई थी ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मुआवजा कितना दिया गया, यह तो बता दें ?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

जब लैण्ड एक्वायर हो गई है तो इसका मतलब है कि कम्पेन्सेशन दिया ही गया है, काश्त कार भले ही न लें, लेकिन उस धनराशि को अवश्य ही उनके खाते में जमा कर लिया गया होगा।

श्री सुखपाल पांडेय—

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह मुआवजा कितना हुआ और वह किसानों को कब दिया गया है ? इस पर स्पष्ट उत्तर होना चाहिये।

श्री राजमंगल पाण्डेय—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री रामकुमार शास्त्री—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो जमीन ली गई है वह खाली पड़ी है या जोत में है ?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

इसका तो डिटेल मेरे पास नहीं है, लेकिन २२.१२ एकड़ जमीन ली गई है आई० टी० आई० के लिये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

चूंकि बिना मुआवजा दिये हुए भी जमीन ली जा सकती है और उसके बाद मुआवजा दिया जाता है, इसका प्राविजन है। तो क्या यह जमीन इसी प्रकार से ली गई है और इसका मुआवजा आज तक किसानों को नहीं दिया गया है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इमरजेंसी रूल का जो हवाला दे रहे हैं, उसमें भी है कि जमीन ले ली जाती है, लेकिन उसके बाद पैसा उसके साथ-साथ बन कर मिल जाता है।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने सीधा प्रश्न किया है। आप स्पष्ट जवाब दे दें।

श्री राजमंगल पाण्डेय—

लेकिन इसकी तो सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री ईश्वरदयाल त्यागी—

क्या मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि यहां पर यह जमीन साढ़े बारह और सवा छः एकड़ वाले छोटे-छोटे किसानों से ली गई है, भविष्य में ऐसा प्रयत्न करेंगे कि छोटे किसानों से जमीन न ली जाया करे ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं बुलाया गया।)

श्री रियासत हुसैन—

जब यह जमीन आई० टी० आई० के निर्माण के लिये ली गई और उसका मुआवजा भी किसानों को नहीं दिया गया, किन्तु जब उस पर आई० टी० आई० का निर्माण नहीं हुआ तो वह जमीन अब इर्रीगेशन के लिये क्यों दी जा रही है, जबकि लोगों को मुआवजा भी नहीं मिला है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

श्रीमन्, अभी तक यह जमीन इर्रीगेशन को नहीं दी गई है। इर्रीगेशन की तरफ से एक दरख्वास्त आई है कि उन्हें इसकी आवश्यकता है किन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि कितनी जमीन की आवश्यकता है। जितनी उनको आवश्यकता होगी उतनी उनको दे दी जायेगी और बाद में बाकी जमीन रिलीज कर दी जायेगी।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान भूमि अधिग्रहण की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें उल्लेख किया गया है कि जिस कार्य के लिये जमीन ली जाय उसी कार्य में लगाई जानी चाहिये और यदि ऐसा न हो तो या उस जमीन की आवश्यकता न हुई तो उसे फिर से किसानों को लौटा दी जानी चाहिये। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि वे सिंचाई विभाग की प्रार्थना पर कार्यवाही न करके किसानों को वह भूमि लौटाने की कृपा करेंगे?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

श्रीमन्, यदि किसी एक परपज के लिये किसी जमीन की आवश्यकता न हो तो गवर्नमेंट किसी दूसरे पब्लिक परपज के लिये उस जमीन को रिटेन कर सकती है।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी यह देखते हुये कि आई० टी० आई० को उस जमीन की जरूरत नहीं रही और ओर किसानों को उसका मुआवजा नहीं मिला। अब सिंचाई विभाग के दरखास्त दी है कि यह भूमि उनको दी जाय। यह १२ एकड़ जमीन है। आज किसान को फायदा नहीं हो रहा है। तो मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार यह विचार करेगी कि इस जमीन को किसानों को वापस कर दिया जाय?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

श्रीमन्, जैसा मैंने अर्ज किया सिंचाई विभाग को जितनी जमीन की आवश्यकता होगी उतनी उनको दी जायेगी और बाकी जमीन वापस कर दी जायेगी।

श्री रियासत हुसैन—

सिंचाई विभाग वालों ने इसलिये इस जमीन की प्रार्थना की है कि उनके अफसरान के बच्चों को खेलने के लिये जो स्लीपर वगैरह लगते हैं उसके लिये उन्होंने जमीन की मांग की है। यह कोई इम्पार्टेन्ट चीज नहीं है, तो क्या इस बिना पर उन्होंने इस जमीन को एलाट करने के लिये कहा है?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

श्रीमन्, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

जिला नैनीताल के श्री नन्दा बल्लभ, प्रधाना ध्यापक, प्राइमरी स्कूल, पनापुरा का गायब होना

*१—श्री डूंगर सिंह विष्ट (जिला नैनीताल) तथा श्री हरी सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंके कि श्री नन्दा बल्लभ, प्रधानाध्यापक, प्राइमरी स्कूल पनापुरा, किच्छा तहसील, जिला नैनीताल १३ नवम्बर, १९६९ से लापता हैं? क्या सरकार

को ज्ञात है कि दिनांक ३ दिसम्बर, १९६९ को श्री नन्दाबल्लभ के पिता श्री जयदत्त ने किच्छा थाने में श्री नन्दा बल्लभ के गायब होने की सूचना दी थी तथा क्या किच्छा पुलिस ने सरदार खुशाल सिंह के यहां से श्री नन्दा बल्लभ का सामान तथा रुपया बरामद कर सरदार खुशाल सिंह तथा उनके लड़के को दिनांक ५ दिसम्बर, १९६९ से १२ दिसम्बर, १९६९ तक हिरासत में रखने के बाद छोड़ दिया ? यदि हां, तो क्यों तथा श्री नन्दा बल्लभ को खोज निकालने के लिये पुलिस ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह उप मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

दिनांक ३-१२-६९ को श्री जयदत्त ने थाना किच्छा पर अपने लड़के श्री नन्दा बल्लभ, प्रधान अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला पनापुरा, जिला नैनीताल के गुमशुदगी की सूचना दी।

पुलिस में सूचना होने पर श्री खुशाल सिंह के उस खपरैल में जहां श्री नन्दा बल्लभ रहता था उनका सामान पुलिस ने बरामद किया। चूंकि किसी के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता था अतः किसी को पुलिस ने हिरासत में नहीं लिया। पुलिस श्री नन्दा बल्लभ को ढूंढने का प्रयत्न कर रही है।

श्री डूंगर सिंह विष्ट—

क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि ये जो नन्दा बल्लभ हैं ये सरदार खुशाल सिंह के यहां रहते थे ? यदि हां, तो कितने दिनों से रहते थे ? और जयदत्त जी ने जो रिपोर्ट थाने को दी थी उसमें उन्होंने क्या शंका व्यक्त की थी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

ये नन्दा बल्लभ सितम्बर-अक्टूबर, १९६७ से सरदार खुशाल सिंह के यहां रहते थे उन्होंने कोई सन्देह व्यक्त नहीं किया।

श्री डूंगर सिंह विष्ट—

क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि जैसा उन्होंने अपने उत्तर में कहा है, मेरी जानकारी को सही मान कर के सरदार खुशालसिंह तथा उसके लड़के को ५-१२-६९ से १२-१२-६९ तक हिरासत में लिया और इस प्रकार ७ दिन तक हिरासत में रख कर फिर क्यों छोड़ दिया ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

ऐसी कोई सूचना नहीं है कि उनको हिरासत में लिया गया।

श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)—

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि जब ३-१२-६९ को यह सूचना थाने में दी गयी और उनका सामान भी एक साहब के यहां बरामद किया गया तो उनसे भी कोई पूछताछ की गयी कि वह कहां चले गये और उस समय से अब तक पुलिस उनकी तलाश के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

पुलिस तो बराबर तलाश कर रही है। सूचना यह है कि वह यह कह कर गये थे कि वह एक मेले में जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद से उनकी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। पुलिस को यह संभावना है कि वे कहीं चले गये।

श्री दीपनारायण मणि—

खुशाल सिंह की साजिश से नन्दाबल्लभ को गायब किया गया, क्या इस सूचना को सही मान कर मंत्री जी जांच करायेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

यह सूचना हमें नहीं है ।

श्री अभिमन्यु प्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि खुशालसिंह की सर्च किस तारीख को हुई ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी ।

श्री इन्द्र लाल—

नन्दाबल्लभ का सामान एक साहब के यहां से बरामद हुआ, और वह आदमी इतने दिनों से फरार है, जहां रहता था उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है, क्या पुलिस ने इसकी जांच की ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

पुलिस तो बराबर प्रयत्न शील है । जो डायरी उनकी बरामद हुई है, उसमें जो लिखा है उससे मालूम होता है कि उनको अपने जीवन से विरक्ति हो गयी थी । उन्होंने डायरी में कुछ ऐसी बातें लिखी थीं—"प्रधानाचार्य ने जो नियम बनाये उनका पालन नहीं कर पाया...अध्यापक वर्ग की दृष्टि में कुछ गिर गया हूं, पराये घर में रहना मृत्यु के बराबर है....पत्नी के कहने में चला इसलिये परिवार वालों की नजर में गिर गया ।" ऐसी बातें उसमें लिखी हुई थीं इससे ज्ञात होता है कि उनको कुछ विरक्ति हो गयी थी ।

केन यूनियन, जरवल शुगर मिल्स, बहराइच को निलम्बित करना

*२—श्री अनन्त राम जायसवाल—

क्या मन्त्री गन्ना विकास कृपया बतायेंगे कि क्या मई, १९७० में केन यूनियन, जरवल शुगर मिल्स, बहराइच के तोड़ने का फैसला शासन ने लिया है ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

जी नहीं ।

श्री अनन्त राम जायसवाल—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि क्या इस प्रश्नगत यूनियन के विरुद्ध जांच करायी गयी ? अगर जांच करायी गयी तो किस अधिकारी के खिलाफ जांच करायी गयी, जांच रिपोर्ट की जो रिपोर्ट आयी, उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

श्रीमन्, जांच असिस्टेंट केन कमिश्नर के द्वारा हुई, लेकिन उनका नाम इस समय नहीं मालूम है । जांच की रिपोर्ट यहां नहीं है लेकिन उसकी मुख्य-मुख्य फाइंडिंग्स बतायी जा सकती हैं, उसका सब्सटैंस बता सकता हूं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या इस यूनियन के अध्यक्ष मौजूदा मंत्रि-परिषद् के एक सदस्य हैं ?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

जी हां, हैं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या मंत्री जी उनका नाम बताने की कृपा करेंगे ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

बोर्ड के डायरेक्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। कार्यवाही हो रही है, पूरा का पूरा यूनियन सस्पेंडेड है, नाम बता देने से ही क्या लाभ होगा, जब कि सरकार पूरी पूरी कार्यवाही उसके विरुद्ध कर रही है।

श्री अध्यक्ष—

नाम बता देने में क्या बात है। आप नाम बता दें। नाम बता दीजिये, सीधी बात है।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

श्री भगौती सिंह, उप-मंत्री।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

आपने उस रिपोर्ट के आधार पर जब यूनियन को सस्पेंड कर दिया तो इसका मतलब है कि काफी संगीन मामले थे। तो कृपया यह बताने का कष्ट करेंगे कि वे शिकायत क्या थीं ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

वहां के कुछ डायरेक्टर्स के बारे में और कुछ कर्मचारियों के बारे में थीं कि गन्ने का जो एस्टीमेंट होता है उसकी ओवर एस्टीमेट कर के दर्ज किया था, कैलेंडर के हिसाब जो पर्चियां उनको देनी चाहिये थीं वह नहीं दीं, जिन लोगों ने सोसाइटीज से कर्ज लिया है, गन्ने की कीमत के भुगतान से पहले वह कर्जा काट लिया जाता है, ऐसा नहीं किया, जिनके पास गन्ना नहीं है उनको गन्ना दिखा कर किया है। इसी तरह से ज्यादातर वहां के कर्मचारियों के खिलाफ हैं और कुछ डायरेक्टर्स के खिलाफ थीं।

श्री हिम्मत सिंह—

जो केन कमिश्नर ने रिपोर्ट भेजी है उसमें कौन-कौन सी शिकायतें झूठी पायीं और कौन-कौन सी सही पायीं ?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

४–५ शिकायतें जो हैं कि कुछ फर्जी सट्टे वहां पर हुये हैं, गन्ने का एस्टीमेट बढ़ा कर किया गया है, कैलेंडर के हिसाब से परचियां नहीं बांटी गयी हैं, अतिरिक्त पट्टे पर २ रुपये क्विंटल की जमानत की धनराशि नहीं जमा की गयी थी, कर्जा जो मूल्य के भुगतान से पहले काट लिया जाना चाहिये वह नहीं काटा गया है और यही वजह थी कि जब और जगह ६२ परसेंट ड्यूज की रिकवरी रही वहां केवल ६ परसेंट ही रही और पर्चियों के पेमेंट में भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ, कुछ को किसी तारीख तक दी गयी और किसी को उसके बाद तक काटी गयी।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

चूंकि इसमें एक उपमंत्री जी जो वर्तमान मंत्रिमंडल में हैं उनका हाथ है तो क्या मुख्य मंत्री जी इस केस की सतर्कता आयोग के द्वारा जांच करायेंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, जितनी गलतियां साबित हुई हैं वह केवल इर्रेगुलैरिटीज बज़ाहिर मालूम होती हैं। कोई उसमें मारल डेरिलिक्शन का सवाल मुझको नहीं दिखायी देता है। हम उसको और देख करके उपमंत्री जी से बात कर लेंगे। लेकिन मेरे माननीय मित्र को मालूम होना चाहिये कि मंत्रियों का मामला सतर्कता आयोग पर नहीं जाता है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी केन कमिश्नर की जांच की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

हमें रखने में कोई एतराज नहीं है ।

श्री रामकुमार शास्त्री—

जो यह नौबत आयी कि उस यूनियन को तोड़ दिया जाय तो क्या शिकायतें साधारण थीं या उसके साथ-साथ कुछ संगीन शिकायतें भी थीं और अगर कुछ संगीन शिकायतें थीं तो मंत्री जी उनको संक्षेप में बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने सब शिकायतें बता दीं ।

श्री रामकुमार शास्त्री—

बहुत हल्की हल्की शिकायतें बतायीं । इतने पर यूनियन तोड़ने की नौबत नहीं आती। मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन सी ऐसी संगीन शिकायतें थीं जिससे इतनी पुरानी यूनियन तोड़ी जा रही है ?

श्री चरण सिंह—

तोड़ी नहीं है अभी केवल सस्पेंड की गयी है। लेकिन सुपरसेशन की कार्यवाही चल रही है। अब कौन सी शिकायत संगीन है और कौन सी मामूली है, यह तो अपनी-अपनीराय की बात है।

श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या उन शिकायतों में माननीय उप मंत्री की व्यक्तिगत शिकायत भी शामिल है ? अगर हां, तो क्या ?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

उनसे संबंधित कोई शिकायत उसमें नहीं है। उसमें तो डाइरेक्टर के संबंध में थी।

कुमारी सरस्वती अम्मल का पर्स छीना जाना तथा विधायक निवासों में चोरी होना

*३—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार को यह पता है कि दिनांक १४ मई, १९७० को अर्जक संघ कार्यालय के पास कुमारी सरस्वती अम्मल के हाथ से पर्स दो गुंडे मोटर साइकिल पर आकर छीन ले गये और रायल होटल तथा अन्य विधायक निवासों में भी उस सत्र में अनेक चोरियां हो चुकी हैं ? यदि हां, तो सरकार को अब तक कितनी चोरियों की जानकारी है और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

दिनांक १३-५-७० को रात में लगभग ९-४५ बजे कुमारी सरस्वती अम्मल ने थाना हजरतगंज, लखनऊ में इस आशय की लिखित सूचना दी कि उसी दिन कुछ समय पूर्व स्कूटर पर सवार दो आदमियों ने उनका हैंडवेग छीन लिया । इस सूचना के आधार पर थाने पर धारा ३९२ के अन्तर्गत एक मुकदमा दर्ज किया गया जिसकी विवेचना हो रही है।

रायल होटल तथा अन्य विधायक निवासों में १९७० में अब तक ५३ चोरियां होने की सूचनायें हजरतगंज तथा हुसैनगंज थानों में प्राप्त हुई हैं। इन चोरियों के संबंध में की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २४५ पर)

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि १९७० में जितनी चोरियां विधायक निवास में हुई उनमें कितने व्यक्तियों की गिरफ्तारी इस संबंध में हुई है ?

श्री चरण सिंह—

यह तो मालूम नहीं है कि कितनी गिरफ्तारी हुई हैं। इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

इस संबंध में कोई गिरफ्तारी हुई या नहीं और क्या माल भी बरामद हुआ है ?

श्री चरण सिंह—

कुछ चोरियों का इन्वैस्टीगेशन कामयाब हुआ है।

श्री कृष्णानन्दराय—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को पता है कि इसी स्थान पर एक सिपाही को १०, १५ दिन पहले पाकेटमार ने चाकू मारा था और उस स्थान पर अनेक घटनायें होती हैं तो उस स्थान पर कांस्टेबिल की पोस्टिंग करने की कृपा करेंगे ?

श्री चरण सिंह—

पेश्तर इसके कि मैं कृष्णानन्दराय जी के सवाल का जवाब दूं मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मैंने माननीय लक्ष्मीरमण जी आचार्य के सवाल के जवाब में यह कहा था कि कुछ चोरियां वर्कआउट हो गई हैं, मैंने वह जवाब गलत दिया था। सूचना यह है कि कुछ में तफतीश की कार्यवाही अभी जारी है। आप ने जो फरमाया कि किसी जगह कांस्टेबिल की पोस्टिंग करने की जरूरत है तो उस पर गवर्नमेंट विचार करेगी लेकिन एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि तफसील से चोरियों की इतनी थानों में जो रिपोर्ट लिखाई हैं उन सब को देखकर गवर्नमेंट यहां के मुकामी थाने की कारगुजारी से सन्तुष्ट नहीं है। मैं इसकी तहकीकात करूंगा।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

क्या कोई गिरफ्तारी इस संबंध में हुई और माल भी कोई बरामद हुआ ? मैं यह दो बात जानना चाहता था।

श्री चरण सिंह—

अभी इसकी जांच जारी है। इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मुख्य मंत्री जी को इसकी सूचना है कि विधायक निवास में माननीय पारसनाथ की २६-२७ मई की रात में मोटर साइकिल चोरी हो गई और उन्होंने सरकार को लिखित सूचना भी दी थी ?

श्री चरण सिंह—

मुझे याद नहीं है कि मुझे ऐसी कोई सूचना दी गई।

श्री पारसनाथ सिंह—

क्या माननीय मुख्य मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि उस पर आज तक कोई कार्यवाही हुई और पता लगाया गया जिसको आज एक महीना हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने बता दिया कि उनको पता नहीं है।

श्री त्रिवेणी सहाय—

हमारे वहां एक घटना अंगूठी की हो गई । उस कमरे में एक ही आदमी आया था वह उसको ले गया लेकिन अभी तक उस आदमी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई ?

श्री अध्यक्ष—

एक एक करके ही कार्यवाही होगी ।

श्री बसन्त लाल शर्मा—

मान्यवर, विधान सभा का जब सत्र चलता है अथवा विधान सभा बन्द रहती है, विशेष कर जब सत्र चलता है तो विधायक १०-३० बजे ताले लगा कर चले आते हैं और शाम को अपने निवास स्थान जाते हैं । यह सही है कि एक चौकीदार रहता है जो १५,२० कमरों की देखभाल रखता है, लेकिन फिर भी ताले टूटते रहते हैं और चोरियां होती हैं और सभी विधायकों को इससे परेशानी है । तो इसको ध्यान में रखते हुये क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कोई विशेष व्यवस्था करेंगे जिससे विधायकों के निवास स्थान के ताले न टूटें और चोरियां न हों ।

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सुझाव दिया, गवर्नमेंट उसकी तरफ ध्यान देगी । अगर अध्यक्ष महोदय इजाजत दें तो मैं कहूंगा कि माननीय विधायकों को भी देखना चाहिये कि उनके यहां किस-किस तरह के लोग आते हैं ।

श्री ईश्वर दयाल त्यागी—

क्या माननीय मुख्य जी इस बात पर विचार करेंगे कि विधायक निवास में ऐसे व्यक्तियों के आने-जाने पर रोक लगाई जा सकें ?

श्री चरण सिंह—

यह रोक तो विधायकों को स्वयं लगानी पड़ेगी ।

श्री कृष्ण चन्द्र—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात की इत्तला है कि विधायक निवास में कर्मचारियों के जो क्वार्टर्स हैं वहां आये दिन समाज विरोधी तत्व आकर ठहरते हैं और इस प्रकार से जो चोरियां होती हैं और वारदातें होती हैं उनमें इनका हाथ होता है। ऐसी कोई इत्तला सरकार के पास है क्या ?

श्री चरण सिंह—

हमारे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं है।

श्री कृष्णानन्द राय—

विधायक निवास और उसके प्रिसिंक्ट के विषय में अनेक प्रकार की शिकायतें रखी गयी हैं । तो क्या मुख्य मंत्री जी एक विशेष सी०आई०डी० दस्ते के द्वारा या किसी और एजेंसी

के द्वारा विधायक निवास और उसके प्रिसिंक्ट की जांच करवायेंगे, क्योंकि यह देखा गया है कि वहां रात में शराबी तक बरामदे में जमा होते हैं ।

श्री चरणसिंह—

गवर्नमेंट तो इस बात के लिये तैयार है लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट को यह आश्वासन सारे विधायक गण की तरफ से चाहिये कि सिफारिश नहीं करेंगे और बुरा नहीं मानेंगे ।

नैनीताल जिले के ग्राम टेड़ाघाट के सभापति की हत्या

*४—श्री डूंगरसिंह विष्ट—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जिले के तहसील खटीमा के ग्राम टेड़ाघाट के सभापति श्री गंगाराम की ८ मई, १९७० की रात्रि को जिन्दा जलाकर हत्या कर दी गई । यदि हां, तो हत्या करने वाले कौन थे और पुलिस ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार नैनीताल जिले के तहसील खटीमा के ग्राम टेड़ाघाट के सभापति, श्री गंगाराम, को ८/९ मई, १९७० की रात्रि में जिन्दा जला दिया गया । हत्या करने वाले ७ या ८ अज्ञात पंजाबी बताये गये हैं । पुलिस ने इस मामले में मुकदमा कायम करके विवेचना आरम्भ की, जो अभी जारी है ।

श्री डूंगर सिंह विष्ट—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब गंगाराम को जिन्दा जलाया गया है, उससे १६–१७ दिन पहले क्या उसके यहां चोरी हुई थी जिसमें बन्दूक वगैरह चोरी गयी थी और गंगाराम ने अपनी सुरक्षा के लिये खटीमा पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखायी थी ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

ऐसी कोई सूचना इस समय हमारे पास उपलब्ध नहीं है।

श्री डूंगरसिंह विष्ट—

श्रीमन्, पहले किच्छा वाले मामले में भी ऐसा ही हुआ । यह कैसे अन्दाजा आया कि कत्ल करने में ७–८ पंजाबी थे । क्या मेरी इस बात को सूचना मानकर कि १६–१७ दिन पहले चोरी की यह घटना हुई थी, मंत्री जी सी० आई० डी० द्वारा इस मामले में जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

मान्यवर, इसकी जांच हो रही है। सी०आई०डी० द्वारा जांच की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री इन्द्रलाल—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी आजकल तराई में हत्याओं के केसेज की बढ़ोत्तरी को देखते हुए एक विशेष सी० आई० डी० दल की वहां नियुक्ति करने की कृपा करेंगे और जिन क्षेत्रों में हत्यायें हो रही हैं और वहां के सब इन्स्पैक्टर इन हत्याओं का पता लगाने में असफल रहे हैं, उस संबंध में भी कोई कठोर कदम उठाने की कृपा करेंगे ?

श्री चरणसिंह—

अब तक तो हमारे पास कोई इस किस्म की सूचना नहीं है कि कत्ल कोई गैर मामूली तौर पर ज्यादा हो रहे हैं । अगर ज्यादा हो रहे होंगे तो विशेष प्रबन्ध करने की कोशिश करेंगे ।

श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)—

अभी माननीय डूंगर सिंह जी ने कहा कि आदमी जिन्दा जलाया गया है और जलाये जाने के पहले जब चोरी हुई थी बन्दूक वगैरह की तो उसने अपने जान माल के खतरे की रिपोर्ट पुलिस में की थी, जिसकी इत्तला मुख्य मंत्री जी के पास नहीं है। अगर ऐसी बात है तो निश्चय ही पुलिस वालों की असावधानी है। तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी माननीय डूंगर सिंह जी की सूचना को सही मानते हुये इस बात की जांच करायेंगे कि उसने १५ रोज पहले इस किस्म की रिपोर्ट लिखायी थी और जांच में यदि यह बात सही साबित हो तो क्या उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे जिसने यह सूचना होते हुए भी उसकी जानमाल की हिफाजत नहीं की ?

श्री चरण सिंह—

माननीय मित्र ने दो सवाल पूछे हैं । दोनों का जवाब "हां" में है ।

श्री अभिमन्यु प्रसाद पांडेय—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस सिलसिले में किसी को गिरफ्तार किया गया है?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

कोई व्यक्ति अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है?

श्री जगननाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या लाश का पोस्टमार्टम किया गया और यदि किया गया तो रिपोर्ट क्या है ?

श्री चरण सिंह—

यह तो मालूम करने की कोशिश नहीं की लेकिन नियम है इसलिए किया गया होगा । अगर आपके पास इत्तिला हो कि नहीं किया गया तो बात दूसरी है ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस मामले की रिपोर्ट किसने की और अगर रिपोर्ट नामजद हुई तो किस-किस के नाम हैं ?

श्री चरण सिंह—

जवाब में मेरे साथी ने बतलाया कि वे लोग अज्ञात थे और किसी को पहचाना नहीं जा सका ।

श्री डूंगर सिंह विष्ट—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि गंगाराम को जलाये हुये करीब दो महीने हो चुके और पुलिस आज तक किसी आदमी को नहीं पकड़ सकी तो इसमें आपको क्या एतराज है कि आप उसकी सी० आई० डी० द्वारा इंक्वारी करावें ?

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, दो महीने तक नहीं पकड़ पाये यह बात सही है और हो सकता है कि दो साल तक न पकड़ पायें । लेकिन केवल इस बात से पुलिस की इन एफीशिएंसी साबित नहीं होती । कुछ रूल्स हैं सी० आई० डी० को केसेज देने के और यह जुर्म उनमें नहीं आता । हर केस सी० आई० डी० को देने की सभी मांग करते हैं लेकिन सारे केसेज नहीं दिये जा सकते ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की संस्तुतियां

*१—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर) तथा श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मार्च, १९७० के अंतिम सप्ताह में लखनऊ में जिलों के पुलिस अधीक्षकों का द्विदिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया था ? यदि हां, तो क्या उसकी संस्तुतियां शासन को प्राप्त हो गई हैं ? यदि हां, तो १५ मई, १९७० तक किस-किस संस्तुति पर कार्यवाही की गई ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

गत मार्च २९ व ३०, १९७० को विधान भवन में पुलिस अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक भी आमंत्रित थे । संस्तुतियां शासन को प्राप्त हो गयी हैं । संस्तुतियों पर की गयी कार्यवाही का विवरण* संलग्न है ।

श्री रामपाल सिंह यादव—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतलायेंगे कि संस्तुति संख्या १४ में यह है कि शासन ने यह निर्णय लिया है कि इन विभागों में नियुक्त उप पुलिस अधीक्षकों तथा इंस्पेक्टरों के विशेष वेतन की शर्तों में इस वर्ष बढ़ोत्तरी की जाय तो मैं जानना चाहता हूं कि पुलिस विभाग में जो सिपाही हैं और जिनका वेतन सबसे कम है तो क्या उन सिपाहियों के वेतन को भी बढ़ायेंगे ?

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं इस वक्त यह आश्वासन देने के लिये तैयार नहीं हूं ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सन् ६० में श्री जैन की अध्यक्षता में एक पुलिस कमीशन गठित हुआ था और उसकी रिपोर्ट भी सदन में रखी जा चुकी है लेकिन उस आयोग के जो विचार थे उन पर अभी तक अमल नहीं हुआ । फिर क्या जरूरत पड़ी एक नये पुलिस आयोग १९७० के गठन करने की ?

श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय क्या आप यह समझते हैं कि यह सवाल उससे उठता है । वैसे अगर आप हुक्म देंगे तो मैं उत्तर दे दूंगा ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

एक आयोग का गठन हुआ, उसकी सिफारिशों पर कोई निर्णय नहीं हुआ । अब फिर आप दूसरा आयोग गठित कर रहे हैं तो यह इस तरह आयोगों का गठन करते जायं इससे जनता का पैसा बरबाद होता है ।

श्री अध्यक्ष—

आप एक्सप्लेन कर दें तो साफ हो जायगा ।

---

*विवरण छापा नहीं गया ।

श्री चरण सिंह—

आप कहते हैं तो मैं उत्तर दे दूंगा लेकिन इस तरह से कोई नियम रहता नहीं। गवर्नमेंट जनहित में जरूरी समझती है कि दस साल बाद जो सिचुएशन डेवलप हुई है उस स्थित में दूसरे आयोग की जरूरत है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, क्या मुख्य मंत्री जी को पता है कि पिछले १० सालों में यह चीज डेवलप हुई है कि चुनावों में हिन्सा का इस्तेमाल होने लगा है। तो क्या इस चीज को भी आयोग को रेफर करेंगे कि इसको कैसे रोका जाय ?

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय आयोग इस चीज की नहीं देखेगा। आयोग के टर्म्स आफ रिफरेंस दिये जा चुके हैं जो इस वक्त मुझे याद नहीं है।

श्री कृष्ण चन्द्र—

माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि नये आयोग को गठित करने की आवश्यकता इसलिये हुई कि नई सिचुएशन डेवलप हुई है। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतावेंगे कि वह नई सिचुएशन क्या है और उस नई सिचुएशन के तत्व क्या हैं ? इस पर प्रकाशन डालने की कृपा करें ?

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, तो फिर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पर बहस हो जाय न ? मैंने अर्ज किया कि उससे कोई वास्ता नहीं है। अब सिचुएशन डेवलप हुई है उससे २५ सवाल उठेंगे और फिर आप इजाजत देंगे। नई सिचुएशन यह डेवलप हुई है कि जैसे-जैसे समय बीतता जाता है गवर्नमेंट को या मुझको यह एहसास हुआ है कि गरीब लोगों को न्याय मिलने में कठिनाई है और खर्चा ज्यादा होता है। लोगों को झूठ बोलना पड़ता है सही मामलों को भी साबित कराने में समय ज्यादा लगता है। जब आबादी कम थी और शायद लोगों में अंडरस्टैंडिंग और एवेकनिंग ज्यादा डेवलप नहीं हुई थी एक सिस्टम चल रहा था लेकिन आज गवर्नमेंट यह समझती है कि सारे एडमिनिस्ट्रेशन को गिअर अप करने की जरूरत है, लीगल मशीनरी को, पुलिस को मशीनरी को और समय बीतने के साथ यह बात भी सामने आई कि रिपोर्ट पूरी नहीं लिखी जाती है और लिखी जाय तो स्टाफ नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ खराबी है। जो टर्म्स आफ रिफरेंस दिया है उससे अन्दाज लग सकता है कि गवर्नमेंट क्यों जरूरत समझती है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त हो गया (व्यवधान)....

सचिवालय में अनुसूचित जाति के कर्मचारी

*२—श्री मंजूर अहमद—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की कितनी संख्या है और क्या उनकी संख्या अनुपात के अनुसार है ?

श्री चरण सिंह—

उत्तर प्रदेश सचिवालय में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की कुल संख्या १६८ है। ऐसे विशिष्ट संवर्गों पदों को छोड़कर जिनके संबंध में शासन द्वारा जारी किये गये आरक्षण

नोट :—तारांकित प्रश्न १ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

के सामान्य आदेश लागू नहीं होते हैं, सचिवालय में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का कुल प्रतिनिधित्व ६.६८ प्रतिशत है ।

*३-४—श्री जगदीश गांधी—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

जला गढ़वाल में गोणी छीड़ा जल विद्युत्- योजना तथा सिंचाई व बिजली की सुविधा

*५—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गढ़वाल में गोणी छीड़ा जल विद्युत् योजना के सर्वेक्षण पर कितना धन व्यय हो चुका है ?

श्री रामलखन—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*६—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है? यदि हां, तो इस योजना में किन-किन ग्रामों को बिजली मिलेगी और किन-किन ग्रामों को सिंचाई के लिये पानी मिलेगा ?

श्री रामलखन—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*७—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त किया गया ।]

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत्, आजमगढ़, को नलकूप लगाने हेतु प्राप्त बिजली कनेक्शन सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

*८—श्री श्याम लाल (जिला आजमगढ़) तथा श्री भाभी (जिला आजमगढ़)—

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि अप्रैल, १९६७ से २५ अप्रैल, १९७० तक निजी नलकूपों के लिये बिजली कनेक्शन के निमित्त अधिशासी अभियंता, विद्युत्, आजमगढ़ के कार्यालय में कितने किसानों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये?

श्री रामलखन—

अधिशासी अभियंता, जल विद्युत् खंड आजमगढ़ के कार्यालय में अप्रैल, ६७ से अप्रैल, २५, १९७० तक निजी नलकूपों के लिये बिजली कनेक्शन के निमित्त ५,५७२ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये ।

*९—श्री श्यामलाल तथा श्री भाभी —

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त प्रार्थना-पत्र पर कितने किसानों को कनेक्शन दिये गये हैं और शेष को कनेक्शन न देने का कारण क्या है ?

श्री रामलखन—

उपरोक्त प्रार्थना-पत्रों में से ३,४२८ को विद्युत् कनेक्शन दे दिया गया है। शेष प्रार्थियों को धन की कमी, प्राविधिक कठिनाई, आदि के कारण कनेक्शन नहीं दिया जा सका ।

ओबरा के पावर हाउस में टारबाइन यूनिट का फटना

*१०—श्री राम निहोर राय तथा श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ओबरा थर्मल प्रोजेक्ट, जिला मिर्जापुर, के अन्तर्गत ओबरा के पावर हाउस में टरबाइन यूनिट दो, जो चालू हालत में है कितनी बार फटी व नष्ट हुई ? इसमें कितने धन की क्षति हुई तथा क्या यह सही है कि अनभिज्ञ मैकेनिकों और सुपरवाइजरों की गलती से ऐसा हुआ है ?

श्री रामलखन—

यूनिट दो की टरबाइन न कभी फटी, न नष्ट हुई।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

रामपुर पुलिस मोटर विभाग में अनियमिततायें

*११—श्री भानु प्रताप सिंह तथा श्री सुरेंद्र विक्रम—

क्या गृह मंत्री जी को पिछले तीन दिन में श्री त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, रामपुर, ने वायरलेस से यह सूचना दी है कि रामपुर पुलिस के मोटर विभाग में लाखों रुपये की धपले बाजी है ? यदि हां, तो वह क्या है और कितने रुपये की धपले बाजी है ?

श्री चरणसिंह—

पुलिस अधीक्षक, रामपुर, से मुख्य मंत्री जी को ऐसा कोई वायरलेस प्राप्त नहीं हुआ है। परन्तु प्रारम्भिक जांच से ऐसा प्रतीत होता है कि रामपुर पुलिस मोटर विभाग द्वारा पेट्रोल व डीजल प्राप्त करने में अनियमिततायें की गई हैं। विस्तृत जांच के लिये मामला सी० आई० डी० को सौंप दिया गया है।

विदेशी शराब की फुटकर बिक्री हेतु दिये गये लाइसेन्स तथा उनसे आय

*१२—श्री रघुनाथ सिंह—

क्या आबकारी मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बिदेशी शराब की फुटकर बिक्री के लिये १९६९-७० में सरकार ने कितने लाइसेंस दिये ? क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि सन् १९६७-६८, १९६८-६९ तथा १९६९-७० में जिलेवार किन-किन लोगों को विदेशी शराब की फुटकर बिक्री के लाइसेंस दिये गये तथा इन लाइसेंसों से सरकार को इस अवधि में अलग-अलग क्या आमदनी हुई।

श्री चरणसिंह—

वर्ष १९६९–७० में प्रदेश में विदेशी शराब की फुटकर बिक्री के लिये सरकार ने केवल एक एफ० एल० ४ लाइसेंस जिला पौड़ी गढ़वाल में ढिकाला के लिये स्वीकृत किया।

सन् १९६७–६८, ६८–६९ तथा ६९–७० में जिलेवार जिन-जिन लोगों को विदेशी शराब की फुटकर बिक्री के लाइसेंस संबंधित जिलाधीश द्वारा तय किये गये तथा इन लाइसेंसों से इस अवधि में अलग-अलग हुई आमदनी का विवरण संलग्न तालिका क, ख, तथा ग, में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २४६–२४८ पर)

तुलसीपुर बलरामपुर, तथा नवाबगंज, जिला गोन्डा, की गन्ना सोसाइटियों में कृषकों की जमा की गई धनराशि

*१३—श्री शीतला प्रसाद सिंह (जिला गोंडा) तथा श्री दीपनरायन वन—

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोंडा के अन्तर्गत तुलसीपुर, बलरामपुर तथा नवाबगंज में गन्ना सोसाइटी में गन्ना काश्तकारों की क्रमशः कुल कितनी-कितनी धनराशि जमा है?

श्री चरण सिंह—

जनपद गोंडा के अन्तर्गत तुलसीपुर, बलरामपुर तथा नवाबगंज गन्ना सोसाइटियों में गन्ना काश्तकारों के हिस्से के तथा अन्य मदों में जो धनराशि जमा है उसके समितिवार आंकड़े निम्न प्रकार हैं:—

मदों का नाम	नाम समितियां		
	तुलसीपुर	बलरामपुर	नवाबगंज
	रु०	रु०	रु०
१—अनामत ..	१,०३,५३४.५०	३०,३१२.००	५१,२७५.५६
२—हिस्सा ..	३,३७,६१८.००	५,०८,७६६.००	३,३५,७५०.००
३—एन० एस० सी०			
क—विगत वर्षों का	२,३६१.००	..	..
ख—वर्ष ६९-७० का	..	..	..
४—अतिरिक्त सट्टे की जमानत			
क—विगत वर्षों का	६८,३४१.४१	..	..
ख—वर्ष ६९-७० का ..	१,७५,३९०.९४	६८,३५६.००	६४,४२२.२९
योग ..	६,८७,५४५.८५	६,०७,४६४.००	४,५१,४४७.८५

जिला पिथौरागढ़ में विद्युत् योजनाएं

*१४—श्री गोपाल दत्त—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि डीडीहाट धारचूला एवं मुनस्यारी तहसील, जिला पिथौरागढ़, में बिजली की कितनी योजनायें हैं और उनके अभी तक कार्यान्वित न होने का क्या कारण है?

श्री राम लखन—

डीडीहाट धारचूला एवं मुनस्यारी तहसील, जिला पिथौरागढ़, में निम्नलिखित चार योजनायें हैं :—

(१) धारचूला जल विद्युत् योजना २०० कि० वा०
(२) धारचूला डीजल विद्युत् गृह १०० कि० वा०
(३) डीडीहाट डीजल विद्युत् गृह ५० कि० वा०
(४) मुन्स्यारी जल विद्युत् योजना १० कि० वा०

धारचूला जल विद्युत् योजना निर्माणाधीन है । धारचूला डीजल विद्युत् गृह एवं डीडीहाट डीजल विद्युत् गृह का प्राक्कलन बन रहा है । मुन्स्यारी जल विद्युत् योजना का विस्तृत सर्वेक्षण किया जा रहा है।

सीमान्त विकास विभाग, जिला पिथौरागढ़, के कर्मचारियों की छटनी

*१५—श्री गोपाल दत्त—

क्या सरकार यह बतायेगी कि सीमांत विकास विभाग, जिला पिथौरागढ़, में सन् १९६७-६८ के दौरान कितने कर्मचारी छटनी में आये ? उनको रोजगार देने हेतु सरकार क्या कर रही है ?

श्री चरण सिंह—

सीमांत विभाग द्वारा जिला पिथौरागढ़ में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के अन्तर्गत सन् ६७-६८ के दौरान ४५ कर्मचारियों की छटनी की गई, जिनमें से अभी तक ३९ कर्मचारियों को रोजगार दिया गया है । २ कर्मचारियों को नियुक्ति प्रस्ताव दिया गया पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया । शेष कर्मचारियों को यथासंभव खपाने का प्रयास किया जायेगा ।

जिला चमौली में राजकीय विद्यालय तथा उनका उच्चीकरण

*१६—श्री शेर सिंह दानू (जिला चमोली)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद चमोली में कितने राजकीय पूर्व माध्यमिक उच्चतर विद्यालय अथवा राजकीय इंटर कालेज हैं और उनमें कितने ऐसे विद्यालय हैं जिनके लिये भवन छात्रावास आदि अभी तक नहीं बन पाये हैं ?

श्री चरण सिंह—

सूचना अनुलग्नक में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २४६ पर)

*१७—श्री शेरसिंह दानू—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतलायेंगे कि इनमें से कितने विद्यालयों के उच्चीकरण की मांग शासन के पास विचाराधीन है ? क्या इस वर्ष शासन किन-किन विद्यालयों का उच्चीकरण कर रही है ?

श्री चरण सिंह—

चतुर्थ प्लान में निर्धारित लक्ष्यानुसार चमोली जनपद में वर्ष १९७०–७१ में किसी राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय अथवा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का उच्चीकरण नहीं होना है । तथापि स्थानीय जनता तथा उनके एक प्रतिनिधि से एक राजकीय जूनियर हाई स्कूल तथा एक राजकीय हाई स्कूल का वर्तमान वित्तीय वर्ष से उच्चीकरण करने की मांग आयी है । ये मांगे अभी शासन के विचाराधीन हैं ।

[२५ जून, १९७० के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न

*१—श्री मोहम्म असरार अहमद—

(६वें सोमवार के लिये तांराकित प्रश्न सं० २ के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जिला बदायूं में आर्म्स लाइसेन्स देना

*२—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अभी हाल में क्या सरकार ने आदेश दिया है फायर आर्म्स के लाइसेंस सिर्फ उन व्यक्तियों को दिये जायं जो स्वयं अपनी नसबन्दी कराये या

किसी और की नसबन्दी कराये अथवा नेशनल प्लान लोन के सर्टिफिकेट खरीदे अथवा १ प्रतिशत गवर्नमेंट लोन के संबंध में चन्दा दे, जिला बदायूं में १ अक्तूबर, सन् १९६८ से १५ अगस्त, सन् १९६९ तक कितने लाइसेंस दिये गये और इनमें से कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने न तो नसबन्दी कराई और न नेशनल प्लान के लोन के सार्टिफिकेट खरीदे हैं ?

श्री चरण सिंह—

जी नहीं ।

जिला बदायूं में १ अक्तूबर, १९६८ से १५ अगस्त, १९६९ तक ५९३ आर्म्स लाइसेंस जारी किये गये, जिनमें से २०४ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने न तो नसबन्दी कराई और न ही नेशनल प्लान लोन के सार्टिफिकेट खरीदे ।

कोआपरेटिव मिल्क यूनियन, लखनऊ, में डकैती तथा मृतक के परिवारों को सहायता

*३—श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़) श्री राम गोपाल संड तथा श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक १४ दिसम्बर, १९६९ को कोआपरेटिव मिल्क यूनियन, गोखले मार्ग, लखनऊ, के कार्यालय में पड़ी डकैती के संबंध में अब तक कौन-कौन लोग गिरफ्तार हुये हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरण सिंह—

दिनांक १४-१२-६९ को गोखले मार्ग लखनऊ पर स्थित कोआपरेटिव मिल्क यूनियन के कार्यालय में जो लूट और हत्या की घटना हुई उसके संबंध में थाना हजरतगंज पर धारा ३९४/३०२/३९७/३०७ भा० द० वि० के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज हुआ था। इस घटना के संबंध में छः अभियुक्त (१) अजय सागर (२) मुन्नीलाल (३) विजय सागर (४) जनार्दन बाजपेयी (५) ज्ञान सिंह चौहान और (६) सुमेश्वर दत्त बाजपेयी गिरफ्तार किये गये थे जिनके विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय भेजी गई । मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।

*४—श्री जगदीश गांधी, श्री रामगोपाल संड तथा श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या गृह मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि उक्त डकैती में मारे गये यूनियन के खजांची की विधवा तथा बच्चों की सुरक्षा हेतु गृह विभाग की ओर से क्या प्रबन्ध किया गया है ?

श्री चरण सिंह—

खजांची की विधवा तथा बच्चों की सुरक्षा के लिये किसी विशेष व्यवस्था की आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई ।

लखनऊ–उन्नाव रोड पर लाश की गाड़ी तथा प्राइवेट बस में टक्कर

*५—श्री राम गोपाल संड—

क्या सरकार दिनाक १४ दिसम्बर, १९६९ को बदरका, जो उन्नाव के समीप है, वहां एक लाश की गाड़ी और एक प्राइवेट बस में टक्कर हो जाने के कारण १६ व्यक्ति मर गये तथा ५० के लगभग घायल हो गए ? क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दुर्घटना का क्या कारण तथा पुलिस की सहायता लगभग ४ घंटे बाद क्यों पहुंची ?

श्री चरण सिंह—

दिनांक १४ दिसम्बर, १९६९ को बदरका में तो नहीं परन्तु लखनऊ–उन्नाव सड़क पर एक लाश की गाड़ी व प्राइवेट बस में टक्कर होने की सूचना थाना अजगैन पर करीब ७-१५ बजे

शाम प्राप्त हुई । इस दुर्घटना में ७ व्यक्तियों की मृत्यु होने तथा १६ व्यक्तियों के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई । प्रथम सूचना तथा जांच के अनुसार दुर्घटना प्राइवेट बस के ड्राइवर की लापरवाही तथा गलत साइड पर बस ले जाने के फलस्वरूप हुई । उक्त घटना की सूचना थाने पर मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को अविलम्ब इलाज के लिए सदर अस्पताल उन्नाव भेजा । जांच के सम्बन्ध में भी आवश्यक कार्यवाही की ।

मेरठ जिले के ग्रामों का विद्युतीकरण

*६—श्री मंजूर अहमद—

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मेरठ जिले के कौन से गांवों को बिजली देने के लिए निश्चय किया गया था ? उनमें से कितने गांवों को बिजली ३१ मार्च, १९६९ तक दी गई और कौन-कौन से गांवों में बिजली नहीं दी जा सकी तथा इसका कारण क्या है ?

श्री राम लखन—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जल विद्युत् खण्ड, मेरठ, में नार्मल स्कीम के अन्तर्गत दिये गये कनेक्शन

*७—श्री मंजूर अहमद—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पहली मार्च, १९६९ से लेकर ३० अक्तूबर, १९६९ तक हाईडिल डिवीजन मेरठ में नारमल स्कीम में कितने कनेक्शन और किन-किन के लगे ? क्या यह भी सही है कि १९६७-६८ की मंजूर शुदा कनेक्शन १९६७-६८ में नारमल स्कीम में नहीं लग पाये जब कि १९६८-६९ के बाद के कनेक्शन लग गये हैं, ऐसा क्यों ?

श्री राम लखन—

जल विद्युत् खण्ड, मेरठ, में पहली मार्च १९६९ से ३० अक्तूबर, १९६९ तक नार्मल स्कीम में कुल ६७२ कनेक्शन दिए गए थे । सूची काफी लम्बी है, अतः यदि आवश्यक समझे तो सदस्य महोदय इसकी सूची मेरे कक्ष में आकर कृपया देख लें ।

जहां तक प्रश्न का दूसरा भाग है उत्तर "जी नहीं" है ।

थाना लोटन, जिला बस्ती की नई इमारत में मंदिर की स्थापना तथा निर्माण हेतु चन्दा

*८—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि जिला बस्ती के थाना लोटन की नई इमारत के हुदूद में एक मंदिर बनवाया गया है ?

श्री चरण सिंह—

जी नहीं ।

*९—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या गृह मंत्री यह भी कृपया बतायेंगे कि क्या यह भी सही है कि जिला बस्ती की पुलिस ने इस मंदिर के नाम पर ५०,००० रु० की धनराशि जनता से दान के रूप में एकत्र की और मंदिर बनाने पर केवल ८,००० रु० खर्च किए ? यदि हां, तो शेष ४२,००० रु० की धनराशि का क्या हुआ और दानदाताओं को रसीदें दी गईं अथवा नहीं ?

श्री चरण सिंह—

प्रश्न ही नहीं उठता ।

*१०-११—श्री रामलाल राही—

[१३वें गुरुवार के लिए स्थगित किए गए]

*१२—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त किया गया]

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद् की देहरादून शाखा द्वारा दिया गया मांग पत्र

*१३—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देहरादून के अराजपत्रित कर्मचारी संघ के प्रधान तथा अन्य पदाधिकारियों ने दिनांक ६ जनवरी, १९६९ को जिलाधिकारी देहरादून के माध्यम से सरकार को अपना मांग-पत्र प्रेषित किया था ? यदि हां, तो सरकार ने उपरोक्त मांग-पत्र पर क्या कार्यवाही की ?

श्री चरण सिंह—

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद्, उत्तर प्रदेश, की देहरादून शाखा ने दिनांक जनवरी ६, १९६९ को एक मांग पत्र जिलाधिकारी देहरादून को शासन के विचारार्थ दिया । इस मांग पत्र पर शासन ने कोई कार्यवाही नहीं की क्योंकि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद् शासन द्वारा मान्यता प्राप्त सेवा संघ नहीं है ।

जिला लखीमपुर, पीलीभीत, बस्ती तथा गोरखपुर, आदि में नक्सल पंथियों की गतिविधियां तथा इसे रोकने हेतु कानून बनाना

*१४—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार को पता है कि पिछले १५ दिन से जिला लखीमपुर, पीलीभीत, बस्ती, गोरखपुर तथा बरेली, मुरादाबाद में नक्सलपंथियों की गतिविधियां तेज हो गई हैं ? यदि हां, तो उसको रोकने हेतु सरकार ने क्या किया ?

श्री चरण सिंह—

जी नहीं । नक्सलपंथियों की गति विधि में कोई तेजी नहीं हुई है ।

*१५—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार प्रदेश में नक्सलियों को रोक हेतु कोई कानून बनाने की कृपा करेगी कि जिससे नक्सलियों को प्रदेश में समाप्त किया जा सके ?

श्री चरण सिंह—

स्थिति पर निगाह रखी जा रही है । आवश्यक हुआ तो कानून भी बनाया जायेगा या उसमें संशोधन किया जायगा ।

लखनऊ शहर में गुन्डों का आतंक

*१६—श्री महरम सिंह (जिला फर्रुखाबाद) तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या गृह्य मंत्री को पता है कि गत एक महीने से लखनऊ शहर में गुण्डों का आतंक हो गया है और उसी के फलस्वरूप हजरतगंज कोतवाली के इंचार्ज इंसपेक्टर पर नाका टी के पास गुण्डों ने गत

इतवार को चाकू से घातक हमला किया तथा इससे पहिले अमीनाबाद में भी एक पुलिस दरोगा को मारा ? यदि हां, तो गुण्डों के रोकथाम की तुरन्त क्या कार्यवाही मुख्य मंत्री द्वारा की गई ?

श्री चरण सिंह—

लखनऊ शहर में दो सब इन्सपेक्टरों पर घातक हमले अवश्य हुए परन्तु यह कहना सही नहीं है कि शहर में गुण्डों का आतंक व्याप्त है ।

गुण्डों की गति विधियों पर कड़ी नजर रखी जाती है और आवश्यकतानुसार समुचित कानूनी कार्यवाही की जाती है ।

गैठीछेडा लघु विद्युत् योजना की मशीन का टूटना तथा दूसरी मशीन की व्यवस्था

*१७—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गैठाछेड़ा जल विद्युत् योजना के लिए जो मशीन दिनांक १२ अप्रैल, १९७० को पहाड़ से गिर कर टूट गई है उसकी लागत क्या थी और उस मशीन को कितनी हानि हुई है तथा इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है ?

श्री राम लखन—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*१८—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या सरकार यह भी बतलायेगी कि इस मशीन के स्थान पर दूसरी मशीन की व्यवस्था कब तक हो जायगी और कैसे गैठी छेड़ा पहुंचाई जायगी ?

श्री राम लखन—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जिला फर्रुखाबाद के ग्राम कुंवरपुर खास, निवासी श्री घासीराम जाटव, की मृत्यु तथा नामजद अभियुक्तों को छोड़ना

*१९—श्री मन्जूर अहमद तथा श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि ग्राम कुंवरपुर खास, जिला फर्रुखाबाद के निवासी, श्री घासीराम जाटव, पर दिनांक १२ मई, १९६९ को लाठी बल्लम, आदि से हमला किया गया जिसके कारण उनकी मृत्यु अस्पताल में हो गई और इस घटना की रिपोर्ट उसी दिन थाना कम्पिल में इल्जाम नं० ६५ पर दर्ज कराई गई थी?

*२०—क्या यह भी सही है कि उक्त रिपोर्ट में नामजद मुलजिमान में से थानेदार ने दो मुलजिमान सर्व श्री राम चरण और लेखराज को छोड़ दिया तथा केवल अन्य लोगों का ही चालान किया ? यदि हां, तो ऐसा करने का क्या कारण है?

श्री चरण सिंह—

प्रश्नों में उल्लिखित घटना से सम्बन्धित मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है ।

*२१-२२—श्री रियासत हुसैन—

[१३वें बृहस्पतिवार के लिये स्थगित किये गये]

*२३—श्री श्याम लाल—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*२४-२५—श्री बल सिंगा—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*२६—श्री मंजूर अहमद, श्री श्याम लाल तथा श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

[१३वें गुरुवार के लिए स्थगित किया गया]

जिला बरेली के ग्राम नकटी नरायनपुर में स्थित कन्या पाठशाला से शराब की बरामदगी

*२७—श्री चेतराम गगवार (जिला बरेली)—

क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बरेली की तहसील नवाबगंज के ग्राम नकटी नरायनपुर में १३ अप्रैल, १९६७ को विभागीय निरीक्षक जो सुन्दर सिंह ने कन्या पाठशाला भवन में शराब का कोई अवैध भंडार पकड़ा ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही सरकार ने की, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरण सिंह—

श्री श्यामसुन्दर सिंह, आबकारी निरीक्षक ने दिनांक २३-४-६९ (१३-४-६७ को नहीं) को मौजा नकटी नरानपुर थाना नवाबगंज, जिला बरेली, में दबिश दी और कन्या पाठशाला नकटी नरायनपुर की तलाशी ली तो ६० लीटर देशी शराब बरामद हुई। इस सम्बन्ध में श्रीमती वेदकान्ती पत्नी, श्री रामचन्द्र, अध्यापिका, कन्या पाठशाला नकटी नरायनपुर का चालान किया तथा मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

जिला इटावा के ग्राम मुडेना, खन्ता तथा काटमऊ का विद्युतीकरण

*२८—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि इटावा जिले के भरथना कस्बे में जो बिजली का सब-स्टेशन है उससे आगे मुडेना गांव तक लाइन को कब तक बढ़ाया जायगा ? क्या यह सही है कि इस लाइन के बीच में पड़ने वाले ग्राम खन्ता व काटमऊ के तमाम लोगों द्वारा एरियर तथा प्राथमिक फीस जमा की जा चुकी है ? यदि हां, तो इस विद्युत् लाइन को न बढ़ाने का क्या कारण है ?

श्री राम लखन—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*२९—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[१३वें बुधवार के प्रश्न संख्या ४५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला झांसी के ग्राम खैलार तथा मथुरापुरा में डकैती बा झांसी के श्री भगत का रुपया लूटना

*३०—श्री जगदीश गांधी—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मार्च व अप्रैल, १९७० में झांसी से करीब ५ मील दूर ग्राम खैलार व ग्राम मथुरापुरा में हथियार बन्द डकैती हुई ? यदि हां, तो क्या माल और अपराधी पकड़े गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरण सिंह—

मार्च व ३० अप्रैल, ७० में ग्राम खैलार व ग्राम मथुरापुरा, थाना बबीना, में हथियारबन्द डकैती पड़ने की कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई ।

*३१—श्री जगदीश गांधी—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि झांसी के शहरी क्षेत्र मुहल्ला पारवारान में दिनांक ३ मई, १९७० या ४ मई, १९७० को नगर के प्रमुख व्यापारी श्री भगत को साढ़े सात बजे संध्या को ही छूरा मार कर जख्मी करके कई हजार रुपया लूट लिया गया ? यदि हां, तो रुपये की बरामदगी व अभियुक्तों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरण सिंह—

झांसी शहर के मुहल्ला परवारान निवासी, श्री गिरधारी लाल, को दिनांक ३-५-७० को करीब ८ बजे शाम को अमुक व्यक्तियों द्वारा चाकू से घायल करने की सूचना थाना कोतवाली पर प्राप्त हुई । उक्त सूचना में यह भी लिखाया गया था कि आक्रमणकारी उनसे रुपया भी छीन ले गये ।

इस सूचना के आधार पर एक मुकदमा दर्ज हुआ और विवेचना शुरू की गई । दो अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है । कोई माल बरामद नहीं हुआ है ।

श्री गंगाराम, निवासी ग्राम बरुआ खेड़ा, जिला उन्नाव द्वारा, अपने भाई के गायब होने के सम्बन्ध में पुलिस पर आरोप

*३२—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें पुलिस अधीक्षक, उन्नाव तथा पुलिस विभाग के अन्य उच्चाधिकारियों को श्री गंगा राम, निवासी ग्राम बरूवा, थाना बारा सगवर, जिला उन्नाव के इस आशय के आवेदन-पत्र दिनांक १६ जनवरी १९७०, २० जनवरी, १९७० व ३ फरवरी, १९७० प्राप्त हुए कि उसके भाई शिवचरन लाल को थाना बारा सगवर के एक दरोगा व कई सिपाही दिनांक १४ जनवरी, १९७० को गिरफ्तार करके ले गए और तब से वह गायब है ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चरण सिंह—

श्री गंगा राम, निवासी ग्राम बरवा खेड़ा, थाना बारासगवर, जिला उन्नाव से दिनांक १६ जनवरी, १९७० व ३ फरवरी, १९७० के प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को मिला तथा दिनांक २० जनवरी, १९७० को मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रार्थना-पत्र भी प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने थाना बारासगवर की पुलिस के विरुद्ध अपने भाई के घर की तलाशी लेने मारने, पीटने तथा गिरफ्तार कर के ले जाने के बाद से गायब होने के आरोप लगाए थे । इन पार्थना-पत्रों पर आवश्यक जांच की गई । जांच से आरोपों में कोई सार नहीं पाया गया । प्रार्थी का भाई अपने गांव में मौजूद है ।

इलाहाबाद में माओ पंथी विचारधारा के पोस्टर चस्पा करना

*३३—श्री रामगोपाल संड—

क्या मुख्य मंत्री को यह ज्ञात है कि दिनांक गत १६ तथा १७ मई को आल इंडिया रेडिओ कार्यालय रोजगार दफ्तर तथा इलाहाबाद के प्रमुख स्थानों पर पोस्टर तथा दीवालों पर नक्सलपंथी नारे तथा पोस्टर पाए गए जिनमें बन्दूक पकड़ने तथा बगावत करने को कहा गया है ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ? क्या कोई इस सम्बन्ध में पकड़ा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरण सिंह—

मई १६ तथा १७ को तो नहीं पर दिनांक १९ मई को इलाहाबाद नगर के विभिन्न स्थानों पर हस्तलिखित पोस्टर चस्पा किये हुए पाये गये जिनमें माओ पन्थी विचारधारा के नारे लिखे हुए थे। इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है परन्तु अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

जिला बहराइच के हेड कांस्टेबिल श्री रिजवानुन हक की हत्या

*३४—श्री शमीम आलम (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार को मालूम है कि श्री रिजवानुल हक हेड कांस्टेबिल बहराइच का कत्ल ४ जनवरी, १९७० की रात को उस वक्त किया गया जब कि वह बवजह अदालत सरकारी पुलिस अस्पताल बहराइच में दाखिल थे ? सरकार ने इस सिलसिले में अब तक क्या कार्यवाही की ? क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके परिवार को पेंशन वगैरह की कोई माली इमदाद दी गई है ?

श्री चरण सिंह—

जिला बहराइच के हेड कांस्टेबिल रिजवानुल हक, जो पुलिस अस्पातल में भर्ती थे, की हत्या होने की सूचना ५-१-७० को थाना कोतवाली, बहराइच पर प्राप्त हुई जिसके आधार पर धारा ३०२ भा० द० वि० के अन्तर्गत एक मुकदमा दर्ज हुआ।

इस मुकदमें की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है।

मृतक के परिवार को रु० २५० की सहायता "अमेनिटीज फन्ड" से दी गई है और फैमिली पेन्शन भी शीघ्र स्वीकृत किए जाने के लिए कार्यवाही हो रही है।

*३५—श्री राम देव—

[१३ वें गुरुवार के लिए स्थगित किये गये]।

थानाध्यक्ष जैतपुर, जिला फैजाबाद, के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच

*३६—श्री जगदम्बा प्रसाद तथा श्री विक्रम सिंह (जिला मेरठ)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि थाना अध्यक्ष एवं सहायक थाना अध्यक्ष, जैतपुर, जिला फैजाबाद के विरुद्ध घूस लेने और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने के सम्बन्ध में १५ अप्रैल, से १५ मई, सन् १९७० तक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरण सिंह—

जी हां, थानाध्यक्ष जैतपुर, जिला फैजाबाद के विरुद्ध एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था। उसमें अंकित आरोपों की जांच हो रही है। जांच पूरी होने पर आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जायेगी।

*३७—श्री विश्वनाथ कपूर—

[१३वें शुक्रवार को प्रश्न सं० १५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कोतवाली फतेहगढ़ द्वारा अस्पताल में भर्ती किये गये व्यक्ति की मृत्यु

*३८—श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

क्या गृह मंत्री को इसकी जानकारी है कि दिनांक ७ मई, १९७० को फतेहगढ़ जिले की कोतवाली फतेहगढ़ में एक व्यक्ति को पुलिस द्वारा कोतवाली में पीटे जाने के कारण मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है तथा पुलिस के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरण सिंह—

यह सही नहीं है कि कोतवाली फतेहगढ़ में दिनांक ७-५-७० को पुलिस द्वारा पीटे जाने के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हुई ।

प्राप्त सूचना के अनुसार कोतवाली फतेहगढ़ में दिनांक ७-५-७० को सुबह ४-१५ बजे कैप्टेन एडजूटेन्ट ११४, इनफ० बटालियन, टेरीटोरियल आर्मी फतेहगढ़ ने लिखित सूचना दी कि १-३० बजे रात में एक अज्ञात व्यक्ति जिसका नाम व पता ज्ञात नहीं हो सका, उनके यूनिट एरिया में घुस गया व पहरे पर तैनात संतरी के टोकने पर उसने संतरी पर हमला किया । संतरी ने गार्ड को होशियार किया । इस आदमी में और गार्ड के सिपाहियों में गुत्थम-गुत्थी हुई व काफी संघर्ष के बाद उस पर काबू पाया जा सका । बादी अपने साथ उस अज्ञात व्यक्ति को भी पकड़ कर फतेहगढ़ कोतवाली लाए थे । वह व्यक्ति कुछ बेहोश सा और पागल प्रतीत होता था और अपनी बाबत कोई साफ उत्तर न दे सका । चूंकि उसकी हालत खराब थी अतएव उसे तुरन्त सदर अस्पताल भेजा गया, परन्तु अस्पताल पहुंचते ही उसकी मृत्यु हो गई । इस घटना की मैजिस्टोरियल जांच कराई गई जिससे पुलिस को किसी प्रकार से दोषी नहीं पाया गया ।

श्री पी० के० पांडेय परगनाधिकारी, चायल, जिला इलाहाबाद, का स्थानान्तरण

*३९—श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री को पता है कि श्री पी० के० पाण्डेय, परगनाधिकारी, चायल, इलाहाबाद, का स्थानान्तरण शिकायतों के आधार पर किया गया था ? यदि हां, तो वह पुनः क्यों और किसके आदेश से रद्द किया गया ?

श्री चरण सिंह—

श्री पी० के० पाण्डेय का स्थानान्तरण किसी शिकायत के कारण नहीं किया गया था ।

बदायूं शहर में बदमाशों द्वारा एक व्यापारी कोलूटना

*४०—श्री कृष्णस्वरूप—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ११ मई, १९७० को रात्रि को बदायूं नगर में स्टेशन के रास्ते में डकैतों ने रिक्शों में जा रहे व्यापारी को लूटा ? यदि हां, तो पुलिस ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री चरणसिंह—

दिनांक ११-५-७० की रात में श्री सीताराम अग्रवाल, निवासी जौहरी बाजार, टक्साल गली, आगरा ने, जो आगरा के एक सर्राफ के मुनीम हैं, एक लिखित रिपोर्ट कोतवाली बदायूं में इस आशय की दी कि उसी रात में जब ये रिक्शे में एक अन्य व्यक्ति के साथ बदायूं स्टेशन की ओर जा रहे थे तो रास्ते में कुछ बदमाशों ने उन्हें लूट लिया ।

इस रिपोर्ट के प्राप्त होने पर कोतवाली बदायूं पर एक मुकदमा धारा ३९४ भा० द० वि० के अन्तर्गत दर्ज किया गया और जांच तुरन्त प्रारम्भ की गई । दो अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं । जांच अभी जारी है ।

जिला फर्रुखाबाद में देशी शराब पीने से मृत्यु

*४१—श्री बिहारीलाल (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या यह सत्य है कि दिनांक २३ मार्च, १९७० को स्थान भोलेपुर देशी शराब की दूकान, थाना फतेहगढ़, जिला फर्रुखाबाद, में देशी शराब पीकर उसके जहरीले होने के कारण सर्वश्री द्वारिका जादव, पुत्र श्री छेदा लाल, निवासी नेकपुर नगला वैधावा वर्तमान मोहल्ला गोला कोहना,

फतेहगढ़ तथा दुन्नी पुत्र नामालूम जाटव, निवासी नगला बैधावा, थाना फतेहगढ़, जिला फर्रुखाबाद व राज बहादुर सिंह कन्स्टेबिल, थाना मोहम्मदाबाद, जिला फर्रुखाबाद की मृत्यु हो गई ? क्या यह भी सत्य है कि मृतकों द्वारा पी जाने वाली शराब का कोई नमूना कोतवाली फतेहगढ़ द्वारा नहीं लिया गया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरण सिंह—

दिनांक २३-३-७० को श्री द्वारिका पुत्र छेदालाल तथा श्री दीनानाथ उर्फ दुन्नी पुत्र बुद्धू निवासी नगला बैधावा, कोतवाली फतेहगढ़ शराब के नशे में बेहोशी की हालत में सदर अस्पताल में दाखिल किए गए थे जहां उनकी मृत्यु हो गई । शव परीक्षा से उनके पेटों से शराब की गंध तो पाई गई परन्तु उनकी मृत्यु का कारण ज्ञात नहीं हो सका । उन दोनों के "बिसरा" रासायनिक परीक्षक के पास परीक्षण हेतु भेजे गए हैं । उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा मामले की जांच पूरी की जायेगी।

श्री राजबहादुर सिंह, कान्सटेबिल थाना मोहम्मदाबाद २३-३-७० को थाने की बैरक में रात में ८ बजे के करीब बेहोशी की हालत में पाए गए । उन्हें सदर अस्पताल भेजा गया किन्तु वहां पहुंचते-पहुंचते उनकी मृत्यु हो गई उनके शव परीक्षण से मृत्यु का कारण ज्ञात नहीं हो सका । उनका "बिसरा" भी रासायनिक परीक्षक के पास परीक्षण हेतु भेजा गया है और परीक्षण के परिणाम की सूचना मिलने पर इस मामले में भी पुलिस द्वारा जांच पूरी की जायगी ।

शराब का नमूना पुलिस अधिकारियों द्वारा इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि यह ज्ञात नहीं हो सका कि द्वारिका और दीनानाथ ने कहां से शराब पी थी ।

राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा शिकोहाबाद की फर्म से जी० आई० पाइप क्रय करना तथा ओबरा के लिये मशीनें क्रय करने हेतु मेसर्स कपूर इंजीनियरिंग बाम्बे को कांट्रैक्ट देना

*४२—श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़), श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्य विद्युत् परिषद् के अध्यक्ष के द्वारा १९६४ ई० में शिकोहाबाद की किसी फर्म से जी० आई० पाइप क्रय किया गया था ? यदि हां, तो उसकी कुल कीमत कितनी थी और वह पाइप १९६४ से १५ मई, १९७० तक वर्ष वार कितनी और कहां लगाई गई और कितनी कीमत की पाइप अब भी विभाग में पड़ी है ?

*४३—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अध्यक्ष, राज्य विद्युत् परिषद ने ओबरा मिर्जापुर की पांच मशीनें लगाने के लिए मेसर्स कपूर इंजीनियरिंग, बाम्बे को कांट्रैक्ट, जिसका टेंडर अधिक था, दिया था ? यदि हां, तो क्यों ।

श्री राम लखन—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

गाजियाबाद में हत्यायें तथा लूट व दुकानों पर पुलिस द्वारा छापा मारना

*४४—श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ) तथा श्री शमीम आलम—

क्या गृह मंत्री यह बतायेंगे कि गाजियाबाद में गत वर्ष १९६९ में हत्या, लूट तथा ट्रक दुर्घटनायें कितनी-कितनी हुयीं तथा उनके रोकथाम हेतु क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चरण सिंह—

गाजियाबाद में गत वर्ष १९६९ में हत्या की ७, लूट की ६, तथा ट्रक दुर्घटना की ३५, घटनाओं की रिपोर्ट थाने में अंकित हुई । अधिकतर हत्याएं व्यक्तिगत कारणों से हुईं । अतः रोकथाम पहले से सम्भव नहीं हो सकी । फिर भी यह अवश्य है कि जिन पार्टियों के बीच मतभेद अधिक स्पष्ट हो जाते हैं, उनके विरूद्ध पहले से रोक थाम की कार्यवाही कर ली जाती है। जहां तक लूट का सम्बन्ध है, इस प्रकार की घटनाओं की रोक थाम के लिए गाजियाबाद नगर में एक फ्लाइंग स्कवाड की स्थापना के बारे में विचार किया जा रहा है । ट्रक दुर्घटनाओं की रोक थाम के लिए स्थानीय पुलिस "मोटर व्हीकल ऐक्ट" को पूर्णतया लागू करने के लिए प्रयत्नशील रहती है । इसके अतिरिक्त गाजियाबाद नगर के दोनों ओर 'रिंग रोड' बनाने की योजना चल रही है । इसके निर्माण के पश्चात् दुर्घटनाऐं सम्भवतः काफी कम हो जायेंगी।

*४५—श्री प्यारेलाल तथा श्री शमीम आलम—

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि मार्च, अप्रैल, १९७० में गाजियाबाद के बजाजों की दूकानों पर छापे मार कर पुलिस ने कितना-कितना जापानी व चीनी कपड़ा चोरी से बिक्री करते हुए पकड़ा तथा उन दूकानदारों के विरुद्ध आज तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरण सिंह—

बिक्री के सम्बन्ध में पुलिस ने मार्च, अप्रैल, १९७० में कोई छापे गाजियाबाद के बजाजों की दुकानों पर नहीं मारे ।

सचिवालय के सहायक अवर वर्ग सहायकों की विशेष अर्हकारी परीक्षा

*४६—श्री शिव प्रसाद पाण्डिया (जिला रायबरेली), श्री बांकेलाल, श्री रामधारी शास्त्री, श्री प्यारे लाल, श्री श्यामलाल तथा श्री सुखपाल पांडेय—

विधान सभा के १२ मार्च, १९७० के तारांकित प्रश्न संख्या १५ के क्रम में क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय के सन् १९३४ के अर्हकारी परीक्षा में कुल कितने एडहाक अवर वर्ग सहायक बैठे थे और नकल करने वालों की वास्तविक संख्या कितनी थी ?

श्री चरण सिंह—

३०७ एडहाक अवर वर्ग सहायकों को १९६४ की विशेष अर्हकारी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गयी थी । नकल करने वाले सहायको की संख्या आयोग में २० बतायी है ।

*४७—श्री शिव प्रसाद पाण्डिया, श्री बांके लाल, श्री रामधारी शास्त्री, श्री प्यारेलाल, श्री श्याम लाल तथा श्री सुख पाल पाण्डेय—

क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि इन समस्त कर्मचारियों को अवर वर्ग सहायक के पद पर उसके कार्य आचरण तथा ज्येष्ठता को ध्यान में रखकर के अनुमोदित कर दिया जाय ?

श्री चरण सिंह—

उत्तर प्रदेश सचिवालय कर्मचारिवर्ग नियमावली, १९४२ के नियम १४(२) के अनुसार सहायकों को अवर वर्ग के पदों पर अनुमोदन के लिए आयोग की अर्हकारी परीक्षा पास करना आवश्यक है । इस परीक्षा में उनके आचरण व कार्य-क्षमता पर भी विचार किया जाता है ।

मेडिकल आफिसर इंचार्ज, बड़हलगंज अस्पताल जिला आजमगढ़, पर आक्रमण तथा तत्सम्बन्धी जांच

*४८—श्री श्यामलाल तथा श्री भाभी—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत बड़हलगंज सरकारी अस्पताल के डाक्टर पर दिनांक २९/३० मार्च, १९७० की रात में गोली चलाकर कातिलाना हमला

किया गया ? यदि हां, तो घटना का विवरण क्या है और अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरण सिंह---

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक २९/३० मार्च, १९७० की रात्रि को मेडिकल आफिसर, इन्चार्ज, बड़हलगंज अस्पताल के निवास पर सशस्त्र डकैती पड़ी, जिसमें उन्हें छर्रे तथा चाकू की चोटें आई। इसके अतिरिक्त उनकी पत्नी और ससुर को भी साधारण चोटें आई और लगभग ४,६०० रु० का सामान लूटा गया। इस सम्बन्ध में धारा १४७/१४८/१४९/३०७/३९५/३९७ भा० दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमा कायम करके विवेचना आरम्भ की गई। दो अभियुक्तों को जिनके घर से डकैती में लूटा गया एक ट्रांजिस्टर बरामद हुआ था। गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। एक अभियुक्त के विरुद्ध धारा ८७/८८ द० प्र० सं० की कार्यवाही की गई और वह हाजिर अदालत हो गया। तफ्तीश अभी जारी है।

*४९---श्री श्यामलाल तथा श्री भाभी---

क्या गृह मंत्री यह भी बतायेंगे कि उक्त विषय में आजमगढ़ के किसी विधायक का पत्र उन्हें ३ अप्रैल, १९७० को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में क्या मांग की गई है और उस आधार पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरण सिंह---

उक्त विषय में आजमगढ़ के एक विधायक का पत्र दिनांक ३-४-६० को प्राप्त हुआ था। उसमें थानाध्यक्ष चिरैयाकोट तथा पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ का स्थानान्तरण करने व उक्त घटना की जांच सी० आई० डी० द्वारा कराने की मांग की गई थी। इस पत्र में उल्लिखित घटना के बारे में जिला मैजिस्ट्रेट आजमगढ़ से रिपोर्ट मांगी गई।

*५०---श्री नित्यानन्द स्वामी---

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

प्रदेश में आणविक बिजली घर तथा कृषि औद्योगिक प्रतिष्ठान की स्थापना

*५१---श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि योजना आयोग ने अपनी बैठक में आणविक ऊर्जा विभाग की उस योजना को अस्वीकार कर दिया जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक आणविक बिजली घर तथा कृषि औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित करने की सिफारिश थी ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने योजना आयोग से उक्त योजना को स्वीकार कराने हेतु क्या प्रयास किया और अभी तक क्या सफलता प्राप्त कर सकी ?

श्री राम लखन---

शासन को इस प्रकार के निर्णय की कोई सूचना नहीं है।

जिला चमोली में मोटर मार्ग पैदल मार्ग व पुलों का निर्माण तथा उखीमठ गोपेश्वर मार्ग को मोटर मार्ग बनाना

*५२---श्री नरेन्द्र सिंह (जिला चमोली)---

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि वित्तीय वर्ष १९७०-७१ के दरमियान जनपद चमोली में कितने ऐसे मोटर मार्ग, पैदल मार्ग तथा पुलों पर निर्माण कार्य सम्पन्न होगा जिनमें पिछले वर्षों में कार्य चल रहा था और कितने ऐसे मोटर मार्गों, पैदल मार्गों तथा पुलों का निर्माण-कार्य शुरू होगा जो प्रदेश के चौथी पंचशाला योजना में शामिल हैं ?

श्री चरण सिंह—

जनपद चमोली में वर्ष १९७०-७१ में ९ मोटर मार्गों का निर्माण, २ मोटर मार्गों का पुन-र्निर्माण एवं सुधार, ३ पैदल मार्गों का निर्माण तथा १८ पैदल मार्ग पुलों का निर्माण कार्य आगे बढ़ाया जायगा। ये सब कार्य पिछले वर्षों से चल रहे हैं।

उत्तराखण्ड चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत चमोली जिले के लिए २ नये मोटर मार्गों का निर्माण (२२ मील), २ मोटर मार्गों का पुनर्निर्माण एवं सुधार (२० मील), ३ नए पैदल मार्गों का निर्माण (७८ मील), ३ पैदल मार्गो का पुनर्निर्माण एवं सुधार (२४ मील) मोटर मार्गों पर एक नए पुल का निर्माण तथा पैदल मार्गों पर ५ नए पुलों का निर्माण और ५ वर्तमान पुलों के पुनर्निर्माण एवं सुधार का लक्ष्य है। इन सभी निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष १९७०–७१ में सर्वेक्षण आदि प्रारम्भिक कार्यवाही की जायगी।

*५३—श्री नरेन्द्र सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतलायेंगे कि जनपद चमोली में ऊखीमठ गोपेश्वर मोटर के मार्ग निर्माण पर अब तक कुल कितना रुपया लग गया है और क्या इस यात्रा सीजन में उस रोड पर मोटरीय यातायात हो रहा है ? यदि हां, तो कब से, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री चरण सिंह—

जनपद चमोली में ऊखीमठ-गोपेश्वर मोटर मार्ग पर आरम्भ से अप्रैल, १९७० तक ११८.९५ लाख रुपया व्यय किया जा चुका है। पूरे ऊखीमठ-गोपेश्वर मार्ग पर मोटरीय यातायात नहीं चल रहा है क्योंकि इस मार्ग का चोपटा-धोतीधार भाग अभी मोटरीय यातायात के योग्य नहीं है। परन्तु उक्त मार्ग के गोपेश्वर मण्डल भाग में दिसम्बर १९६९ से मोटरें चल रही हैं। मण्डल से धोतीधार तक भी मोटरीय यातायात १५-६-७० से चालू हो गया है।

गन्ना विकास निरीक्षकों की नियुक्ति

*५४—श्री रामकुमार शास्त्री, श्री सुरेन्द्र विक्रम तथा श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६२ के बाद कुछ लोग गन्ना आयुक्त द्वारा कितने तथा कुछ लोग पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा गन्ना विकास निरीक्षक नियुक्त किये गये ? यदि हां, तो अभी तक उनको उक्त पद का ग्रेड क्यों नहीं दिया गया ? उनकी वेतन में हुई हानि को सरकार कैसे पूरा करेगी ?

श्री चरण सिंह—

जी हां। गन्ना विकास निरीक्षक के पद पर नियुक्त किए गए सब अभ्यर्थियों को उनकी नियुक्ति की तिथि से ही उक्त पद का वेतन-मान दे दिया गया है। अतः उनको किसी हानि होने का प्रश्न नहीं उठता।

लोक सेवा आयोग द्वारा सचिवालय के सहायक सचिव के पदों पर चयन

*५५—श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय के सहायक सचिव के पदों के लिए पिछला चुनाव आयोग द्वारा कब हुआ था तथा क्या उक्त चुनाव द्वारा चुने गये सभी अभ्यर्थियों को पदोन्नति दे दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों।

श्री चरण सिंह—

उत्तर प्रदेश सचिवालय के उन सहायक सचिव के पदों को भरने के लिए जो सेक्रेटेरिएट सर्विस जूनियर ग्रेड के केडर में आते हैं लोक सेवा आयोग द्वारा पिछला चयन अगस्त १९६९ में किया गया। जूनियर ग्रेड काडर में रिक्तियों के अभाव से चुने गए सभी अभ्यर्थियों को अभी सहायक सचिव नियुक्त नहीं किया गया है।

*५६—श्री गोविन्द सिंह—

क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि कुछ ऐसे व्यक्ति भी इन पदों पर इस समय काम कर रहे हैं जो गत चुनाव में लोक सेवा आयोग द्वारा चुने नहीं गए ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चरण सिंह—

जी हां । ऐसे दो अधिकारी हैं जो आयोग से अनुमोदित नहीं है और सहायक सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। इनमें से एक अधिकारी गोपन विभाग के सहायक सचिव के पद पर नियुक्त हैं जिसके सम्बन्ध में सेवा नियमों में विशेष व्यवस्था के अधीन यह पद आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर है और इस पर नियुक्ति किसी भी स्रोत से की जा सकती है । दूसरा अधिकारी सहायक सचिव के निःसंवर्गीय अस्थायी पद पर २७ फरवरी, १९७० को बिना आयोग की राय मांगे नियुक्त किया गया है । इस पद पर नियुक्त किसी भी स्रोत से की जा सकती है और नियमों के अन्तर्गत उक्त नियुक्ति के एक वर्ष से अधिक होने पर ही आयोग से परामर्श करना आवश्यक होगा ।

*५७-५८—श्री शेरसिंह दानू—

[१३ वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये]

बरेली रेन्ज में हेड कांस्टेबिल सी० पी० कोर्स के लिये उम्मीदवार

*५९—श्री मनोहर लाल (जिला कानपुर) तथा श्री चिरंजी लाल (जिला एटा)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मई सन् १९७० में हेड कान्स्टेबिल सी० पी० के कोर्स के लिये लिखित परीक्षा उत्तीर्ण बरेली रेन्ज में कितने उम्मीदवार बनाये गये थे और उनमें से कितने बिना इन्टरव्यू के निकाल दिये गये तथा किन कारणों से ?

श्री चरण सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

ए० एस० आई० पुलिस की नियुक्ति में हरिजनों के लिये पदों का आरक्षित करना

*६०—श्री प्रेम नारायण अहेरवार एडवोकेट (जिला झांसी)—

क्या गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि १९७०-७१ में एक हजार ए० एस० आई० पुलिस की नियुक्ति करने जा रही है उनमें से हरिजनों के लिये कितने पद सुरक्षित हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरण सिंह—

ए० एस० आई० के पदों के सृजन का प्रश्न विचाराधीन है ।

चूंकि उक्त पद पर नियुक्ति सुयोग्य हेड कान्टेबिलों की प्रोन्नति द्वारा ही किया जाने का प्रस्ताव है । अतः हरिजनों के लिये पदों के आरक्षित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

गोंडा जिले के अन्तर्गत वजीरगंज थाने के इंचार्ज सब इन्सपेक्टर श्री वी० डी० दीक्षित के विरुद्ध मुकदमा

*६१—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या सरकार को पता है कि गोंडा जिले के अन्तर्गत वजीरगंज थाने के इन्चार्ज श्री वी० डी० दीक्षित के विरुद्ध महादेव बनाम शीतल नाम से श्रीयुत ए० डी० एम० जे०, गोंडा की अदालत में कोई मुकदमा चल रहा है? यदि हां, तो महादेव बनाम शीतल नामक मुकदमें में दिनांक ४

मार्च, १९७० को श्री बी० डी० दीक्षित के गैर हाजिर होने के कारण ए० डी० एम० जे० ने क्या एस० पी० महोदय को जानबूझकर गैर हाजिर होने का अभियोग लगाकर थाना इन्चार्ज के निलम्बित किये जाने की सिफारिश की थी? यदि हां, तो क्या उन्हें निलम्बित किया ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री चरण सिंह—

जी हां, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (न्याय) गोंडा के न्यायालय में एक मुकदमा महादेव बनाम शीतल आदि चल रहा है जिसमें बजीरगंज थाने के इन्चार्ज सब-इन्स्पेक्टर बी० डी० दीक्षित भी एक अभियुक्त हैं। दिनांक ४-३-७० नहीं बल्कि ४-४-७० को सब-इन्स्पेक्टर दीक्षित तथा अन्य अभियुक्तों के न्यायालय में न हाजिर होने पर अदालत ने अभियुक्तों के विरुद्ध गिरफ्तारी के जमानती वारन्ट जारी करने का आदेश दिया और यह भी आदेश दिया कि एस० पी० को लिखा जाय कि सब-इन्स्पेक्टर दीक्षित के खिलाफ वारंट तामील करके मियाद के अंदर वापस करें और अगर जरूरत हो तो उन्हें मुअत्तल करें। दिनांक ६-४-७० को सब-इन्स्पेक्टर दीक्षित ने न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र और हलफनामा दाखिल करके अपनी अनुपस्थिति का कारण बताया जिस पर विचार करके न्यायालय ने उनके विरुद्ध जारी वारंट वापस ले लिया। पुलिस अधीक्षक को न्यायालय से कोई आदेश नहीं प्राप्त हुआ अतः निलम्बन के सम्बन्ध में कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

जिला नैनीताल के ग्राम शांतिपुरी में डकैती तथा ग्राम तिलियापुर में श्री रणजीत सिंह की हत्या

*६२—श्री डूंगरसिंह बिष्ट—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कि नैनीताल जिले के तहसील किच्छा के ग्राम शांतिपुरी में दिनांक १५ मई, १९७० की रात्रि को डकैतों ने डाका डाला और ग्रामवासियों पर गोलियां चलाईं ? यदि हां, तो कितने हताहत हुये तथा पुलिस ने इस मामले में क्या कार्यवाही की ?

श्री चरण सिंह—

दिनांक १६-५-७० को प्रातः काल थाना किच्छा, नैनीताल में, ग्राम शांतिपुरी के दो निवासियों से लिखित रिपोर्टें प्राप्त हुईं। एक रिपोर्ट में सूचना दी गई थी कि १५/१६-५-७० की रात में कुछ बदमाशों ने बंदूक दिखाकर माल लूटा। दूसरी रिपोर्ट में सूचना दी गई थी कि चोर-चोर की आवाज आने और कुत्तों के भोंकने पर गांव के आदमी एकत्रित हुये तो उन्होंने कुछ बदमाशों को भागते देखा। गांवों वालों द्वारा ललकारे जाने पर भागने वाले लोगों में से एक ने बंदूक चला दी जिसके छर्रों से गांव के चार व्यक्ति घायल हुये।

पहली रिपोर्ट के आधार पर धारा ३९२ भा० दं० वि० के अन्तर्गत व दूसरी रिपोर्ट के आधार पर धारा १४८/३०७ भा० दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमें दर्ज हुये जिसमें जांच जारी है।

*६३—श्री डूंगरसिंह बिष्ट—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जिले के तहसील सितारगंज के ग्राम तिलियापुर बसगर में दिनांक ११ मई, १९७० की रात्रि को श्री रणजीत सिंह नाम के व्यक्ति की हत्या की गई है ? यदि हां, तो हत्या करने वाले कौन थे तथा इस मामले में पुलिस ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री चरण सिंह—

श्री हंसनाथ सिंह निवासी ग्राम तिलियापुर थाना सितारगंज, नैनीताल ने दिनांक १२-५-७० को थाना सितारगंज में इस आशय की लिखित सूचना दी कि उनके भाई

रणजीत सिंह की हत्या कुछ लोगों ने ग्राम बसगर में दिनांक ११/१२-५-७० को रात में कर दी और घर से माल भी लूट ले गये । इस सूचना के प्राप्त होने पर थाने पर एक मुकदमा धारा ३९६ भा० दं० वि० के अन्तर्गत कायम हुआ जिसकी विवेचना हो रही है । अभी तक की जांच से प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामांकित ६ अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके है । शेष अभियुक्तों की तलाश जारी है ।

हत्या करने वाले व्यक्ति कौन थे यह मुकदमे के निर्णय के बाद ही ज्ञात होगा ।

*६४-६५---श्री राम प्यारे, श्री कृष्ण कांत तथा श्री वीरेंद्र कुमार---

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

फर्रुखाबाद में नक्सलवादी नारों के पर्चे

*६६---श्री महरम सिंह---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद में नक्सलवादी द्वारा आपत्तिजनक परचे कचेहरी तथा शहर के अन्य स्थानों पर चिपकाने के साथ-साथ बजरिया पुलिस चौकी के पास हथगोले भी फेंके गये ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने अभी तक इन घटनाओं के संबंध में क्या कार्यवाही की ?

श्री चरण सिंह---

फर्रुखाबाद में कई स्थानों पर हाल में कुछ पर्चे पाये गये जिनमें नक्सलवादी नारों का उल्लेख था । बजरिया पुलिस चौकी के पास हथगोले फेंके जाने की कोई सूचना नहीं है वरन् तिकोना पुलिस चौकी के पास चार बल्ब, जिनमें रासायनिक पदार्थ भरा था, फेंके जाने की घटना हुई । पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है ।

सचिवालय के भाषा विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारी

*६७---श्री गोविन्द सिंह---

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय के भाषा विभाग में इस समय कुल कितने और किस-किस वर्ग के कर्मचारी हैं और उनमें से कितने स्थायी और कितने अस्थायी पदों पर काम कर रहे हैं ? तथा इनमें से कितने कर्मचारी पिछले २० वर्षों से अस्थायी रूप से काम करते चले आ रहे हैं ?

श्री चरण सिंह---

सचिवालय के भाषा विभाग में इस समय कुल ३४ कर्मचारी हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :---

(१)	पुनरीक्षक ..	५
(२)	अनुवादक ..	२२
(३)	प्रवर वर्ग सहायक ..	३
(४)	अवर वर्ग सहायक ..	१
(५)	टंकक ..	३
	योग ..	३४

उपरोक्त कर्मचारियों में १७ कर्मचारी सचिवालय में अग्र पदों पर स्थायी हैं तथा शेष १७ कर्मचारी अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं । इनमें से केवल एक कर्मचारी ऐसा है जो पिछले २० वर्षों से अस्थायी रूप से काम करता चला आ रहा है ।

सब-इन्सपेक्टर नागरिक पुलिस की भर्ती में हरिजनों के सुरक्षित स्थान

*६८—श्री प्यारेलाल—

क्या गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९७० में कितने सब-इन्सपेक्टर सी० पी० के अन्तर्गत लेने का लक्ष्य है और उनमें से कितने पद हरिजनों के लिये सुरक्षित हैं ?

श्री चरण सिंह—

वर्ष १९७० में सब-इन्सपेक्टर नागरिक पुलिस पद पर सीधी भरती द्वारा १२० अभ्यर्थियों का चुनाव होगा । इसमें से १८ प्रतिशत पद अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिये सुरक्षित हैं ।

बुलन्दशहर तथा मेरठ के ग्रामों में टेलीविजन सेट लगाना

*६९—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या सूचना मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि बुलन्दशहर व मेरठ जिलों के किस-किस गांव में टेलीविजन सेट लगाने का विचार रखते हैं और कब से ?

सूचना मंत्री (श्री गेंदा सिंह)—

बुलन्दशहर के पांच और मेरठ के पांच गांवों में टेलीविजन सेट लगाने का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है । भारत सरकार द्वारा गांवों का चयन अंतिम रूप से नहीं हुआ है । इस वित्तीय वर्ष में टेलीविजन सेटों के स्थापित होने की संभावना है ।

जिला रायबरेली के ग्राम रामपुर, मौजा नीमटीकर के निवासी श्री महादेव की हत्या तथा तत्संबंधी केस पर न्यायालय में विचार

*७०—चौधरी रामपालसिंह यादव—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला रायबरेली, थाना बछरावां के अन्तर्गत ग्राम रामपुर, मौजा नीमटीकर के निवासी श्री महादेव को कुछ व्यक्तियों ने दिनांक १३ मई, १९७० को बुरी तरह से मारा जिसके फलस्वरूप थाने में बयान देने के बाद उसकी मृत्यु हो गई ?

श्री चरण सिंह—

दिनांक १३-५-७० को थाना बछरांवा पर ग्राम रामपुर, मौजा नीमटीकर के निवासी श्री महादेव ने छः व्यक्तियों के विरुद्ध लाठी से उन्हें मारने की सूचना दी । घायल को बछरावां अस्पताल चिकित्सा हेतु भेजा गया । डाक्टर की अनुपस्थिति के कारण घायल महादेव वापस आ रहा था तो रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई ।

*७१—चौधरी रामपालसिंह यादव—

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि मृतक श्री महादेव ने अपने बयान में किन-किन व्यक्तियों के नाम रिपोर्ट की है और सरकार ने उन व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री चरण सिंह—

श्री महादेव ने अपनी मौखिक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नीलकंठ, रमेश, सुरेश, हरीचन्द्र राजकिशोर, सरजू को नामजद किया था । ये सभी अभियुक्त न्यायालय में हाजिर हो गये । विवेचना पूर्ण करने के पश्चात् उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट भेजी गई । मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है ।

*७२—श्री अवधेश कुमार तथा श्री मोतीलाल वेहलवी—

[११ वें गुरुवार में प्रश्न संख्या ८१ पर स्थानान्तरित]

इलाहाबाद नगर में एक नवयुवक द्वारा आत्म-हत्या

*७३—श्री रामगोपाल संड—

क्या पुलिस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद नगर के मोहतसिमगंज मुहल्ले में एक नवयुवक की लाश मंगलवार दिनांक २६ मई, १९७० को पाई गई ? यदि हां, तो नवयुवक की मृत्यु के क्या कारण थे ? क्या सरकार अभियुक्त को पकड़ पाई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री चरण सिंह—

जी हां, इलाहाबाद नगर के मोहल्ला मोहतसिमगंज के समीप रेलवे लाइन के पास २६-५-७० को एक लाश पाई गई । जांच से घटना आत्म-हत्या की पाई गई । चूंकि किसी अपराध का होना नहीं पाया गया अतः किसी की गिरफ्तारी का प्रश्न नहीं उठता ।

*७४—श्री रियासत हुसैन—

[१३वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया]

जनपद चमोली की निगोल नदी तथा डुमार नदी पर पुल निर्माण

*७५—श्री नरेंद्र सिंह—

क्या सरकार को मालूम है कि जनपद चमोली की जौरासी ग्राम सभा का प्रतिवेदन हाल में मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है कि इस ग्राम सभा के अन्दर किसी भी उचित स्थान पर निगोल नदी पर पुल बनाना एक बहुत बड़े क्षेत्र की जनता के कल्याण के लिये आवश्यक है ? यदि हां, तो जौरासी ग्राम सभा की पुल संबंधी मांग की पूर्ति के लिये शासन ने अब तक क्या कार्य किया है ?

श्री चरण सिंह—

जनपद चमोली की जौरासी ग्राम सभा का कथित प्रतिवेदन मुख्य मंत्री जी के कार्यालय में प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है । तथापि उक्त ग्राम सभा के निगोल नदी पर पुल बनाने से संबंधित दो प्रार्थना-पत्र माननीय सदस्य द्वारा शासन को अग्रसारित किये गये हैं । जिला मजिस्ट्रेट ने जिनको ये प्रार्थना-पत्र जांच के लिये भेजे गये थे, रेडियोग्राम से सूचित किया है कि उक्त नदी पर गौलिया लोक में रैमसू पर पुल के निर्माण की आवश्यकता है । औपचारिक प्रस्ताव आने पर मामले पर विचार किया जावेगा ।.

*७६—श्री नरेंद्र सिंह—

क्या सरकार को यह भी मालूम है कि जनपद चमोली की पट्टी कालीपार में डुमार नदी पर पुल के निर्माण की दिशा में प्रारम्भिक कार्य, जैसे स्तम्भों का निर्माण हुये अर्सा बीत गया, पर पुल अभी तक नहीं बना ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? और पुल कब तक बन जायेगा ?

श्री चरण सिंह—

कथित पुल पर निर्माण-कार्य सन् १९६६ में रोक देना पड़ा क्योंकि पूर्व निर्धारित डिजाइन के अनुसार जो इस्पात का पुल बनना था वह कमजोर समझा गया । अतः पुल का दृढ़ीकरण करने के लिये डिजाइन को पुनरीक्षित किया गया है । अब पुल का निर्माण-कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य ३० जून, १९७१ निर्धारित किया गया है ।

गोरखपुर जिले के श्री बख्शीश अली की हत्या तथा तत्सम्बन्धी जांच

*७७—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मध्यावधि चुनाव सामान्य निर्वाचन १९६९ में गोरखपुर के अन्तर्गत श्यामदेउरवा निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी श्री बक्शीश अली की जो राजनैतिक हत्या की गई उसके बारे में सरकार ने अब तक कौनसी कार्यवाही की ?

श्री चरण सिंह—

श्री बख्शीश अली की हत्या दिनांक ८ जनवरी, १९६९ को हुई थी । इस मामले में श्यामदेउरवा थाने में अपराध संख्या २, भारतीय दंड विधान की धारा ३०२ के अन्तर्गत दर्ज किया गया । पहले स्थानीय पुलिस द्वारा जांच की गई किन्तु बाद में यह मामला अपराध अनुसंधान विभाग को जांच के लिये सौंप दिया गया ।

अपराध अनुसंधान विभाग के सभी संभव प्रयत्नों के बाद भी अपराधियों का कोई पता नहीं लग सका और न ही ऐसा कोई तथ्य सामने आया है जिससे हत्या का उद्देश्य राजनैतिक कहा जा सके ।

*७८—श्री सूखपाल पाण्डेय तथा श्री रामकरन—

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बताने की कृपा करेंगे कि इस राजनैतिक हत्या में लगभग डेढ़ वर्ष से अधिक हो रहा है अब तक तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पायी ? किस कारण ऐसे महत्वपूर्ण घटना के जांच तथा कार्यवाही में बिलम्ब किया जा रहा है ? क्या सरकार अविलम्ब दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का आश्वासन देगी ?

श्री चरण सिंह—

जांच में सभी सम्भव प्रयास करने पर भी अभियुक्तों का पता नहीं लग सका और इसलिए किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई ।

जिला आजमगढ़ में हत्या तथा डकैती

*७९—श्री श्याम लाल—

क्या गृह मंत्री यह बतायेंगे कि जिला आजमगढ़ में अगस्त, १९६९ से २५ मई, १९७० तक कुल कितनी हत्या और डकैती हुई हैं ?

श्री चरण सिंह—

जिला आजमगढ़ में अगस्त, ६९ से २५-५-७० तक हत्या की ६३ तथा डकैती की ६० रिपोर्ट हुईं ।

अवकाश प्राप्त उप-जेलरों के फंड सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

*८०—श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

क्या जेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मई, १९७० ई० में किन-किन रिटायर्ड डिप्टी जेलर्स (Retired Deputy Jailors) के प्रार्थना-पत्र उनके फन्ड के बारे में महानिरीक्षक जेल (The Inspector General of Prisions) के कार्यालय में प्राप्त हुए हैं तथा विभाग ने उन पर क्या कार्यवाही की ?

श्री बिशन लाल—

मई, १९७० में किसी भी अवकाश प्राप्त उप जेलर का फंड की वापसी के विषय में प्रार्थना-पत्र कारागार महा निरीक्षक के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ ।

जिला जेल बरेली के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

*८१—श्री चेतराम गंगवार—

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जिला जेल, बरेली में कितने अराजपत्रित कर्मचारी १० (दस) वर्ष से अधिक से वहीं कार्य कर रहे हैं और उनका स्थानान्तरण इतनी बड़ी अवधि में किसी दूसरी जगह न होने का कारण क्या है ?

श्री बिशन लाल—

केवल ५ अराजपत्रित कर्मचारी १० वर्ष से अधिक से कार्य कर रहे हैं। स्थानान्तरण न करने का कोई विशेष कारण नहीं है। उनका स्थानान्तरण करने के लिए आवश्यक आदेश दिए जा चुके हैं।

*८२—श्री रामपूजन पटेल—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

पिथौरागढ़ जिले की हरिजन बस्तियों में पेयजल योजना

*८३—श्री गोपाल दत्त तथा श्री कृष्णकान्त (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार यह बतायेगी कि पिथौरागढ़ जिला अन्तर्गत सन् १९६० से १९६९ तक कितनी हरिजन बस्तियों में स्वायत्त अभियन्त्रण विभाग द्वारा पेयजल की योजना कार्यान्वित की गई ?

श्री चरण सिंह—

स्वायत्त अभियंत्रण विभाग द्वारा पिथौरागढ़ जिले के अन्तर्गत सन् १९६० में १९६९ तक ४६ ग्रामों में (जिनमें हरिजनों की संख्या लगभग ४,५०० है। पेयजल सम्पूर्ति योजनायें कार्यान्वित की गई।

जिला प्रतापगढ़ में जुडीशियल आफिसर की नियुक्ति

*८४—श्री जयराम यादव—

क्या मुख्य मंत्री को विदित है कि जिला प्रतापगढ़ जुडिशियल अफसर पट्टी के न्यायालय में मास जनवरी, सन् १९७० से कोई जुडिशियल अफसर नहीं है ? यदि हां, तो इस न्यायालय में विचाराधीन मुकद्दमों की संख्या को देखते हुए क्या शीघ्र ही किसी जुडिशियल अफसर को नियुक्त किया जायगा ?

श्री चरण सिंह—

जी हां। अधिकारी को तैनाती का प्रयास किया जा रहा है।

टिहरी-गढ़वाल में धनसारी तिलवाड़ा सड़क के निर्माण के परिणामस्वरूप मुआवजा

*८५—श्री इन्द्रमणी (जिला टिहरी-गढ़वाल) तथा श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी-गढ़वाल में धनसाली-तिलवाड़ा मोटर सड़क बनाने से मील नं० १९ में जिनकी जमीन की क्षति हुई उसका मुआवजा (कम्पेन्सेसन) अब तक न दिए जाने का क्या कारण है ?

श्री चरण सिंह—

धनसाली तिलवाड़ा मोटर रोड में मील नं० १९ पर जिन गांव वालों की भूमि को क्षति पहुंची उनकी कुछ भूमि जो मील नं० १८ में पड़ती थी उसको भी क्षति पहुंची। अतः मील नं०

१८ तथा १९ में क्षतिग्रस्त भूमि का मुआविजा गांव वार निर्धारित किया गया। मुआवजा कुछ भूस्वामियों को वितरित किया जा चुका है। शेष भूस्वामियों को मुआवजा वितरित न किए जाने का कारण यह है कि वे वितरण के लिए निर्धारित तिथि को उपस्थित न थे।

इलाहाबाद जिले के ५ वर्ष से अधिक की अवधि के थानाध्यक्ष तथा सब-इन्सपेक्टर का स्थानान्तरण न होना

*८६—श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद जिले में ऐसे कितने थाने इन्चार्ज और एस० आई० हैं जो पिछले ५ वर्षों से उसी जिले में हैं ? उनके अन्यत्र स्थानान्तरित न किए जाने के क्या कारण है ?

श्री चरण सिंह—

इलाहाबाद जिले में आठ थानाध्यक्ष और पच्चीस सब-इन्सपेक्टर ऐसे हैं जो वहां ५ वर्ष से अधिक से तैनात हैं।

एक सब-इन्सपेक्टर एक जिले में ६ वर्ष तक तैनात रह सकता है। अतः इनके स्थानान्तरण का प्रश्न नहीं उठता।

*८७—श्री लालसा प्रसाद, श्री राम लखन सिंह तथा श्री कृष्ण कान्त—

[१३वें गुरुवार के लिए स्थगित किया गया]

*८८—श्री प्रेमनारायण अहेवार एडवोकेट—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*८९-९०—श्री ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री सोहन लाल घुसिया, श्री राम लाल राही, श्री माखन लाल, श्री नारायण दास तथा श्री मनोहर लाल—

[१३वें गुरुवार के लिए स्थगित किए गये]

बाराबंकी जिले के ग्रामों का विद्युतीकरण

*९१—श्री शेषनारायण शुक्ल (जिला बाराबंकी)—

क्या विद्युत् मंत्री कृपया गांधी शताब्दी के सम्बन्ध में जिला बाराबंकी की प्रत्येक तहसील में जिन-जिन गांवों का विद्युतीकरण किया जा रहा है उनकी सूची ग्रामवार बतायेंगे ?

श्री राम लखन—

ग्रामों की सूची संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २५०-२५२ पर)

*९२—श्री शेषनारायण शुक्ल—

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि १४७, विधान सभा क्षेत्र रामनगर में जिन-जिन ग्रामों का विद्युतीकरण होना है उनमें यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

श्री रामलखन—

विधान सभा क्षेत्र रामनगर में जिन ग्रामों का विद्युतीकरण होना बाकी है उनका विद्युतीकरण २-१०-१९७० तक करने का प्रयास किया जायगा।

जिला झांसी के ग्राम विजरौठा तथा जखौरा का विद्युतीकरण

*९३—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

क्या विद्युत् मंत्री को विदित है कि ग्राम बिजरौठा, परगना तालबेहट तथा ग्राम जखौरा, परगना ललितपुर जिनका विद्युतीकरण १९६५-६६ में हो जाना था, अभी तक नहीं हुआ ? यदि हां, तो उपरोक्त ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक हो जाएगा ?

श्री राम लखन—

जिला झांसी के अन्तर्गत ग्राम बिजरौठा परगना तालबेहट तथा ग्राम जखौरा परगना ललितपुर का विद्युतीकरण प्राविधिक एवं आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त न पाये जाने के कारण भी तक नहीं किया जा सका ।

उपरोक्त ग्रामों के विद्युतीकरण का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

टिहरी-गढ़वाल के धनसाली तिलवाडा मार्ग हेतु ली गई जमीन का मुआवजा न देना

*९४—श्री इन्द्रमणी—

क्या मुख्य मंत्री को यह मालूम है कि टिहरी-गढ़वाल-धनसाली-तिलवाड़ा मोटर मार्ग निर्माण से मील नं० २१-२४-२५-२६ में ली गई जमीन को न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री चरण सिंह—

धनसाली तिलवाड़ा मोटर मार्ग के मील नं० २१, २४, २५, २६ में अध्याप्ति की गई भूमि का मुआवजा कुछ भूस्वामियों को वितरित किया जा चुका है । शेष भूस्वामियों को मुआवजा वितरित न किए जाने का कारण यह है कि वे मुआवजे के विरण की स्थितियों में उपस्थित नहीं हुए ।

देहरादून के जौनसार क्षेत्र के ग्रामों के स्थित मंदिरों में नीच जातियों के प्रवेश निषेध हेतु लगी पट्टी

*९५—श्रीमती शकुन्तला देवी (जिला सहारनपुर) तथा श्री गंगा प्रसाद—

क्या सरकार बतायेगी कि देहरादून जौनसार बाबर में ग्राम कोटी सिमोफ इत्यादि बहुत से ग्रामों के मन्दिरों के ऊपर यह पट्टी लगी हुई है कि इन मन्दिरों में नीच जातियों के कौलटा, ढोकी मोची इत्यादि का प्रवेश वर्जित है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इसको मिटाने का क्या प्रयास हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरण सिंह—

कथित मन्दिरों पर कोल्टा, ढाकी, मोची इत्यादी जातियों के मन्दिर प्रवेश को रोकने के लिये कोई ऐसी पट्टी नहीं लगी हुई थी ।

किन्तु इस आशय की एक पट्टी वहां लगी हुई थी कि जूते पहन कर तथा नीच जाति के मनुष्य के मन्दिर में प्रवेश करने से वे देवता के प्रकोप के भागी होंगे । यह पट्टी भी अब वहां से हटा दी गई है ।

जांच करने पर पता चला कि उक्त पट्टी बहुत पहले से वहां लगी हुई थी और इस कारण यह नहीं पता चल सका कि इसको लगाने का कौन जिम्मेदार था । अतः इस सम्बन्ध में किसी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना सम्भव नहीं है ।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्र श्री के० भक्तवत्सलम की मृत्यु

*९६—श्री रामपूजन पटेल (जिला इलाहाबाद), श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया) तथा श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि केरल के मुख्य मंत्री, श्री सी० अच्युत मेनन ने सरकार को इस आशय का एक तार भेजकर मांग की है कि गत ७ मई, १९७० को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के एम० बी०, बी० एस० के छात्र श्री के० भक्तवत्सलम, धन्वन्तरी, छात्रावास, में फांसी लगाकर आत्महत्या करने का रहस्योद्घाटन एवं इस सम्बन्ध में उत्पन्न संदेहों का निवारण के लिये आवश्यक जांच कराई जाय ? यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में अब तक कौनसी कार्यवाही की ?

श्री चरण सिंह—

केरल के मुख्य मंत्री श्री सी० अच्युत मेनन ने अपने एक पत्र में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के मेडिकल कालेज के एक छात्र श्री के० भक्तवत्सलम की धन्वन्तरी छात्रावास में दिनांक ७ मई, १९७० को हुई मृत्यु के सम्बन्ध में उसकी मां द्वारा व्यक्त किये गये संदेह को दूर करने के लिये समुचित जांच करने का अनुरोध किया था। इस विषय में जांच की गई जांच से मृत्यु का कारण आत्म हत्या पाया गया।

जिला पूर्ति कार्यालय तथा चुनाव कार्यालय, बलिया में अग्निकांड

*९७—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार बतायेगी कि बलिया जिला पूर्ति कार्यालय में ११ अप्रैल, १९७० के आस-पास और बलिया चुनाव कार्यालय में १४ अप्रैल, १९७० के आस-पास आग लगाकर बहुमूल्य सरकारी कागजों को नष्ट कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार पूर्ण तथ्य रखते हुए की गई कार्यवाही को सदन को अवगत करायेगी ?

श्री चरण सिंह—

दिनांक १०-४-७० को जिला पूर्ति कार्यालय जिला बलिया में तथा १३-४-७० को जिला चुनाव कार्यलय बलिया में आग लगने की सूचना थाना कोतवाली पर प्राप्त हुई।

जिलापूर्ति कार्यालय में आग लगने से प्रधान लिपिक की आलमारी में रखी फाइलों के जलने तथा चुनाव कार्यालय में रद्दी जलने की सूचना दी गई थी।

उक्त सूचनाओं के आधार पर मुकद्दमें दर्ज किए गए जिनकी विवेचना की जा रही है। जिला पूर्ति कार्यालय के प्रधान लिपिक का स्थानान्तरण किया गया है तथा जिला चुनाव कार्यालय के चौकीदार को बरखास्त किया गया और एक इन्सपेक्टर को निलम्बित किया गया है।

अतारांकित प्रश्न

१-२—श्री कृष्ण कान्त—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाये गये]

देवरिया जिले के लिये विद्युत् सम्बन्धी बजट तथा कनेक्शन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र

३—श्री रामधारी शास्त्री, श्री रामपूजन पटेल तथा श्री बांके लाल—

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि देवरिया जनपद में वर्ष १९६८-६९ और १९६९-७० में सिंचाई के लिए बिजली देने के लिए कितना बजट था और उसमें कितना खर्च हुआ ?

४—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष १९६८-६९ और १९६९-७० में देवरिया जनपद में कितने लोगों ने सिंचाई हेतु बिजली कनेक्शन के लिए दरख्वास्तें दीं और उक्त वर्ष में कितने को कनेक्शन मिला ?

श्री राम लखन—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जिला बाराबंकी में थानाध्यक्षों की संख्या

५—श्री हबीब अहमद (जिला इलाहाबाद)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी में कुल कितने थाने हैं और उसके अध्यक्षों की क्या संख्या है तथा वहां किस वर्ग के कितने थानाध्यक्ष हैं ?

श्री चरण सिंह—

जिला बाराबंकी में १८ पुलिस थाने हैं और इतने ही थानाध्यक्ष हैं । एक इन्सपेक्टर तथा १७ सब-इन्सपेक्टर उक्त थानों पर थानाध्यक्ष तैनात हैं ।

प्रदेश के विकास क्षेत्रों के ग्रामों में बिजली न पहुंचना

६—श्री शेरसिंह बानू—

क्या विद्युत मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने ऐसे विकास क्षेत्र हैं जहां अभी तक एक भी गांव में बिजली नहीं पहुंची है ?

श्री राम लखन—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जिला चमोली के ग्रामों का विद्युतीकरण

७—श्री शेर सिंह बान्—

क्या बिजली मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९७०–७१ के अन्दर चमोली के किन-किन गांव को बिजली देने का प्राविधान है ?

श्री राम लखन—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

इलाहाबाद जिले के दहियावां में पुलिस चौकी की स्थापना न होना

८—श्री रामपूजन पटेल—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सरकार जनपद इलाहाबाद के दहियावां व्यापारिक स्थान पर पुलिस चौकी खुलवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चरण सिंह—

जनपद, इलाहाबाद के दहियावां व्यापारिक स्थान पर पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता नहीं समझी गई है ।

हाथरस की बिजली सप्लाई कम्पनी को विद्युत् परिषद द्वारा अपने अधिकार में लेने के पश्चात् हानि तथा लाभ ।

९—श्री प्रेमचन्द्र शर्मा (जिला अलीगढ़)—

क्या विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस जिला अलीगढ़ में बिजली सप्लाई कम्पनी को सरकार ने जब से अपने हाथ में लिया है उसकी लाभ हानि की वार्षिक स्थिति क्या है ?

श्री राम लखन—

विद्युत (पूर्ति) अधिनियम १९४८ की धारा ६९ (१) के अनुसार प्रत्येक वर्ष राज्य विद्युत परिषद् का वार्षिक लेखे विवरण-पत्र बनाया जाता है जिसमें वर्ष भर में राज्य विद्युत परिषद् का जो लाभ हानि होती है उसको दिखाया जाता है। प्रत्येक अधीनस्थ बिजली सप्लाई कम्पनी तथा विद्युत गृह का वार्षिक लेखा विवरण-पत्र अलग से नहीं बनाया जाता है अतएव उक्त कम्पनी को बोर्ड द्वारा हाथ में लिये जाने के पश्चात् वार्षिक लाभ हानि की स्थिति बताना सम्भव नहीं है।

जिला इलाहाबाद के थाना सराय ममरेज के अन्तर्गत डकैतियां तथा आर्म्स ऐक्ट के अनुसार चालान

१०—श्री राजित राम पाण्डेय (जिला इलाहाबाद) तथा श्री रामपूजन पटेल—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला इलाहाबाद के थाना सराय ममरेज में जनवरी १९६९ से दिनांक २५ मई, १९७० तक कुल कितनी डकैतियां पड़ीं और उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरण सिंह—

इलाहाबाद जिले के थाना सराय ममरेज के अन्तर्गत जनवरी, १९६९ से २५-५-७० तक कुल १० डकैती की घटनायें होने की सूचनायें थाने पर प्राप्त हुई। चार डकैतियों से संबंधित मुकदमों में चार्जशीट न्यायालय भेजी जा चुकी हैं और शेष छः मामलों में विवेचना हो रही है।

११—श्री राजितराम पांडेय तथा श्री रामपूजन पटेल—

क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि जनपद इलाहाबाद के थाना सराय ममरेज में जनवरी, १९६९ से दिनांक २५ अप्रैल, १९७० तक कुल कितने लोगों का दफा २५ आर्म्स ऐक्ट में चालान किया गया और उनमें से कितने लोग छूट गये ?

श्री चरण सिंह—

जनपद इलाहाबाद के थाना सराय ममरेज में जनवरी, १९६९ से २५ अप्रैल, १९७० तक छः व्यक्तियों का दफा २५ आर्म्स ऐक्ट में चालान किया गया और उनमें से कोई भी व्यक्ति अदालत से दोष मुक्त नहीं हुआ है।

जिला झांसी के ग्रामों का विद्युतीकरण तथा सुखवा ढुकुवा बांध जल-विद्युत् योजना का पूर्ण होना

१२—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले में चौथी पंचवर्षीय योजना काल में कितने ग्रामों का तथा वर्ष १९७०-७१ में किन-किन ग्रामों का विद्युतीकरण किया जायेगा ?

श्री रामलखन—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

१३—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—

क्या विद्युत मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जिला झांसी में निर्मित सुखवा ढुकुवा बांध जल विद्युत् योजना कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

श्री रामलखन—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

इलाहाबाद नगर महापालिका के चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस को एक बैल का चुनाव चिन्ह देने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रक्रिया नियमावली के अन्तर्गत एक औचित्य का प्रश्न उठाने के लिये आज्ञा मांगी है । कल इलाहाबाद नगर महापालिका के चनाव के सिलसिले में नामिनेशन दाखिल हुये हैं । २३ तारीख की शाम तक चुनाव कार्यालय की ओर से जो सिम्बल की लिस्ट प्रकाशित की गई थी उसमें २९ सिम्बल रखे गये थे और उसमें बैलों को जोड़ी का कहीं नामोनिशान नहीं था । लोगों ने इसको समझकर अपने-अपने सिम्बल दिये लेकिन रात को १२ बजे स्पेशल मैसेन्जर द्वारा शायद मुख्य मंत्री को पता नहीं होगा लेकिन इंडीकेट पार्टी के महामंत्री श्री बहुगुणा ने चाहे न्याय मंत्री या एल० एस० जी० मिनिस्टर पर दबाव डाला कि स्पेशल आर्डर यहां से भेजा जाय और वह स्पेशल आर्डर क्या था कि २९ सिम्बल के अतिरिक्त एक सिम्बल और जोड़ा जाय सिंगिल बैल का और वह बैल एलाट किया जा रहा है कांग्रेस रूलिंग पार्टी को । मान्यवर, कांग्रेस रूलिंग और कांग्रेस ओ के नाम की कोई पार्टी नहीं है, केवल एक इंडियन नेशनल कांग्रेस है जिसके अध्यक्ष श्री निजलिंगप्पा है । चूंकि बैलों की जोड़ी का चिह्न डिस्प्यूटेड है लेकिन यहां से मंत्री महोदय और यहां के चुनाव संचालक श्री प्रेमप्रकाश का अर्डर पता नहीं कैसे गया है । यह चुनाव का तरीका है कि जब कोई सिम्बल एलाट किया जाता है तो पब्लिक नोटिफिकेशन के जरिये सभी पार्टियों को सूचना दी जाती है ताकि कोई आबजेक्शन या एतराज किसी तरह का करना चाहे तो कर सके । २३ तारीख की शाम तक कोई खबर या सूचना नहीं थी लेकिन रात के १२ बजे इलेक्शन आफिस से इस प्रकार का आर्डर जाता है । तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं इस पर विचार करें कि इलाहाबाद की जनता के लिये बड़ा मुश्किल हो जायेगा क्योंकि वहां का चुनाव होने जारहा है, फिर वहां के जन प्रतिनिधि या अन्य पार्टियां किस प्रकार से अपना कार्य कर सकेंगी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप चाहते हैं कि इसके ऊपर चर्चा हो । इसमें औचित्य का प्रश्न उठाने के सम्बन्ध में दिया हुआ है कि ऐसे प्रश्न उठाने की अनुज्ञा अध्यक्ष द्वारा सम्मति दिये जाने के बाद एक ऐसे समय और तिथि को दी जायेगी जो अध्यक्ष निश्चित करे । तो पहले मैं इसको जांच लूं । आपने यह कह दिया और मेरे सामने और प्रश्न भी हैं । आप इसकी डिटेल मुझे दे देंगे तो इसकी जांच करने के बाद मैं अपना फैसला दे दूंगा ।

श्री धर्मवीर—

श्रीमन्, मैं निवेदन कर दूं कि कल आबजेक्शन दाखिल करना है और कल ही सिम्बल एलाट होगा, इसलिये जल्दी से आज ही शाम को इस पर निर्णय ले लें तो बड़ी कृपा होगी ।

श्री अध्यक्ष—

चुनाव के मामले में प्रमाण होना चाहिये, यह औचित्य का प्रश्न है और अगर किसी के ऊपर ज्यादती हुई है, अत्याचार हुआ है तो औचित्य को दृष्टि में रखते हुए ही मैं फैसला करूंगा । कल क्या होने वाला है, इसको मैं अपने सामने नहीं रखता ।

श्री धर्मवीर—

मेरी प्रार्थना है कि इसको आप शीघ्र लेने की कृपा करें ।

(व्यवधान)

नियम ३०१ के अन्तर्गत दी गई सूचना के सम्बन्ध में जानकारी

श्री श्यामसूरत उपाध्याय (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, नियम ३०१ के अन्तर्गत मैंने माननीय सचिव को एक सूचना दी है। मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं कि इस प्रश्न को सदन में उठाया जाय। कल की ही यह घटना है। यह एक आदमी की जिन्दगी का सवाल है। लक्ष्मी नारायण नाम के आदमी को कल इलाहाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन वह इलाहाबाद के किसी थाने में नहीं है। मालूम पड़ता है कि उसे या तो पुलिस ने मार डाला है या उसे किसी दूसरे प्रान्त में फर्जी मुकदमा बना कर भेज दिया गया है। इस पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य होना बहुत जरूरी है। अगर इस पर आज वक्तव्य नहीं होता है तो मुझे शक है कि उस व्यक्ति की जान चली जायेगी। (व्यवधान) इस पर वक्तव्य देने के लिये आप मुख्य मंत्री को आदेश दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अभी मैंने उसे पढ़ा नहीं है, पहले में उस पर विचार करूंगा, फिर फैसला दूंगा

एक विधायक द्वारा काउंसिल हाउस गार्ड को पीटने के सम्बन्ध में शिकायत

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला वस्ती)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज ऐसी विषम परिस्थिति और अशोभनीय घटना हो गयी है, जिसकी ओर मैं आपका ध्यान विनम्रतापूर्वक आकृष्ट करना चाहता हूं। सदन के शुरू होने से पहले एक कौसिल हाउस गार्ड के साथ एक सम्मानित विधायक.....

श्री अध्यक्ष—

वह अभी मेरे पास आया है, अभी उसको उठाने की बात नहीं है। क्योंकि सवाल यह है कि अभी जो औचित्य का प्रश्न है उस पर बात करनी है। विशेषाधिकार का प्रश्न में स्वयं ले रहा हूं। जब वह आयेगा तो मैं पढ़ कर सुना दूंगा।

श्री रामकुमार शास्त्री—

श्रीमन्, इसके पढ़ने का प्रश्न नहीं आता है। इस घटना के अनुसार पहले ही हमने यह सोचा कि आज यहां की कार्यवाही कैसे चलेगी और जब मैंने उसे कहना चाहता तो उस वक्त आपने मुझे रोक दिया। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है लेकिन मैं समझता हूं कि यह बहुत ही अहम मसला है और इसको टौप प्रायरिटी देनी चाहिये। आखिरकार इस सम्बन्ध में आप क्या व्यवस्था करना चाहते हैं। यदि हमारे साथ या आपके और किसी उच्च अधिकारी के साथ यह घटना घटित हुई होती, तो बहुत सम्भव है कि उसको उच्च स्थान दिया जाता। आपके अनेक गार्ड्स एकत्र होकर हमारे पास आये यह गार्ड्स एकत्र होकर और बहुत दुखित होकर कह रहे थे कि इस तरह की घटना हुई तो सदन की कार्यवाही कैसे चल सकेगी। आज कल गुंडा ऐक्ट के बारे में यहां चर्चा हो रही है और आपके सामने एक सुन्दर उदाहरण भी है जब कि एक गार्ड अपने स्वच्छ कर्तव्य का पालन कर रहा था और वह किसी को गलत तरीके से रोक नहीं रहा था और वह ऐसे व्यक्ति को रोक रहा था जो साइकिल लेकर आ रहे थे, उसकी त्रुटि नहीं थी, वह तो आदेशों का पालन ही कर रहा था ....

श्री अध्यक्ष—

यह विशेषाधिकार का मामला हमारे सामने है और उसकी प्राथमिकता आपके कहने से नहीं होगी, वह कार्यक्रम में जहां है उसको मैं लूंगा,, मैं उसको लूंगा ....

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)---

अध्यक्ष महोदय, उस कौंसिल हाउस गार्ड की गर्दन पकड़कर फेंका गया है, उस को धक्का दिया गया है । एक सदन के सदस्य ने इस तरह का गलत काम किया है यह बड़ी शर्म की बात है, इस तरह से आप इस चीज को सबसे पहले नहीं लेंगे तो यह सदन कैसे चलेगा ? यह सदन नहीं चलेगा जबतक आप इस मामले में अपनी व्यवस्था नहीं देंगे । जिनके हाथ में प्रदेश का शासन है और वह सदस्य मुख्य मंत्री जी की पार्टी के सदस्य हैं उन्होंने गर्दन पकड़ कर गार्ड को मारा है । इस तरह से जब यहां के सदस्य ही गार्ड की यह हालत करेंगे तो फिर तो बाकी जनता की क्या रक्षा होगी । आप कह रहे हैं कि यह मामूली बात है, हम यह सब कुछ नहीं सुनेंगे, यह हाउस नहीं चलेगा । यहां असेम्ली चल रही है, गुण्डा विधेयक चल रहा है और दूसरी तरफ यह ज्यादती...(व्यवधान) क्रान्ति हो जायगी इस तरह से ...(व्यवधान) कोई चौकिदार जो ड्यूटी दे रहा है उस को यहां का एक सरकारी पक्ष का विधायक गर्दन पकड़ कर मारे यह स्टेंडड इस सरकार का बरदास्त नहीं होगा ...

श्री अध्यक्ष---

आज के कार्यक्रम की सूची में पहले आइटम २, ३ और ४ है वह पहले हो जायं उसके बाद यह विशेषाधिकार का पांचवां है, उस पर पहुंचेंगे तो मैं उस तो यहां पढ़कर भी सुना दूंगा और उस पर अपना फैसला भी सुना दूंगा। पहले यह सचिव विधान सभा के २ आइटम्स हैं वह आप चलने दें उसके बाद उस को लेंगे ।

नेशनल हेराल्ड द्वारा श्री विश्वनाथ कपूर का दल गलत छापने के सम्बन्ध में शिकायत

श्री विश्वनाथ कपूर(जिला फैजाबाद)---

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि अभीतक जो हल्ला-गुल्ला यहां होता था वह शासक दल के लोग ही किया करते थे । मेरा निवेदन है कि अखबारों में हमारे विषय में बहुत गलत रिपोर्टिंग होती है । मुझे नेशनल हेराल्ड में जनसंघ का सदस्य गलत तरीके से लिख दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि आप इस तरह का आदेश अखबारों को देने की कृपा करें कि वह सही रिपोर्टिंग किया करें ।

श्री अध्यक्ष---

मैं नेशनल हेराल्ड के प्रतिनिधियों से यहां जरूर कहता हूं कि वह ऐसी गलती का सुधार करा दें और अपने पेपर में छपवा दें कि माननीय सदस्य जनसंघ के सदस्य नहीं है । वह गलती से छप गया था।

(व्यवधान)

दो मंत्रियों के कथित आपस में लड़ने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)---

अध्यक्ष महोदय, परसों समाचार पत्रों में छपा कि यहां के दो मंत्री श्री चतुर्भुज शर्मा और श्री स्वामी प्रसाद सिंह किसी बात पर आपस में लड़ पड़े और मंत्रिमंडल में अधिकारों का प्रयोग का मानमाने ढंग से किया रहा है । माननीय कमलापति जी तथा मुख्यमंत्री जी ने उन को समझाया । यह दोनों ही वरिष्ठ मंत्री यहां के हैं वह प्रधान मंत्री के सामने लड़ पड़े । इस का बहुत ही बुरा असर पड़ता है कि इस तरह से मंत्रिमंडल के लोग आपस में लड़ते हैं और इस तरह की खबरें समाचार-पत्रों में उन के बारे में छपती हैं, इस पर मैं आप की व्यवस्था चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष—

इस मामले को माननीय मुख्य मंत्री जी से ही जाकर आप पूंछें, यहां नहीं। सदन से बाहर क्या हुआ आपस में उनका क्या हुआ इसका कोई यहां महत्व नहीं है जबतक कि उनमें से कोई यहां खुद शिकायत नहीं करता मेरी व्यवस्था यही है कि आप मुख्य मंत्री जी के कमरे में जाकर यह बात करेंगे तो वह आपको बतायेंगे।

प्रश्नों के उत्तरों के सम्बन्ध में शिकायत

श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)—

मुझे प्रश्न ४२ व ४३ के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना है अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न ४२ यह था कि "क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्य विद्युत परिषद के अध्यक्ष के द्वारा १९६४ ई० में शिकोहाबाद की किसी फर्म से जी० आई० पाईप क्रय किया गया था ? यदि हां, तो उसकी कुल कीमत कितनी थी और वह पाइप १९६४ से १५ मई, १९७० तक वर्ष वार कितनी और कहां लगाई गई और कितनी कीमत की पाइप अब भी विभाग में पड़ी है ?" दूसरा प्रश्न था "क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद ने ओबरा, मिर्जापुर की पांच मशीनें लगाने के लिये मेसर्स कपूर इंजीनियरिंग, बाम्बे को कांट्रेक्ट, जिसका टेंडर अधिक था दिया था ? यदि हां तो क्यों ?"

इन दोनों का उत्तर यह दिया गया है "सूचना एकत्रित की जा रही है।"

श्री अध्यक्ष—

यह आप मेरे कमरे में आ कर पूछें।

श्री रामदेव—

मैं व्यवस्था चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि सत्य नारायण सिंह, अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद् ने ८५ लाख रुपये का जी० आई० पाइप खरीदा जिसका काम आज तक नहीं पड़ा। इसी प्रकार ओबरा, मिर्जापुर में मशीन लगाने के लिये मेसर्स कपूर इंजीनियरिंग, बाम्बे को ३५ लाख का ठेका दिया गया.....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। पहले व्यवस्था दे दूं। उनको अधिकार है सूचना मांगने का।

श्री रामदेव—

मैं कहता हूं करोड़ों रुपये का गोलमाल है.....

श्री अध्यक्ष—

आप खड़े हैं। पहले आप बैठें। मैं जवाब दे रहा हूं। आपके जो नियम बने हैं उनके अन्तर्गत कोई भी मंत्री यह उत्तर दे सकता है। सूचना अगर उसे प्राप्त नहीं हुई है तो वह कह सकता है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। यह व्यवस्थित उत्तर होता है। जब यह उत्तर आता है कि सूचना एकत्रित की जा रही है तो १५ रोज के बाद हम उसको फिर एजेंडे पर रख देते हैं ताकि वह यहां पर उसका जवाब दें। यह नियम के अन्दर होता है कोई अनियमित नहीं है।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा—

मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९७०, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, सदन के पटल पर रखता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ड़' आगे पृष्ठ २५३–२५८ पर)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा—

मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १५३ के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९७०, जो विधान सभा द्वारा २३ जून, १९७० को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक २४ जून, १९७० को वापस प्राप्त हो गया है ।

श्री रामविलास पांडेय द्वारा श्री हर नरायन के विरुद्ध कौंसिल हाउस गार्ड्स को पीटने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की प्रवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

श्री राम कुमार शास्त्री ने जो प्रश्न उठाया था वह था श्री राम बिलास पांडेय द्वारा विशेषाधिकार के प्रश्न का उठाना । मैं पढ़ कर सुनाये देता हूं । पढने के पूर्व मैं यह कह देना चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही से चूंकि यह सम्बन्धित है इसलिये इस तरह का दुर्व्यवहार अगर किसी ने किया है तो मैं समझता हूं कि यह बहुत संगीन मामला है, मामूली चीज नहीं है । किसी ने सोच लिया कि बहुत बड़ा आदमी वह है और दूसरा छोटा है और कोई माननीय सदस्य उसके चांटा मार दे तो मैं उसे बहुत संगीन बात समझता हूं । सवाल यह है कि यह बात समझिये कि कोई छोटा है तो आप उसके साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं । यह घटना सही है तो जरूर संगीन मामला है । इसकी मैं जांच करूंगा । पहले इसे सुनाये देता हूं "आज दिनांक २५–६–७० को प्रातः लगभग १० बजे विधान भवन के गेट नं० ३ पर श्री राम नायक सिंह काउंसिल हाउस गार्ड ड्यूटी पर थे तभी श्री हर नारायण, विधायक, पीलीभीत अपने साथ में १५,२० व्यक्तियों को ले कर आये जिनमें कुछ के पास साइकिलें भी थीं । अब अपनी ड्यूटी के अनुसार गार्ड ने प्रवेश पत्र उपरोक्त व्यक्तियों से मांगा और बिना प्रवेश-पत्र दिखाये अन्दर आने से मना किया तब श्री हर नरायण विधायक ने गार्डस की गर्दन पकड़ ली और उसको मां बहन की गालियां देते हुये पोर्टिका तक ले आये, उसके घसीटने के बाद द्वार ३ पर कोई गार्ड नहीं रहा और कुछ लोग बिना पास के अन्दर घुस आये । यह घटना जिस समय घटी उस समय विधान भवन में श्री लालसा प्रसाद मिश्र, विधायक, बस्ती भी आ रहे थे और उन्होंने अपनी आंखों से यह सारी घटना देखी है । श्री हरनरायण विधायक द्वारा इस प्रकार की घटना घटित करना और उसे प्रोत्साहित करना और काउंसिल हाउस गार्ड जो माननीय अध्यक्ष, के अन्तर्गत कार्य करने के लिये नियत है, उसकी ड्यूटी में बाधा डालना इस सदन के अपमान का निश्चित विषय है ।"

तो अगर ऐसी चीज हुयी है तो चूंकि यह हमारे कार्यकर्ताओं के बारे में प्रश्न है इसलिये मुझे इसकी जांच करनी चाहिये और मेरे पास उसकी शिकायत आयी है इसलिये मुझे जांच करने की जरूरत है । इसकी जांच करके मैं कल अपना निर्णय दूंगा ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

मैं एक बात जानना चाहता हूं कि क्या श्रीमन् के पास कोई शिकायत की है या सेक्रेटरी के पास की है । यदि श्रीमन् के पास उनके द्वारा शिकायत की गयी है तो यह बहुत संगीन हो जाता है । एक तो यह संगीन है ही ।

श्री अध्यक्ष—

सेक्रेटरी के पास आयी है ।

श्री हरनरायन (जिला पीलीभीत)—

श्रीमन्, जब मैं आज गेट से आ रहा था तो उस समय बहुत से आदमी आ रहे थे लेकिन मेरे साथ केवल २ व्यक्तिय थे । एक गुर्जन सिंह और दूसरे हरीशचन्द्र । श्री गुर्जन सिंह के पास साइकिल थी । गार्ड ने उसे रोका और कहा कि साइकिल अन्दर नहीं जाने देंगे । इस पर गार्ड ने बदतमीजी की और मैंने उससे यह कहा कि जब ये सामने साइकिल रखी हैं तो इन्हें ले जाने में तुम्हें क्या आपत्ति है । तब मैंने उसका हाथ पकड़ कर यह दिखाया कि देखो ये साइकिलें पहले से रखी हैं । मैंने उसके व्यवहार पर यह भी कहा कि मैं जाकर तुम्हारी शिकायत चीफ सेक्रेटरी से करूंगा कि साइकिल ले जाने से इस आदमी को रोका जबकि वहां पर अन्दर की ओर पहले से २ साइकिलें रखी हैं । तो अगर उसके हाथ पकड़ने से उसका अपमान होता है तो मुझे खेद है । मैंने चीफ सेक्रेटरी के यहां जाकर वह शिकायत भी कर दी ।

श्री अध्यक्ष—

इसकी जांच होगी । मैं जब यह करूंगा तो लोगों को बुलाऊंगा और यह बात मेरे कमरे में होगी । तब मैं आपको बताऊंगा ।

श्री रामविलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, आपकी जांच की मदद के लिये मैं कुछ बात कहना चाहता हूं । आप जानते होंगे कि उन्होंने एक पुलिस इन्सपेक्टर को मारा था, एस०एस०पी० के साथ भी इनका झगड़ा हुआ था और एक फाइल भी फाड़ी थी ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें, जो शिकायत आयी है मैं उसकी जांच करूंगा ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, १५ मई, १९७० को इसी सदन के अन्दर माननीय शिव राज सिंह जी ने आश्वासन दिया था कि सदन में और बाहर व्यवस्था रखने के लिये कितने कौंसिल हाउस गार्डस हों, उसके बारे में जो आपके सभापतित्व में कमेटी गठित हुयी थी, उसके निर्णयों को पूरा कर दिया जायगा । और श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह सूचना चाहता हूं कि उसको पूरा करने में किस हद तक सरकार पहुंच पाई है और अगर नहीं पहुंच पाई है तो आप शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही क्यों नहीं करते ताकि ये घटनायें बन्द हों ।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने क्या एश्योरेन्स दिया है ? आप दोहरा दें ।

श्री रियासत हुसैन—

मैं यह दोहरा रहा हूं कि इसी किस्म की घटनायें इस सदन में और सदन के बाहर बार-बार होने के सिलसिले में मैंने याद दिलाया था कि इस माननीय सदन ने एक कमेटी बनाई थी कि इस

[श्री रियासत हुसैन]

सदन के अन्दर पुलिस न आये। कमेटी की प्रोसीडिंग्स हुई और उसमें कुछ सिफारिशात हुई कि मार्शल के अन्तर्गत २० काउन्सिल हाउस गार्ड स रखे जांय। उन सब चीजों को पूरा करने के सिलसिले में १५ मई, १९७० को इस आदरणीय सदन के सामने आपके पूछने पर माननीय शिवराजसिंह ने आश्वासन दिया था कि हम जल्दी से जल्दी उन सिफारिशयात को पूरा करने वाले हैं। लेकिन मुझको मालूम हुआ कि शायद अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं आपके द्वारा यह पूछना चाहता हूं सदन की जानकारी के लिये कि उसमें क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री अध्यक्ष—

संसदीय मन्त्री प्रकाश डालेंगे।

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

श्रीमन्, जब सदन में उल्लेख हुआ तत्पश्चात् मुझे भी जानकारी हुई। जहां तक बीस काउन्सिल हाउस गार्डों की नियुक्ति का प्रश्न है यह नियुक्ति अस्थायी रूप से पहले ही हो चुकी है और बीस गार्ड आपके नियन्त्रण में पहले से ही मंजूर हैं। जो प्रश्न विचाराधीन है वह यह है कि काउन्सिल हाउस गार्ड्स जो बीस मिल चुके हैं ये परमानेन्ट हों और मार्शल का ग्रेड क्या हो, यह विचाराधीन है। जो सम्मानित सदस्य को सूचना है कि नियुक्ति नहीं हुई है यह सत्य से परे है। जहां तक बीस काउन्सिल गार्डों की नियुक्ति का प्रश्न है वह हो चुकी है, केवल उनके स्थायीकरण का सवाल है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न तो यही है जो हम लोगों को हमेशा तकलीफ देता रहा है। अगर हम टेम्पोरेरी गार्ड्स रखते हैं तो उनको कोई ट्रेनिंग नहीं हो पाती कि हमारे सदन में सदस्य के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिये। यह ट्रेनिंग स्पेशल हो सकती है। स्थायी हों तो ज्यादा अच्छा हो यही बात कमेटी में विचार की गई थी।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

तब तो स्पीकर को भी परमानेन्ट होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

यह बात ऐसी है कि स्पीकर चुना हुआ रहता है। वह परमानेन्ट नहीं रहता। सवाल यह है कि ये ट्रेनिंग पाएं। मैंने बीस तो थोड़े कहे हैं। पार्लियामेंट में भी ६२५ के करीब सदस्य होते हैं। हमारे यहां भी ४२५ सदस्य हैं। दो सौ कम हैं। लेकिन सैकड़ों की तादाद में मार्शल के अन्डर गार्ड्स रहते हैं और मैं कहना चाहता हूं कि बाहर भी हमको व्यवस्था रखनी पड़ती है। जैसे सदस्यों के आते हुए कोई झगड़ा हुआ उस वक्त गार्ड होना चाहिये। इस तरह से और भी काम हो सकते हैं। उनसे हम बाद में ले सकते हैं। अगर निश्चित मालूम हो जाय कि ये गार्ड सदन के हैं तो वे ज्यादा एफेक्टिव हो सकते हैं। दूसरी चीज मार्शल की पोजीशन है। उसको भी अपग्रेड करने का सवाल था। मार्शल का पद लोग ये न समझें कि मामूली पद है। उनका जैसा कि एक गजेटे आफिसर का पद होता है उस तरह की चीज होनी चाहिये। यह भी कमेटी ने तय किया था। यह मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री के पास है और मैं समझता हूं कि स्टडी करके उनके द्वारा शीघ्र ही इसमें निर्णय हो जाना चाहिये, यह ज्यादा अच्छा होगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, सदन की भावनाओं और निर्देशों का आदर करते हुए मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि पहली जुलाई से २० गार्डों की नियुक्ति स्थायी रूप कर दी जायेगी और मार्शल भी गजेटेड आफिसर कर दिया जायगा ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

क्या यह आदेश सचमुच अंतिम है या इसमें परन्तुक लगेगा ?

श्री अध्यक्ष—

बहुत निश्चित उन्होंने उत्तर दिया है और जिस कमेटी के बारे में मैंने कहा उसमें मुख्य मंत्री भी मौजूद थे इसलिये उनका भी निर्णय यह है । उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं माननीय उप नेता, विरोधी दल के पदचिन्हों पर नहीं चलूंगा । यह पहली जुलाई से अवश्य हो जायगा ।

श्री अध्यक्ष—

ऐसे चुटकुले बहुत अच्छे होते हैं जिसमें हंसी भी हो और प्रेम भी हो ।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

आज २५ जून की अपनी बैठक में कार्य-मंत्रणा समिति ने सदन द्वारा पूर्व स्वीकृत कार्यक्रम पर पुनर्विचार करके निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :—

सोमवार २९ जून, १९७० को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९७० पर ४ बजे तक विचार हो तथा उसके बाद उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९७० जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार तथा उसका पारण हो ।

(२) विधान सभा सचिवालय पुनःसंगठन समिति के प्रतिवेदन पर विचार जो पहले २९ जून, १९७० को होने वाला था, अब यदि सदन १० जुलाई तक चले तो १० जुलाई को ही उक्त प्रतिवेदन पर विचार हो अन्यथा जब कभी सदन बैठे तो पहले दिन उस पर विचार हो ।

मैं यह बता दूं कि प्रतिवेदन की प्रतियां सन् ६६ में बट चुकी हैं । अब चूंकि कापियां कम हैं, इसलिये हर पार्टी को, यदि यह विषय कि १० जुलाई को दिया जाता है, ५-५ प्रतियां रिपोर्ट की भिजवा दूंगा ताकि आप लोग स्टडी कर सकें ।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

यह सदन क्या २९ के बाद भी चलेगा ?

श्री अध्यक्ष—

१० तक अगर चलता है तो यह लिया जायगा ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

क्या इसके बाद भी सदन चलेगा ? (व्यवधान)

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम में परिवर्तन से संबंधित जो सिफारिशें की गयी हैं उनसे सहमत है और उसकी सिफारिशों को स्वीकार करता है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा इस सदन के कार्यक्रम के संबंध में जो सिफारिशें की गई हैं उनसे सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश गुण्डा विरोधी विधेयक , १९७० को संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के विधान परिषद् के प्रस्ताव पर विचार (क्रमागत)†

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

[× × × ×]

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं, आप कृपया बैठें । यह कुछ लिखा नहीं जायगा । अखबार वाले भी इसको नहीं छापेंगे ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । कल्पनाथ सिंह जी कुछ बोल रहे थे, जिसके बारे में आपने कहा वह लिखा नहीं जायगा । वह प्रोसीडिंग में नहीं लिखा जायगा यह बात चलिये ठीक है, उसके आप अधिकारी हैं लेकिन जो आपने निर्णय दिया कि अखबार वालों द्वारा भी नहीं लिखा जायगा और न छपेगा, तो क्या मैं यह समझूं कि उसके बारे मे भी आप निदेश दिया करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

जिसकी इजाजत मैं यहां पर न दूं बोलने के लिये, फिर भी वह यहां कोई सदस्य बोलता ही है तो नहीं लिखा जायगा और इसके साथ मैं यदि यह भी कहूं कि यह ठीक नहीं है, यह आप बिना इजाजत बोल रहे हैं, तो वह अखबारों को भी नहीं छापना चाहिये, क्योंकि इससे कुछ लोगों को प्रोत्साहन मिलता है कि यहां पर कानून को तोड़ें यह समझकर कि अखबारों में तो यह छप ही जायगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, मैंने आपकी आज्ञा से कहना शुरू किया था, बिना आपकी आज्ञा के नहीं कहना शुरू किया था, तो इसमें कानून तोड़ने की बात कहां से आती है ?

श्री अध्यक्ष—

मुझसे पूछकर भी नहीं । एक दफा मैंने व्यवस्था दी थी कि यदि कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाकर दूसरों के बोलने में डिस्टरबेंस पैदा करना चाहता है तो वह व्यवस्था का प्रश्न नहीं

---

†२४ जून, १९७० को कार्यवाही से ।

[× × × ×] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया ।

है और उसे मैं उचित नहीं समझता हूं, तो वह नहीं छपेगा। अब मैंने जिनको बुलाया था वह भाषण अपना जारी रखें।

श्री माधवेन्द्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर)—

यह जो माईक की व्यवस्था है, दोषपूर्ण है। इससे आप जब बोलते हैं तो आपकी आवाज इतनी फट जाती है कि हम लोग सुन नहीं पाते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि माईक को ठीक करा दिया जाय, कम से कम अगले सेशन से अवश्य ठीक करा दें।

श्री अध्यक्ष—

यह अभी नहीं हो सकेगा। आगे हो जायगा, क्योंकि बार बिल में होने वाला नहीं है।

(श्री अनन्तराम जायसवाल से) आप कल एक घन्टा बोल चुके हैं, इसलिये मैं चाहूंगा कि यथाशक्ति संक्षेप में अपना भाषण करें।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष महोदय, कल मैं यह निवेदन कर रहा था कि किसी व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह हटाने का जो आदेश दिया जाता है, उसकी जो प्रक्रिया प्रस्तुत अधिनियम में है वह पिछले अधिनियमों से किस प्रकर से भिन्न है। पहले यह ताकत थी लोकल गवर्नमेन्ट को यानी राज्य सरकार को। आज यह ताकत दे दी गई है जिला मैजिस्ट्रेट को। उसी तरह से मान्यवर, जहां तक इसके प्रसार का संबंध है, आपको याद होगा कि यूनाईटेड प्राविंसेज गुन्डा ऐक्ट था। पहले वह जब लागू हुआ यानी सन् ३२ में जब उसका प्रसार हुआ तो इस ऐक्ट का क्षेत्र कानपुर का म्युनिसिपल एरिया, कैंटूनमेंट एरिया और उसके ५ मील का एरिया था। यह इतने ही केवल भाग में जिला कानपुर में लागू हुआ था। उसके बाद सरकार को यह आवश्यकता पड़ी और सन् १९४२ में इसका प्रसार और बढ़ा दिया गया। अब इसका प्रसार आगरा, इलाहाबाद, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद आदि ८ जिलों में हो गया। पूरे जिले में भी नहीं, केवल नगरपालिका एरिया, कैन्टूनमेंट एरिया और ५ मील की सीमा उसके लिये निर्धारित की गई। उसके बाद सन् ४७ में कुछ अमेंडमेंट और आया और उसको और आगे बढ़ाया गया था। इसमें अब शाहजहांपुर एरिया शामिल किया गया था। पहले की ही तरह उसका एरिया म्युनिसिपैलटी, कैन्टूनमेंट एरिया और ५ मील में रहा। लेकिन प्रस्तुत अधिनियम का प्रसार पूरे उत्तर प्रदेश में कर दिया गया है। तो जिस तरह से अंग्रेज शासक लोगों की वैयक्तिक स्वतंत्रता को लेने के लिये उत्सुक थे, उससे ज्यादा यह सरकार उनकी वैयक्तिक स्वतंत्रता को छीनने के लिये उत्सुक है, लालायित है, उतावली है। यह इस सरकार का चेहरा है।

मान्यवर, मैं एक चीज की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमको विधान के अनुच्छेद १९ में दो बुनियादी मिले हुये हैं। एक तो यह कि आदमी अपनी इच्छानुसार पूरे भारतवर्ष में जहां चाहे वहां सफर कर सकता है, यात्रा कर सकता है और उसके संचालन में किसी भी तरह का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। उसी प्रकार आदमी अपनी पसंद के किसी भी स्थान पर रह सकता है। यह उसका बुनियादी हक है। तो जहां तक इस विधेयक का सवाल है उससे इन महत्वपूर्ण और कीमती अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगता है। उसमें साफ लिखा हुआ है कि यह विधेयक सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से गुंडों पर नियंत्रण करने और उनको दबाने के निमित्त विशेष प्रतिबन्ध करने के लिये है। तो जहां तक सार्वजनिक व्यवस्था का सवाल है दो टर्म अंग्रेजी में हैं—एक पब्लिक आर्डर और दूसरा ला ऐंड आर्डर। आपको याद होगा कि १९६६ में पटना में जब डाक्टर लोहिया की गिरफ्तारी हुई थी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हुयी थी कि पब्लिक आर्डर क्या चीज है और ला ऐंड आर्डर क्या चीज है। पब्लिक आर्डर इमरजेंट हालत में एक बड़े पैमाने की अव्यवस्था हो जिसको कि अधिकारीगण रोकना चाहते हैं उसके लिये है।

श्री अध्यक्ष—

उसे पब्लिक डिस-आर्डर कहते हैं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

तो मान्यवर, उस अव्यवस्था को रोकने के लिये कानून हो सकता है किन्तु जहां तक इस कानून का उद्देश्य है और जो मैं समझ पाया हूं कि ला ऐंड आर्डर सिचुयेशन तो ठीक है । ला ऐंड आर्डर सिचुएशन की अहमियत होती है वह स्थानीय होता है और कम पैमाने की अव्यवस्था को रोकने के लिये होता है तो उसके लिये यह कानून बनाया जा सकता है । ऐसी दशा में यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है वह अपने संविधान के प्रतिकूल भी जाता है और उससे मिलिटेंट करता है । इससे भी इस पर विचार नहीं कहोना चाहिये और इसको सिलेक्ट कमेटी में नहीं जाना चाहिये ।

और दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो विधेयक है और जो बस्तुस्थिति है उसको बनाये रखने के लिये आप इसको देखें "जिला या उसके किसी भाग में उसके संचालन या कार्य व्यक्तियों की जान या सम्पत्ति के लिये संत्रास, संकट या अपहानि कारित करते हों या करने के लिये सुविचारित हों ।" "ख" इस प्रकार है। "ऐसा विश्वास करने का उचित कारण है कि वह जिला या उसके किसी भाग में भारतीय दंड संहिता के अध्याय १६, अध्याय १७ या अध्याय २२ के अधीन दंडनीय किसी अपराध को करने में अथवा किसी ऐसे अपराध के दुप्रेरण में लगा है या लगने वाला है ।" तो इस तरह से जिसको गुंडा कहा गया है उसकी पुलिस से साजिश है । मैं यह बतलाना चाहता हूं कि हमारे दल की ओर से यह फैसला लिया गया है कि जो भूमिहीन हैं उनको जमीन दिलाने के लिये ९ अगस्त से आन्दोलन होने जा रहा है। मुख्य मंत्री जी ने कल बड़े जोर से कहा था कि इसका राजनीतिक लोगों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा । लेकिन देवरिया में बड़े-बड़े सेठों कनोडिया, बिरला आदि के बड़े-बड़े फार्म हैं उनसे वह भूमि राजनीतिक कार्यकर्ता अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, भूमिहीनों में वितरित करने के लिये और उसके लिये यह सत्याग्रह अथवा आन्दोलन करते हैं तो क्या गारंटी है कि इसका नाजायज इस्तेमाल उनके खिलाफ नहीं किया जायगा ? यह जो उपधारा है इसका इस्तेमाल राजनीतिक लोगों के खिलाफ ही ज्यादा होगा, गुंडों के खिलाफ नहीं होगा । तजुर्बा यह बतलाता है कि जो अराजक तत्व हैं समाज में उनके खिलाफ १०९ व ११० का इस्तेमाल न करके जो गरीब तथा बेसहारा लोग हैं, जो सफाई नहीं दे सकते उनके खिलाफ इनको इस्तेमाल किया जाता है। उनको पकड़ कर उनसे बेगार ली जाती है । तो जो राजनैतिक आन्दोलन होंगे उनको दबाने के लिये इसका स्तेमाल किया जायगा । मुख्य मंत्री जी चाहे जो कहें, मैं यह जोरदार तरीके से कहना चाहता हूं कि हमारी अफसरशाही राजनीतिक लोगों के खिलाफ इसका इस्तेमाल जरूर करेगी । कल तो मैं थोड़ी शंका के साथ बोल रहा था लेकिन आज पूरे जोर के साथ कहना चाहता हूं कि पंडित कमला पति त्रिपाठी जी के विरुद्ध जो पिछला गुंडा ऐक्ट था अंग्रेजों ने चार बार इस्तेमाल किया है और क्या गारंटी है कि विरोध में जो बैठे हुए लोग हैं उनके खिलाफ आज के अधिकारी इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे ? इसलिये मुख्य मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है उसमें कोई कदम नहीं है, सार नहीं है।

इसी तरह से आप इसके खंड ५ को देखेंगे । इसके अनुसार अगर किसी आदमी के खिलाफ धारा ३ के तहत शक पैदा हो जाता है यानी जो निषेध क्षेत्र है उसमें प्रवेश करता है । तो खाली शक पर उसे सजा दी जा सकती है । मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि सजा नहीं दी जायगी, नक्सलपंथियों के खिलाफ इसे इस्तेमाल नहीं किया जायगा ? लेकिन मैं यह समझता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने इसे ध्यान से पढ़ा नहीं है। यह धारा जब रखी गयी तो थोड़ी देर के लिये वह हिचके भी नहीं कि क्या लिखने जा रहे हैं ? कौन आदमी इस बात को चाहेगा कि जुडीशियरी तथा एक्जिक्यूटिव में सेपरेशन हो, और जो न्याय है उसको एक्जीक्यूटिव के अधीन न किया जाय ? यह एक गोल्डेन प्रिंसिपल है कि शक का फायदा मुल्जिम को दिया जाता है लेकिन केवल शक के ऊपर ही उसको ६ महीने की सजा दे दी जायगी और अगर अधिकारी उपयुक्त समझता है तो उस सजा को बढ़ा कर ३ साल तक भी कर सकता है। इस प्रकार से यह जो कानून बनाया जा रहा है वह बिल्कुल डिटेंशन ऐक्ट सरीखा ही बनाया जा रहा है।

एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं कि यूनियन गवर्नमेंट कुछ ऐसी मुसीबत में फंसी कि डिटेंशन ऐक्ट की मियाद को वह न बढ़वा सकी । अब अपने उस कार्य को जहां जहां इंडीकेट की सरकारें हैं वहां वहां किया जा रहा है । महाराष्ट्र की सरकार इसका एक नमूना है । प्रीवेंशन डिटेंशन का कानून उसने बनाया । उसी तरह का एक कानून यह सरकार बनाने जा रही है। आपका आन्दोलन भी जुलाई से चल रहा है, आप भी जरा सजग हो कर देखें कि यह क्या किया जा रहा है । प्रगति का नाम लेकर ऐसा कानून बनाया जा रहा है जिसको बनाने में अंग्रेजी सरकार भी हिचकती थी । श्री गणेशदत्त बाजपेयी ने बताया कि कानपुर के बड़े-बड़े लोग गुन्डों को अपने हितों की रक्षा के लिये इस्तेमाल करते हैं । लेकिन सदन को यह जानकर खुशी होगी कि इस प्रकार किसी बड़े लोग के खिलाफ पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर पायेगी । एक-दो आदमी जिसके खिलाफ यह इस्तेमाल किया जायगा, वह उनके खिलाफ ही होगा जिनसे पुलिस नाराज होगी । लेकिन जिनके ऊपर पुलिस की कृपा होगी उनके खिलाफ इस कानून का इस्तेमाल नहीं होगा । जो जरायम पेशा लोगों को पालने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं हो पायेगा और जब मुख्य मंत्री उनके खिलाफ कोई व्यवस्था करेंगे तो उनको आटे दाल का भाव मालूम हो जायगा, क्योंकि एक कहावत है कि कानून छोटे आदमियों को ही अपने दांतों से पीसता है और बड़े लोग उस कानून पर हुकूमत करते हैं । "लाज प्राइन्ड दि पुअर ऐंड रिचमेन रूल दि ला ।" आज जो बड़े लोग हैं या राजनैतिक पुरुष हैं वे जरायम पेशा लोगों को पाल रहे हैं। क्या मुख्य मंत्री जी उनके विरुद्ध इस कानून के तहत कार्यवाही करना चाहते हैं ? इसका वह नकारात्मक उत्तर ही देंगे । मैं एक मिसाल भी देना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

मैं चाहता हूं कि जरा संक्षेप में ही आप बोलें ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जी, मैं संक्षेप में ही कहूंगा । कल मैंने जो वृष्टांत दिया था उसको माननीय मुख्य मंत्री जी ने चुनौती दे दी है और कहा कि यह गलत है । मैं उनकी जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि श्री मानस बिहारी मुखर्जी की नियुक्ति एस० पी० के पद पर अस्थायी रूप से १५-३-४८ को हुई । ९-१०-५९ को उनको स्थायी बनाया गया ।

श्री अध्यक्ष—

सिद्धांत की बात कहते कहते यह व्यक्तिगत बात कहां से आ गयी ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं यह कह रहा था कि यह सरकार किस प्रकार से अब्यूज आफ पावर करती है, लेकिन इस कानून में तो उसको अनफेटर्ड पावर मिल जायेगी । उसका मैं उदाहरण दे रहा था । माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि यह आदमी उन्नाव कभी नहीं रहा । हमारे मुख्य मंत्री जी को तो वेल इंफार्म्ड होना चाहिये और जब कोई कुछ बात कहा करें और उसको चुनौती दी जाया करे तो सोच समझ कर ही दी जाया करे कि यह बात मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं । हर आदमी को दुख होगा और रोज-रोज मुख्य मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार के प्रश्न आयें यह भी अच्छा नहीं लगता है लेकिन उन्होंने झट से उठ कर कह दिया कि मैं गलत बयानी कर रहा हूं और मैं कन्फ्यूज कर रहा हूं सदन को क्योंकि यह आदमी दूसरा है। इसलिये मैं उनकी जानकारी के लिये बतला देना चाहता हूं कि ९-१०-५९ को एम०डी० मुकर्जी का यू०पी० पुलिस में स्थायीकरण हो गया और उसके बाद वह आई पी०एस० की डिपार्टमेंटल टेम्पोरेरी लिस्ट पर २९-३-६५ को आ गये और फिर २८-७-६५ से २४-५-६७ तक यह उन्नाव

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

में रहे । मुख्य मंत्री जी का कहना था कि यह उन्नाव में नहीं रहे । मेरा कहना यह है कि जब यह उन्नाव में ही थे तो संविद के काल में दो प्रतिकूल प्रविष्टियां इनके खिलाफ हुईं, उसके बाद या तो गुप्ता जी के मंत्रिमंडल के समय या राष्ट्रपति शासन काल में वह प्रतिकूल प्रविष्टियां हटाई गयीं और मध्यावधि चुनाव के दौरान यह फर्रुखाबाद में रहे और वहां पर इन्होंने खूब खुलकर के मुख्य मंत्री के दल की चुनाव में सेवा की जिसकी साक्ष्य स्वयं मंत्रि-परिषद की सदस्या श्रीमती विद्यावती राठौर हैं और जिस दिन वह कह देंगी कि ऐसा नहीं हुआ तो कल भी मैंने आफर दिया था कि मैं इस सदन की सदस्यता से त्यागपत्र दे दूंगा और आज भी मैं उसको दोहरा रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष—

कल आप कह चुके हैं तो फिर वही बात आज क्यों कह रहे हैं ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

माननीय वीरेंद्र वर्मा जी ने कल भी टोका था । इनकी जानकारी के लिये कहना चाहता हूं और मैं इनका मशकूर १ मनून व बहुत एहसानमन्द हूं कि इन्होंने कहा कि इनके दल के कुछ लोगों ने और कुछ और लोगों ने मुख्य मंत्री को लिखकर दिया कि यह आदमी किस प्रकार का है । समय ज्यादा लगेगा इसलिये पढ़ना नहीं चाहता हूं लेकिन कदम, कामिनी और कंचन के वशीभूत होकर इस आदमी ने क्या क्या नहीं किया, यह सब शिकायतें उसमें लिखी हुयी हैं ।

सिंचाई मंत्री (श्री वीरेंद्र वर्मा)—

आपकी आज्ञा से यह जानकारी दे दूं कि जो हमारा कैंडिडेट वहां था उसने इसके खिलाफ लिखकर बहुत शिकायतें की थीं ।

श्री अन्तराम जायसवाल—

उसी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आपका सारा बल एक तरफ है, इनके मंत्रिपरिषद् की सदस्या एक तरफ हैं लेकिन मुख्य मंत्री की शान एक तरफ है और इनको रेकमेंड कर के आई०पी० एस० काडर में ले रहे हैं। इसलिए मैं आपका बहुत मशकूर हूं कि आपने इस चीज का ध्यान दिलाया ।

एक सदस्य—

माननीय जायसवाल जी को पता होना चाहिये कि वह आई०जी० नहीं बन रहे हैं, वह सिर्फ एस० पी० हैं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं आई० पी० एस० कह रहा हूं वह आई० जी० समझ रहे हैं । मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

आप उदाहरण में ही सारा समय ले लेंगे । ढाई बजे तो वोटिंग होगी ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

बस दो, तीन मिनट और लूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

आप सिर्फ दो, तीन मिनट में समाप्त कर दीजिये ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि १९६३ के आस-पास एक रुहेलखंड सीमेंट स्पन पाइप (प्राइवेट) लिमिटेड, बरेली के नाम से एक कम्पनी की स्थापना हुई । यह कंक्रीट के पाइप्स तैयार करती थी । लेकिन जब यह वजूद में आयी भी नहीं तभी चीफ इंजीनियर, एल० एस० जी० ई० डी० ने एक लेटर भेजा—

"Please issue a circular to all the Executive Engineers that Messers Rohilkhand Cement Spun Pipe (Pvt.) Ltd.. Bareilly will start maunfacturing concrete pipes from March, 1963." यानी before the production was started.

"All the Executive Engineers should also enquire from this firm about the price and delivery of the pipes for the sewerage projects."

मान्यवर, मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं हुई थी तभी यह जारी कर दिया और उसके बाद फिर सचमुच.....

श्री अध्यक्ष—

आप तो एक एक अफसर के खिलाफ उदाहरण दे रहे हैं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, मैं उदाहरण इसलिये दे रहा हूं कि इस तरह के जो लोग हैं जो सचमुच चीट करते हैं गवर्नमेंट उनके खिलाफ या प्रशासन उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता है । लेकिन गरीब लोगों के खिलाफ इस तरह का कानून ला सकती है, तो उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

तो मैं कह रहा था कि २२-३-६३ को उस कम्पनी को सचमुच आर्डर मिल गया । फिर सप्लाई के आर्डर प्लेस किये गये और सन् ६७ तक के बीच में ४० लाख के आर्डर प्लेस किये गये और खाली बरेली डिवीजन में साढे आठ लाख के आर्डर दिये गये । गवर्नमेंट ने जिनका पैसा चुका दिया था और जो गवर्नमेंट की प्रापर्टी हो गई थी.....

श्री अध्यक्ष—

यह जनरल डिस्कशन नहीं है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं इशारा कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष—

आप बतावें कि इस विधेयक के लाने में किस प्रकार से गरीब की परवाह नहीं की गई, तो ठीक है लेकिन आप तो वैयक्तिक बात कहते हैं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यहां कम्पनी के जो प्रोप्राइटर थे, बरेली में कोआपरेटिव बैंक है, उससे लोन लेना शुरू किया और यह मामला चलता रहा । जो आदमी सन् ६२ के आस-पास बिल्कुल पापर था वह आदमी आज करोड़ों का आदमी बन गया है । उसकी तरफ मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं । इसी तरह यहां कार्लटन होटल है । उसका कमरा न० १११ है ।

श्री अध्यक्ष—

आप तो वैयक्तिक मामला कह रहे हैं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, व्यक्तिगत बिल्कुल नहीं है । इसको आप देख लें । मान्यवर, उसमें विश्वनाथ शर्मा रहते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

यह व्यैक्तिक नहीं है तो क्या है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

तो मैं कह रहा था कि वहां जैसे इंद्र का अखाड़ा है उस तरह से रातें सजाई जाती हैं और स्टेट के मंत्री और अफसर वहां जा कर फंस जाते हैं । इस प्रकार से उनको फंसा कर उनको मजबूर करते हैं और अपना काम बनवाते हैं । तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मुख्य मंत्री जी का ध्यान उस ओर नहीं जाता ? मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि हमारी पार्टी ने मांग की थी कि जिन मंत्रियों ने और अफसरों ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है और नाजायज धन पैदा किया है उसके लिये एक हाई पावर आयोग का गठन किया जाय । तीन साल पहले माननीय मुख्य मंत्री जी इसके लिये एक बिल लाने को सोच रहे थे लेकिन आज वह भी इसकी चर्चा नहीं करते । आपने इजाजत नहीं दी है, इसलिये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब कभी एप्रोप्रियेट टाइम होगा तो इसको बताऊंगा । यह जो गरीब असहाय लोगों के खिलाफ इस प्रकार का कानून ला रहे हैं मैं तो कहूंगा कि यह काला कानून है, यह संविधान के विपरीत है, इसके गरीब लोग सताये जायेंगे । मैं चाहता हूं कि इसकी एक एक प्रति इस सदन में जला कर फेंक दी जाय ताकि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने जरूरत ही न हो ।

श्री भारत सिंह चौहान (जिला इटावा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गुन्डा विरोधी विधेयक.....

श्री श्याम लाल (जिला आजमगढ़)—

यह काला कानून है.....

(व्यवधान)

(दोनों माननीय सदस्य साथ-साथ बोलने लगे तथा सदन में आवाज होने लगी जिससे सुनाई नहीं पड़ा ।)

श्री अध्यक्ष—

मैंने माननीय भारत सिंह चौहान को बुलाया है ।

श्री भारत सिंह चौहान—

मैं प्रस्तावित गुन्डा विरोधी विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री कृष्ण चन्द्र (जिला झांसी)—

मान्यवर, यह गुन्डा विरोधी विधेयक को जला रहे हैं । यह सदन का अपमान है ।

श्री अध्यक्ष—

आप इनके विरुद्ध विशेषाधिकार की नोटिस दीजिए ! . . . (व्यवधान)

श्री कृष्ण चन्द्र—

आप इनको रोकिये तो !

श्री अध्यक्ष—

मैं रोक रहा हूं । आप इसको न जलाइये।

(श्री अध्यक्ष के रोकने पर भी श्री श्याम लाल ने आग लगा दी ।)

श्री भारत सिंह चौहान—

मान्यवर, जिन गरीब और असहाय लोगों की माननीय जायसवाल जी दुहाई देते हैं उनकी रक्षा के लिए ही यह गुन्डा विरोधी विधेयक लाया गया है । पिछले लम्बे अर्से से ग्रामीण अंचलों में गुन्डा और अराजक तत्व बहुत बढ़ गये हैं और लोगों की इज्जत लूटी जाती है । रोज बलात्कार की घटनायें होती हैं और इन गुन्डों और आराजक तत्वों के विरुद्ध गवाही देने में लोग डरते हैं । इन परिस्थितियों में गुन्डा विरोधी विधेयक की आवश्यकता हुई ।

(इस समय १ बज कर ५ मिनट पर उपाध्यक्ष १ श्री वासुदेव, पीठा सीन हुए ।)

मान्यवर, जो माननीय सदस्य पुलिस स्थायी समिति के सदस्य हैं उनको मालूम होगा कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री चन्द्रभानु गुप्ता ने इस विधेयक को लाने के लिये पुलिस स्थायी समिति में चर्चा कराई थी । यह सब है कि गुन्डा विरोधी विधेयक के द्वारा पुलिस को ज्यादा अख्तियारात दिया जा रहे हैं । उस स्थायी समिति में यह सर्वसम्मति से निश्चय हुआ था कि केवल जिलाधीश ही निर्णयक नहीं होगा बल्कि यह निश्चय करने के लिये कि अमुक व्यक्ति गुन्डा है उस क्षेत्र का विधायक, उस क्षेत्र का ब्लाक प्रमुख, तहसीलदार और परगनाधीश इस तरह से पांच आदमियों की समिति जब यह निर्णय दे दे कि वह व्यक्ति गुन्डा है तब उसको गुंडा डिक्लेयर किया जाय । माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने कल कहा कि अगर जनतंत्र जागरूक रहे तो सरकारी अफसर तानाशाह नहीं बन सकते लेकिन जनप्रतिनिधियों को भी कोई अधिकार हासिल हों तो उसका असर ज्यादा अच्छा पड़ता है । इसी कारण से पुलिस स्थायी समिति ने सर्वसम्मति से यह स्वीकार किया था कि पांच व्यक्तियों की समिति इस बात की जांच करगी और उसके निर्णय के पश्चात् इस गुन्डा विधयक के अन्तर्गत कायवाही की जाय ।

श्री राजित राम पाण्डेय (जिला इलाहाबाद)—

यह माननीय सदस्य कहां से चुन कर आये हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप यह नहीं पूछ सकते । ऐसा अगर आप कहेंगे तो यह सदन का अवमान होगा ।

श्री भारत सिंह चौहान—

तो मान्यवर, इस खतरे की सम्भावना इस सरकार से नहीं हो सकती है कि वह अपने राजनैतिक विरोधियों के उत्पीड़न के लिय इसका प्रयोग करे । सरकार उसी विधेयक को यहां लाई है जिसे गुप्ता जी की सरकार यहां लाना चाहती थी । श्रीमन्, आज ग्रामीण अंचलों में लोगों की नींद हराम रहती है । बहुत गुन्डे और अराजक तत्व बढ़ गये हैं जिनके खिलाफ लोग गवाही देने में लोग डरते हैं और उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती है । बड़े बड़े साधन सम्पन्न और धन्नासेठ गुन्डे हैं और उनके खिलाफ शासन कार्यवाही नहीं कर पाता जसा कि माननीय जायसवाल जी ने कहा । श्रीमन्, दफा १०९ और ११० में गवाही की जरूरत होती है और अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं है कि जिसमें बिना गवाही लिए किसी व्यक्ति को जिसे यह समझा जाता है कि गुन्डा है या अराजक तत्व है पनिश किया जा सके । इसलिये इस प्रदेश की सुरक्षा के हित में इस गुन्डा विधेयक १९७० का पास किया जाना लाजिमी है । किसी भी व्यक्ति को गुन्डा डिक्लेयर करने की ताकत जिला मजिस्ट्रेट के हाथ में न हो ।

[श्री भारत सिंह चौहान]

इसलिये आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि जन प्रतिनिधियों को भी उसमें होना चाहिये और जैसा कि पुलिस की स्थायी समिति ने पारित किया था वैसा कर दें तो फिर माननीय जायसवाल जी का भी जो डर है खत्म हो जायगा कि कोई एक दल दूसरे दल पर हावी न हो जाय । इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री बसन्त लाल शर्मा (जिला बहराइच)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सम्मानित सदन के सामने बड़ा ही गम्भीर प्रश्न है । जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिये बनी है और जनता के जो प्रतिनिधि सरकार में आते हैं वे जनता के वोट से आते हैं और मान्यवर वोट देने में कौन आदमी कैसा है इस बात का कोई निर्णय नहीं हो पाता । आज २२ साल से यह शासन चल रहा है-स्वाधीन देश का उसके बाद भी इस बात की आवश्यकता पड़ी कि समाज में ऐसे तत्व को ढूंढें और उन तत्वों के खिलाफ ऐसी कार्यवाही करें जो अशोभनीय हो तो यह दुख का विषय है । यह बात सही है कि २२ साल के शासन काल में यह बीमारी दूर न हो सकी । आज इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि स्कूल और कालेजों में जाने वाली लड़कियों को गुन्डे छेड़ते हैं और पकड़ते हैं और नाजायज कार्यवाही करते हैं । रास्ते चलती हुई औरतों का सामान छीन ले जाते हैं । जहां तक इस बिल के उद्देश्य और आत्मा का सम्बन्ध है, वह वास्तव में स्वागत करने योग्य है ।

श्री कृष्णानन्द राय—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय उदित नारायण शर्मा दो दफा बोलने के लिये खड़े हुए लेकिन उन्हें किसी कारणवश मौका नहीं मिला । अब चीफ व्हिप महीलाल जी उन्हें पकड़ कर कर ले गये हैं । यह आपकी सूचना के लिये है ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें कोई व्यवस्था की बात नहीं है ।

श्री बसन्त लाल शर्मा—

माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसको प्रस्तुत करते समय यह कहा कि पहली सरकार को धन्यवाद देता हूं जिस ने इस बिल को जन्म दिया था और उन्होंने अपनी सरकार को भी धन्यवाद दिया कि उन्होंने इस बिल को प्रस्तुत किया । मान्यवर, मैं उनका बहुत आदर करता हूं लेकिन मुझे बहुत दुख होता है यह कहते हुए कि वे गुन्डागर्दी को दिल से खत्म नहीं करना चाहते । उनका गुन्डा गर्दी को खत्म करने से कोई वास्तविक प्रेम नहीं है । अगर उन्हें प्रेम होता तो जब कि माननीय सदस्य अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं वे यहां उपस्थित रहते लेकिन कल भी थोड़ी देर के लिए सुबह रहे और थोड़ी देर शाम को रहे । आज भी वे अनुपस्थित हैं । इससे स्पष्ट है कि उन्हें कोई प्रेम नहीं है । माननीय चौधरी साहब भी लगभग २२ साल के स्वाधीनता काल में २२ साल ही पावर में रहे हैं । अगर मैं भूलता नहीं हूं तो सन् ४६ में वे पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी बने थे और तब से धीरे-धीरे करके मुख्य मंत्रित्व पद प्राप्त किया । इस बीच उनके पास गृह विभाग भी रहा । लेकिन कभी उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि समाज से अवांछनीय तत्व समाप्त हों, इस तरह कुप्रवृत्तियों को दूर करने के लिए कुछ किया जाय या उनके विचारों को सुधारा जाय । आज वह इस बिल को लाये हैं । मान्यवर, उनके हाथ में बहुत बड़ी शक्ति है क्योंकि यह समस्या हमारे ही प्रदेश की नहीं है । यह समस्या बंगाल, बिहार, केरल, महाराष्ट्र सब जगह व्याप्त है और सभी प्रदेशों के अन्दर व्याप्त है । तो आवश्यकता इस बात की थी कि इस प्रकार का विधेयक केन्द्रीय सरकार के द्वारा पास होता । इस बिधेयक का जो

नामकरण उन्होंने किया है वह बड़ा अशोभनीय है। मान्यवर, प्रथमः ग्रासे मक्षिका पातः। "गुंडा" शब्द इतना बुरा लगता है कि इधर के भी और उधर के भी सदस्यों ने इसका विरोध किया है। अगर वह अपने बहुमत के आधार पर इसको पास कराते ही हैं तो इसका नाम असामाजिक कार्यकर्ता विरोधी या असामाजिक तत्व सुधार विधेयक रखें।

श्रीमन्, इसमें जो "गुंडा" शब्द की परिभाषा की है उसमें दंगाई, दुष्ट, बदमाश और आतंकी है। कोई डिक्शनरी का शब्द नहीं बचा। इसमें हर प्रकार की व्यापकता आ जाती है। दुष्ट शब्द में जो ब्लैक मार्केटिंग करता है, भ्रष्टाचार करता है या दुर्व्यवहार करता है, वह भी आ जाता है। भारतीय दंड संहिता की तरफ भी इसमें अध्याय १६–१७–२२ का जिक्र किया गया। मान्यवर, यदि इसकी व्यापकता को देखा जाय तो चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण आदि सारे कार्य ऐसे हैं जिनको करने वाला या उनको करने के लिए प्रेरणा देने वाला, सभी इसके अन्तर्गत आ जाते हैं। तो भारतीय दंड संहिता की सारी धाराओं का समावेश इसमें हो जाता है। तो इतने व्यापक कानून का सम्बन्ध केवल एक प्रदेश से रखा जाय यह ठीक नहीं मालूम पड़ता।

दूसरी बात, पहली सरकार के बारे में कहा गया। पहली सरकार की स्थिति दूसरी थी और माननीय चरण सिंह जी की सरकार की स्थिति दूसरी है। पहली सरकार दुर्भाग्यवश प्रधान मंत्री की कोपभाजन रही और आज उनकी सरकार कृपापात्र ही नहीं है बल्कि उनके ऊपर वह आश्रित और टिकी हुई है। केन्द्रीय सरकार के ऊपर उनका प्रभाव है। तो मान्यवर, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि जब कांग्रेस को छोड़कर जैसी उच्च स्तरीय नैतिकता के आधार पर उन्होंने बी० के० डी० को अपनाया था तो वह किस प्रकार की क्रान्ति चाहते थे ? यदि वह वास्तव में समाज सुधार की क्रान्ति चाहते हैं तो इस कानून के बारे में वे कृपा करके भली-भांति विचार करें। आज जो गुंडागर्दी बढ़ रही है वह कानून के लचीलेपन के कारण बढ़ रही है अन्यथा भारतीय दण्ड विधान के अन्दर सब प्रकार की व्यवस्था है। तो मैं उनसे यह कहूंगा कि प्रधान मंत्री के ऊपर अपना नैतिक दबाव डालें और पूरे देश के लिए ऐसा कानून बनवाएं जिससे सारे देश का भला हो। मान्यवर, मुझे एक उदाहरण याद आ गया। एक पपीहे का बच्चा दावाग्नि से परेशान होकर पानी के लिए बादलों से प्रार्थना कर रहा था। वह पी-पी चिल्लाता रहा लेकिन बादलने देर लगायी प्रार्थना सुनने में। तो एक कवि ने कहा—

वितर वारिध वारि दवातुरे, चिर पिपासित चातक पोतके।
विपरिते मरुति क्षण मन्यथा, क्वच भवान् क्व पयः क्वच चातकः॥

इसका अर्थ यह होता है कि नीतिकार बादल से कहता है कि हे बादल, तेरे पास इस समय संयोगवश पानी है, यह पानी इस दावाग्नि से संतप्त पपीहे के बच्चे के मुंह में डाल दे, अन्यथा कहीं क्षण भर में हवा विपरीत बही तो फिर पता नहीं कहां तुम होगे और कहां पानी होगा और कहां चातक का बच्चा होगा। तो आज सौभाग्य से अल्पमत में होते हुए भी उनके हाथ में ताकत है। अन्यथा जो बादल मंडराने लगे हैं वे उनसे छिपे नहीं हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उनके नक्षत्र में भी यही है कि अधिक दिन तक पावर उनके हाथ में नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति में उसका लाभ उठाना चाहिए और प्रधान मंत्री पर नैतिक दबाव डाल कर सारे देश के लिए भारतीय दंड संहिता के आधार पर ऐसा कानून बनवाना चाहिए जिससे पूरे देश में गुंडागर्दी का खात्मा हो। मान्यवर, आप देखें कि जो विधेयक हमारे सामने है उसमें ऐसी धाराओं का समावेश किया गया है जिनका एक स्थान पर एक अर्थ है और दूसरी जगह दूसरा अर्थ है। उनमें विरोधाभास हो जाता है। इसमें एक स्थान पर यह कहा गया है कि "साक्षीगण अपनी जान या सम्पत्ति के क्षेम के सम्बन्ध में अपनी आशंका के कारण उसके विरुद्ध साक्ष्य देने के लिये तैयार नहीं हैं।" एक तरफ तो यह परिभाषा है और दूसरी तरफ आगे चल कर कहा गया है कि "किसी व्यक्ति के विरुद्ध उपधारा (१) के अधीन कोई भी आदेश सिवाय ऐसी जांच के पश्चात् जिसमें उसे उन आधारों की जिन पर आदेश दिये जाने का प्रस्ताव हो और ऐसे अन्य ब्योरों की जिनका जिला मजिस्ट्रेट की राय में उक्त मामले से संबंध हो, सूचना दे दी गई हो, और उन कारणों के

[श्री बसन्त लाल शर्मा]

सम्बन्ध में अभ्यावेदन देने का युक्ति युक्त अवसर दिया गया हो, नहीं दिया जायगा।" इसी के आगे कहा गया है कि "उपधारा (३) के अधीन किसी जांच में उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध आदेश देने का प्रस्ताव हो, अपनी पसन्द के वकील से परामर्श करने और उसके द्वारा प्रतिरक्षित किये जाने का अधिकार होगा तथा जब तक जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से उसकी राय में प्रार्थना परेशान या विलम्ब करने के प्रयोजन से न की गयी हो, उसे यदि वह ऐसा चाहे तो स्वयं परीक्षित होने का और ऐसे अन्य किन्हीं साक्षियों को भी जिन्हें वह उक्त आधारों को असिद्ध करने के लिये पेश करना चाहे परीक्षित करने का अवसर दिया जायगा।" मैं वकील नहीं हूं लेकिन मेरे वकील भाई मुझे क्षमा करेंगे कि इस कुपद्धति की शुरूआत का प्रोत्साहन बकालत पेशा करने वालों से ही मिलता है। जब वकील किसी गुंडे का केस लेते हैं तो कभी भी वह उसको गुंडा साबित नहीं हो ने दे सकते। ऐसी धाराओं का इसमें समावेश किया गया है जो एक दूसरे के विरुद्ध हैं। इसलिये यह बड़ा दोषपूर्ण, अपूर्ण, अव्यवस्थित और निरर्थक बिल है जो यहां पर लाकर रखा गया है। आप देखेंगे कि इसमें जिला मजिस्ट्रेट को इतनी पावर दी गई है कि जिसके ऊपर पूर्व वक्ताओं ने काफी प्रकाश डाल दिया है। क्या जिलाधीश सब दूध के धोये हैं? जब हम उस तरफ थे तो बरेली के एक जिलाधिकारी के विरुद्ध बड़ा बावेला मचा था और उनके ऊपर इलजाम लगाया गया था। यदि वह सच्चा साबित हो तो फिर वह भी गुंडागर्दी के अन्दर शामिल होते हैं। इसलिये मैं कहता हूं कि ब्यूरोकेसी के हाथ मजबूत करना प्रजातन्त्र के हित में नहीं है।

इसके अन्दर अपील का भी प्राविधान किया गया है, कमिश्नर को। कमिश्नर मजिस्ट्रेट नहीं होता है। जब वह मजिस्ट्रेट नहीं है तो उसको अपील सुनने का अधिकार क्यों दिया जाय? जब एक आदमी की जिन्दगी बनाने और बिगाड़ने का सवाल आपके सामने है तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल के अन्दर तमाम त्रुटियां हैं और दोष हैं। ऐसी स्थिति में इसको वापस लिया जाय। इसको रिड्राफ्ट किया जाय।

इसके अन्दर जो सजा का प्राविधान किया गया है वह भी दोषपूर्ण है, एक जिले से निकाल कर आप दूसरे जिले को भेज दो। जब मैं १६५२ में पहले पहल इस सदन के अन्दर सदस्य होकर आया था और जब हमारे संविधान के अनुकूल देश में शासन चला था तो हमने यहां आकर उस समय क्रिमिनल ट्राइब्स का खातमा किया था। क्रिमिनल ट्राइब्स का इतिहास यदि आप जानने का प्रयास करें तो वह जरायम पेशा जातियां इसी प्रकार से बनी होंगी। एक व्यक्ति ने जुर्म किया होगा। जब उसने अपराध किया तो उसको दंड स्वरूप दूसर जिले में भज दिया गया होगा। वहां जाकर उसे कुछ और मिले और उसके साथ वह वहां भी अपराध करने लगा। वहां के जिलाधिकारी ने दूसरे जिले को भेज दिया होगा। तो इस तरह से उस पेशे के लोग बढ़ते चले गये। इस प्रकार से सब जगह उनको दंड मिलता रहा तो वे दूसरे प्रदेश में फैल गये। जुर्म फैलता गया और समाज के अन्दर इस प्रकार से तत्व फैलते चले गये। वे ही लोग जरायम जाति के हो गये। इसलिये सजा की दृष्टि से भी यह दोष फैलने वाला बिल लाकर मुख्यमंत्री जी ने कोई अच्छा कार्य नहीं किया है। और मान्यवर, मैं तो यह समझता हूं कि यदि पहले की सरकार की कोई भावना रही हो, और उसने इस प्रकार का कोई बिल लाने की इच्छा प्रकट की हो, तो मान्यवर, वर्तमान सरकार का तो दिवालियापन है इससे सिद्ध होता है कि वह उस बिल का अच्छा रूप नहीं दे सकी और उसकी जगह अच्छा बिल नहीं ला सकी जब कि उसे अच्छा बिल लाना चाहिये था। अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गुंडागर्दी बढ़ती क्यों है? गुंडागर्दी बढ़ने का सबसे मुख्य कारण यह है कि कानून के अन्दर आज भी सारी विधि सारी व्यवस्था और सारे विधान मौजूद हैं लेकिन दंड कम ही मिलता है। दंड सही नहीं मिलता, अपराधी को पूरी सजा नहीं मिलती, इसलिय अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। मेरे पूर्व वक्ता ने सुझाव दिया कि ऐसी कमेटियां बनायी जायं जिसमें वहां के एम० एल० एज० भी हों,

लेकिन मैं स्पष्ट प्रकार से कहना चाहता हूं कि आज जो एम० एल० एज० हैं और उनके क्षेत्र में उनकी निगाह में कोई अपराधी या गुंडा है भी तो वे उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाना चाहते हैं। पहली बात तो यह कि उन्हें कोई संरक्षण प्राप्त नहीं ह, दूसरी बात यह है कि वे दोबारा चुनाव जीत कर आना चाहते हैं क्यों कि आज कल ज्यादातर गुंडागर्दी के आधार पर ही चुनाव जीतने के उदाहरण मिलते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल अपने भाषण में यहां कहा कि यह सेलेक्ट कमेटी में जायेगा और पोलिटिशियन्स पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर मुख्य मंत्री जी का ऐसा भाव ह कि यह पोलिशियन्स पर लागू नहीं होगा तब तो और भी छूट मिल जायेगी। मुझे याद है कि सन् १९४०-४१ में जब व्यक्तिगत आन्दोलन चला था तो बहुत से डकैत जो ८-८ मर्तबा के सजायाफ्ता थे, खद्दर की धोती और टोपी पहन कर हमारे साथी बन गये और उसकी वजह से पुलिस वाले बेचारे उनसे डरने लगे कि इनके खिलाफ कोई कार्यवाही करें या न करें। इस प्रकार की स्थिति में देश गुलाम बन जायेगा और राजनीतिक दलों में गुंडे, चोर, डाकू, आततायी, दंगाई वगैरह भर जायेंगे। मान्यवर, जगह जगह जो नक्सलपन्थी बढ़ते जाते हैं, जो लूट की जाती है, जो माओ और क्रुश्चेव के नारे लगत हैं, तो आखिर हम कहां को जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देश की क्या स्थिति होनी वाली है? आज बड़ी भयंकर समस्या है। इसके लिये केन्द्रीय सरकार से कोई ऐसा कानून बनवावें और इसको यह सरकार बापस ले ले।

मेरी आदत नहीं है कि मैं व्यक्तिगत रूप से किसी के बारे में कुछ कहूं लेकिन यहां ऐसे-ऐसे उदाहरण हैं---आज जिन माननीय सदस्य ने कौंसिल हाउस गार्ड के साथ दुर्व्यवहार किया और उस सम्बन्ध में जो प्रश्न उठाया गया---मुझे ऐसी सूचना मिली है कि एक दो नहीं बल्कि कई घटनायें इस तरह की हैं कि वे कहीं तो डिप्टी इंसपेक्टर को मार चुके हैं, कहीं एस० ओ० सी० (S. O. C.) के यहां घुस कर आफिस के बहुत से कागजात छीन लिये, मुख्य मंत्री जी के पास, जिलाधीश द्वारा रिपोर्ट भेजी गयी तो मुख्य मंत्री उस पर कोई ध्यान दने के लिय तयार नहीं हैं। मान्यवर, इस प्रकार की स्थिति के अन्दर यदि ऐसा कानून बन जायेगा तो इससे न गुंडागर्दी दब सकेगी और न अपराधियों व दंगाइयों को सही सजा ही मिल सकेगी। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को वे वापस लें और केन्द्रीय सरकार से अपने थोड़े समय के अन्दर लाभ उठावें। किसी को सजा देने से ही सुधार नहीं हो सकता है, इसके लिये आवश्यक है कि उनका मनोवैज्ञानिक रूप से सुधार करें जिससे उनकी मनोवृत्ति इस प्रकार से बदल जाय कि वे इस प्रकार के अपराध ही न करें। वरना प्रजातांत्रिक लोक प्रणाली में इससे कोई लाभ नहीं है। मैं समझता हूं कि सरकार के अधिकारियों को भी इससे बड़ी परेशानी होती है। मुझे मालूम है कि एक अधिकारी श्री जे० एन० प्रधान जो शाहजहांपुर के डिप्टी कलेक्टर थे, उनके साथ एक प्रभावशाली व्यक्ति ने जो यहां के सदस्य भी हैं, गुंडागर्दी की और उनको गाली तक दी। उस व्यक्ति ने यहां आकर मुख्य मंत्री जी से उनकी शिकायत कर दी और उनका ट्रांसफर कर दिया गया।

तो इस प्रकार की नीति तो गुन्डागर्दी को प्रत्साहन ही देगी। ऐसी स्थिति में यह देखना होगा कि विधेयक का लाना कहां तक मुनासिब है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री उचित नारायण (जिला फतेहपुर)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विधेयक पर मुझे अपने विचार सदन के सामने रखने का अवसर दिया।

श्रीमान्, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से बड़ी नम्रतापूर्वक यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि यदि वे मुनासिब समझें तो मेरी बातों को सुनने के बाद इस विधेयक को वापस ले लें (विरोध पक्ष से मेजें थपथपायी गयीं)।

[श्री उचित नारायण]

श्रीमन्, मैं इस विधेयक का इसलिए समर्थन नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे अपने कारण हैं जो संक्षेप में मैं आपके समक्ष निवेदन करूंगा। मैं इस विधेयक से सहमत नहीं होता, इसके मायने यह नहीं हैं कि हमारे प्रदेश में गुन्डा गर्दी नहीं है, इसके मायने यह भी नहीं है कि गुन्डों का आतंक नहीं है। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि इस बात की भी आवश्यकता नहीं है कि हमारे प्रदेश में रहने वाली जनता को राहत दिलायी जाय। मैं जानता हूं कि हमारे यहां पर गुन्डे हैं और उनसे इस प्रदेश की जनता को राहत जरूर मिलनी चाहिए। जिस रास्ते से, जिस कानून के माध्यम से, जिस विधेयक से आज आप इसका हल निकालना चाहते हैं, वह इससे नहीं निकलने वाला है। श्रीमान्, हमें वह काम करना चाहिए जिससे लाभ अधिक हो और हानि कम हो। मोटा सा उसूल है। कालिदास जी ने भी कहा है कि जो छोटे से काम के लिए बड़ा नुकसान करते हैं, उनको लोग बुद्धिमान नहीं कहते हैं। जब हम इस विधेयक को देखें तो यह तराजू के पलडे पर देखना पड़ेगा कि इससे कितना लाभ है और नुकसान कितना है। मैं यहां पर यह भी नहीं कहता कि यह संवैधानिक दृष्टि से सही है या नहीं। कल हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने बम्बई की हाई कोर्ट की रूलिंग को पढ़ा था। मैं उनसे शत-प्रतिशत इत्तिफाक करता हूं लेकिन हमारे जो न्यायालय हैं, उनका कार्य किसी विधेयक के औचित्य को बताना नहीं है। हमारा क्या औचित्य है अगर हम औचित्य के ऊपर जायेंगे तो मेरी समझ में, मैं बड़े सम्मान के साथ कहूंगा कि उससे ज्यादा वाकिफ होगें जितने यहां पर बैठे साधारण लोग हैं। आज मैं यह कहने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं कि यह विधेयक वैधानिक है या नहीं हमारे संविधान का उल्लघंन करता है या नहीं लेकिन मैं आगे चलूं इसके पूर्व मैं अपने माननीय मंत्री बाजपेयी जी की छोटी सी बात का जवाब दे दूं क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि जब लाल बत्ती हो जाती है तो और दूसरी बातें होने वाली हैं और उसके बाद ये बातें रह जाती हैं।

श्रीमन्, मैं माननीय गनेशदत्त बाजपेयी जी का बड़ा आदर करता हूं और उनकी बातों को समझने की कोशिश करता हूं। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि कानपुर शहर में और वस्तुतः सभी शहरों में या यों कहिए कि सारे प्रदेश में जितने बड़े आदमी हैं, वे गुन्डे पाला करते हैं। इसका मतलब क्या है ? यदि हम इसका विश्लेषण करें तो हम इस नतीजे पर पहुचेंगे कि इस तरह का विधेयक इनका इलाज नहीं है। यह उन गरीबों के लिए है जिनके पास जबान नहीं है। अगर इससे इन बड़े आदमियों और गुन्डों के इलाज हो जाय तो मैं सबसे पहला आदमी हूंगा जो इस बात के पक्ष में होगा कि इसको जरूर पास करना चाहिए लेकिन मुझे दुःख है कि इससे इसका हल होने वाला नहीं है। तो मैं कह रहा था कि पूंजी को अपने पास रखने के लिए, अपने पास पूंजी बनी रहने के लिए गरीबों का खून चूस कर और उनका शोषण करके अपनी थैली भरने के लिए यह जरूरी है कि हर आदमी केवल पैसा ही नहीं बनाये बल्कि अपने साथ एक आतंक भी रखे, पैसा कमाने के लिए गुन्डों के बल पर एक आतंक भी जरूरी, है, यह जो प्रवृत्ति है वहां कैसे समाप्त होगी ? एक बात जरूर होगी, यदि यह सही है कि पूंजीपति और यह बड़े आदमी बिना गुंडों के नहीं रह सकते तो उन का जो सिलसिला है वह तो खत्म नहीं होगा, यह दस गुन्डे अगर निकल जायंगे तो दूसरे दस उन की जगह और आ जायंगे और वह भी निकल जायंगे तो और तीसरे दस आ जायंगे और इस तरह से तो वह बढ़ते ही चले जांयंगे। वह एक जगह से दूसरी जगह और तीसरी जगह जायंगे और इस तरह से जो उनका दायरा महदूद था वह और बढ़ जायगा और वहां जाकर वह अपना हुनर दूसरे दोस्तों को भी सिखायेंगे ही। इसलिए इस खंड से किसी भी तरह का कोई हल नहीं निकलता मालूम होता। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को स्मरण दिलाऊं कि मेरा इस तरह का विचार आज का नहीं है बल्कि जब मैं मंत्रिपरिषद् का सदस्य था तब भी इस तरह का एक विधेयक मेरे सामने आया था, जो कि अब ऐक्ट की शक्ल ले चुका है, जिस के द्वारा आप ने भारतीय दंड विधान की दफा १०३ को संशोधित किया है उसमें एक नया एवसेप्शन जोड़कर इस सम्बन्ध में उस वक्त जो मेरी राय थी उससे मुख्य मंत्री जी वाकिफ हैं और मेरा ख्याल है कि हमारा जो सबसे बड़ा कर्तव्य है वह यह है कि हम जितने भी कार्य करें उनको हम बहुत गौर के साथ देखभाल कर करें। जो हमारे मूल मूल सिद्धान्त हैं, जो हमारी मानवीय मान्यतायें हैं

जो एक सामान्य सी अमली बात है जिनके बिना आजादी और उस से भी अधिक यह लोकतंत्र एक मखौल होकर रह जायगा अगर हमने उनको छोड़ दिया। हमें देखना चाहिए कि कहीं उन पर तो आघात नहीं हो रहा है। लेकिन हर चीज जब इस दृष्टिकोण से चलाई जाती है कि उससे हमारा क्या फायदा या नुक्सान होने वाला है तो उसका नतीजा अच्छा नहीं निकल सकता। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कल कहा था कि हमारे जाब्ते फौजदारी में दफा ११० है लेकिन उनके कहने से यह बात साफ थी कि उसमें एक ही नुक्स है और अगर वह न होता तो उन्हें इस विधेयक को लाने की जरूरत न होती। एक ही बात उन्होंने कही थी बाद में और कुछ कहा हो तो मुझे नहीं मालूम है। उनका कहना था कि हम कानून के द्वारा गुन्डों को अपनी जगह से हटा नहीं सकते हैं, उनको दूसरी जगह नहीं भेज सकते। फर्ज कीजिये कि आप ने किसी गुंडे को १५ दिन या दो माह के लिये हटा भी दिया तो उसके बाद वह फिर अपनी जगह पर लौट कर आयेगा आप उसका मुकाबला करते हैं उस दंड से जिसका विधान दफा ११० में है। जो हमेशा के लिये गुंडा होता है उसके लिये आप जमानत मुचलके सब ले सकते हैं, उसके ऊपर १० हजार का बार लादा जा सकता है, वह इसको तो बरदाश्त कर लेंगे लेकिन उसको बरदाश्त नहीं कर सकते। आप दफा १०९-११० में ज्यादा सख्त कार्यवाही कर सकते हैं मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि यह बात सही नहीं है और अगर कोई औचित्य इस तर्क का नहीं है और वास्तव में यह तर्क अपनी जगह पर है नहीं।

इसके बाद मैं एक बात और कहना चाहूंगा और वह यह है कि हमेशा एक दुर्गुण बताया जाता है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, वह तो किसी भी कानून का हो सकता है लेकिन कभी इस बात पर भी विचार किया गया कि आखिर एक कानून क्यों बनाया जाता है और क्यों नहीं बनाया जाता है? जिस कानून के बिना काम नहीं चल सकता उनको बनाना जरूरी हो जाता है। क्या आप इस ऐनालाजी को सही कह सकते हैं कि दफा ३०२ में पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर सकती है तो हम ३०२ को नहीं खत्म करते इसलिये गुन्डा ऐक्ट को भी रखेंगे। मैं बड़ी नम्रता से निवेदन करूंगा कि ३०२ में जो अहित होता है उसका और उसका कोई मुकाबला नहीं है। कानून जो मौजूदा है श्रीमन, वह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि काफी पर्याप्त है। श्रीमन्, गुन्डा ही नहीं किसी अच्छे खासे की मजाल नहीं कि दरोगा को नाराज करके चैन से रह लें। यदि दरोगा वास्तव में ईमानदारी से फर्ज अदा करने खड़ा हो जाय तो कभी ऐसा नहीं सकता कि दरोगा चाहे और उनके इलाके में गुन्डे बने रहें। जो दरोगा आजकल पुलिस में हैं यदि वे अपनी जगह पर कायम रहें तो मैं बड़ी नम्रता से निवेदन करूं अफसरों के लिये, तो लागू नहीं होगा लेकिन काफी तादाद में ऐसे हैं जिनको उनसे पैदा करना पड़ता है। उन्हें उनकी जरूरत होती है। इसकी दो चीजों की तरफ ध्यान रखना चाहिये या यह हमारा दुर्भाग्य है, कोई यह खुशी की बात नहीं है। कोई बहस के लिये मैं नहीं कह रहा। कोई भी भारतीय इस पर विचार करता होगा और उसे जरा भी मुल्क के प्रति वफादारी होगी तो वह जार जार रोता होगा कि हमारे बेश की जो सेवायें हैं उनकी यह हालत है। साथ ही साथ हमें यह भूल नहीं जाना चाहिये कि यह तथ्य भी है।

श्रीमन्, एक और बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज की राजनीति ऐसी है कि इसमें भी तो बिरला ही राजनीतिज्ञ ऐसा होगा कि जो इस लालच को रोक सके या रोके भी अगर होगा तो हिम्मत के साथ या ईमानदारी के साथ कह सके कि मेरा कोई भी इस प्रकार से कानून बनेगा उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। आज के जो बने हुये कानून हैं उसमें ३०२ के मुकदमें में अच्छे से अच्छे पालिटिशियन्स फंसते फिरते हैं, रेप के मुकदमें में, डकैती के मुकदमें में। कल श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक बात कही कि इसकी जरूरत इसके लिये भी है कि कुछ गुन्डे ऐसे हैं जिनके खिलाफ शहादत देने में लोग डरते हैं। मैं श्रीमन् यह पूछना चाहता हूं कि कत्ल करने वाले से ज्यादा बड़ा गुन्डा होता होगा, क्या रेप करने वाले से ज्यादा गड़ा गुंडा होता होगा क्या डकैती डालने वाले से ज्यादा बड़ा गुन्डा होता होगा? श्रीमन्, कैसे साधारण गुन्डों से साक्ष्य करेंगे? क्या ३०२ के कत्ल, डकैती और रैप के मसाले कम

[श्री उदित नारायण]

आतंकित करते हैं) क्या यह जरूरी नहीं है ? अगर यह बात सही है कि न्याय होना चाहिए, अगर आप ऐक्ट इसलिये बना रहे हैं कि न्याय होना चाहिये तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उससे ज्यादा यह जरूरी है कि रेप के केसेज में, डकैती के केसेज में और मर्डर के केसेज में न्याय होना चाहिये और यदि न्याय लोगों के परोक्ष में गवाही देकर मिल सकता है तो पहले उस कानून को बदलिये। पहले यह कहिए कि ३०२ के खिलाफ जो शहादत होगी वह आदमी डाक में नहीं रहेगा। श्रीमन्, मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि पहले जितनी चीजें इसमें सन्निहित है जो इम्प्लाइड हैं उन सब चीजों का विश्लेषण करिये और फिर देखिए कि आप किस जगह पहुंचते हैं। मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि किसी आदमी को कल हम गाली देने वाले हैं तो हमको बाहर भेज सकते हैं और पड़ोस से गवाही दिलाई जा सकती है। तो श्रीमन्, इस बात को आप कत्ल के मुकदमे में क्यों नहीं लागू करते ? उसमें ज्यादा जरूरी है कि कहीं बच न जाय। श्रीमन्, क्या हम यह नहीं जानते कि रेप के केस में सारी इजलास के सामने किसी महिला को शहादत देने में जो शर्मिन्दगी, जो जिल्लत उठानी पड़ती है उससे बड़ी जिल्लत दुनिया में कोई नहीं होती। श्रीमन्, हमारा कानून कहता है कि शहादत उसके सामने ही होगी। पहले उनके लिये बदलना होगा या इनके लिये बदलना होगा ? श्रीमन्, हम यह कहते हैं कि यह बात सही नहीं है।

मान्यवर, दफा १०७, १०९, ११० के मुकदमों में बरोगा जी दो-दो सौ गवाह गुन्डों के खिलाफ पेश करते हैं। सामने खड़े रहते हैं। क्या होता है ? तो यह कहना कि गुन्डों के खिलाफ कोई कहने के लिये नहीं आयेगा, यह ठीक नहीं है। न्याय का मान्यवर एक आधार-भूत सिद्धान्त होता है। न्याय का आधार ही निकल जायेगा जिस वक्त आप यह करेंगे कि परोक्ष में आकर कोई कुछ कहेगा, उसके अनुसार कार्यवाही करने लगेंगे। परोक्ष वाली बात को आप अगर अपने कमरे या दफ्तर तक ही सीमित रखें तो ठीक है, मगर अदालत में यह चीज नहीं जाना चाहिये। यह आपके बंगले तक ही सीमित रहे तो अच्छा है।

मान्यवर, जब उसका बयान हो जायगा तो क्या आप यह कह देंगे कि किसी को फाइल देखने की इजाजत नहीं दी जायेगी ? क्या संबंधित व्यक्ति को यानी गुन्डे को उसके बयान का पता नहीं चल पायेगा ? और यदि उसको यह पता चल जायगा कि फलां आदमी ने मेरे खिलाफ फलां बात कही है तो क्या वह उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकेगा ? इस पर विचार करने की जरूरत है।

मान्यवर, आपके यहां आर्म्स ऐक्ट बना हुआ है। मगर जो हालत है वह आपसे छिपी नहीं है। हर बदमाश और गुन्डे के पास अच्छी से अच्छी बन्दूक और तमन्चा होता है। जितने भले होते हैं वे दरोगा और तहसीलदार की खुशामद करते रहते हैं और विधायकों की खुशामद करते हैं कि यह सिफारिश कर दीजिये। सिफारिश क्या करते हैं—एक तरफ कहते हैं बन्दूक दे दी जाय, दूसरी तरफ कहते हैं कि हरगिज न दी जाय। तो मान्यवर, जो हमारे राज्य का इतिहास है वह इस बात से भरा पड़ा है कि यहां पर राजनीतिक लोगों और पालिटी-शियन्स जब भी उनको शक्ति मिली है, उसका दुरुपयोग करते हैं। इसी सदन में माननीय संपूर्णानन्द जी के खिलाफ कहा गया कि उनकी सरकार उनके ही गुट की है, इसी तरह माननीय गुप्ता जी के खिलाफ भी कहा गया कि एक गुट की सरकार है। तो कौन सा समय ऐसा आया कि जब कि इस प्रकार का लांछन नहीं लगाया गया हो ? जब यह बात देखने में आई है तो क्या अब आप यह आशा कर सकते हैं कि गुट के लोग अपने हित में कभी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे ? जो हमारा आज का स्तर है उसमें यह असंभव है। यह संभव नहीं है। और अगर यह संभव नहीं है तो हमें इसे रोकना चाहिये, न होगा बांस न बजेगी बांसुरी। अगर आपने यह कानून बना दिया तो बेचारे और डिप्टी कलेक्टर वगैरह की मुसीबत हो जायेगी, हर तरह का उन पर दबाव पड़ेगा और उनकी परेशानी बढ़ जायेगी। जो ऊंचे दर्जा का पालि-टीशियन होता है उसको तो नुकसान नहीं पहुंच पाता, मगर जो उसके साथी होते हैं मुख्य असर उन पर पड़ता है, क्योंकि वे निःसहाय होते हैं। मान्यवर, एम० एल० एज० ही नहीं, मैंने

इस प्रदेश के मंत्रियों को यह कहते सुना है कि दरोगा उनके कहने के मुताबिक काम करता है। फिर जब यह कानून बन जायेगा तब क्या हालत होगी ? हमें सोचना यह चाहिये कि हम ऐसे उपाय करें जिससे गुन्डों की संख्या कम हो जाय। अगर किसी इन्सपेक्टर के क्षेत्र में गुन्डे पनपते हैं तो आप उससे जवाब तलब कीजिये। अगर वह यह कहे कि हमने इस कार्य में कोशिश की, मगर असफल रहे तो ठीक है।

श्रीमन्, यहां पर हमारे मुख्य मंत्री जी ने इस तरफ से खड़े होकर कितनी लम्बी लिस्ट सुनाई थी जिसमें यह बताया कि गया था कि इतने-इतने गुन्डे-बदमाशों को लाइसेंस दे दिया गया। कैसे दे दिया गया, क्यों दे दिया गया ? क्या यह सारा कसूर पदाधिकारियों का ही था ? हमारा कोई हाथ नहीं था। हम आज इस स्थिति में नहीं है कि हम यह कह सकें कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा। ज्यादा अच्छा होगा कि हम इधर उधर की बात करने के बजाय असलियत को तस्लीम करें और इसको मानें कि इसका दुरुपयोग अधिक होगा, सदुपयोग कम होगा।

मैं दो बातें और अर्ज करना चाहता हूं। अभी मैंने आवश्यकता और उपयोगिता के बारे में कहा है। इस ऐक्ट में हमारे दो बहुत बड़े आधारभूत सिद्धान्तों को धक्का लगने वाला है। श्रीमन्, उसका श्रेय चरण सिंह जी को है कि उन्होंने पहली बार जूडिशियरी और एक्जीक्यूटिव को अलग-अलग किया। इसके माने क्या होते हैं ? सिविल लिटीगेशन में, उसमें एक्जीक्यूटिव और जूडिशियरी को अलग-अलग करने के कोई माने नहीं होते हैं। जहां पर व्यक्ति की स्वतंत्रता को कोई आघात आने का प्रश्न होता है, वहां पर इस बात की आवश्यकता होती है कि एक्जीक्यूटिव और जूडिशियरी को अलग-अलग होना चाहिये। जब इस विचार का आरंभ हुआ तो आपको याद होगा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जब पहले अपील का प्रावीजन था, उसके हिसाब से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी फौजदारी के मुकदमों की अपीलें सुना करता था। उस समय दफा १०७ के जो मुकदमे थे, उसकी अपीलें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सुना करता था। लेकिन जब हम इस दिशा में आगे बढ़े तो यह हुआ कि डिस्ट्रक्ट मैजिस्ट्रेट यह अधिकार छीन लिया गया और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अमेंडमेंट करके यह कर दिया गया कि जितनी भी अपीलें हैं उनको डिस्ट्रिक्ट जज को छोड़कर अन्य कोई नहीं सुना करेगा। आपने एक कानून बनाया था, एक एक्जीक्यूटिव अफसर को संचालन करने को कहा था और दूसरे अफसर को उसका सुपरविजन करने को कह दिया। तो अब आप देखें कि इस इस प्रकार हम कितने पीछे चले गये। जूडिशियरी और एक्जीक्यूटिव को अलग-अलग किया, लेकिन उसके बाद कानून ऐसे बनाते चले गये जिससे उसका करना और न करना सब बराबर हो गया। अलग हो जाने का लाभ क्या हुआ ? जूडिशियरी और एक्जीक्यूटिव को अलग होने के सिद्धान्त को आवश्यकता को आप मानते हैं, यही इस बात का प्रमाण है कि ऐसा हो सकता या यानी एक्जीक्यूटिव अर्थात् शासक जिसके पास ऐसे अधिकार है वह उसका दुरुपयोग कर सकता है। अधिकारियों को जो अधिकार बरता है, उसको ही उसका निर्णायक नहीं बनाना चाहिये। अधिकार बरतने की आवश्यकता के औचित्य को सदैव दूसरा कोई तय किया करता है, इसीलिए ये अलग-अलग हुआ करते हैं। लिबर्टी आफ दि सिटीजन, स्वतंत्रता की रक्षा के लिये जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव को अलग-अलग किया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो मनुष्य की, नागरिक की स्थिति है, उसके ऊपर आघात पहुंचता है। मैं यह नहीं कहता कि अभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नागरिक की स्वतंत्रता का अपहरण न किया जाय। लेकिन मैं समझता हूं, आज वह परिस्थितियां मौजूद नहीं है। जब अपने देश की रक्षा करने की बात होती है, तब सभी यह कहते हैं कि हमारी स्वतंत्रता बलाए-ताक रख दी जाय। लेकिन आज तो वैसी स्थिति नहीं है। आज आपने इस प्रकार के कानूनों का इस्तेमाल नक्सलपंथियों, आर० एस० एस० और मुस्लिम मजलिस के खिलाफ किया होता तो हम आपका सहर्ष साथ देते और कहते कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। किन्तु यह ऐसा कार्य है कि जिससे आपका प्रदेश, समाज और देश बर्बाद होने वाला है। उसकी तरफ क्या कभी आपका ध्यान गया ? उसके लिये कोई कानून बनाया, कोई प्रतिबन्ध लगाया ?

[श्री उदित नारायण]

कानून इस बात के लिये बनता है कि गांव का एक आदमी दूसरे आदमी के खिलाफ क्या करता है।

श्रीमन्, गांव में एक आदमी के खिलाफ दूसरा आदमी क्या करता है ? दरोगा अगर किसी को निकाल देना चाहे तब क्या स्थिति होगी। जो कम्युनल रायट्स होते हैं उससे वह रुकने वाले नहीं हैं। उसके लिये पहले से कानून बना हुआ है। उसके लिये आप चाहे कितना भी सख्त कानून बनाइये मैं उसमें आपका साथ दूंगा। आप देखेंगे कि गुन्डे शब्द की परिभाषा इसमें इतनी व्यापक है कि दूसरे अर्थ में दरोगा जो जिसे कह दें वह गुंडा है। इसका सही एनालिसिस किया जाय तो वह यह होगा कि जो अधिकार १६,१७ और २२ इंडयन पीनल कोड के हैं उनको अगर श्रीमन् देखेंगे तो पायेंगे कि कोई भी अपराधी नहीं भेजा गया। लेकिन इसमें दरोगा जी जिसे चाहेंगे बन्द कर देंगे यह चार्ज लगा कर कि तुम फलां को गाली देने वाले थे, ५०४/५०६ में अपराध करने वाले हो। अध्याय २२ में दिये हुए जो जुर्म थे आप देखें कि ३०२ को इसमें शामिल करते हैं। ३२३, ३५४ को इसमें शामिल करते हैं। कोई भी अपराध नहीं बचता जिसको आप इसमें शामिल नहीं करते। किसी ने गवाही नहीं दी, दरोगा जी ने उसके खिलाफ कार्यवाही कर दी, क्योंकि उनकी शान के खिलाफ बात उसने कर दी। किसके के साथ रफ होगा ? रफ अगेन्स्ट हूम ? में आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, बड़ी ईमानदारी से मैं यह समझता हूं कि इस तरह के कानून लोकतंत्र में जितने कम बने उपना ही अच्छा है। एक बड़ी बात यह की गयी है कि जो हमारा एविडेंस ऐक्ट है वह इसमें बलायताक रख दिया जायगा। मैं नहीं समझता कि आज तक कोई कानून ऐसा बनाया गया है। मैंने खुद इस किस्म के मुकदमे किये है। इसलिये गलती की संभावना नहीं है। पहले एक ऐक्ट था बड़े शहरों में पब्लिक आफेन्डर ऐक्ट और प्रिइंडिपेंडेंस के जो राजनीतिक कार्यकर्त्ता हैं वे जानते होंगे कि उसके तहत मुकदमे जज के यहां जाया करते थे। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कोई कार्यवाही की है तो इसमें आप उसकी अपील डिस्ट्रिक्ट जज के यहां रख देते लेकिन उसकी अपील भी कमीश्नर के यहां रख दी। यह मानी हुई बात है। आज तक के ज्ञान और अनुभव ने यह बतलाया है कि इंसान को न्याय नहीं मिलेगा अगर आप एविडेंस ऐक्ट को ठीक तरह से नहीं कार्यान्वित करेंगे .....

श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहराइच)—

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। अभी कहा गया कि आर० एस० एस०, नेक्सलाइट्स और मुस्लिम लीग पर प्रतिबन्ध लगाया जाय तो माननीय सदस्य उसका पूर्ण समर्थन करेंगे। तो क्या वे इन तीनों को एक ही कैटेगरी का मानते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

उनकी यह राय हो सकती है।

श्री उदित नारायण—

मेरा विचार तो श्रीमन् ऐसा ही है। मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह बात समझ में नहीं आती कि एविडेंस ऐक्ट की कुछ धारायें नहीं लगाई जायंगी। और इसके ऊपर विचार करते कि उनका लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए लेकिन सारे ऐक्ट को हम यह कह दें कि यह इसमें लागू नहीं होगा तो मैं आपसे बड़ी विनम्रता के साथ और आपके माध्यम से मुख्य मंत्री को यह निवेदन करना चाहता हूं कि न्याय का आधार एवीडेन्स ऐक्ट है और उस आधार को निकाल दिया जायेगा तो फिर लोगों को न्याय नहीं मिलेगा चाहे कितने ही ज्यादे मामले क्यों न हों और चाहे आप उसे कितना ही सूक्ष्म कर दें या उसको छोटा करदें इसमें कोई हर्ज नहीं है। ज्यादा अपील की गुंजाइश इसमें न रखें और न ज्यादा बहस की गुजाइस रखें। इससे जिसे हम चुगली कहा करते हैं उसके आधार पर सारे मुकदमे तय हो जायेंगे। तो इसलिये मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा ऐसा विश्वास है कि जैसे मैंने प्रारम्भ में आपसे निवेदन किया कि वास्तव

में हमारे यहां गुण्डे हैं और वास्तव में उनको हटाने की आवश्यकता है, वास्तव में लोग आतंकित हैं। किन्तु मेरा विश्वास है कि इस प्रकार का कानून बना करके हम उन गुण्डों को रोक नहीं सकते हैं लेकिन जो दूसरे लोग हैं, दूसरे अधिकारी हैं, गांव के कुछ ऐसे लोग हैं जो इन चीजों का दुरुपयोग किया करते हैं। वकीलों की इस पर ज्यादा गुंजाइश न हो..(व्यवधान)..वकीलों का जहां तक ताल्लुक है वह तो इसके ऊपर बहस कर देगा.....(व्यवधान).....मैंने आर० एस० एस० के खिलाफ कहा तभी राजा साहब ने कह दिया..... लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वकीलों के अगर निजी मामले हो जायं तो फिर वे वकील नहीं रहते, वे दूसरों के मामलों पर खेलते हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे इसके ऊपर इस दृष्टि से विचार कर लें।

(व्यवधान)

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

मुझे पहले भी मौका नहीं मिला जब पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पर चर्चा हो रही थी। अब मैं इस पर सिर्फ आधा घंटा बोलना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

श्री पांडेय जी व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं उन्हें बोलने दें।

श्री शिव कुमार पांडे (जिला सुल्तानपुर)—

मान्यवर, मैं काफी समय से देख रहा हूं कि डेढ़ घंटे का टाइम आपने माननीय जायसवाल जी को दिया। आज उस पर तीन आदमी बोले और सभी विरोध में बोलें। इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के लोग बोलना चाहते थे। आपने उनको ४५ मिनट से ज्यादा समय दिया। हम लोगों का समय काट कर आप दूसरे सदस्यों को बोलने का समय देते हैं। मैं मान्यवर, इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर बोलने के लिये कल से आज तक कोई समय नहीं बांधा गया था। अगर समय बांधा गया होता तो पांच-पांच दस-दस मिनट सभी बोल लेते। इस पर बहुत से लोग बोलने वाले हैं.....

श्री चरण सिंह—

समय कम है। ज्यादा लोग बोलना चाहते हैं। सब को समय नहीं मिल सकता लेकिन उसको रेग्युलेट तो किया ही जाना चाहिये। चूंकि समय कम है और बोलने वाले काफी हैं और सपोर्ट में बहुत कम लोग बोले हैं जब कि मुखालिफत में ज्यादा बोले हैं, यह कहां तक ठीक है। सपोर्ट में बोलने वालों को भी तो समय मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इस पर व्यवस्था देता हूं। अभी इधर के और उधर के दोनों ओर के लोग बोले। मैं यह नहीं देखता हूं कि कौन पक्ष में बोलेगा या कौन विपक्ष में बोलेगा, मैं तो यह देखता हूं कि सरकारी पक्ष का कौन है और विरोधी पक्ष का कौन है। उसके हिसाब से समय देता हूं। अब इसमें अगर सरकार ही तत्पर नहीं है, समय नहीं लेती है तो मैं क्या करूं? सरकारी पक्ष से जो लिस्ट मुझे दी गयी उन्हीं में से मैंने बुलाया। यह लिस्ट देख लीजिये। अब उनमें से ही लोग विरोध में बोल गये तो मैं क्या करूं? माननीय महीलाल जी सरकारी पक्ष के सचेतक

[श्री उपाध्यक्ष]

हैं। उनकी ओर से जो लिस्ट दी जाती है, उसी में से मैं बुलाता हूं। लेकिन इस लिस्ट में भी ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो इसका विरोध कर गये। मैं किसी पर कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं लेकिन यह कह रहा हूं कि जो सूची मुझे दी गयी है, उसी के अनुसार मैं बुलाता हूं, एक आध हेर फेर भले ही हो जाता हो। अब इस बीच में माननीय अधिष्ठाता भी बैठे हैं और माननीय अध्यक्ष भी बैठे हैं, उसमें माननीय जायसवाल जी को ज्यादा समय मिल गया। जायसवाल जी के भाषण में तीन पोठासीन अधिकारी रहे थे, हमारे सामने तो आज आये। इसलिये उसके बारे में तो मैं कुछ ज्यादा नहीं कह सकता। कल जब जायसवाल जी ने यह कहा कि कोई समय न बांटा जाय तो मैंने आपकी तरफ ताका, लेकिन किसी ने उसका विरोध नहीं किया।

श्री चरण सिंह—

अगर उस समय मैं हमने उसका विरोध नहीं किया तो आपको उसे रेग्युलेट तो करना ही चाहिये। यह तो नहीं होना चाहिये कि एक आदमी को आप घंटा भर दें दे और गवर्नमेंट को उसका जवाब देने के लिये आधा घंटा भी न मिले। क्या गवर्नमेंट को २५ मिनट भी नहीं मिलेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

मेरे सामने तो वह सवाल नहीं है।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

क्योंकि बोलने वाला ज्यादा है और माननीय मुख्य मंत्री जी भी चाहते हैं कि उनको अधिक समय मिले, इसलिये इस पर बहस के लिये दिनभर का समय दिया जाय।

श्री महीलाल—

डेढ़ दिन की बहस के उत्तर के लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी को आपके द्वारा आधा घंटा तो मिलना ही चाहिये। अब केवल २५ मिनट ही बाकी रह गये हैं। अगर ५ मिनट आप किसी और को दे देते हैं तो मुख्य मंत्रीजी के लिये २० मिनट ही रह जायेंगे। वैसे आपका अधिकार है। आप सूची से अलग लोगों को भी समय दे सकते हैं। आज आपने सूची के बाहर भी समय दिया है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी लिस्ट के बाहर केवल माननीय उदित नारायण शर्मा को दिया और कौन बोला है ?

(व्यवधान)

जो बातें सरकारी पक्ष की तरफ से उठायी गयी है, वे निराधार हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर वह चाहती थी कि समय बांटा जाय तो ५ या १० मिनट का उसको प्रस्ताव ले आना चाहिये था। मैं यह भी समझता हूं कि इस बिल पर ज्यादा सदस्य बोलना चाहते हैं लेकिन इस स्थिति में पोठासीन अधिकारी क्या करे ?

(व्यवधान)

एक-एक करके बोलिये।

श्री शिव कुमार—

अभी कुछ देर पहले जब आप पोठासीन हुये उससे पहले अध्यक्ष महोदय उठ कर जा रहे थे। लिफ्ट के पास वह मुझे मिले।

(व्यवधान)

माननीय, आपने एक सदस्य को डेढ़ घंटा और एक सदस्य को ४५ मिनट दिये। हमें ५ मिनट नहीं देते। इसके विरोध में मैं इस सदन का दस मिनट के लिये त्याग करता हूं।

(इसके पश्चात् श्री शिव कुमार सदन छोड़ कर जाने लगे)

श्री उपाध्यक्ष—

आप जाइये नहीं। मैं आपको आदेश देता हूं कि आप कृपा करके रुकें। जब आप कहते हैं कि मैंने एक सदस्य को डेढ़ घंटे का समय दिया, यह असत्य है।

श्री शिव कुमार—

मैं अकेले आपको नहीं कहता हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आपको बताना पड़ेगा कि किन सदस्य को मैंने डेढ़ घंटे का समय दिया।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

सब लोग कैसे व्यवस्था का प्रश्न उठायेंगे ?

(श्री शिव कुमार सदन के बाहर गये किन्तु तुरन्त ही वापस लौट आये।)

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मुख्य मंत्री जी ने आप पर यह आक्षेप किया कि आप बिल के विरोधियों को ज्यादा समय दे रहे हैं और आपने अभी स्पष्टीकरण दिया कि जो लिस्ट सत्तारूढ़ पक्ष से दी गयी है उस लिस्ट के अनुसार आप लोगों को बुला रहे हैं और बारी-बारी से दोनों पक्षों को समय दे रहे हैं। फिर यह अनुचित आक्षेप आप पर हुआ कि आप विरोध करने वालों को ज्यादा समय दे रहे हैं। यह आप पर आक्षेप है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर मैं अपनी व्यवस्था बाद में समझ कर दूंगा, अभी नहीं दूंगा।

श्री भारत सिंह चौहान—

जो लिस्ट सत्तारूढ़ दल की तरफ से दी गयी है उसमें आपने सिर्फ मुझे बोलने का मौका दिया है, दूसरे किसी को नहीं दिया है।

श्री उपाध्यक्ष—

दो ही तो बोले। आपका पहला नाम था तो आपको मौका दिया (कई सदस्यों द्वारा एक साथ व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयत्न करने पर)। एक-एक प्रश्न का समाधान कर दूं क्योंकि जो मैं प्रक्रिया अपनाता हूं उसके बारे में किसी को भ्रम नहीं होना चाहिये। खुले विभाग से जब मैं काम कर रहा हूं तो उसका निराकरण करने में कोई कठिनाई नहीं है। तो आपको समय दिया गया। स्वयं आपके दल के माननीय उदित नारायण शर्मा ने समय मांगा अलग से लिख कर। फिर माननीय बसन्तलाल शर्मा इधर से बोले। जब से मैं यहां आया तो माननीय भारतसिंह चौहान, माननीय बसन्तलाल शर्मा और माननीय उदित नारायण शर्मा, इन तीन का भाषण हुआ। अगर आपने कह दिया होता कि समय ५-५ मिनट या १०-१० मिनट कर दिया जाय.....(व्यवधान) किसी ने प्रस्ताव शायद किया था लेकिन फिर किसी ने, शायद जायसवाल जी ने कहा कि नहीं, समय न बांधा जाय।

श्री कृष्ण चन्द्र—

मान्यवर, मैंने कल निवेदन किया था कि यह महत्वपूर्ण विवाद है और इसमें आप समय निर्धारित कर दें। मेरा यह दुर्भाग्य था कि मेरी बात नहीं सुनी गई और उसका परिणाम यह हुआ मान्यवर, कि कुछ सदस्यों को समय मिला और कुछ को नहीं मिला बोलने का। तो यह अत्यन्त खेद की बात है।

अब दूसरा विधेयक आने वाला है। तो मान्यवर, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि यदि आज की सी स्थिति से बचाना है तो कृपा कर हर एक व्यक्ति के लिये समय अवश्य निर्धारित कर दें।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने कह दिया यह बात सही है, लेकिन जब आपने इसको कहा तो उस वक्त दो तीन सदस्य इधर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि समय न बांटा जाय। इधर सरकारी पक्ष से समर्थन नहीं हुआ। यह बात कल की थी। अगर किसी को कोई प्रश्न उठाना है या उठाता है तो उसका जवाब मिलना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि पीठासीन अधिकारी का कर्त्तव्य है कि आक्षेप से सदा परे रहें और निष्पक्ष रहें।

श्री राम बिलास पांडेय—

व्यवस्था का प्रश्न है, मान्यवर। कल जब माननीय जायसवाल जी बोल रहे थे तो एडवोकेट जनरल भी बैठे थे। वह ऐसे अच्छे सुझाव दे रहे थे जिनको माननीय मुख्य मंत्रीजी और एडवोकेट जनरल मुग्ध हो कर सुन रहे थे। आज मान्यवर जो आपने समय दिया उसमें दो बी० के० डी० के सदस्य, एक तो माननीय उदित नारायण शर्मा और एक दूसरे सदस्य बोले और इधर से कांग्रेस संगठन के एक सदस्य को बोलने का मौका मिला। मैं नहीं समझता कौन सा हमें ज्यादा समय दे दिया। यह बड़ा अहम विषय है, इसलिये प्रार्थना करूंगा कि बोलने के लिये हमें समय मिलना चाहिये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

मान्यवर, क्या यह उचित नहीं होगा कि इसमें दो घंटे का समय आज का कार्य समाप्त करने के बाद बढ़ा दिया जाय क्योंकि बहुत से सदस्यगण बोलने के इच्छुक हैं? यदि यह सदन सहमत हो जाय तो आज का कार्य समाप्त करने के बाद दो घंटे का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे—

आचार्य जी ने जो सुझाव दिया है मैं समझता हूं बहुत अच्छा सुझाव है। इसलिये श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस प्रस्ताव को मान लें तो अच्छा होगा।

श्री महीलाल—

मुझे खेद है कि मैं माननीय आचार्य जी और दुबे जी के प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं। यह विधेयक संयुक्त प्रवर समिति को जा रहा है। प्रवर समिति जितने माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किये हैं उनपर विचार करेगी। दूसरी बात यह है कि सदन यह प्रस्ताव पास कर चुका है कि ढाई बजे मतदान होगा, इसलिये मतदान ढाई बजे हो जाना चाहिये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से प्रस्ताव रखता हूं कि ढाई बजे से वोटिंग न करा के इसपर ७ बजे वोटिंग करा ली जाय और दो घंटे का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री महीलाल—

मैं निवेदन कर दूं कि इसे यहां से पास होने के बाद अभी विधान परिषद् जाना है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

जिन माननीय सदस्यों ने इसमें अभी हिस्सा नहीं लिया है उनके विचार प्रवर समिति के समक्ष कैसे जायेंगे ? इसलिये मैं फिर माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इससे सहमत हो जायं कि दो घंटे का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री चरण सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, जब यह बिल पेश किया गया था तो उस वक्त माननीय मित्रों ने इसपर विचार विनिमय करने के लिये दो दिन का समय चाहा था। हम चाहते थे कि उसी वक्त दो, दो घंटे वक्त बढ़ा कर शीघ्र इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय लेकिन माननीय दोस्तों ने उस बात को मंजूर नहीं किया। फिर उन्हीं की रजामन्दी से एक दिन तय हुआ कि २४ तारीख को हो जाय उन्हीं की रजामन्दी से तय हुआ लेकिन फिर उन्होंने कहा कि डेढ़ दिन हो जाय और अब डेढ़ दिन हो गये तो वह कहते हैं कि दो घंटे और कर दिया जाय। एक ही प्वाइंट है तो चाहे दो दिन करालें चाहे दो हफ्ते करालें कोई नया प्वाइंट आने वाला नहीं है। यह बिल कोई असाधारण बिल नहीं है। दूसरी स्टेट्स में यह मौजूद है। तो इससे कोई नई स्थिति पैदा होने वाली नहीं है। तीसरी बात, यह संयुक्त प्रवर समिति के सामने जा रहा है और यह कंसिडरेशन के लिए नहीं है। तो मैं माननीय लक्ष्मी रमण आचार्य जी के प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस पर ढाई बजे वोट करवा लें।

श्री मैनेजर सिंह—

श्रीमन्, इस प्रवर समिति में १६ सदस्यों में से ४ सदस्य तो बस्ती के हैं और ५ सदस्य ऐसे हैं जो इस सरकार के खिलाफ हैं और दिल्ली गये हुए थे इन्दिरा जी के पास।

(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि बिरोधी पक्ष के कहने से ही एक दिन तय हुआ था, ऐसी बात सही नहीं है। आप भी उपाध्यक्ष महोदय बिजिनेस ऐडवाइजरी कमेटी में शरीक थे। तय यह हुआ था कि एक दिन के समय में यह देखेंगे कि अगर ज्यादा बोलने वाले हैं तो अगला दिन भी तय कर देंगे। आप भी देखेंगे कि बराबर दो दिन की मांग होती रही है और अध्यक्ष महोदय ने इस आश्वासन के साथ घोषणा की थी कि एक दिन रखेंगे और बोलने वाले ज्यादा हुए तो दूसरा दिन भी देंगे। फिर मुख्य मंत्री जी भी कहते हैं कि महत्वपूर्ण विधेयक है। उपाध्यक्ष महोदय, आप माननीय सदस्यों की भावना भी देख रहे हैं। तो इस सदन की भावनाओं को देखते हुए मैं पुनः मुख्य मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि अगला विधेयक वह शाम तक पास कर देंगे लेकिन लोगों की भावना इस विधेयक पर है। अभी माननीय मही लाल जी ने कहा कि सदन के निर्णय बदले नहीं जाते। दो जुलाई तक का प्रोग्राम बदलकर अभी सुबह माननीय मही लाल जी ने बतलाया। तो जो यह कहा कि सदन का निर्णय नहीं बदला जाता वैसी बात नहीं है। मान्यवर, अब हम प्रार्थना कर रहे हैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से और माननीय मही लाल जी से और सबसे कि सदन के अधिकांश लोगों को बोलने की इच्छा है। वह क्या सुझाव देंगे यह बिना बोले मुख्य मंत्री को कैसे मालूम होगा ? हर एक के पास एक-एक सुझाव होगा।

[श्री रामचन्द्र विकल]

सेलेक्ट कमेटी विधायकों के विचार सुनने के बाद बनाई जाती है लेकिन इसकी सेलेक्ट कमेटी बिना विधायकों को सुने बनादी गई है जो गलत है। मैं कल से देख रहा हूं कि इस सेलेक्ट कमेटी के शायद एकाध मेम्बर कोई यहां बैठे हों। जो सेलेक्ट कमेटी में नहीं हैं उनको आप बोलने नहीं दे रहे हैं। सेलेक्ट कमेटी यह देखकर बनती है कि कौन सदस्य कैसे विचार रखते हैं लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ। तो मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप इस पर शाम तक विवाद करादें और कल रेन्ट कन्ट्रोल वाले विधेयक को लोग पास करा देंगे। इस तरह से दोनों विधेयक दो दिन के अन्दर पास हो जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---

समय के बंटवारे में परिवर्तन से सम्बन्धित जो नियम २२८ है उसे मैं बढ़ता हूं, "सदन द्वारा विनिश्चित समय सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा जब तक कि सदन नेता द्वारा प्रार्थना न की जाय और उस दशा में वह मौखिक रूप से सदन को अधिसूचित करेंगे कि ऐसे परिवर्तन के लिये सामान्य सहमति है और अध्यक्ष सदन का अभिप्राय जाकर उस परिवर्तन को प्रवर्तित करेंगे।" जब आपने एक फैसला कर लिया कि ढाई बजे मतदान हो तो फिर इसमें परिवर्तन बिना मुख्य मंत्री की सहमति के नहीं हो सकता।

श्री रामचन्द्र विकल---

नेता सदन से ही प्रार्थना कर रहे हैं।

श्री मैनेजर सिंह---

नेता सदन सदन के ऊपर नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

इसमें ऊपर नीचे का सवाल नहीं है। नियम के अन्तर्गत सभी हैं---नेता सदन, सदन और अध्यक्ष।

श्री मैनेजर सिंह---

सदन में सब अधिकार निहित हैं। सदन में एक प्रस्ताव आया है। उस पर आप मत ले लें। अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो मान लें। या फिर बहुमत से वह गिर जायगा।

श्री महीलाल---

माननीय रामचन्द्र विकल बड़े सीनियर मेम्बर हैं और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। लेकिन वे कभी ऐसी बात कहते हैं जिसका कोई प्रमाण न हो तो बड़ा खेद होता है। मैंने यह नहीं कहा कि सदन अपने निर्णय को बदल नहीं सकता। मैंने यह कहा कि सदन एक प्रस्ताव पास कर चुका है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि जो प्रस्ताव पास हो चुका है उसी पर हम कार्यवाही करें। दूसरी बात माननीय विकल जी ने यह कही कि सदन की भावना यह है कि इस पर और विचार हो। मान्यवर, सदन का अर्थ केवल विरोधी दल से है तो मैं यह कहूंगा कि विकल जी का यह विचार केवल उन्हीं तक सीमित रहे तो अच्छा है। बहुमत चाहता नहीं। जहां तक एक दिन की बात है तो माननीय अध्यक्ष जी के सुपुर्द यह फैसला किया गया था कि वह निर्णय लें। उन्होंने एक दिन का निर्णय लिया था। आप स्वयं साक्षी हैं कि कार्य मंत्रणा समिति ने ज्यादा मांग की तो हम ने सहर्ष आधा दिन स्वीकार कर लिया। अब और समय न बढ़ा कर मैं मतदान की कार्यवाही के लिये निवेदन करता हूं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

श्रीमन्, समय की बहुत कोताही हो रही है और २२८ की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। श्रीमन् का ध्यान ११० की ओर आकर्षित करता हूं। ११० के ८ और ९ में

निलम्बन करके सदन का समय बढ़ाया जा सकता है। मैं निलम्बन का प्रस्ताव श्रीमन् के सामने रख सकता हूं। नियम ११० के ६ में और उसके लिए किसी सूचना की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन श्रीमन्, मैं यह करना नहीं चाहता हालांकि मैं ८ और ६ की सहायता ले सकता हूं। नियमों के जंजाल के अन्दर.....

श्री उपाध्यक्ष—

२११ में निलम्बन के सम्बन्ध में है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैं यह कह रहा था कि सदन अगर ऐसा चाहे तो कर सकता है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इसमें बहुत अधिक प्वाइंट्स नहीं हैं। आपके सेक्रेटरी साहब यह बताएंगे कि आज मैंने तो सुबह इच्छा प्रकट की थी कि मैं इस पर बोलूं। यद्यपि यह हमारे द्वारा ही बनाया हुआ है, उसी शासन काल का है, लेकिन इसमें बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता पड़ गयी। मुख्य मंत्री जी ने कल कह दिया कि नक्सलाइट्स पर नहीं लागू होगा। उसकी भी चर्चा करना चाहता हूं क्योंकि अगर हिंसक पर लागू नहीं होगा तो किस पर होगा? खैर, मुख्य मंत्री जी आज उसके बाहर नहीं जा सकते है जो उनके साथी है। तो उसके सम्बन्ध में दूसरे ढंग से चर्चा करनी पड़ेगी। श्रीमन्, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक है इसलिये मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा कर इसका समय दो घंटे बढ़ाने की अनुमति दे दें।

श्री मही लाल—

आचार्य जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रस्ताव नहीं है। वह मुख्य मंत्री जी से अपील कर रहे हैं।

श्री मैनेजर सिंह—

श्रीमन्, आपने जो नियम का हवाला दिया, मैं यह कहना चाहता हूं कि आपका कार्यालय चाहे तो सब कुछ हो सकता है। इस सदन में एक प्रस्ताव पास हुआ....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

यहां प्रश्न यह है कि अगर यह तय हुआ है कि.....

श्री मैनेजर सिंह—

आपका सचिवालय चाहे तो....

श्री उपाध्यक्ष—

यह सचिवालय का मामला नहीं है। आप असंगत बात कर रहे हैं....

श्री मैनेजर सिंह—

सदन के प्रस्ताव को काट कर बदल दिया गया और.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अभी सदन के समक्ष सदन का फैसला है कि ढाई बजे मतदान होगा।

श्री मैनेजर सिंह—

ढाई बजे का समय तो निकल गया श्रीमन् ।

श्री चरण सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि ढाई बज रहा है । जो प्रस्ताव हाउस का था उसके मुताबिक मतदान का समय है । जहां तक समय बढ़ाने की बात है, मैं पहले ही अपनी राय दे चुका हूं और उसी पर कायम हूं । ढाई बजे आप वोट ले लीजिये ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

तो श्रीमन्, हम इसके विरोध में वाक–आउट करते हैं ।

(श्री लक्ष्मीरमण आचार्य अपने दल के सदस्यों के साथ सदन के बाहर चले गए ।)

(सदन में काफी शोर होने लगा ।)

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

इस जुल्म और अत्याचार के विरोध में हम सदन का त्याग करते हैं ।

(माननीय सदस्य सदन के बाहर चले गए ।)

श्री रियासत हुसैन—

इस काले कानून के विरोध में हम भी वाकआउट करते हैं ।

(अपने दल के सदस्यों के साथ सदन के बाहर चले गए ।)

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

श्रीमन्, मुख्य मंत्री जी ने नक्सलाइट्स के बारे में कल कहा कि यह कानून लागू नहीं होगा । यह नयी बात है । इस पर बहस होनी चाहिए थी । इस पर बहस नहीं करायी गयी, यह अनुचित है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश.....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, इस विधेयक पर अच्छी तरह बहस करने का मौका नहीं मिला और दूसरे नक्सलाइट्स के बारे में मुख्यमंत्री जी ने कुछ स्टेटमेंट दे दिया, उस पर भी बहस का मौका नहीं मिला । इसलिए हम वाक–आउट करते हैं ।

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन के बाहर चले गए ।)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, सुबह कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई थी । उस बैठक में भी यह बात आयी कि बोलने वाले अधिक हैं इसलिए समय बढ़ा दिया जाय । मुख्य मंत्री जी बेकार खफा हो रहे हैं । आपको मालूम होना चाहिए कि आपके दल के लोगों ने भी चाहा है कि बहस बढ़ा दी जाय, यहां सभी लोग आपसे निवेदन कर रहे हैं । इसके लिये मुख्य मंत्री जी तैयार नहीं हैं । तो इस व्यवहार के विरोध में हम सभी लोग अपने दल के साथ सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री अनन्तराम जायसवाल के साथ उसके दल के सभी सदस्य बाहर चले गये ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत इस प्रस्ताव से सहमत है कि " उत्तर प्रदेश गुंडाविरोधी विधेयक, १९७० को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन १५ दिन के भीतर दे" ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री चरण सिंह—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १३५(३)के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश गुंडा विरोधी विधेयक, १९७० की संयुक्त प्रवर समिति के लिये निम्नलिखित १६ सदस्यों को सदन निर्वाचित करता है जिनके नाम इस प्रकार है :—

(१) श्री स्वामी प्रसाद सिंह
(२) श्री काजी जलील अब्बासी
(३) श्री सोहनलाल धुसिया
(४) श्री माखन लाल
(५) श्री राजबिहारी सिंह
(६) श्री मदन मोहन मिश्रा
(७) श्री शेर अली खां
(८) श्री सच्चिदानन्द
(९) श्री मोहम्मद असरार अहमद
(१०) श्री कल्पनाथ सिंह
(११) श्री अभिमन्यु पांडेय
(१२) श्री मोती लाल यादव
(१३) श्री जयराम यादव
(१४) श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी
(१५) श्री हिम्मत सिंह, तथा
(१६) श्री शमीम आलम ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैं यह जानना चाहता हूं कि सदन में यह निश्चय हुआ था कि २।। बजे के अन्तर्गत इस पर वोटिंग हो जाना चाहिये । २।। बजने के बाद एक मिनट भी अधिक नहीं होना चाहिये । एक घड़ी आपके पीछे है और एक घड़ी आगे है । आप समय देख लीजिये । जब तक सदन ने अपने निश्चय को बदला नहीं है तो इस प्रस्ताव पर समय के बाद वोट नहीं हो सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर वोट हो गया है । वह प्रस्ताव समय के पूर्व ही पास हो गया है ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

यह प्रस्ताव मुख्य मंत्री जी ने रखा है वह पास नहीं हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह दूसरा आइटम है ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

२।। बजे का समय उसके लिये निर्धारित था । उसके अन्दर ही सदन में प्रस्ताव पास होना चाहिये । वही मेन प्रस्ताव है । यह कहां लिखा है कि पहले वह आयेगा और बाद को यह प्रस्ताव आयेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह प्रिक्रया २।। बजे के पहले ही शुरू हो गई थी ।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा (जिला अली गढ़)—

जो माननीय सदस्य सदन से बाहरचले गये हैं क्या वह फिर आकर कोई व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने वाक आउट नहीं किया है। अगर कोई सदन छोड़कर चला जाता है तो वह फिर सदन में आकर बोल सकता है।

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

प्रस्ताव के विषय में प्रक्रिया तो २।। बजे के पहले चालू हो गई थी।

श्री उपाध्यक्ष—

कल्पनाथ सिंह जी ने जो प्रश्न उठाया है उसके विषय में सदन ने यह निश्चय किया था कि उत्तर प्रदेश गुंडा विरोधी विधेयक, १९७० को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश विधान परिषद्, द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव से विधान सभा द्वारा सहमति प्रकट किये जाने के प्रस्ताव पर २४ जून, ७० को सांयकाल ५ बजे तक व २५ जून को अपराह्न के २।। बजे तक डेढ़ दिन विचार होगा।

श्री कल्पनाथ सिंह—

तो यह तो २।। बजे तक था। यह जो प्रस्ताव पेश हुआ है, उसी का एक अंग है, उससे भिन्न नहीं है। मेरी बात को आप सुन लें। हमारा कहना यह है कि आपके सामने प्रस्ताव के अनुसार दो विधेयक है। इस विधेयक के लिये एक प्रस्ताव आया है।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें है कि २५ जून, १९७० को अपराह्न ढाई बजे तक—डेढ़ दिन विचार होगा। ढाई बजे के बाद इस पर वोट लिया गया है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

विचार करने में ये सारी चीजें शामिल हैं। यह उसमें नहीं लिखा गया है कि उसके बाद इस प्रस्ताव पर विचार होगा। यह मद नं० ८ से सम्बन्धित है और किसी मद से इसको सम्बन्धित करने का कोई सवाल नहीं है।

(व्यवधान)

श्री शिवकुमार—

मान्यवर, आपकी व्यवस्था के बाद इस पर बहस नहीं होनी चाहिये।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, ये उपदेशक महोदय जो आपको उपदेश कर रहे हैं, यह कौन सी व्यवस्था है?

श्री कल्पनाथ सिंह—

कुछ कहने से पहले उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुन लें। मद नं० ७ और ८ जो विधेयक से सम्बन्धित है, उस प्रस्ताव से सम्बन्धित नहीं है। उस प्रस्ताव पर विचार करने के लिये ढाई बजे तक का समय निश्चित था। जो प्रक्रिया नियमावली है, उसके अनुसार इस सदन के प्रस्ताव में कहीं नहीं लिखा है कि इस प्रस्ताव पर अलग से विचार होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि मान लीजिये, इसके ऊपर विचार ढाई बजे के अन्दर शुरू हो गया और वह सिलसिला चल रहा है तो समय का बिन्दु क्या होगा? ढाई बजे का मतलब क्या हुआ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

२ बज कर ३० मिनट के अन्तर्गत ।

श्री चरण सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे माननीय मित्र और आप बात कर रहे हैं और मेरे माननीय मित्र खड़े होकर जवाब दे रहे हैं। अगर इस तरह से आरगुमेंट और डिबेट हो तो मैं अपनी राय जाहिर करता हूं कि यह मुनासिब नहीं है। ढाई बजे के अन्दर की बात करना बिलकुल इर्रेलिवेंट है। फर्ज कोजिये २ बजकर ३१ मिनट हो गया या ३५ मिनट हो गया तो यह किस कानून, कांस्टीट्यूशन या ला में कहा गया है कि ढाई बजे के बदले २ बज कर ३५ मिनट पर कोई चीज हो गयी तो उसे नहीं कर सकते। एक रेखा खींच दी गयी डेढ़ दिन की, तो अगर २ बज कर ३५ मिनट भी हो गया तो मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें कौन सी चीज बाधक है, यदि आप २ बज कर ३५ मिनट पर ही इसकी वोटिंग करा लें। और जब आपकी रूलिंग हो गयी तो मेरी गुजारिश है कि फिर उस पर बहस के लिये कोई सवाल नहीं उठता। मान लीजिये, मैं आपसे बहस करने लगूं तो यह मुनासिब नहीं है और बराबर यही होता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर किसी के मन में भ्रम है तो उसको दूर कर देना चाहिये। मैं नियमित ढंग से काम करता हूं। वोटिंग का एक हिस्सा हुआ। मान लीजिये, उसमें ७–१० मिनट लगा, या मान लीजिये, डेढ़, दो या तीन घंटा लगा, लेकिन एक मर्तबा आरम्भ कर दिया तब तो उसे पूरा करना पड़ेगा। समय का बिन्दु देखा जायेगा कि वह ठीक हो रहा है। मैं माननीय सदस्य को बतला दूं कि हर चीज तर्क की हो, बहस की हो, लेकिन वह अल्पमत को बहुमत में नहीं बदल देता। जो बहुमत है वह बहुमत रहेगा। लोकतंत्र में बहुमत का फैसला ही मान्य होता है और अल्पमत को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आजादी होती है। मान लीजिये आपकी कार्यमंत्रणा समिति ने सर्व सम्मति से कोई निर्णय नहीं लिया होता और एकतरफा मामला होता तो मैं सोच विचार करता कि आपको समय ज्यादा मिलना चाहिये। एक बार आप सहमत हो जाते हैं और सदन का फैसला हो जाता है और उस फैसले के अनुसार प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो फिर इस तरह का प्रश्न पैदा नहीं होता। इसलिये अब आगे की कार्यवाही चलेगी।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय (जिला इलाहाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, आप ने परसों ही अपनी एक रूलिंग दी है चिकित्सा विभाग के अनुदानों की कटौती के सम्बन्ध में और आपने कार्य को समाप्त कर के पौने ४ बजे अपनी वोटिंग करा दी थी और आप ने कटमोशन प्रस्तुत करने का समय नहीं दिया और आप ने कह दिया था कि चूंकि समय हो गया है इसलिये अब वोटिंग कराई जाती है.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप अब बैठें ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली के नियम १३५(३) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश गुंडा विरोधी विधेयक, १९७० को संयुक्त प्रवर समिति के लिये निम्नलिखित १६ सदस्यों को सदन निर्वाचित करता है :—

सर्वश्री स्वामी प्रसाद सिंह, काजी जलील अब्बासी, सोहन लाल धुसिया, माखन लाल, राज बिहारी सिंह, मदन मोहन मिश्रा, शेर अली खां, सच्चिदानन्द, मोहम्मद असरार अहमद, कल्पनाथ सिंह, अभिमन्यु पांडेय, मोतीलाल यादव, जयराम यादव, माधव प्रसाद त्रिपाठी, हिम्मत सिंह, शमीम आलम ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, १९७०

खाद्य मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

उपाध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, १९७० को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जो अपना प्रतिवेदन विधान सभा के आगामी अधिवेशन के प्रथम उपवेशन में प्रस्तुत करे ।

उपायक्ष महोदय, यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और जब में इसको महत्वपूर्ण कहता हूं तो इस के पीछे इसका एक इतिहास है। सन् १९३९ में जब दूसरा विश्व महायुद्ध चल रहा था उस समय यह अनुभव हुआ कि इस प्रदेश में भवनों का अभाव है। उस वक्त डिफेंस आफ इंडिया रूल्स के तहत में भवनों के नियंत्रण और बंटन का कार्य आरम्भ हुआ। युद्ध के बाद यह आशा की जाती थी कि उसके समाप्त होने पर भवनों की जो समस्या है वह समाप्त हो जायगी। जैसे ही महायुद्ध समाप्त हुआ यह समस्या उस के बाद भी बनी रही, प्रदेश की जनसंख्या बढ़ती रही और आवासों की समस्या भी उसके साथ जटिल होती गई। सन् १९४० में एक अध्यादेश जारी कर के उत्तर प्रदेश टेम्पोरेरी रेन्ट कंट्रोल एन्ड इविक्शन ऐक्ट बनाया गया और उसके द्वारा जब से अब तक बराबर भवनों का नियंत्रण और आबंटन होता रहा। लेकिन समय-समय पर जाग्रत जन भावना और जाग्रत पब्लिक ने बराबर इस बात की मांग की है कि भवनों की कमी का कोई स्थायी हल होना चाहिये और समाचार-पत्रों ने भी इस पर टीका की है। हमारे प्रदेश के न्यायालयों में भी इस सम्बन्ध में चर्चायें हुयी हैं। उन्होंने रूलिंग दी है। इसलिये सरकार ने समय-समय पर विधान सभा के मेम्बरों को सदन में आश्वासन दिया था कि सरकार अपनी ओर से एक काम्प्रिहैन्सिव बिल यहां प्रस्तुत करेगी। इसीलिये यह बिल यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है। इसकी जो मुख्य-मुख्य चीजें हैं उनको मैं माननीय सदन के सम्मानित सदस्यों के सम्मुख प्रस्तुत कर देना चाहता हूं।

इस विधेयक में सबसे बड़ी बात जो रखी गयी है वह यह है कि जो जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रहीं है उसको आवासीय व्यवस्था मिले। इस प्रदेश में भवनों की कमी चल रही है वह नियंत्रित ढंग से यहां के रहने वालों को मिलते रहें उसकी व्यवस्था इस विधेयक द्वारा की गयी है। यह तो माननीय सदस्य जानते ही हैं कि जन संख्या के लिए आवासीय समस्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है और उसका हल आसान नहीं है। हमने अपने प्रदेश के ५१ जिलों के जिला हेडक्वार्टर्स के जो शहर हैं, उनका एक सर्वे कराया है। मालूम हुआ कि सन् १९५१ में २ लाख ८१ हजार ८६० मकानों की कमी थी। सन् १९६१ में सेन्सस से मालूम हुआ कि यह और बढ़ गयी। इस तरह से यह बढ़कर ३ लाख २९ हजार, २६८ हो गयी। इतने मकानों की कमी है। इसलिए इस महत्वपूर्ण विधेयक को यहां पर लाने की आवश्यकता पड़ी।

इस विधेयक के जरिये से हम चाहते हैं कि कोई स्थायी रूप से काम चलता रहे। जैसा मैंने आप से निवेदन किया, पहला जो अधिनियम है उसकी आलोचना, प्रत्यालोचना जनता में और विधान मंडल में बराबर होती रही हैं। तो इसलिए यह स्थायी अधिनियम और एक काम्प्रिहैन्सिव बिल इस सदन में प्रस्तुत कर रहा हूं।

सब से बड़ी बात यह है कि १९५१ से १९६१ तक जो नये भवन बने हैं, इस अधिनियम के लागू होते हुए इसकी परिधि में आ जायेंगे और इस तरह से हर १० साल के बाद मकान बनेंगे, वे इस विधेयक की परिधि में आ जायेंगे। इसमें ऐसा भी प्राविधान किया गया है कि कुछ ऐसे मकान हो सकते हैं जिनको सरकार अपने अधिकार से समय समय पर इस की परिधि

से अलग भी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर फिर परिधि में शामिल कर सकते हैं, विशेष नोटिफिकेशन के जरिये से। ऐसे मकानों के बारे में यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि मसलन हमारे शहरी क्षेत्र में ५ रुपये के किराये के मकान हैं। ५ रुपये के किराये के मकान में समाज के गरीब व्यक्ति रहते हैं। अगर आर्बटन की व्यवस्था रहे तो उन्हें एलोट कराने के लिये जगह-जगह दौड़ाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में उसकी दशा दयनीय हो जायगी और उसको आर्थिक नुक्सान भी उठाना पड़ेगा। इसलिए सरकार ने इस अधिकार को अपने हाथ में रखा है। इस प्रकार की व्यवस्था हमारे दूसरे प्रदेशों में कम है। जैसे मैसूर, केराला है, आन्ध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और मद्रास प्रदेश है। इन प्रदेशों में भी कुछ निश्चित किराये के मकानों को रेंट कन्ट्रोल एंड एविक्शन ऐक्ट की परिधि से मुक्त कर दिया गया है। पर यहां पर हमने अपने प्रदेश में उस अधिकार को अपने पास सुरक्षित रक्खा है ताकि अवसर आने पर सरकार भी खास श्रेणी के मकानों की इनकी परिधि से बाहर निकाल सके और ये इस परिधि में उन मकानों को ले सके। यह एक ऐसा कार्य है जो जनसाधारण के लिये, जो आवासीय समस्या में पड़े हुए हैं जिनको मकानों की कमी है उनके लिये इससे बड़ी राहत मिलेगी।

दूसरी बात मैं आपके सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो वर्तमान अधिनियम है उस अधिनियम में केन्द्रीय सरकार के जो भवन हैं और राज्य सरकार के जो भवन हैं और राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार द्वारा जो अधिकृत भवन हैं वे इसकी परिधि से बाहर हैं। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय सहकारी समितियां, परिगणित निकायों और नोटिफाइड एरियाज आदि भी इसकी परिधि से छोड़ दिये गये हैं। जो धार्मिक और रिलीजियस एन्डाउमेन्ट बन गये थे वे इसलिये बनाये गये थे कि गरीब लोगों को उनमें आश्रय मिलेगा लेकिन यह देखा गया है कि उससे भी लाभ उठाने की प्रवृत्ति लोगों में आ गई है। इसलिये सरकार ने इस अधिकार को भी अपने पास रक्खा कि जब कभी आवश्यकता पड़ेगी तो सरकार समय-समय पर एक नोटिफिकेशन के जरिये से उनको परिधि से मुक्त कर सकती है और जब कभी सरकार को यह पता लगे कि ये व्यवसाय की दृष्टि से काम कर रहे हैं तो उन को फिर परिधि के अन्दर ला सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर ही में भवन बन सकते हैं और उसके लिये कुछ सुविधायें जो भवन निर्माण करने वाले हैं उनको भी मिलनी आवश्यक है। प्राईवेट सेक्टर के जरिये से ही मकानों का विस्तार हो सकता है और जो आवासीय समस्या हैं उनका हल हो सकता है। पब्लिक सेक्टर के जरिये से यह समस्या हल नहीं हो सकती। सरकार के सीमित साधन हैं। सीमित साधनों में सरकार अगर चाहे भी कि जनता की सुख सुविधा के लिये भवनों का निर्माण किया जाय तो इसकी बड़ी तादाद में भवन निर्माण के लिये सरकार के पास साधन नहीं हैं। इसलिये आवश्यक है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, जो किसी भवन निर्माण करने वाले लोग हैं, जिन को इस दिशा में कुछ रुचि है उनको भी अवसर दिया जाय जिससे कि भवन निर्माण की दिशा में आगे प्रगति हो सके। जो वर्तमान नियन्त्रित भवन हैं उनके बारे में इस नये विधेयक में इस बात की व्यवस्था की गई है कि जब से यह अधिनियम लागू होगा उस तारीख से २५ प्रतिशत उन पुराने मकानों का किराया बढ़ा दिया जायेगा। इसमें एक प्राविधान यह भी किया गया है कि मकान की मरम्मत और उसकी पुताई आदि पर जो खर्च होगा, उसको भी एक प्रतिशत किराये के अतिरिक्त मकान मालिक को देने का प्राविधान किया गया है। प्रस्तावित अधिनियम में अलाटमेन्ट और रिवीजन के सम्बन्ध में इस का प्राविधान किया गया है। अलाटमेन्ट के खिलाफ किसी को अगर कोई रिवीजन करना होगा तो वह कमिश्नर के पास रिवीजन करेगा और वहां इसका अन्तिम फैसला होगा। किसी टिनेंट को बेदखल करने के लिये यह प्राविधान किया गया है कि उस पर जिलाधीश का निर्णय होगा और उसके बाद अगर उस की अपील की गुंजाइश होगी तो जिला जज उसका फैसला करेगा।

[श्री बलदेव सिंह आर्य]

अब तक रिवीजन की व्यवस्था प्रदेश की सरकार में निहित थी, सरकार को रिवीजन करना पड़ता था, अब उस अधिकार को जिला जज और मंडल के आयुक्तों को दे दिया गया है ताकि लिटिगेशन समाप्त हो जाय और लोगों को इधर उधर न दौड़ना पड़े। यह एक महत्वपूर्ण प्राविधान इस विधेयक में किया गया है।

एक चीज इसमें यह की गयी है कि मकान मालिक अगर मकान की मरम्मत नहीं कराता तो किरायेदार उसके लिये एक दरख्वास्त जिलाधीश को दे सकता है और जिलाधीश की आज्ञा से किरायेदार स्वयं मकान की मरम्मत या पुताई आदि करा सकता है और इस प्रकार दो माह तक के किराये को व्यय करने का उस को अधिकार दिया गया है। वह उस को किराये में काट सकेगा।

अध्यक्ष महोदय, यह कुछ मोटी-मोटी बातें इस विधेयक के संबंध में मैंने सदन के समक्ष रखी हैं। मुझे आशा है माननीय सदस्य इस विधेयक पर विचार करेंगे और इस पर अपने महत्वपूर्ण सुझाव देंगे। उन सुझावों पर संयुक्त प्रवर समिति में विचार किया जायेगा। जो भी सुझाव माननीय सदस्य देंगे, मुझे विश्वास है उनके द्वारा इस विधेयक में और सुधार किया जा सकेगा।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

मान्यवर, मैं आप की आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, १९७० को जनमत संग्रह हेतु ३ मास के लिये घुमाया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसके उद्देश्य और कारणों से मैं पूर्णतः सहमत हूं। मैं उनको इस बात के लिये बधाई देता हूं कि जिस विधेयक की मांग बहुत समय पहले से की जाती रही है और जिसकी बहुत पहले से आवश्यकता थी, उसको आज माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक को लाकर पूरा किया है। सभी माननीय सदस्य इससे परिचित होंगे कि हमारे यहां इससे पहले एक सन् १९४७ का यू० पी० टेम्पोरेरी रेन्ट कन्ट्रोल एन्ड इविक्शन ऐक्ट था। शहरों की आबादी बढ़ रही थी और मकानों की कमी होती जा रही थी। उसी के लिये वह कानून बनाया गया था।

मान्यवर, यह जो विधेयक लाया गया है इसमें यह व्यवस्था है कि आज जो मकान बनेगा वह आगे चल कर १० वर्ष बाद इस कानून की तहत में आ जायेगा। लेकिन इसमें यह तय किया गया है कि मकान किराया पहली जनवरी, १९५१ को जो होगा वह रहेगा।

१९५१ और १८७० में २० वर्ष का अन्तर है। उससे मैं यह तात्पर्य नहीं निकाल पाया कि १० वर्ष पश्चात् धीरे-धीरे हरएक मकान इसमें ले लिया जाया करेगा उसमें यह कहां तक सहायक होगा।

दूसरी बात यह है कि हम कोई ऐसा विधेयक यहां लाते जिससे इसके उद्देश्यों की पूर्ति होती। आज आवश्यकता अधिक से अधिक मकानों के बनने की है लेकिन साथ ही इस बात की भी आवश्यकता है कि जो किरायेदार हैं उनकी भी रक्षा की जा सके। इस विधेयक में किरायेदार के अधिकारों पर अतिक्रमण किया गया है और मकान मालिक को इस बात की सुविधा दी गयी है खंड ५, ६ तथा ७ के अन्तर्गत कि वे अपने किराये में बढ़ोत्तरी कर सकते हैं। आगे चल कर खंड ९ में मानक किराये को तय करने के कौन से आधार होंगे? सब से बड़ा प्रचलित आधार जो है इस समय वह गृह कर है। उसका जिक्र इसमें नहीं किया गया है। पंचसाला एसेसमेंट जो होता है वह मकानों की कीमत व दूसरी चीजों को एसेस करने में बहुत सहायक होता है। इस विधेयक में यह भी व्यवस्था की गयी है जो फर्म, धर्मादा अथवा कम्पनियों के द्वारा मकान बनाये जायंगे उनके ऊपर यह कानून लागू नहीं होगा। मैं उदाहरण के लिये मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कानपुर में कमलापति सिंहानिया

मेमोरियल ट्रस्ट है। वह बहुत बड़ा नगर बसा रहा है। अब क्या वह ट्रस्ट जो मकान बनायेगा उसके ऊपर यह लागू नहीं होगा ? इसके लिये तर्क यह है कि जो मकान किसी धर्मादय या कमेटी या संस्था की ओर से बनाये जाते हैं उनमें गरीबों का हित होता है। लेकिन मैं समझता हूं कि वे गरीबों के हित के लिये नहीं हैं, बल्कि वह गरीबों का शोषण कर रहे हैं। इसलिये उनको इससे मुक्त न रखा जाय। फर्म द्वारा जो मकान बनाया जाय उस पर इस विधेयक का असर नहीं पड़ेगा, व्यक्तिगत जो मकान बनाया जायगा उस पर यह विधेयक लागू हो जायगा यह कहां तक न्याय संगत है ? इस विधेयक से बचने के लिये अब यह चेष्टा की जायगी कि फर्म के रूप में मकान बनाये जायं। ऐसे मकानों में चाहे मालिक स्वयं रहता हो अथवा उसका कर्मचारी रहता हो उन पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। मेरा निवेदन है फर्म्स द्वारा जो मकान बनाये जाते हैं उन पर भी यह विधेयक लागू हो।

अब आप धारा ३५ को देखिये। मैं मन्त्री जी से उसका तात्पर्य समझना चाहता हूं। इस सद्भावना से किये हुए कार्य का क्या अर्थ लिया जायगा कि कोई कार्य सद्भावना से किया गया है अथवा दुर्भावना से ? आजकल सारे नगर क्षेत्र में जब से यू० पी० (टेम्पोरेरी) रेंट एंड एविक्शन ऐक्ट, १९४७ लागू है तब से हर जगह मकान मालिक संघ तथा किरायेदार संघ बने हुए हैं। हमने जो प्रस्ताव रखा है वह केवल इस भावना से रखा है। इसे अगर नगरों में जनमत संग्रह के लिये घुमाया जायगा तो किरायेदार संघ के प्रतिनिधि तथा मकान मालिक संघ के प्रतिनिधि अपने-अपने विचार समिति तथा सरकार के सामने रख सकेंगे। इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्य तो अपने विचार रखेंगे, जो कि बहुमूल्य होंगे, लेकिन जो इस विधेयक से प्रस्तावित होने वाले हैं, जिनके ऊपर इसका असर पड़ने वाला है, उनकी राय आना अत्यन्त आवश्यक है। उसके साथ साथ मकानमालिकों की राय आना भी आवश्यक है। इसलिए मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे मेरा प्रस्ताव स्वीकार करें और इस विधेयक को ३ महीने के लिये जनमत संग्रह के हेतु प्रसारित करने की कृपा करें, जिससे कि सभी लोगों, सभी पक्षों के विचार इसमें आ सकें और फिर उस पर एक शांत वातावरण में विचार किया जा सके।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, १९७० को एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि भी बढ़ाने का अधिकार हो और वह अपना प्रतिवेदन १ मास में प्रस्तुत कर दे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आशा की जा रही थी कि जब बहुचर्चित विधेयक प्रदेश की जनता के सामने आएगा तो जनता को बड़ा उत्साह होगा। हमारे यहां कहावत है—"खोदी पहाड़ निकली चुहिया"। लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें जो चुहिया निकली वह भी मरी हुई निकली। यह जो विधेयक लाया गया, उससे कुछ लोगों को यह आशा होने लगी थी कि किरायेदारों को कुछ सुविधाएं अधिक मिल जाएंगी, शायद प्रदेश के अन्दर मकान ज्यादा बन जायेंगे, जो अत्याचार नित्य-प्रति किरायेदारों पर होता है, उसमें कमी हो जाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ और यह केवल कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा जोड़कर भानुमती का एक पिटारा बना दिया गया है। इसमें क्या उद्देश्य सरकार का है, वह स्पष्ट नहीं है।

पहली बात आप देखेंगे कि धारा १ की उपधारा (३) के अन्तर्गत खण्ड (२) में यह प्राविधान किया गया है कि जिस किसी क्षेत्र के अन्दर सरकार चाहेगी तो इस ऐक्ट को विदड्रा कर लेगी। जो ऐक्ट बनता है उसका क्षेत्र नगर महापालिका या नगरपालिका, टाउन एरिया तो होता ही है, उसकी परिधि तो वह होती ही है, लेकिन यह बात समझ में नहीं आती कि सरकार चाहेगी तो किसी क्षेत्र से इस ऐक्ट को समाप्त कर देगी, विदड्रा कर

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

लेगी। क्षेत्र बढ़ाने की बात तो समझ में आती है, किन्तु समाप्त करने की बात कतई समझ में नहीं आती है। मैं समझता हूं कि इसमें कहीं न कहीं भ्रम है। अगर मंत्री जी उसका खुलासा कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा।

एक बात यह कही गई कि जो सिनेमा-गृह हैं उन को ऐक्ट की परिधि से निकाल दिया जाएगा। यह ठीक है कि एक दो प्रदेशों ने अपने यहां के ऐक्ट्स में सिनेमा गृहों को निकाल दिया है। लेकिन हमारे प्रदेश की स्थिति दूसरी है। हमारे प्रदेश में कुछ तो उद्योग हैं, कुछ फैक्टरियां हैं और कुछ शाप्स एण्ड कामर्शियल इस्टेबलिशमेंट हैं। आप इस एक्ट से उद्योगों को निकाल दें, फैक्टरियों को निकाल दें तो बात समझ में आती है, लेकिन सिनेमा गृहों को निकाल देने की बात समझ में नहीं आती है। प्रदेश के शाप्स एण्ड कामर्शियल इस्टेब्लिशमेंट को निकाल देना जिनमें सिनेमा गृह भी हैं किसी भी हालत में ठीक नहीं है। इस प्रदेश के अन्दर सैकड़ों ऐसे सिनेमा मालिक हैं जो कि आज िरायेद र हैं। कल्पना कीजिए कि कोई किसी सिनेमा वाले को नोटिस दे कि तुमको ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट की धारा १०६ के अनुसार एक महीने में बेदखल कर दिया जाएगा, तो उस की क्या हालत होगी जिसने लाखों रुपया इन्वेस्ट कर रखा है, बड़ी-बड़ी जमानतें दे रखी हैं, आप इसके द्वारा उनके प्रति "ज्यादती" करना चाहते हैं, मैं इस शब्द का प्रयोग करना चाहता हूं। यदि सिनेमाओं को ऐक्ट से निकालते हैं तो कम से कम उनको २० साल तक के लिये लीज स्वीकार कर दें ताकि ये जो लोग हैं वे इस सीमा के अन्दर अपने काम को किसी दूसरी जगह पर स्थापित करने में या अपने रुपये को किसी और उद्योग में लगाने के लिये सहायक हो सकें अन्यथा मैं इसका कड़े शब्दों में विरोध करता हूं। सिनेमा घरों को रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट के अन्दर रखना चाहिए।

प्रस्तावित ऐक्ट में एक और बड़ी अच्छी बात की गई है कि १० साल तक के मकान इस ऐक्ट के अन्तर्गत आ जायेंगे यानी जो मकान १० साल पहले बनाये गये हों उनके ऊपर यह रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट लागू हो जायेगा। यह सिद्धान्ततः बड़ी अच्छी बात है। सारे प्रदेश में इसका स्वागत किया जायेगा। पहले यह था कि सन् १९५१ तक के मकानों पर ही रेंट कन्ट्रोल ऐक्ट लागू होता था और सन् १९५१ से सन् १९७१ तक के बीच में जो मकान बने उन पर लागू नहीं होता था। तो इस प्रकार वे मकान छूट रहे थे जो कि २० साल पुराने बन गये थे। इस बिल से मकान के बनने के १० साल बाद वह रेन्ट कंट्रोल ऐक्ट के अन्तर्गत आ जाते हैं।

इसमें एक व्यवस्था माननीय खाद्य मंत्री जी यह कर दें कि जिस मकान के अन्दर मकान मालिक स्वयं रहेगा और उसकी उस मकान को किराये पर देने की इच्छा नहीं होगी और वह उसे अपने रहने के लिये बना रहा हो तो उसे इस रेंट कंट्रोल ऐक्ट की परिधि में न रखें। मैं मानता हूं कि ऐक्ट में आगे कुछ ऐसी भी धारायें हैं जिसके अन्दर यदि उसे जरूरत हुई तो वह खाली हो जायेगा या रिलीज हो जायेगा या डी० एम० के पास दरख्वास्त देकर वह रिलीज हो जायेगा, परन्तु जो १० साल पहले मकान बना हो उन को रेंट कंट्रोल में लेने की बात कही गई है वहीं पर यह जोड़ दिया जाय कि यदि वह अपने लिये उस मकान को बनाता है तो रेंट कंट्रोल ऐक्ट लागू नहीं होगा। इससे प्रदेश का ही लाभ होगा और लोगों को मकान बनाने में इन्सेंटिव मिलेगा और प्रदेश में काफी मकान बन जायेंगे।

एक बात और यहां पर इसके बारे में कही गई और मुझसे पहले एक माननीय सदस्य ने कहा कि फार्म और कोआपरेटिव सोसाइटीज को इस ऐक्ट से छूट दी गई है। यह सचमुच इसमें एक लूप-होल रह गया है। इसको लूप-होल मैं इसलिये कह रहा हूं कि माननीय बिक्री कर मंत्री जी यहां पर बैठे हुये हैं, आज आप देखेंगे कि जो लोग सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स से बचना चाहते हैं उसके पास इन करों से बचने के लिये पचासों रास्ते हैं। वह दो-दो और तीन-तीन व्यक्तियों के नाम अपनी दुकान कर देता है या पार्टनरशिप में कर देता है जिससे

उसको टैक्स न देना पड़े या कम देना पड़े। तो इसमें यह एक लूप-होल रह गया है। इसको स्कैप कर दिया जाना चाहिए। दुकान के बारे में तो सोचा जा सकता है कि अगर एक पार्टनर नहीं रहेगा तो दूसरा उसमें रह जायेगा किन्तु मकान के सम्बन्ध में ऐसा नहीं हो सकता और दूसरा नहीं रह सकता। तो इसके बारे में आप अवश्य सोचें।

जो धर्मार्थ संस्थायें हैं उन्हें ऐक्ट से छोड़ा गया है परन्तु जैसे कमलापति सिंहानियां ट्रस्ट की बात कही गई। शायद इनसे सरकार का मतलब नहीं है। जो धर्मार्थ संस्थाएं इसके अन्दर आती हैं वे लोगों की धर्मशालायें या कोई और छोटा-मोटा कार्य उसके अन्दर किया जाता हो जिनकी आमदनी छोटी है, उससे उसका काम नहीं चल सकता है। तो इस प्रकार ऐसे जो मकान हैं जिनसे जनता को लाभ हो रहा है उसको यदि आप इस ऐक्ट से ही एक्जेम्ट कर दें तो अच्छा होगा। अतः यदि आप इस ऐक्ट के सेक्शन २ के सब-सेक्शन (३) के बजाय उसे सब-सेक्शन (२) के अन्तर्गत ले लें तो वह ७वां उप-खण्ड हो जायेगा। सब-सेक्शन (२) के अन्दर आप ने यह कहा है कि धर्मार्थ जो संस्थायें हैं वे अपने आप रेंट कंट्रोल ऐक्ट से नहीं छोड़ी जायेंगी, स्टेट गवर्नमेन्ट को प्रार्थना-पत्र देना होगा, फिर स्टेट गवर्नमेंट मंजूर करेगी या नहीं करेगी। तो इससे यह होगा कि स्टेट गवर्नमेंट आज कोई बैठी हो और कल कोई दूसरी बैठ सकती है। कल को दूसरा बैठ गया। यह एक ऐसा लूप-होल रह गया है जो स्टेट गवर्नमेंट अपनी मर्जी से काम कर सकती है। सरकार को इसका फैसला नहीं देना चाहिये, वह विधान सभा को ही देना चाहिये।

इसमें "फेमिली" की परिभाषा की गयी है। उसमें "डिपेंडेंट" शब्द जोड़ दें। आपने बहुत लंबी सूची दी है। बेटा भाई का रिश्तेदार आदि लेकिन इसमें आप डिपेंडेंट शब्द जोड़ दें तो वह परिभाषा पूरी हो जायगी। अन्यथा जो डिपेंडेंट हैं, वह अगर रिश्तेदार नहीं हैं तो उसको मकान से निकाल दिया जायगा।

आगे आपने "प्रेस्क्राइब्ड आथोरिटी" की परिभाषा की है। वहां कहा गया है कि वह फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की श्रेणी का होगा। अब डी० एस० ओज० रहते थे। वे ऐसे आफीसर्स होते थे जो बड़े रैंक के होते थे और किसी न किसी के दबाव में रहते थे और नीचे से उठ कर आते थे और हमेशा अपनी नौकरी, तरक्की और कनफरमेशन के लिये दूसरों की ओर देखते थे। इसलिये वे न्याय नहीं कर पाते थे। इसलिये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की जो व्यवस्था रखी गयी है, वह ठीक ही रखी गयी है।

इसमें "स्टैंडर्ड रेंट" की भी परिभाषा की गयी है। उसमें आपने कहा है कि स्टैंडर्ड रेंट इस तरह से फिक्स होगा। बिहार में जो रेंट कंट्रोल ऐक्ट है उसकी धारा ८ के अन्दर बड़ी अच्छी परिभाषा रखी गयी है। राजस्थान में भी बड़ी अच्छी परिभाषा रखी गयी है। उन्होंने बहुत सी ऐसी बातों को उसमें रखा है, जैसे जिस आबादी के अन्दर वह मकान है, वहां क्या स्थिति है, उस मकान के अन्दर जो संपत्ति लगी हुई है, उसके साथ कितनी भूमि है, आदि बातें उसमें हैं जिनके आधार पर स्टैंडर्ड रेंट फिक्स किया जाता है। इसलिये आपने जो यह लिख दिया है कि २५ प्रतिशत बढ़ा दिया जायगा, यह न्यायसंगत नहीं है। बहुत से ऐसे मकान हैं जिसका किराया ८ आना, १ या २ रुपया है, उन पर भी आप २५ प्रतिशत बढ़ायेंगे और बहुत से ऐसे मकान हैं जिनका किराया ५०० रुपया है, उस पर भी आप २५ प्रतिशत बढ़ायेंगे। इसलिये इस बात की कोई लिमिट आपको नहीं बांधनी चाहिये। जैसा कि आपने क्लाज ६ में नये मकानों को रेंट फिक्ज करने के बारे में लिखा है कि उसका अधिकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को होगा उसी प्रकार से बिहार और राजस्थान रेंट कंट्रोल ऐक्टों के आधार पर आप इसकी व्यवस्था करें। अथवा और दूसरे रेंट कंट्रोल ऐक्ट भी आप को प्राप्त हो सकें, उनको भी देख लें। यह नहीं होना चाहिये कि २५ फीसदी बढ़ा दिया गया, चाहे किराया कम हो या अधिक हो।

थोड़ी सी कोशिश इसमें पगड़ी प्रथा को समाप्त करने की की गयी है। लेकिन यह केवल कागजी दिखावा मात्र है। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि पगड़ी लेने वाले को कोई पकड़

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

ले क्योंकि जो देने वाला होता है वह गरजमन्द होता है। जिसको मकान चाहिये वह पगड़ी देता है। क्या उससे आप यह आशा करते हैं कि वह आकर कह देगा कि मालिक पगड़ी मांग रहा है? जिस प्रकार से रिश्वत देने वाले को तो अपना कार्य कराना होता है, वह शिकायत नहीं करता इसी प्रकार से पगड़ी देने वाला भी आप को बतायेगा नहीं। इसलिये आप को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि पगड़ी की गूंजाइश ही न रहे। यह मकान मालिक के हाथ में ही न रहे कि किसी को वह बिना अलाटमेंट के मकान दे सके।

ऐक्ट में भी कहा गया है कि बिल्डिंग्स के आल्टरेशन एडीशन के बाद उसका फिक्सेशन होगा और वह इस प्रकार से होगा कि जितना खर्चा वह करता है उसका १ प्रतिशत किराया बढ़ा दिया जायगा। यह उचित नहीं है। क्योंकि विचार कीजिये, एक आदमी जो खर्चा लगाये १ हजार रुपये और वह बिल बनायगा १० हजार रुपये का और उस हिसाब से किरायेदार से किराया वसूल कर लेगा। इसलिये जिसको रेंट फिक्सेशन का काम दिया है उसी को दे दीजिये कि वह तय कर दे कि आया इसमें किराये की वृद्धि होनी चाहिये या नहीं।

एक बात का मैं घोर विरोध करना चाहता हूं कि जो टैक्स देने की लायबिलिटी है, केवल हाउस टैक्स को छोड़ कर, वह सारी की सारी इस ऐक्ट में किरायेदार के ऊपर छोड़ दी है। किरायेदार ने क्या कसूर किया है? भूमि भवन कर के अन्दर ही यह व्यवस्था कर दी गई थी कि उसकी वसूली रेंट कंट्रोल ऐक्ट के समान होगी और उसका डिफाल्ट रेंट कंट्रोल ऐक्ट का डिफाल्ट माना जायगा। मेरा कहना यह है कि ये टैक्सेज डिफाइन्ड तो हैं नहीं। कल कोई दूसरी सरकार आती है और मकान के ऊपर कई प्रकार के टैक्स लग गये तो मकान मालिक तो पूंजीपति है, छोटा या बड़ा, वह तो टैक्सेज दे सकता है, उसकी जेब में २०-२५ रुपये ज्यादा या कम चले गये तो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन एक किरायेदार को देने के लिये जिसके पास ५ रुपये भी नहीं हैं उससे आप और एडिशनल २५ रुपये मांगने लगें तो उसे बहुत खलेगा। इसलिये अगर सेक्शन ७ को आप निकाल दें तो किरायेदार के साथ बड़ा न्याय करेंगे।

अभी मैंने निवेदन किया है कि सेक्शन ६ के अन्दर जो आप ने नये मकानों के लिये रखा है, कुछ आधार बनाये हैं जिससे नये मकानों का किराया फिक्स किया जायगा, लेकिन इसमें भी बिहार के ऐक्ट की व्यवस्था को लागू कर दें तो उचित होगा।

सेक्शन १० में कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट जज अपील सुनेगा और अगर वह नहीं सुनेगा तो किसी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को दे देगा। इसे आप सिविल जज तक जाने दें क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर जिले में एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज हों। इसको आप विचार कर लें।

एक और चीज इसमें बड़े महत्व की है और वह यह कि एलाटमेंट से पहले ही कोई व्यक्ति मकान के अन्दर चला जाता है और फिर कहता है कि अब हम तो एलाट करा ही लेंगे, देखें कौन हम को निकालता है मकान के अन्दर घुस सकता है? मकान मालिक से साठगांठ करके या पुराने किरायेदार से मिल कर के। इसकी रोकथाम के लिये, अगर कोई किरायेदार मकान खाली करता है और मान लीजिये उसने मकान खाली करते समय किसी और को मकान का पजेशन दे दिया तो दंड देने की व्यवस्था करें। आप ने एक जनरल व्यवस्था तो रखी है कि अगर कोई कानून का उल्लंघन करेगा तो वह दंडनीय अपराध हो जायेगा लेकिन मेरा अपना अनुभव यह है कि पुराने ऐक्ट के सेक्शन ८ के अन्दर भी ऐसी ही व्यवस्था थी कि जो गलत काम करेंगे उनको सजा देने की व्यवस्था थी लेकिन देहरादून का मेरा अनुभव है कि अगर किसी किसी के खिलाफ कोई मुकदमा चलाया गया तो वह वहीं समाप्त हो गया, सजा नहीं हुई। कारण यह है कि आप जब जनरलाइज कर देते हैं कोई चीज तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। अगर आप ऐसा कर दें कि कोई आदमी और मकान मालिक की सांठगांठ से या पुराने किरायेदार की वजह से कोई मकान में घुस जाता है तो वह दंडित किया जायगा तब वह पचास बार सोचने के बाद किसी व्यक्ति को घर में घुसने देगा।

अब एलाटमेंट की समस्या आती है। आपने सेक्शन १६ में यह अधिकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया है। ठीक है। लेकिन अगर इस काम के लिये उनके साथ कोई सलाहकार समिति हो तो ज्यादा अच्छा हो। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ही यह अधिकार रहता है तो भी कोई अधिक आपत्ति की बात नहीं है, लेकिन अपील के लिये जो आपने कमिश्नर तक सीमित कर दिया है इसमें अगर आप थोड़ी सी विशाल हृदयता दिखला दें, केवल कमिश्नर तक नहीं सिविल कोर्ट तक जाने दें। एलाटमेंट एक डिस्क्रिशनरी पावर है, लेकिन ड्यूली एलाटमेंट है या नहीं यह शब्द इतना डिफाइन हुआ, हाई कोर्ट ने बार-बार रूलिंग दी, यह कहा कि ड्यूली एलाटेड है या नहीं क्योंकि वेकेन्सी है या नहीं, जिस आदमी को देना चाहिये था उस को दिया या नहीं इन सब बातों पर बड़े झगड़े होते हैं, इसलिये इसकी परिधि बढ़ा दें जिससे गुंजाइश रहे कि अगर डी० एम० ज्यादती करता है और कमिश्नर के यहां से कुछ नहीं हुआ तो वह सिविल कोर्ट जा सके। फिर उसकी किस्मत है। श्रीमन्, बहुत लोगों का यह काम बन गया है कि बड़े-बड़े शहरों में उन्होंने अपने गिरोह बना दिये हैं जिनका इन्सपेक्टरों से और दूसरे लोगों से ताल्लुक होता है। वह अपने नाम से, बेनामी रिश्तेदारों के नाम से, दोस्तों के नाम से शहर में १०, १५ दुकानें व मकान अलाट करवा लेते हैं और फिर उनको अपने आदमियों को देते हैं। इसको रोक थाम के लिये व्यवस्था होनी चाहिये? उससे डेक्लेरेशन ले लिया जाय कि मेरे पास कोई दूसरा मकान नहीं है, मेरे नजदीक के रिश्तेदार के नाम से कोई मकान नहीं है या जो मकान मुझे अलाट होगा उसको मैं किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दूंगा और अगर दूंगा तो मैं बेदखली के काबिल हूंगा। इस तरह के चेक हों तो हमारे प्रदेश से यह कमजोरी हट सकती है।

धारा १६ (३) के अन्दर मकान मालिक को रिलीज करने की व्यवस्था की गई है। वह ठीक है जिसे अलाटमेंट का अधिकार है उसी को रिलीज करने का भी अधिकार हो परन्तु इसको बहुत गंभीरता के साथ देखना पड़ेगा। मैंने अखबार में पढ़ा कि यहां लखनऊ नगर महापलिका की एक कालोनी बसाई गई है जिसमें कोई सज्जन ५० रुपया या ८० रुपया का मकान ले कर रह रहे हैं और उनका मकान ५०० रुपये पर किराये पर उठा हुआ है। मेरा निवेदन है कि यह कंडिशन इम्पोज की जाय कि जिस व्यक्ति के पास शहर में मकान होगा उसके नाम दूसरा मकान रिलीज नहीं किया जायेगा, उसके पास दूसरी एकोमोडेशन हो तो भी उसके नाम रिलीज नहीं किया जायेगा। ऐसा करने से आसानी हो जायेगी। लेकिन जो विधवाएं हैं या इनवैलिड हैं उनको अगर अलाटमेंट के मामले में, किराये के मामले में और रिलीज के मामले में छूट दे दें, इसके लिये कोई प्राविजों लगा दें, तो उनका भी गुजारा हो सकेगा।

सेक्शन १६ के सब-सेक्शन (४) (सी) में लिखा है—

"the date which shall not be earlier than seven days after the date of the order."

यह eariler नहीं later होना चाहिये, जैसा मैं समझता हूं।

मैं सब-स्टेशन (४) आफ सेक्शन १६ पढ़ देना चाहता हूं।

"(4) The allotment order shall specify

(*a*) whether the building shall be used by the tenant for residential or non-residential purposes;

(*b*) in the case of business purposes, the names of proprietors or partners of the business;

(*c*) the date which shall not be earlier than seven days after the date of the order, by which the landlord or the unauthorised occupant, if any, shall deliver possession to the allottee.'

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

यानी अलाटमेंट से सात दिन पहले पैजेशन दे देगा यह बात समझ में नहीं आती। यह होना चाहिये "इट शुड नाट वी लेटर दैन सेविन डेज।" यह शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसको देखा लिया जाय। अगर मिस्टेक नहीं होगी तो मैं अपने आपको दुरुस्त कर लूगा।

सब-सेक्शन (५) में दिया है कि अगर किसी ने नाजायज कब्जा कर लिया है तो डी० एम० उसको बाई पुलिस फोर्स निकाल सकता है। जो सन् ४३ का ऐक्ट था उसमें निकालने के लिये नोटिस दिया जाता था सुनवाई होती थी लेकिन यहां एक लाइन में साफ कर दिया गया है कि अगर अन-अथोराइज्ड है तो उसको डी० एम० निकाल देगा। यानी हियरिंग के लिये भी आपने गुंजाइश नहीं रखा है। मेरा निवेदन है कि उसको अपने सन्तोष के लिए सुनवाई का पूरा मौका दिया जाना चाहिए और अपील का मौका दिया जाना चाहिए और फिर भी वह अपना क्लेम इस्टैबलिश नहीं कर सकता तो ठीक है, उसको आप निकाल दीजिए लेकिन जो समरी प्रोसीडिंग्स हैं यह गलत है।

इसके बाद श्रीमन्, सेक्शन १७ की तरफ देखें। इसमें एलाटमेंट के बारे में कहा गया है। पुराने ऐक्ट के रूल ४ में था कि वेकेन्सी रिपोर्ट होने के ३० दिन के अन्दर अगर एलाटमेंट न करे तो मकान मालिक को हक होगा कि वह अपना नामिनी रखे और आटोमेटिकली उसको अपने मकान में अपने नामिनी को रखने का हक होगा और डी० एम० उसके नामिनी को ही एलाट करेगा। तो श्रीमन्, अब ऐसी व्यवस्था न करें कि मकान मालिक को फिर दुबारा अप्लीकेशन लेकर जाना पड़े तो चार, चार महीने तक फाइलें पड़ी रहेंगी और मकान मालिक को किराया नहीं मिलेगा और किरायेदार सड़क पर घूमेगा।

इसके बाद सेक्शन १८ में अपील के लिये १५ दिन का समय दिया गया है। श्रीमन्, यह समय बहुत थोड़ा है। १५ दिन के बजाय एक महीने इसको कर दिया जाय।

इसके बाद १८ (२) में यह जो कहा गया है कि कमिश्नर का निर्णय अन्तिम निर्णय होगा, यह नहीं होना चाहिए। इसमें भी सिविल कोर्ट तक जाने की गुंजाइश रखिए। कानून के लिये यह कहा गया है कि केवल न्याय ही नहीं मिलना चाहिए बल्कि ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि न्याय हो रहा है। मैं यह नहीं कहता कि कमिश्नर या डी० एम० न्याय नहीं करेंगे लेकिन एक व्यक्ति को आखिरी दरवाजे तक खटखटाने का मौका होना चाहिए। वह आखिरी दरवाजे तक खटखटा लेगा तो उसे संतोष हो जायगा कि मेरी बात कमजोर है इसलिए नहीं हो पा रही है।

नियम २० के सब सेक्शन (२) में कहा गया है कि कौन-कौन लोग निकाले जा सकते हैं। यह बड़ी कांट्रोवर्शयल चीज है। आपने तीन महीने का डिफाल्ट रखा है, यह कम से कम ६ महीने का मौका होना चाहिए। श्रीमन्, जो आज का कर्मचारी है, मजदूर है वह पहले पठान की किश्त चुकाता है उसके बाद और काम करता है। तो इसमें यह कर दें कि अगर ६ महीने की डिफाल्ट हो तब बेदखली हो तो अच्छा होगा।

दूसरी चीज श्रीमन्, नोटिस की सर्विस की है। इसमें दो तीन शब्द जोड़ दीजिए। सब सेक्शन २ (ए) में लिख दिया जाय "परसनल सर्विस" जरूर होना चाहिए वर्ना पोस्टल सर्विस काफी नहीं है। मान्यवर, हाई कोर्ट की रूलिंग भी आपकी निगाह में आई होगी। पोस्टमैन का, सभी को तो मैं नहीं कहता लेकिन बहुत से केसेज में यह होता है कि उन्होंने लिख दिया "लेने से इंकार" और दो अंगूठा निशान लगवा दिये और किरायेदार की बेदखली हो गई। अदालत में किरायेदार कह रहा है कि मैंने पोस्टमैन को देखा नहीं, इनको पहचानता नहीं लेकिन पोस्टमैन ने लिख रखा है। तो पोस्टमैन हमारा जुडिशियल आफिसर नहीं हो सकता। जैसा कि कहा जाता है पटवारी की फर्द को दस बार देखते हैं वैसे ही इस पोस्टमैन के काम को देखना होगा। तो एक तो आप "परसनल सर्विस" रख दें।

दूसरा सुझाव यह है कि किराये देने की जो व्यवस्था है उसमें एक संशोधन कर दें कि मनी आर्डर से टेंडर किया हुआ किराया काफी होना चाहिये। अगर कोई मनी आर्डर से किराया सही पते पर भेज दे और उसके पास रसीद है तो यह सफीशिएन्ट होना चाहिये। इसमें मैं कोट करना चाहूंगा कि राजस्थान के रेंट कंट्रोल ऐक्ट में भी डिफाल्ट की छः महीने की व्यवस्था है और मनी आर्डर से टेंडर की व्यवस्था है। राजस्थान ऐक्ट के सेक्शन १३ के (३) के अन्दर यह व्यवथा है कि मनीआर्डर से भेजा गया किराया दिया हुआ माना जायेगा। इसमें सब सेक्शन (डी) के अन्दर वर्डस् हैं "इल्लीगल" और "इम्यारल"। वर्ड तो समझ में आता है कि जैसे किसी मकान में अनैतिक व्यापार हो रहा है, जुआ हो रहा लेकिन इल्लीगल शब्द समझ में नहीं आता। मान लीजिये हमने अपने घर के अन्दर जनसंघ की मीटिंग कर ली। आपने १४४ लगा दी। १४४ मकान के अन्दर नहीं लगती लेकिन आपने कोई और ऐक्ट बना दिया क्योंकि रोज नये नये ऐक्ट बन रहे हैं। इसलिए इस वर्ड 'इल्लीगल' को हटा दें। इम्मारल वर्ड से ही आपका काम चल जायेगा।

यद्यपि मैं अधिकांशतः किरायेदारों की वकालत कर रहा हूं लेकिन उनके विरुद्ध भी एक चीज जुड़वाना चाहूंगा। जिस किरायेदार ने अपना मकान बना लिया हो तो मकान मलिक को अधिकार हो कि वह उससे अपना मकान खाली करवा ले। किरायेदार का भी नैतिक कर्त्तव्य है कि वह किराये के मकान को छोड़कर अपने बनाये हुये मकान में जाय। यह सब सेक्शन 'जी' के बाद 'एच' करके आप जोड़ सकते हैं।

सेक्शन २१ में आपने कहा है कि अगर मकान की खराब कंडीशन होगी तो रिपेयर्स के लिए उसको खाली करवाया जा सकेगा। इसमें बहुत खतरा है। म्युनिसिपैलिटी का इंजीनियर किसी के भी मकान को कह सकता है कि यह बहुत खराब हालत में है और वह नोटिस दे सकता है। आप उससे जो एडजैक्टिव चाहें लगवा लें। वह कह सकता है कि यह पांच मिनट में गिर जायेगा जब कि वह पांच साल में भी गिरने वाला नहीं होगा। इससे मकान मालिकों के लिए मकान खाली करवाने का एक और दरवाजा खुल जायेगा। अगर मकान मालिक अपनी आवश्यकता के लिए मकान खाली नहीं करा पाता या डिफाल्ट पर खाली नहीं करा पाता तो यह एक रास्ता उसको मिल जायेगा खाली करवाने का। वह कुछ रिश्वत म्युनिसिपैलिटी के इन्जीनियर को दे देगा और उससे लिखा लेगा। हां, अगर यह व्यवस्था आप कर दें कि यह मैनडेटरी हो जाय कि मकान के पुर्ननिर्माण के बाद भी वही किरायेदार बसाया जायेगा तो इस क्लाज को रख लें। मकान के पुर्ननिर्माण के बाद सिर्फ एक बात रह जायेगी किराया बढ़ाने की। जो सेक्शन ९ है उसके अन्दर मकान मालिक अपने केस को ले जाय और एक रुपया या दो रुपया किराया बढ़वा ले।

श्रीमन्, एक बात और कहूंगा : सेक्शन २३ में यह कहा है कि "बाई यूज आफ सच फोर्स ऐज में बी नैसेसरी"। यह इशारा है पुलिस फोर्स की तरफ और कोई फोर्स नहीं है। मेरा निवेदन है कि इस सरकार के अन्दर पुलिस का इतना इस्तैमाल न करें। आपके पास मकान खाली कराने का सिविल प्रोसीजर का भी रास्ता है। अमीन जाता है, अगर आवश्यकता होती है तो कोई कमिश्नर एपाइन्ट कर देता है। वकील भी जाता है। और इस तरह से इज्जत के साथ सारा काम होता है। लेकिन अगर फोर्स की बात रहेगी तो फिर दरोगा जायेगा और वह वहां बेइज्जती करेगा। जो बेदखली है वह सिविस प्रोसीजर कोड या ट्रांसफर आफ़ प्रापरटी में जिस तरह से बेदखली होती है उसी आधार पर हो। सैक्शन २३ में यह भी कहा गया है —

"Every order of the prescribed authority in proceedings under this Section shall be final."

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

इसका भी मैं विरोध करता हूं। इसको भी अपीलेबिल होना चाहिये। एक्जीक्यूटिव के ऊपर आज लोगों का उतना विश्वास नहीं है। आप मेरी बात को मानें चाहे न मानें। मैं यह नहीं कहता कि सभी लोग अन्याय कर रहे हैं लेकिन अगर १०० में से ५० भी खराब काम करें तो सब बदनाम होते हैं। इसको आप सिविल कोर्ट पर छोड़ दीजिए। उसमें अभी भी लोगों का विश्वास है।

श्रीमन्, सैक्शन २८ के सब सैक्शन (७) में लिखा है—

"No appeal or revision shall lie from any order of the prescribed authority under sub section (5) or sub section (6), which shall be final."

इसमें भी मैं अपील की गुंजायश करने की बात कहूंगा। इसी चैप्टर ५ में एक बात और जोड़ना चाहता हूं—

धारा २९ के बाद एक धारा २० और जोड़ दी जाय कि अगर किराएदार को कोई जायज पैसा मकान मालिक के एवज में देना पड़ेगा तो वह किराए में एडजस्ट हो जाएगा। जैसे म्यूनिसिपेलिटी वालों का वाटर टैक्स वगैरह बकाया होता है तो नल काट दिया जाता है और उसको अगर किरायेदार जमा कर देता है तो वह रेस्टोर हो जाता है। अभी तक यह पैसा किराये में एडजस्ट हो जाता था। लेकिन इस विधेयक में मुझे कहीं यह व्यवस्था नहीं मिली। तो इसकी व्यवस्था भी होनी चाहिये।

इसी के साथ एक ३१वीं धारा और जोड़ दी जाय। एक बड़ी भारी समस्या है। जब मुझे दिक्कत होती है तो मैं चाहता हूं कि मुझे मकान मिल जाय। लेकिन मकान मालिक किराये की रसीद नहीं देता। बिहार के रैन्ट कंट्रोल ऐक्ट में सैक्शन १४ में यह व्यवस्था है कि हर एक लैन्ड लार्ड की जिम्मेदारी होगी कि वह रसीद दे और रसीद नहीं देगा तो आफेन्स होगा।

श्रीमन्, जो पेनाल्टी की व्यवस्था है, उसमें मेरा निवेदन है कि पेनाल्टी कुछ ज्यादा है। ६ महीने की सजा और ५ हजार जुरमाना। मकान मालिक पर जुरमाना हो गया तो शायद दे दे, लेकिन किरायेदार क्या करेगा? हालांकि मैं यह नहीं कहता कि जुरमाना पांच हजार ही होगा, कम हो सकता है, लेकिन फ़िर भी कोई रोक तो है नहीं। जिस तरह से एसेंशियल कामोडिटीज ऐक्ट में है कि बड़े जुर्म के लिये बड़ी सजा और छोटे जुर्म के लिये छोटी सजा उसी तरह से इसमें भी कर दिया जाय तो उचित होगा।

श्रीमन्, सैक्शन ३२ में यह है—

"No court inferior to that of a magistrate of first class shall try any such offence."

इसमें श्रीमन्, मेरा सुझाव यह है कि मैजिस्ट्रेट की जगह जुडीशल आफीसर कर दिया जाय। मान लीजिए डी० एम० ने कोई काम करवाया और डी०एम० के आदेश की अवहेलना हो गयी। तो कौन एस० डी० एम०, डी० एम० के आदेश की अवहेलना करने वाले को माफ करेगा? उसको अपना तबादला और बैड एन्ट्री थोड़े ही करवानी है। तो जुडीशल आफीसर उसको करे। और एक चीज और जोड़ दी जाय कि इसको भी अपीलेबिल होना चाहिये।

श्रीमन्, दो धाराएं और जोड़ दी जायं—३५ और ३६। एक तो यह कि जो प्रोसीडिंग्स हैं इनकी कोई लिमिट होनी चाहिये। बहुत से मामले चार-चार, पांच-पांच साल तक चलते रहते हैं। इसलिये जैसे इलेक्शन ला में है कि पहली कोर्ट छः महीने के अन्दर और फिर दूसरी कोर्ट छः महीने के अन्दर फैसला दे देगी, इसी तरह से व्यवस्था होनी चाहिए। मैं जानता हूं कि कई बार लिमिट के अन्दर नहीं होता। छः के सात महीने भी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी सोर्ड आफ डेमोक्लीज की तरह यह समय की पाबन्दी असर करती है, ऐसा कुछ होना चाहिये। एक तो इसके अन्दर टाइम लिमिट कर दी जाय।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जैसे एक धारा राजस्थान के ऐक्ट में जोड़ी गई है १३ (८) के अन्दर कि अगर कोई किरायेदार बेदखल हो तो दो महीने तक डिगरी इजराय नहीं होगी। उसको मकान ढूंढ़ने में समय लगेगा। ऐसी बात नहीं है कि मकान मालिक को मकान न मिले उसे तो डिग्री हो जाने पर मिल ही जायेगा लेकिन किरायेदार को मकान मिलने में कुछ वक्त लग सकता है। तो इस समय को आप ४ महीने कर दें क्योंकि उस किरायेदार को मकान ढूंढ़ने में समय लगेगा तो ४ महीने तक डिगरी इजराय नहीं होगी।

एक सुझाव मेरा पेंडिग प्रोसीडिंग के बारे में सेक्शन ४२ के (एच) के सम्बन्ध में है जो रिवीजन के लिये टाइम लिमिट की बात है। अगर एक एक महीने करके उसकी टाइम लिमिट खतम हो जाय तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिससे उसको अपील का समय मिल सके। अगर किसी ने समय के अन्दर किसी वजह से अपील नहीं की तो इसके लिये इतना आप कर दें कि अगर वह अपीलेंट कोर्ट में सफिशियेन्ट ग्राउन्ड दे तो उसको अपील का मौका मिल जाय और वह किसी गलतफहमी का शिकार न होने पाये और वह अपील कर पाये।

मैंने यह सुझाव संक्षेप में आपके सामने रखे हैं इस आशा के साथ कि आप इन पर गम्भीरता के साथ विचार करेंगे। अन्त में इतना कह देना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि इस रेंट कंट्रोल ऐक्ट की प्रत्येक धारा पर जहांतक हो सके फिर दोबारा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसीलिये इसको प्रवर समिति के सिपुर्द किया गया है। लायब्रेरी में मुझे अन्य प्रदेशों के रेंट कंट्रोल ऐक्ट नहीं मिल पाये हैं। केवल २,३ प्रदेशों के मिले हैं। अगर सब प्रदेशों के ऐक्ट को देखा जाय और उनको देखकर कोई अच्छी व्यवस्था हम अपने यहां के ऐक्ट में रखें तो बहुत अच्छा हो। इससे लाखों नागरिकों के जीवन पर असर पड़ने वाला है। लाखों नागरिक आज प्रदेश में निगाह उठाकर देख रहे हैं कि आप प्रदेश को क्या दे रहे हैं। अगर नई सरकार प्रदेश को बड़ी चीज देने जा रही है—उसकी अच्छाई या बुराई का तो बाद में पता चलेगा—लेकिन मैं समझता हूं वह अच्छी चीज है, तो किरायेदारों के प्रति सहानुभूति रखकर किरायेदारों को दरदर भटकना न पड़े, मकान बनाने वालों को इन्सेन्टिव मिले और उनको अपने मकान में रहने की दुविधा न हो, किरायेदार बेदखल होकर परेशान न हो इस सब बातों की व्यवस्था आप करेंगे तो एक अच्छा रेंट कंट्रोल ऐक्ट अपने प्रदेश को आप दे पायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं प्रवर समिति मेंजाने के प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं।

श्री गनेशदत्त बाजपेयी (जिला कानपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा संशोधन मा० भगवती सिंह विशारद ने सदन के समक्ष रखा है उसके समर्थन को—स्पांसर करने के नाते दो शब्द कहना चाहता हूं। पहले मेरा निवेदन है मंत्री जी से कि हम लोग यह सोच लें कि 'वी मस्ट नाट लेजिस्लेट इन हेस्ट" जल्दी में ऐसा कानून बनाने की आदत हम लोग छोड़ दें जिससे लाखों आदमियों के ऊपर बड़े गम्भीर परिणाम होने वाले हैं। हमारे सभी शहरों में किरायेदार रहने वाले हैं और उनकी आबादी ७० फीसदी होगी या ८० फीसदी होगी। मैं ऐसा तो करूंगा नहीं कि इसके ऊपर क्लाज वाइज डिस्कशन करूं या क्लाजवाइज अपना कुछ निवेदन करूं। क्योंकि मेरा यह निश्चित मत है कि यह बेवक्त की शहनाई होगी। मैं जानता हूं कि यह अभी प्रवर समिति को जाना है, वहां पर इसकी इररेगुलरिटी और अनगढ़पन को दूर किया जायेगा, वहां इसे खरादा जायेगा और इसके स्वरूप को बनाया जायेगा। यह सब ठीक है लेकिन मैं इसकी मंशा पर अटैक करता हूं, इसके ओवर आल एरम्पैक्ट पर अटैक करता हूं। आप देखें कि इसकी मंशा क्या है। अभी तक रेंट कंट्रोल ऐक्ट की तहत में जितनी अड़चनें मकान मालिकों द्वारा किरायेदारों को इवेकुएट कराने में डाली जाती है, उसमें से थोड़ा सा छांट दें जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं, जो लोकलबाडीज के क्वार्टर्स है, जो स्वायत शासनी संस्थाओं के बनाये हुए क्वार्टर्स हैं जहां लोग वर्षों

[श्री गनेशदत्त बाजपेयी]

से नाजायज ढंग से काबिज है और किराया नहीं देते हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं अपनी तकलीफों और जरूरतों को लेकर, मगर उनकी संख्या थोड़े हजारों में है। उसी तरह से पुराने किरायेदार हैं जो २ रु०, ४ रु०, ६ रु० या ८ रु० किराया देते हैं। उनका किराया इतना कम है कि वे मकान गिरे जा रहे हैं लेकिन उनको मकान मालिक सुवारता नहीं है, फिर लोग कहां रहेंगे। अधिकांश संख्या में लोग हर शहर के पोपुलेशन का ८०–८५ प्रतिशत गरीब किरायेदार लाखों की संख्या में ऐसा है जिनको इस ऐक्ट के अनुसार आपने मकान से बेदखल करना आसान बना देंगे। ओवर आल एफेक्ट इसका क्या होगा, किस तरह से यह सोशल वैलफेयर पोस लेजिस्लेशन होगा, इसको समझने में हमें थोड़ी अड़चन पड़ रही है। जहां कहीं प्रजातांत्रिक देश हैं, प्रजातांत्रिक प्रणाली है वहां कौन कानून बनाता है। मोटे तौर पर तीन तरह से कानून बनाये जाते हैं। कुछ तो सीधे हाउस में बनता है, कुछ को प्रवर समिति में भेजा जाता है ताकि फिर उसको एक दफा देख लिया जाय लेकिन जिस कानून का लाखों आदमियों के जीवन पर असर पड़ता है वहां उसे सरक्यूलेशन में भेजा जाता है, दो महीने के लिये, तीन महीने के लिये जनमत संग्रह के पीछे बड़ा ही सुन्दर डेमोक्रेटिक प्रिंसपुल कि जितने आदमी इस सदन में बैठे हुए हैं, कम से कम उनसे दस गुना, पन्द्रह गुना ज्यादा संख्यायें इस सदन के बाहर प्रदेश में विद्वान लोग रहते हैं। उनकी राय मालूम करना यह विश्वव्यापी सिद्धान्त है। जहां कहीं पार्लियामेंटरी प्रणाली से कानून बनता है, और जिन कानूनों का लाखों करोड़ों आदमियों पर असर होता है, वहां पर जनमत संग्रह के लिये उनको भेजा जाता है। सब देशों में ऐसा होता है। हमारे पास ऐसे कोई स्टेटिस्टिक्स भी नहीं हैं कि कितने लाख आदमी ऐसे हैं जो छोटे किरायेदार है, जिनके पास मकान नहीं हैं और निकाले जाने के बाद जिनको तकलीफ हो सकती है। इसका किसी को कोई पता नहीं है लेकिन जल्दवाजी में कानून बनाने का एक शौक है। मकान मालिकों को बेदखल कराने में वर्षों लग जाते हैं। आप समरी प्रोसीडिंग्स का प्रोविजन कर रहे हैं और हर जगह के एक्जीक्यूटिव आफिसर को चाहे डिप्टी कमिश्नर हो, चाहे कमिश्नर हो, उनके पास शक्ति को केन्द्रित कर देंगे तो इसतरह से मैं समझता हूं कि हम जाने में या अनजाने में लाखों जनता के अधिकारों का अपहरण कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि यह जो हमारा छोटा सा संशोधन है। वह यह है कि चूंकि इस वक्त यह सारे शहरों, टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया, म्युनिफल क्षेत्र और महापालिका क्षेत्र के ६० प्रतिशत अधिकांश के रहने वाले जो गरीब लोग हैं उन के खिलाफ यह जाता है। इस से उन का निकाला जाना आसान हो जायगा। महज धमकी में मकान मालिक किराया डयोढा और दुगुना कर लेंगे। लिहाजा निवेदन है कि आप ऐसे संशोधन पर विचार करें और देखें कि यह विधेयक, जो कि सर्वमान्य सिद्धान्त हैं उन के अनुसार इस को जनमतसंग्रह के लिये जाना चाहिये। अगर यह बिल उस दायरे में आता है जैसा कि मेरा तुच्छ मत है, तो इस को स्वीकार कर लेना चाहिये अन्यथा आप इस को न भी मंजूर करें तो मैं उस के लिये प्रेस करना चाहता हूं। यह काल आफ कानसेंस है और मैं समझता हूं कि आप इस से लाखों आदमियों को डिहौजो की सुविधा देरहे हैं। यह खयाल कि हाउसिंग इंडस्ट्री केवल रेन्ट कंट्रोल ऐक्ट के मौजूद होने की वहज से नहीं चल रहे हैं या मकान नहीं बन रहे हैं, गलत है, यह एक इललाजिकल प्रिजम्पशन है। मेरा निवेदन है कि आप इस संशोधन को कृपा कर के स्वीकार करें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, मैं साथी नित्यानन्द स्वामी के प्रस्ताव का समर्थन कुछ अंश से सहमत होकर और कुछ से असहमति के साथ कर रहा हूं। यह बात सत्य है कि इस प्रदेश में और देश में आवास की समस्या है और एक नागरिक के लिये जहां खाने कपड़े, पढ़ाई लिखाई के प्रबन्ध की जरूरत है वैसे ही रहने की व्यवस्था का भी प्रबन्ध जरूरी है, इस से इनकार नहीं किया जा सकता। इस आवासीय समस्या को सुलझाने के लिये जो विधेयक लाया गया है क्या उससे उसकी पूर्ति हो रही

है, यह प्रश्न है। जिसे पहले ऐक्ट की मियाद सितम्बर में खत्म हो रही है उस की जगह पर आप यह कानून लाना चाहते हैं लेकिन इस को देखने से यह स्पष्ट है कि यह बिल प्रतिक्रियावादी है और यह किरायेदारों के विपक्ष में जाता है। इस संबंध में केवल ३ तथ्य आप के सामने रखूंगा। एक तो यह कि आपको यह देखना होगा कि चाहे उस को आप कोआपरेटिव कहें, कल्याणकारी राज्य कहें, समाजवादी व्यवस्था कहें और अब तो आप समाजवाद लाने की रट लगा रहे हैं लेकिन जो कार्य आप इस विधेयक के द्वारा करने जा रहे हैं उससे मकान मालिकों को ही अधिक से अधिक सुविधा मिलेगी। आप पुराने ऐक्ट को देखें तो उस में यह है कि वह ऐक्ट नगरपालिका, टाउन एरिया या महापालिका के क्षेत्र से २ मील तक के क्षेत्र पर लागू होता था। लेकिन इस विधेयक में आप ने उस दूरी को केवल १ किलोमीटर कर दिया है यानी .६२१४, जब कि पहले के हिसाब से २ मील बराबर ३ किलो मीटर के होता है। जो उसके क्षेत्र की बात थी उसी में आप पहले कमी कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि आप उस के विस्तार के क्षेत्र को संकुचित न बनायें। आप को उस के विस्तार को और बढ़ाना चाहिये।

इस के बाद दूसरा तथ्य यह है कि यह कब से लागू होगा, उसके लिये रखा गया है कि जब से राज्य सरकार तारीख नियत करेगी। ऐसा लगता है कि सरकार का कोई इरादा, संकल्प नहीं है और वह केवल एक थोथा आश्वासन मात्र ही दे रही है। जबकि पुराने ऐक्ट में था लिखा हुआ था कि यह १ अकटूबर सन् ४६ से लागू होगा। इस पुराने रेन्ट कंट्रोल की मीयाद सितम्बर में खत्म हो रही है उस के तुरन्त बाद इस को लागू करने की मंत्री जी को घोषणा करना चाहिये। खाली मकान का एलाटमेंट होता है। आपकी परिभाषा में "खाली" की परिभाषा नहीं दी हुयी है। अदालतों में भी जो रैन्ट कन्ट्रोल एक्ट के अन्दर रूलिंग्स हुयी हैं, उनमें भी कहा गया है कि "वैकैन्ट" शब्द की परिभाषा कहीं नहीं है। इसलिए बड़ी दिक्कत पैदा हो गयी है। "वैकन्ट" की परिभाषा न करने से एलौटी, जिसके पक्ष में आप मकान एलौट करेंगे, कब्जा लेने में बड़ी दिक्कत पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि किरायेदारों का भला हो तो आपको अपने अधिनियम में "खाली" शब्द की परिभाषा रखनी चाहिए।

जो पहला एक्ट था वह केवल ३ तरह के मकानों में नहीं लागू होता था। उसमें पहले वे मकान आते थे जो राज्य या केन्द्रीय सरकार के हों, दूसरे वे थे जो उनके द्वारा अधिगृहीत हों और तीसरे थे :

"To any tenancy or other relationship in respect of any plot of land not covered by roofed structure."

अब माननीय मंत्री जी देख लें कि कम्पनी छोड़ी, उद्योग धंधों को छोड़ा, सिनेमा और थियेटर भी छोड़ दिए। यही नहीं कम्पनियां उसमें चलती रहें, उद्योग धंधे चलते रहें, क्रीड़ा स्थल चलते रहें, जैसा कि अभी कुछ दिन हुए माननीय गुप्ता जी ने बनवाया है और उसे स्टेडियम कहते हैं। यही नहीं अगर भविष्य में भी प्रयोग किये जाने के लिए अभिप्रेत हो तो क्या नतीजा होगा। आज कृषि की क्या हालत हो गयी है। फार्मों की क्या हालत हो गयी है? बड़े-बड़े पूंजीपति क्या कर रहे हैं। बड़े-बड़े लोग मकान बनायेंगे और उन्हें सिनेमा, या कम्पनियों को उठा देंगे जिससे यह बात साबित होती है कि आप पूंजीपतियों की ओर, टाटा बिरला की ओर ही झुक रहे हैं। रामरतन के आपने ५ लाख रुपये माफ कर दिए। ये जितने अपवाद हैं, ये झगड़े में पड़े हुए हैं। आप पूंजीपतियों से अपना लगाव नहीं छोड़ेंगे। मैं आपकी नीयत पर आक्षेप नहीं करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी भी गरीब के लड़के होंगे (नहीं नहीं की आवाजें) लेकिन मैं यह साफ कहना चाहता हूं कि आपकी इस व्यवस्था से पूंजीपति ही लाभ उठायेंगे। १९५१ से अब तो ६० तक आ गया है लेकिन आपको मकान नहीं मिलेगा। इसलिये उस अपवाद की शृंखला पूंजीपतियों के पक्ष में रक्खी है। आपने कहा कि यह पुरानी सरकार का था।

[श्री शम्भूनाथ चौधरी]

के पक्ष में रक्खी है। आपने कहा कि यह पुरानी सरकार का था। यह कौन लाया में नहीं जानता लेकिन अगर उसी सरकार का था तो में माननीय मंत्री से कहूंगा कि सोना छोड़कर कोयले पर हाथ मत लगाओ। अच्छी चीज को पकड़ना चाहिये था। आप कहें कि गुप्ता सरकार लाई थी तो उचित नहीं होगा। इसलिये अपवाद के बारे में भी यह सब कहा और इसके बाद में कहा कि रूपज स्ट्रक्चर है उसको छोड़ देंगे। तो आपकी मंशा साफ नहीं है। जिसका रुख किरायेदार के पक्ष में होगा वह किरायेदार को बेदखली की प्रक्रिया कठिन बनायेगा। पुराने ऐक्ट की दफा ३ देखें। उसमें बेदखली करने के लिये कलेक्टर से पहले अनुमति मांगी जाती है। आज आपने बेदखली का सोलहों आने पावर मकान मालिक को दे दी है। पहले हमारा ख्याल है कि जिला मैजिस्ट्रेट कम अनुमति देता था। गरीब किरायेदार क्या करेगा वह मुकदमें में क्या जायेगा आखिर परेशान होकर मकानन को छोड़ देगा। मैं मंत्री जी से कहूंगा---वे वकील थे या नहीं मैं नहीं जानता---कि वे पुराने ऐक्ट को पढ़ लेंगे और इस बात पर ध्यान देने का कष्ट करेंगे। इसी प्रकार कभी-कभी पुराने ऐक्ट में होता था कि मकान मालिक अपने पक्ष में मकान को रिलीज करा लेते थे। उसकी प्रक्रिया बहुत ही कठिन थी। पहले मकान मालिक उस प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी मकान को अपने पक्ष में नहीं करा सकते थे लेकिन इस व्यवस्था में धारा २० में रिलीज की प्रक्रिया आपने बहुत ही सुगम बना दी है। इसके अलावा जाते-जाते आपने यह भी कहा कि संलग्न भूमि को अगर वह बेंचने के लिये तैयार हो जाय तब निर्माण के नाम पर तब भी रिलीज कर देंगे। जब आप किरायेदार के पक्ष में बात करते हैं तो रिलीज वाली प्रक्रिया न होने पावें उसको आपने क्यों कठिन नहीं बनाया। अब माननीय, फर्मों के बारे में आइये। गृह कर के अलावा अन्य कर जो इस ऐक्ट के बाद आयेंगे या पहले थे वह भी कौन देगा—किरायेदार देगा।

श्री उपाध्यक्ष—

कितना समय आप और लेंगे ? पहले दिन तो बोलने वालों का अभाव रहता है, दूसरे दिन भी १२ बजे तक बोलने वालों का अभाव रहता है, इसके बाद अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हो जाते हैं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण विधेयक है, अभी समय और चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

तो कल आप बोलियेगा, कल ५-१० मिनट में इसको समाप्त कर दें।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, नियमों को अवहेलना नहीं होना चाहिये। ४ मिनट ही इनको लेना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष—

उसकी ओर पीठासीन व्यक्ति का ध्यान आपको आकर्षित करना चाहिये था। मैं चाहता था उसी वक्त उनको रोकता, मैंने सोचा शायद वे अपना भाषण खत्म करने वाले हैं। मगर जब देखा कि अभी वे समाप्त नहीं कर रहे हैं तो मैंने उनको रोक दिया।

श्री कल्पनाथ सिंह—

हमने एक कामरोको प्रस्ताव दिया था।

श्री उपाध्यक्ष—

वह अध्यक्ष के सामने होगा। इस वक्त जो सूचनायें हैं जिन पर माननीय अध्यक्ष के आदेश हैं वह मैं सुना रहा हूं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

जब आप कुर्सी पर यहां बैठते हैं तो हम समझते हैं कि सब काम नियमों के अनुसार हो रहे हैं। इसलिये टोकते नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—

नियमों की स्थिति के बारे में संकेत करने का अधिकार सब को है। मान लीजिये कोरम नहीं है, तो जब तक कोई संकेत नहीं करता है मैं कार्य वाही चलने देता हूं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

हमने राज्य कर्मचारियों के सम्यन्ध में इस सरकार के कारनामों के विरुद्ध एक प्रस्ताव दिया था।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

आपका भी राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में है। मैं जो सूचनायें आयी हैं उनको सुनाता हूं।

आज नियम ५६ की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। नियम ५१ की सात सूचनायें प्राप्त हुई हैं। १—श्री नित्यानन्द स्वामी की एक है पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के प्रति हो रहे दुर्लक्ष के कारण मेघालय राज्य की मांग के बारे में—इसे माननीय अध्यक्ष ने अस्वीकार किया है।

दूसरा है श्री मोतीलाल देहलवी का—कानपुर जनपद की बिल्हौर तहसील की सहकारी समितियों तथा बीज गोदामों में गबन के बारे में—इसे नियम ५१ में स्वीकार किया गया है।

तीसरी है माननीय कृष्ण स्वरूप वैश्य की—बदायूं जनपद के ग्राम इस्लामनर में बिजली का तार टूट कर गिरने से एक हाथी एवं ५ बारातियों की मृत्यु के बारे में—इसे भी अस्वीकार किया गया है।

चौथा है सर्वश्री रामपूजन पटेल, राजितराम पांडेय, रामचरश त्रिपाठी तथा श्याम सूरत उपाध्याय का—इलाहाबाद जनपद के थाना मुट्ठीगंज के निवासी श्री लक्ष्मी नारायण को दिनांक २४ जून का पुलिस द्वारा गायब किये जाने के बारे में है—इसे भी अस्वीकार किया गया है।

माननीय हिम्मतसिंह ने सचिवालच के सचिवों द्वारा माननीय मंत्रियों के आदेशों की अवहेलना करने के बारे में लिखा है, इसे भी अस्वीकार किया गया है। सर्वश्री माननीय सुखलाल पांडेय, रामकरन सिंह तथा राजितराम पांडेय ने दिया है कि "बस्ती जनपद के जिला हरिजन कल्याण अधिकारश्री गब्बू प्रसाद द्वारा घूस मांगने के बारे में" यह भी अस्वीकार किया गया है। माननीय कल्पनाथसिंह, सुरेन्द्र विक्रम, रामकुमार शास्त्री, तथा रामविलास पांडेय ने प्रदेशीय सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के अनुसार राजकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता देने से इन्कार करने के बारे में, दिया है, यह भी अस्वीकार किया गया है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मैंने आज मान्यवर, नोटिस सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने के सम्बन्ध में दिया था, यह प्रश्न इसलिए पैदा हुआ कि सरकार ने स्वयं अपनी घोषित नीतियों के विरुद्ध चलना शुरू कर दिया है और उसमें सरकारी कर्मचारियों के साथ अत्याचार हो रहा है। इस सरकार ने प्रदेशीय सरकारी कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता देने के अपने निर्णय को बदल दिया है। यह कर्मचारियों के साथ, जनता के साथ घोर विश्वासघात है। मेरे पास एक सरकारी पुस्तका है, जिसे इसी सरकार ने पहले सूचना विभाग द्वारा प्रसारित करवाया था, उसमें लिखा है—"भविष्य में केन्द्रीय सरकार जितना भत्ता अपने

[श्री कल्पनाथ सिंह]

कर्मचारियों के लिए बढ़ायेगी, उतना ही उत्तर प्रदेश सरकार भी अपने कर्मचारियों के लिए देगी ह यह इन्हीं की संविद सरकार की घोषित नीति का अंश है। इन्होंने सरकारी कर्मचारियों का ऊपर अब कोप करना शुरू कर दिया है। जब सरकार पहले अपने कर्मचारियों के साथ अत्याचार कर रही थी, उन पर जुल्म ढा रही थी, तो उस जमाने में आपको याद होगा कर्मचारियों के आन्दोलन को विफल करने के लिए, जनता में उसकी इमेज को गिराने के लिए, इन्होंने यह पुस्तक निकाली थी। इस वचन से भी सरकार हट गयी है और जो एक सदस्यीय आयोग बैठा था, उसने भी अपने रिपोर्ट में कहा कि इन सारी बातों को होते हुए भी उन्हें केन्द्र के बराबर महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। लेकिन हमारे मुख्य मंत्री जी जो दिन भर में १० बार अपनी बात बदलने के आदी हो गये हैं, वह इसमें भी अपना वाक पटुता दिखलाने लगे हैं। मेरा निवेदन है कि इस सदन में इस बात की चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि सारे सहकारी कर्मचारियों में रोष और क्षोभ व्याप्त हो गया है और इस सरकार के प्रति घृणा के भाव व्याप्त हो गया है। उसने यह भावना बना ली है कि इस सरकार की बात का कोई ठिकाना नहीं है। उसे सरकार के आदर्शों से घृणा हो गई है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है और सारे प्रदेश की जनता और कर्मचारी इस बात के लिए हम लोगों की तरफ देख रहे हैं कि आखिर इस वचनभंगी, और वादाखिलाफी मुख्य-मंत्री के प्रति लोगों में कितना क्षोभ समाया है और हम लोग उनके प्रति कैसी भावना व्यक्त करते हैं। हम लोगों ने नयी सरकार के प्रति कितना रोष व्याप्त है। चूंकि माननीय सदस्यों का रोष और घृणा मुख्य मंत्री के खिलाफ व्याप्त हो गयी है, इसलिए उनकी यहां पर अभिव्यक्ति होना ही सही माने में प्रदेश की जनता का सही प्रतिनिधित्व होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा होनी चाहिए, वरना इस प्रदेश में ऐसी अव्यवस्था फैलने वाली है, जिसकी जिम्मेदारी वर्तमान मुख्य मंत्री और उनकी सरकार पर होगी। यह सारे प्रदेश की जनता की मनास्थिति पर कुठाराघात है। उसके पेट पर लात मार कर सरकार नहीं चल सकती। इसलिये इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

यह जो काम रोको प्रस्ताव दिया गया है इसे आप एकदम खारिज न करें। नियम ५२ में आप चाहें तो इसे ले लें। कर्मचारियों में एक बड़ड़ा भ्रम फैल गया है। ६७ में सरकार ने एक कमिटमेंट किया था जिस समय मुख्य मंत्री चौधरी चरण सिंह थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिस प्रकार अपने कर्मचारियों का डी० ए० बढ़ायेगी उसी प्रकार उत्तर प्रदेश भी बढ़ायेगी ६८ में राष्ट्रपति शासन में भी यह कमिटमेंट दिया गया। ६९व७० में भी दिया गया लिहाजा पिछले तीन चार साल से राज्य कर्मचारियों ने शान्तिपूर्ण ढंग से काम किया और कोई आन्दोलन नहीं किया इस कमिटमेंट के अनुरूप ६८ में जब केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का डी०ए० बढ़ातो वहां के कर्मचारियों का भी बढ़ाया गया। अभी कुछ दिन पूर्व मुख्य मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में उस कमिटमेंट के खिलाफ बोल कर राज्य कर्मचारियों में एक निराशा व क्षोभ का वातावरण उत्पन कर दिया है। लिहाजा आप और काम रोको प्रस्ताव में इसे स्वीकार न करें तो नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकार कर लें।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय (जिला इलाहाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, कल शाम को इलाहाबाद में एक लक्ष्मी नारायण नाम के व्यक्ति को जो समाजवादी युवजन सभा का सदस्य भी है पुलिस ने पकड़ लिया है। पिछले हिन्दी आन्दोलन में पुलिस से उसका कुछ झगड़ा भी हो गया था जिसमें पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, मारा पीटा और तब से उसकी पुलिस से रंजिश चली आ रही थी। कल ३ बजे पुलिस ने इस लक्ष्मी नारायण नामक लड़के को गिरफ्तार कर लिया और पता नहीं कहां पर उसको रखा गया है? पूरे शहर में

इस वक्त आतंक व सदमा है और सब को डर है कि पुलिस लक्ष्मी नरायण को कहीं मार न डाले या दूसरे प्रान्त में ले जाकर किसी क्राइम में फंसा न दे।

श्री उपाध्यक्ष—

यह मेरे सामने नहीं है। आप इसके लिये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न कर लें। मैं इसको भेज दूंगा।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

तब तक तो इलाहाबाद की पुलिस उसे मार डालेगी। इसी तरह से एक अन्य व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ कर मध्य प्रदेश ले जाकर गांजे तथा भांग में चालान कर दिया और एक दूसरे आदमी को पुलिस पकड़ कर ले गयी। उसे मार दिया तथा उसकी लाश को ले जाकर गंगा नदी में डाल दिया जिसका पता आज तक न चला। सबेरे मैंने इस विषय को उठाया था तो माननीय अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने नोटिस ले लिया है, निर्णय दे दूंगा। इस वक्त आप बैठें हैं इसलिये कम से कम आप मुख्य मंत्री से इस पर बयान ही दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप सवाल इस पर कर सकते हैं।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

इस तरह से तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं उनको इलाहबाद की पुलिस आन्दोलन करने पर गिरफ्तार करती चली जायगी।

श्री उपाध्यक्ष—

मेरे सामने यह सब चीजें नहीं हैं जिनकी आप आशंका कर रहे हैं। जो सूचना आपने दी है उसमें ये सब बातें नहीं हैं। केवल एक मामले का इसमें जिक्र है। अब अगर उसको गायब करते हैं तो सरकार को तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है। यह आपने लिखा है....

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मैं निवेदन करूंगा कि आप इसे मुख्य मंत्री जी के पास भेज दें और इसकी इन्क्वायरी करा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

भेज देंगे। लेकिन यह तय नहीं किया है। अध्यक्ष ने माना नहीं है। अल्प सूचित प्रश्न आप कर सकते हैं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि किसी भी मुख्य मंत्री को अपने मंत्रि-परिषद् के किसी भी मंत्री को पेन डाउन स्ट्राइक पर भेज कर इस आदरणीय सदन के प्रति जो ज्वाइन्ट रिस्पांसिबिलिटी मंत्रि-परिषद् की है उससे वंचित करने का भी अधिकार है और इस तरीके से किसी भी मंत्री की सेवाओं से पूरे प्रदेश को वंचित करने का अधिकार है? माननीय मुख्य मंत्री ने न तो उनका इस्तीफा स्वीकार ही किया है और न वापस ही करने की बात करते हैं। इसके ऊपर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह मैं नहीं जानता कि यह कलम-बन्द हड़ताल (पेन डाउन स्ट्राइक) है या कुछ और यह मंत्रि-परिषद् की जिम्मेदारी है। मंत्रि-परिषद् गठित है। आप स्वयं जानते हैं कि इस में आपका कोई हाथ नहीं है सदन का कोई हाथ नहीं है। मुख्य मंत्री अपने मंत्रि परिषद् के लिए

[श्री उपाध्यक्ष]

सिफारिश करते हैं, मुख्य मंत्री का चुनाव सदन नहीं करता है तो इस व्यवस्था के प्रश्न का हमसे कोई सम्बन्ध नहीं है। अब आप इसे कलमबन्द हड़ताल (पेन डाउन स्ट्राइक) कहते हैं तो मैं नहीं जानता। आप काल्पनिक स्थिति रखते हैं। यदि यह बात सदन के सामने आ जाय और कोई मंत्री जवाब देने से इन्कार करे तब हम कह सकते हैं कि उनको जवाब देना होगा। तो इस सम्बन्ध में हमारे सामने कोई प्रश्न नहीं है।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, १५ दिन हो गये, सारा दफ्तर बन्द है। यह बी० के० डी० और इन्डीकेट के आपस का मामला है। यदि कुछ न कुछ आपके हाथ से यह हो जाय तो...

श्री उपाध्यक्ष—

हो सकता है यह आपका और हमारा दुर्भाग्य हो कि इसमें अनिश्चितता है। यदि उनमें साहस हो तो वे अपना ध्यान दें और इजाजत दे सकता हूं। कहीं बुद्धिमानी की, कहीं साहस की कमी है और अपने-अपने कार्य करने की पद्धतियां हैं। किन्तु यह सदन के समक्ष नहीं है।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक दफा ५१ के अन्तर्गत एक प्रश्न उठाने की अनुमति चाही थी विषय यह था कि बस्ती में हरिजन कल्याण अधिकारी जो हैं वह सरकार द्वारा.....

श्री उपाध्यक्ष—

यह जो आपका आया है उसमें यह है?

श्री सुखपाल पांडेय—

जी हां, उपाध्यक्ष महोदय उन्होंने चिट्ठी लिखकर भेजा था। मेरे पास ३ चिट्ठियां मौजूद हैं। उनकी फोटो करके मैं लाया हूं कि तीन सौ रुपये दिये जायं और विद्यालयों के प्रबन्धकों से और जो हरिजनों को अनुदान दिया जाता था, मशीन अनुदान दिया जाता था उसमें हर आदमी से पैसा लेने के लिये मजबूर किया जाता था।

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये, अगर ऐसा कोई दस्तावेज आपके पास है, ऐसा कोई प्रमाण है, फोटो स्टेट कापी है तो उसको माननीय अध्यक्ष को दिखाइये। आपके पास फोटो स्टेट कापी हो सकती है, लेकिन उस पर जो दस्तखत हों वह उस शख्स के न हों, हो सकता है किसी और ने कर दिये हों। इसलिये आप प्रमाण उनके सामने प्रस्तुत कीजिये।

श्री सुखपाल पांडेय—

मैंने उनको माननीय अध्यक्ष को दिखाया था, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि वह इसको स्वीकार करेंगे। पता नहीं इसको देखने के बाद उनकी वह दृष्टि कहां चली गयी?

श्री उपाध्यक्ष—

आपको माननीय अध्यक्ष ने आश्वासन दिया और इसके अस्वीकार करते हुए वे लिखते हैं कि "विषय अनिश्चित है, तात्कालिक महत्व का नहीं है।"

श्री सुखपाल पांडेय—

यह मैं माननीय चरण सिंह के स्वच्छ प्रशासन का नमूना पेश कर रहा हूं। वे स्वच्छ प्रशासन की डींग हांकते हैं और उनका एक अधिकारी चिट्ठी लिखकर रिश्वत मांगता है। इस वक्त श्री अध्यक्ष भी नहीं हैं, जिन्होंने मुझे यह आश्वासन दिया था।

श्री उपाध्यक्ष—

आप माननीय अध्यक्ष और मुख्य मन्त्री पर आक्षेप कर रहे हैं, और वे यहां हैं नहीं। आप माननीय अध्यक्ष को फिर से कागज-पत्र दिखा दें। शायद कुछ गलतफहमी हो। हो सकता है वे आप की बात को मान लें।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कृष्णानन्द राय जी और कल्पनाथ सिंह का एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव था कर्मचारियों के बारे में, उस पर मेरे भी दस्तखत थे। श्रीमन्, यह एक बहुत ही गम्भीर मसला है। अगर स्टेट के कर्मचारी दुखी रहे तो स्वच्छ प्रशासन किस प्रकार से चल पायेगा। इस सरकार की हमेशा यह नीति रही है और सदन की मान्यताओं का इसके मस्तिष्क में कोई महत्व ही नहीं है। आश्वासन की कोई कीमत ही नहीं है, इसकी संयुक्त रेस्पांसीबिलिटी भी समाप्त हो गयी है। अगर आप इसको इजायज नियम ५६ में नहीं दे रहे हैं तो नियम ५१ में बयान करवा दें अथवा ५२ में दो घंटे का विवाद करा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न दे दें, आपको उत्तर दिला दिया जायगा।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

असेम्बली तो उड़ ही चली है, हमारी भावनाओं को माननीय अध्यक्ष तक पहुंचा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

अच्छा पहुंचा दूंगा।

श्री डूंगर सिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)—

हम तीन लोगों ने दफा ५२ का एक नोटिस दिया था, माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी की जो जन अदालतें चल रही हैं, उनके विरुद्ध उसका क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो अभी विचाराधीन है। जब वह आये उस पर चर्चा कर लीजिये।

श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने नियम ५१ में एक सूचना दी थी। वर्षा की वजह से किसानों का लाखों टन गल्ला प्रदेश में खराब हो रहा है। आज वह गल्ला आधे मूल्य पर भी मंडियों में नहीं बिक रहा है। इस तरह से किसान को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचा है।

श्री उपाध्यक्ष—

आज वाले में नहीं है आपका।

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

मैंने कल दिया था। यह बहुत महत्वपूर्ण है। पंजाब प्रदेश में ऐसे पीड़ित कृषकों का गेहूं तो केन्द्रीय सरकार ने लेना स्वीकार कर लिया है।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी शायद आप वाले पर विचार नहीं किया है। विचार हो गया होता तो यहां आ गया होता।

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। उत्तर प्रदेश के जो पीड़ित किसान हैं, जिनका गल्ला वर्षा से खराब हो गया है उसको भी निर्धारित मूल्य पर ले लेना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

वह जब कल आयेगा तब आप कहें। आज तो है ही नहीं।

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

मेरी भावनाओं को अध्यक्ष महोदय तक पहुंचा दीजियेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

पहुंच जायेगी।

श्री सन्तू (जिला बस्ती)—

नियम ५१ में मैंने एक दिया था लेकिन अभी तक आया नहीं। यह बड़ा भारी प्रश्न है हत्याकांड के विषय में।

श्री उपाध्यक्ष—

यह हमारे समक्ष है नहीं। इस वक्त तक उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

आज से लगभग दस रोज पहले जो जिला परिषद् के अध्यापकों को निकाला जा रहा है, कई स्कूल बन्द कर दिये गये हैं जिसके कारण उनकी सर्विसेज खत्म हो गयीं, इस सम्बन्ध में मैंने एक प्रश्न नियम ५१ में दिया था और आपने स्वीकार कर लिया परन्तु अभी तक उसकी तिथि तय नहीं हुई है। कल करवा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

स्वीकार हो गया है तो वह आयेगा लेकिन प्राथमिकता के हिसाब से आयेगा। जब समय मिलेगा २९ को, ३० को या जब समय मिलेगा तब आयेगा।

श्री महरमसिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

उपाध्यक्ष जी २२ तारीख को नियम ५१ में एक प्रश्न दिया था.....

श्री उपाध्यक्ष—

२२ को दिया होगा तो अस्वीकृत होगा।

श्री महरम सिंह—

अध्यक्ष जी ने स्वीकार कर लिया था और उस प्रश्न में यह मांग की गई थी कि जल्दी ध्यान दिलाया जाय क्योंकि फर्रुखाबाद के दो डिग्री कालेज और रायबरेली और उन्नाव के एक कालेज के ५ हजार लड़कों की परीक्षा रद्द कर दी गयी है। इसलिये इन जिलों की जनता और छात्रों में असन्तोष है। तो एक विशेष परिस्थिति मान कर तुरन्त ध्यान दिलाया जाय। इसमें बहुत आंकड़े इकट्ठे करने की बात नहीं थी। अध्यक्ष जी ने कल कहा था।

श्री उपाध्यक्ष—

आप एजेंडा पढ़ते हैं या नहीं। कार्यसूची में लिखा है :

कानपुर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आने वाले रायबरेली, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद, उन्नाव डिग्री कालेजों की परीक्षाफल को रद्द किये जाने के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध

में सर्वश्री कृष्ण स्वरूप वैश्य, महरम सिंह तथा राम गोपाल संड द्वारा नियम ५१ के अन्तर्गत दी गई सूचना पर शिक्षा मंत्री का वक्तव्य।

श्री महरम सिंह—

इसकी कापी नहीं दी गई इसलिये मैंने कहा।

श्री उपाध्यक्ष—

वह आप को मिल जायेगी।

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना दी थी बदायूं जिला के ग्राम इस्लामनगर में ५ आदमियों.....

श्री उपाध्यक्ष—

इसके लिये आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर दें।

श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)—

मान्यवर, कई दिन पहले दो पत्र आपकी सेवा में दिये थे। एक यह था कि हमें आश्वासन मिला था शिक्षा मंत्री जी से और यह बताया गया था कि आश्वासन नहीं मिला था, उसके सम्बन्ध में मैंने दिया था कि मुझे आश्वासन दिया गया है। कृपा कर आप देखकर मुझे बतावें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लिखकर दें।

श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)—

दूसरा मैंने चर्चा के लिये प्रर्थना-पत्र दिया था कि चर्चा हो जाय। मालूम नहीं कि वह मंजूर हुआ या नहीं। कृपा कर आप अपने सचिव महोदय को कह दें कि वह मुझे सूचना तो दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

सूचना तो वह दे ही देंगे।

श्री रूपनार्थसिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

आज के एजेन्डा में आइटम नं० १३ है, के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ तथा जी० एस० वी० एम० कालेज, कानपुर के डेढ़ हजार पी० एम० टी० के अभ्यार्थियों का फार्म अस्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में चिकित्सा मंत्री का केवल वक्तव्य। मान्यवर, मैंने सूचना दी थी २२ जून को और इसमें सूचना देने वाले का नाम ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

वक्तव्य आने दीजिये, आप का नाम जोड़ दिया जायेगा।

श्री रूपनार्थसिंह यादव—

दूसरी व्यवस्था यह चाहते हैं कि जो वक्तव्य बंटा है सिर्फ एक के बारे में माननीय मंत्री जी का वक्तव्य है और दूसरे के बारे में नहीं दिया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यह अधूरा है। मैं सूचना दे रहा हूं, पूरा वक्तव्य आना चाहिये चाहे कल दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

वक्तव्य आने दीजियें स्पष्टीकरण आप चाहेंगे। उसके बाद अगर वह नाकाफी हो तो देखा जायेगा। हो सकता है कि उसमें आपका जवाब मिल जाय।

श्री इन्द्रमणी (टिहरी-गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ३, ४ दिन पहले बद्रीनाथ मंदिर के बारे में अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पूछा था। वहां पर पंडा लोगों को जिन्होंने प्रचार किया है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। मैंने यह कहा है कि वहां पर एक कुण्ड है जिसका पानी शौचालय ले जा रहे हैं। वहां पर गिरफ्तारियां हुईं जो मंत्री जी नहीं चाहते थे, लेकिन वहां की पुलिस ने यह किया.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप मिलियेगा, मैं देखूंगा कि स्वीकार हुआ या नहीं।

श्री इन्द्रमणी—

अब तो वहां सब शान्त हो गया है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि ऐसा काम मत करो लेकिन उनके कहने पर भी वहां के कर्मचारियों ने ऐसा काम किया है।

श्री उपाध्यक्ष—

जो सूचना आपने आज दी है वह हमारे पास नहीं है।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)—

मैं भी मंत्री जी से आपके द्वारा दरख्वास्त करूंगा कि श्री प्रेम लाल जी वैद्य इस सदन के सदस्य रहे और वह झगड़ा वगैरह में विश्वास नहीं रखते और उन्हें गिरफ्तार करना बहुत अच्छी चीज नहीं है। मैं आप से दरख्वास्त करूंगा कि आप इसकी जांच करावें। बहिन जी वहां गई थीं। वह धार्मिक स्वभाव की हैं वह इंटरेस्ट लें और प्रेम लाल जी को बुलाकर कुछ फैसला करा दें तो अच्छा होगा।

समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती विद्यावती राठौर)—

मुझे तार मिला कि प्रेम लाल गिरफ्तार हो गये लेकिन मालूम हुआ कि वह थोड़ी देर बाद छोड़ दिये गये और वहां बिलकुल शान्ति है और आगे की जानकारी मैं कर रही हूं और जो उचित होगा वह किया जायगा।

१५ मई, १९७० के अल्प सूचित तारांकित प्रश्न १ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

गृह उप मंत्री (श्री ओमप्रकाश सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, दिनांक १५ मई, १९७० को श्री अनन्तराम जायसवाल, सदस्य, विधान सभा, द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या १ के संबंध में श्री अनन्तराम जायसवाल ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि "चूंकि संविधान के अनुसार ऐसी यूनियन बन सकती हैं तो फिर माननीय मंत्री जी हमदर्दी से उस पर विचार कर के उनको पुनः लेने का कष्ट करेंगे।"

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "यह आल इंडिया पालिसी है। लेकिन जहां तक मेरी इत्तला है जो लोग हड़ताल में शामिल हुए थे और जिनकी नौकरी चली गई थी उनमें से बहुत से लोग वापस ले लिए गये हैं।"

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला। सही उत्तर इस प्रकार है "यह बाल इंडिया पालिसी है। लेकिन जहां तक मेरी इत्तला है सैनिक स्कूल के जिन कर्मचारियों ने स्कूल के बारह सेवामुक्त कर्मचारियों की सहानुभूति में हड़ताल की थी उन सब लोगों को वापस ले लिया गया है।"

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २५९-२६० पर।)

के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ तथा जी० एस० वी०एम० कालेज, कानपुर के पी० एम० टी० अभ्यर्थियों के फार्म अस्वीकृत करने के संबंध में वक्तव्य

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री धर्मदत्त)—

लखनऊ तथा कानपुर के मेडिकल कालेजों में एम० बी० बी० एस० कोर्स में प्रवेश के लिये लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा ली जाने वाली प्री-मेडिकल परीक्षा २६ जून, १९७० से आरम्भ होने वाली थी। उस सम्बन्ध में सरकार को इस प्रकार के तमाम प्रत्यावेदन प्राप्त हुये कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने कुछ आवेदनकर्ताओं के प्री-मेडिकल परीक्षा में बैठने के लिये दिये गये आवेदन-पत्र इस आपत्ति पर अस्वीकृत कर दिये हैं कि उनमें प्रधानाचार्यों के बजाय उप-प्रधानाचार्यों के हस्ताक्षर थे, या अमुक प्रमाण-पत्र, जो आवेदन-पत्र के साथ देने थे, उनमें कुछ त्रुटियां या कमियां थीं। इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होते ही सरकार ने विश्वविद्यालय के सम्बन्धित अधिकारियों का ध्यान इस ओर दिलाया। इस मामले में सरकार द्वारा तत्काल उठाये गये सक्रिय कदम के फलस्वरूप आवेदनकर्ताओं की कठिनाइयों को देखते हुये लखनऊ विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने अब यह निर्णय ले लिया है कि उन सभी आवेदनकर्ताओं को, जिनके आवेदन-पत्रों में कुछ त्रुटियां या कमियां होने के कारण जिन्हें अस्वीकृत कर दिया गया था, इस प्री-मेडिकल परीक्षा में बैठने की अनुमति प्राविजनली दे दी जाय इस शर्त पर कि आवेदनकर्ता उन त्रुटियों/कमियों को १५ जुलाई, १९७० तक दूर कर दें। यदि आवेदनकर्ता ऐसा नहीं कर पायेंगे तो उक्त परीक्षा के लिए उनको पात्रता रद्द की गई समझी जायगी और परीक्षा शुल्क उन्हें लौटाया नहीं जायगा। उक्त निर्णय के फलस्वरूप लगभग ९०० आवेदनकर्ताओं को परीक्षा में बैठने की अनुमति प्राविजनली दी जा रही है और विश्वविद्यालय उन्हें तार द्वारा इसकी सूचना भेज रहे हैं। यह निर्णय उन आवेदनकर्ताओं पर लागू नहीं है जिनके आवेदन-पत्र/परीक्षा शुल्क निर्धारित अन्तिम तिथि बीत जाने के बाद विश्वविद्यालय को प्राप्त हुये थे या जो निर्धारित न्यूनतम आयु से कम आयु के थे।

जिन आवेदनकर्ताओं को उक्त निर्णय के अनुसार परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा रही है उन्हें समुचित समय देने के उद्देश्य से इस परीक्षा की तिथियां आगे बढ़ा दी गई हैं, परीक्षा अब २ से ५ जुलाई, १९७० को होगी।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

जो सूचना मैंने नियम ५१ में दी थी क्या मन्त्री जी उसमें दूसरा जो लोक महत्व का प्रश्न था उस को पढ़कर सदन में सुनावेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष —

दूसरा कौन सा है ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

हमने यह पाइन्ट लिखा था कि मैडिकल कालेंज के कांस्टीट्यूशन की धारा १५(४) के मुताबिक.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप ऐसा करें कि प्रश्न कर लें।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

मैं चाहूंगा कि वह भी लोक महत्व का प्रश्न है। उस पर वे सूचना मंगा लें।

श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)—

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। ५ जुलाई से आगे भी होगा इसका स्पष्टीकरण कर दें।

श्री धर्म दत्त—

दो जुलाई से ५ जुलाई तक है।

श्री उपाध्यक्ष —

यह लिखा है कि २ जुलाई से ५ जुलाई तक परीक्षा होगी।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

१५ सौ दरखास्तें थीं जिनमें ६०० में आपने परमीशन दे दी है। बाकी ६०० का क्या हुआ ?

स्वास्थय मंत्री (श्री अनवार अहमद)—

ये ऐसी हैं जिनमें कि उम्र कम है या निर्धारित शुल्क नहीं भेजा है। इस प्रकार के आवेदन-पत्र खारिज कर दिये हैं।

श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

जिन परीक्षार्थियों ने समय के अन्दर अपनी फीस मनी आर्डर से भेज दी और डाकखाने की गड़बड़ी के कारण देर से पहुंची तो उसमें क्या होगा ?

श्री अनवार अहमद—

मैं यह बतला देना चाहता हूं कि जहां तक इन इम्तिहानों का सम्बन्ध है इनसे सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। विश्वविद्यालय आटोनोमस बाडी है और उन्हें पूरे अधिकार प्राप्त हैं कि जिस प्रकार चाहें इम्तिहान लें। लेकिन फिर भी सरकार ने कोशिश की जिसका नतीजा यह निकला कि ६०० आवेदन-पत्र स्वीकार करने के लिये विश्वविद्यालय तैयार हो गया है। बाकी ६०० के लिए जिनमें नियमानुसार गलती पूरी नहीं हो सकी ने मानने के लिये तैयार नहीं हैं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या मंत्री जी यह बतलायेंगे कि ६०० एप्लीकेशंस को मंजूर कर लिया और प्राविजनली इम्तिहान देने की इजाजत दे दी तो फिर यह एक शर्त लगाने की क्या जरूरत महसूस हुई कि अगर १५ जुलाई तक इस त्रुटि को कि प्रिन्सपल की जगह वाइस प्रिन्सपल न दस्तखत किये हैं दूर नहीं करेंगे तो रिजल्ट विदहोल्ड कर लिये जायेंगे।

श्री अनवार अहमद—

जो गल्तियां हैं उन्हें दुरुस्त करना अनिवार्य था इसलिए १५ जुलाई तक का समय दिया गया है।

के पी० एम० टी० अभ्यर्थियों के फार्म अस्वीकृत करने के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री रियासत हुसेन—

मेरा यह प्रश्न नहीं है। मेरा पर्टीकूलर प्रश्न है। प्रिन्सपल के बजाय वाइस प्रिन्सपल ने दस्तखत किये हैं। आपने ऐसे ६०० लड़कों को इजाजत दे दी। अगर आप सही समझते हैं तो फिर यह प्रावीजन लगाने की जरूरत क्यों महसूस हुई कि अगर १५ जुलाई तक इस त्रुटि को दूर नहीं करेंगे तो खारिज कर दिये जायेंगे।

श्री अनवार अहमद—

'नियम के अनुसार प्रधानाचार्य का दस्तखत होना अनिवार्य था और वह नहीं हुए तो इस कमी को पूरा करने के लिये समय दिया गया है।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

पांच छः हजार फार्म्स अभी ऐसे हैं जो अभी चैक नहीं हुए हैं तो क्या उनको भी जल्दी से जल्दी चेक करवायेंगे ?

श्री अनवार अहमद—

वैसे तो अब कोई सवाल नहीं उठता लेकिन जितने फार्म थे और चैक किये जा सकते थे उन सब को देखने के बाद ही यह निर्णय लिया गया है। अब कोई फार्म देखने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)—

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस किस्म का निर्णय कर लिया गया है कि तार द्वारा सूचना भेजी जा रही है तो पहाड़ों में जहांकि तार की व्यवस्था नहीं है वहां के लिये भी सूचना पहुंच सके इसके लिये क्या मंत्री जी आकाशवाणी से इसको प्रसारित करवाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अनवार अहमद—

मान्यवर, तार भेजे जा चुके हैं, अखबार में खबर प्रकाशित हो चुकी है और इस बात को देखा जाएगा कि अगर मुमकिन हुआ तो यह खबर और तरीकों से भी कर दी जाएगी।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

मान्यवर, इसी से सम्बन्धित हमारा प्रश्न था।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर आप इस समय पूछते हैं तो सदन का समय नष्ट होगा क्योंकि उसके लिए स्वास्थ्य मंत्री जी तैयार नहीं हो शायद। फिर किसी दिन आ जाएगा।

एक सदस्य—

प्री–मेडीकल टैस्ट के लिए जो फार्म फारवर्ड हुए हैं, कानपुर के आचार्य नरेन्द्र देव डिग्री कालेज से जो फारवर्ड हुए है वह इस बिना पर रिजेक्ट हुए कि वाइस प्रिन्सीपल ने फारवर्ड किया। इसके बाद यह भी लिखकर भेज दिया गया कि वह ड्यूली आथोराइज्ड थे....

श्री उपाध्यक्ष—

यही तो कारण है। आपने शायद सुना नहीं।

ग्राम सजेरा, थाना रेढ़र, जिला जालौन से ११ बच्चों के अपहरण के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

प्वाइंट आफ आर्डर। श्रीमन्, जब भी इस तरह के कत्ल, बलात्कार के मामलों में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य होते है तो मुख्यमंत्री जी गैरहाजिर रहते हैं। पिछली मर्तबा यह व्यवस्था हो चुकी है कि मुख्य मंत्री जी को ऐसे वक्तव्यो के समय हाजिर रहना चाहिये। माननीय उप मंत्री जी को पूरा अधिकार नहीं होता कि सी० आई० डी० जांच आदि की मांग पर कुछ कह सकें। इसीलिए दो मर्तबा ऐसे प्रश्न स्थगित भी हो चुके हैं। तो पहले उपमंत्री जी से आप पूछ लें कि उनको अधिकार है या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—

वह पहले वक्तव्य दे दें। फिर आप सवाल करेंगे तब वह जवाब देंगे।

गृह उप मंत्री (श्री ओमप्रकाश सिंह)—

मान्यवर, उनकी ऐसी बाते कहने की आदत है।

मान्यवर, जिला जालौन के थाना रेढ़र पर दिनांक २६-५-७० को एक व्यक्ति ने इस आशय की सूचना दी कि दो बजे दिन में गांव में चिल्लाने तथा फायर की आवाज सुनकर जब वह बाहर आया तो उसने देखा कि गांव में चार आदमी बंदूकों से लैस खाकी कपड़े पहने हुए तथा दो अन्य आदमी सादे कपड़े से मुंह बांधे हुए गांव के चार आदमियों को पकड़ कर जंगल की तरफ ले गये। इनमें से एक व्यक्ति को लंगड़ा होने के कारण छोड़ दिया। गांव की दूसरी तरफ से चार अन्य व्यक्ति खाकी वर्दियों में तथा बन्दूक से सुसज्जित आये तथा उन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा जो छुड़ा कर भाग गया और जिस पर उन्होंने फायर भी किया। इसके अलावा उक्त व्यक्तियों ने गांव के कुछ और लोगों को भी पकड़ा परन्तु पूंछ तांछ करके उनमें से कुछ को छोड़ दिया। प्राप्त सूचना के अनुसार सब मिलाकर पांच व्यक्तियों को वे लोग आपने साथ ले गये। ये सभी व्यक्ति वयस्क हैं। इस सूचना के आधार पर एक मुकदमा कायम किया गया तथा विवेचना की जा रही है।

ग्राम सजेरा में कभी भी पुलिस चौकी नहीं रही है। दिनांक २६-५-७० से ग्रामवासियों को सुरक्षा हेतु पी०ए०सी० की एक टुकड़ी लगा दी गई है। जनता में न कोई आतंक और न ही किसी प्रकार से शान्ति व्यवस्था के प्रति अविश्वास पाया गया है। इस समय जनपद के सरहदी क्षेत्र की सुरक्षा हेतु काफी संख्या में पुलिस और पी०ए०सी० के दस्ते आवश्यकतानुसार विभिन्न स्थानों पर लगा दिये गये हैं। दस्यु दल के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु विशेष अभियान जारी कर दिया गया है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि मैंने जो नोटिस दी थी उसमें ग्राम सजेरा की चौकी की बात नहीं थी उसमें मध्य प्रदेश के सरहद पर एक चौकी थी जिसको सरकार ने हटा लिया है तो क्या यह सही है कि उस मध्य प्रदेश की सरहद से चौकी को सरकार ने हटा लिया है?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

यहां ग्राम सजेरा में कोई भी पुलिस की चौकी नहीं थी।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मैं ग्राम सजेरा की बात नहीं कह रहा हूं। मध्य प्रदेश के सरहद पर एक चौकी थी जिसको सरकार ने हटाया है। तो क्या यह सही है कि उस चौकी को वहां से हटा लिया ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई चौकी यहां से नहीं हटाई है।

श्री कृष्णस्वरूप (जिला बदायूं)—

क्या सरकार बतायेगी कि ये ५ आदमी बरामद हो पाये हैं या नहीं और पुलिस ने इस सम्बन्ध में छानबीन करने के लिये क्या कार्यवाही की ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

पुलिस बराबर प्रयत्नशील है। असल में ऐसा प्रतीत होता है कि यह मध्य प्रदेश का गैंग है, उत्तर प्रदेश का नहीं। जिनका अपहरण किया गया है अभी तक उनमें कोई भी बरामद नहीं हुआ है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

५, ५ व्यक्ति डकैत उठाकर ले जांय तब भी उस गांव में कोई आतंक नहीं है यह मंत्री जी स्वयं की राय है या वस्तु स्थिति से इसका कोई ताल्लुक है ?

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

वस्तु स्थिति पर ही तो राय बनती है। पी० ए० सी० जब से वहां स्थापित हुई है तब से वहां कोई आतंक नहीं है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

जहां से ५ आदमी डकैत उठा ले जांय और वहां पर कोई आतंक न हो यह ऐसी बात है जिस पर माननीय मुख्य मंत्री कुछ प्रकाश डालेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने बता दिया।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

यह सरकार ने पता लगाने की कोशिश की कि खाकी वर्दी में डकैत जो आये थे वह पुलिस के ही आदमी थे और वहां से इन आदमियों को पकड़ कर ले गये ? श्रीमन्, आप देखेंगे कि बयान में कहा गया है कि दो बार डाकू आये तो क्या यह बात सरकार के नोटिस में है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है कि पुलिस वाले डाकू बनकर आये थे।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार ने इस सिलसिले में कोई और कार्यवाही की ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

वहां पर पी० ए० सी० तैनात है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

इन ५ आमदियों की रिकवरी के सिलसिले में मालूम करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश की सरकार से कोई कंटैक्ट करने की कोशिश की यदि नहीं तो करेगी ?

श्री चरण सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई नयी समस्या नहीं है, एक पुरानी समस्या है। उधर बीहड़ जंगल जो मध्य प्रदेश से मिले हुए हैं, और कई बार यू० पी० के अन्दर यू० पी० गवर्नमेंन्ट के आफिसरों की राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के आफिसरों से बातचीत हो चुकी है लेकिन अभी तक यह समस्या हल नहीं हो पायी है। भिंड में सन् १९६८ में ११ आदमी किडनैप किये गये और १९६९ में २१ आदमी किडनैप किये गये। मुरैना में सन ६८ में ५७, तथा सन ६९ में ७८, ग्वालियर मेंसन् ६८ में १७ तथा सन् ६९ में ५३, शिवपुर में सन् ६८ में २२ तथा सन् ६९ में ३२, दतिया में सन् ६८ में ७ और सन् ६९ में १४ व्यक्ति किडनैप किये गये। जालौन में सन् ६८ में १ तथा सन् ६९ में कोई नहीं किडनैप किया गया। अबकी बार ४–५ आदमी किडनैप किये गये। मेरे कहने का मतलब यह कि यह पुरानी समस्या है, उसको हल करने की कोशिश की जा रही है। आपने जो यह पूछा कि अब तक इस सम्बन्ध में कोई बातचीत हुई उनसे या नहीं, तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जिले के पुलिस सुपरिटेंडेट से जरूर कंटैक्ट किया गया होगा। अब हर गांव में पुलिस कैसे रह सकती है, इस ख्याल से कि वहां किडनैपिंग होन वाला है ?

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, डाकुओं ने जिन ५ आदमियों को छोड़ दिया वे कहां चले गये ? वे कहीं चले गये या दूसरी जगह भेज दिये गये ?

श्री चरण सिंह—

उनको कहां ले गये, अगर पुलिस को पता होता तो वह उनको पकड़ न लिये होती।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, बयान में है कि डाकुओं ने गांव के कुछ लोगों को पकड़ा और कुछ पूछताछ करके उनमें से कुछ को छोड़ दिया, तो ये कौन-कौन लोग थे तथा इनसे क्या पूछताछ की और इनको क्यों छोड़ दिया, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री चरण सिंह—

इसमें आपको परेशानी क्यों है ? १८ घरों का गांव है, बहुत जरा सा हेमलेट है। वहां कोई पुलिस तो थी नहीं और ये लोग आर्म्ड थे। उनसे कैसे पूछ लिया जाता कि फलां आदमी कहां गये, यह मुश्किल था और हर जगह पुलिस का रखना भी सम्भव नहीं हो सकता।

श्री कृष्णचन्द्र (जिला झांसी)—

ओरई और झांसी का क्षेत्र ऐसा है जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। वहां पर जो पुलिस का इन्तजाम है वह पुराने आधार पर ही है जब कि अब अपहरण और डकैती के केस १०–५ वर्ष में काफी बढ़े हैं। तो मैं यह पूछना चहता हूं कि ला ऐंड आर्डर के सिलसिले में यह जो नया डेवलपमेंट हुआ है, उसको देख कर वहां पुलिस थानें की व्यवस्था नये हिसाब से करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो सुझाव है।

श्री चरण सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस और थाने की व्यवस्था इस ख्याल से नहीं की जा सकती। यह असम्भव बात है। यह पुरानी समस्या है जिसको पुराने ढंग से हल करने की कोशिश की जा रही है। अगर माननीय सदस्य कोई सुझाव देंगे तो हम बड़ी खुशी से उस पर गौर करेंगे। आपको मैं बतलादूं कि थाने की संख्या तो वहां नहीं बढ़ायी जा सकती लेकिन वहां पी०ए०सी० को पोस्टिगं वगैरह होती रहती है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय मुझे ४–५ फिखरे इस विवरण के पढ़ने पड़ेगे। इस में है कि ग्राम सजेरा में कोई भी पुलिस चौकी नहीं रही है। कु छ समय के लिये सन् ६७ में ग्राम सजेरा से लगभग २ मील दूर ग्राम अर्जुनपुरा में पी० ए० सी० की एक पोस्ट रही थी। जिले की सामान्य स्थिति को देखते हुये सन् ६७ मे यह पोस्ट तोड़ दी गई थी। फिर दिसम्बर सन् ६८ में मध्य प्रदेश की सीमा पर अन्तरप्रान्तीय दस्यु दलों की गतिविधियों के बढ़ जाने के फलस्वरूप इस जिले के सरहदी क्षेत्र में दो पी० ए० सी० कम्पनी तैनात की गई थीं और उनकी एक पोस्ट अर्जुनपुरा में बनी थी जो जनवरी, ६९ के आरम्भ में ही तोड़ दी गई थी। इसके बाद उस क्षेत्र में अन्य प्रान्तीय दस्यु दलों के विचरण की कोई पुष्टि नहीं हो सकी और सन् ६९ में कोई घटना उनके द्वारा इस जिले में नहीं घटित हुई। तो इस तरह सन् ६९ में कुछ नहीं हुआ और अब फिर घटना हुई तो पी०ए०सी० वहां फिर पोस्ट कर दी गई। इसके अलावा अगर कोई रचनात्मक सुझाव माननीय सदस्य देंगे तो उस पर विचार करके कार्यवाही की जायगी।

श्री गोविन्द सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि जिन ५ व्यक्तियों का किडनैपिंग हुआ है उनके परिवारों से रुपया मांगा जा रहा है और उनके उठ जाने से वहां की जनता में इतना भय है कि कोई भी आदमी शाम के बाद बाहर नहीं निकलता। जब वहां किडनेपिंग होता रहा है तो वहां से पी० ए० सी० हटाने का क्या आधार है ?

श्री चरण सिंह—

साल भर तक सन् ६९ में वहां कुछ नहीं हुआ और जब यह वाकयात फिर हुये तो फिर पी० ए० सी० लगा दी गई और अब वहां कोई आतंक नहीं है, वहां केवल १८ परिवार हैं और १४ उनके एक ही बिरादरी के हैं, उनमें आपस में मुकदमेबाजी चलती है और कहा जाता है कि यह हो सकता है कि एक फरीक ने बुलाकर दूसरे फरीक के लोगों को किडनेप कराया हो, ऐसा शक है दूसरी रिपोर्ट अभी नहीं आई है विस्तार के साथ अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

सवाल सरकारी सूत्रों का नहीं है लेकिन अखबारों से मालूम हुआ कि करीब डाकुओं के ७८ नेताओं के नेतृत्व में वहां ऐसे कार्य होते हैं,इस इलाके से मध्य प्रदेश की चम्बल रेवीन्स मिली हुई हैं और इस बात को देखते हुये क्या मुख्य मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि वहां कोई स्पेशल आफिसर या स्क्वैड मुकर्रर किया जाय ताकि वहां इस डाकू समस्या का सफाया हो सके ?

श्री चरण सिंह—

मुझे ताज्जुब है आचार्य जी कैसे भूल गये सन् ६९ से ही जब कि उन की सरकार थी एन्टी डेक्वायट स्क्वैड डी० आई० जी० के अधीन बना हुआ है और उन का क्षेत्र आगरा से झांसी तक है और उनके सुपर विजन में जो क्षेत्र है वहां उन के साथ एस० पी०, डी० आई० जी० और एक टुकड़ी है। उन को काफी कामयाबी आगरा और मथुरा के क्षेत्र में रही है अब उन्होंने बहुत से डाकुओं का खात्मा भी किया है। यह डाकुओं की समस्या ऐसी है कि यह पैदा होते रहते हैं और खत्म भी होते रहते हैं। इस के अलावा जो सुझाव उनके मुकाबले के लिये दिये जायेंगे उन से हमें खुशी होगी।

श्री गोविन्द सिंह—

इस परिस्थिति को देखते हुए क्या कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती थानों में कोई कोआर्डिनेशन हो सके ?

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, आप का सुझाव हो गया। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि आप के सुझावों पर गौर करेंगे।

कानपुर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत कुछ केन्द्रों का परीक्षा फल रद्द किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

शिक्षा राज्य मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६५ की धारा १९ की उपधारा १ (एच) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी को परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था करने के बारे में पूर्ण अधिकार प्राप्त है। कानपुर विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी ने इन अधिकारों के अन्तर्गत जून ७, १९७०, को कुछ डिग्री कालेजों के परीक्षा केन्द्रों की परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय किया। कानपुर विश्वविद्यालय को भिन्न सूत्रों से यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ केन्द्रों में परीक्षायें सही रूप से नहीं संचालित की गईं। यह केन्द्र थे डी० बी० एस० कालेज, कानपुर, डी०एस० एन० कालेज उन्नाव, फीरोज, गांधी कालेज, रायबरेली, आर० एपी० कालेज, सीतापुर, बद्री विशाल कालेज, फर्रुखाबाद और डी० एन० कालेज, फतेहगढ़। कार्यकारिणी ने जून ७, १९७०, की बैठक में यह निर्णय किया कि इन परीक्षा केन्द्रों में ली गई परीक्षाओं में डी० बी० एस० कालेज, कानपुर और आर० एम० पी० कालेज, सीतापुर को छोड़ कर सामूहिक रूप से नकल की गई परीक्षा केन्द्रों पर शान्ति की उपयुक्त व्यवस्था नहीं थी और निरीक्षकों ने अपने कर्तव्य को उचित ढंग से नहीं निभाया।

इन केन्द्रों की परीक्षाओं को रद्द करने के पश्चात् विश्वविद्यालय ने परीक्षार्थियों की परीक्षा दूसरे केन्द्रों पर लेने की व्यवस्था की है। बताई गई परिस्थिति में विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी ने आवश्यकतानुसार उपयुक्त निर्णय किया और इस निर्णय के फलस्वरूप परीक्षार्थियों को कोई असुविधा हुई तो वह अनिवार्य थी।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

विश्वविद्यालय के विभिन्न सूत्रों से सूचना प्राप्त हुयी है और उसके आधार पर परीक्षा समाप्त की गयी है। तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि जिन केन्द्रों की परीक्षा रद्द की गयी, उनकी कापियां दिखवायी जांय कि वास्तव में उन्होंने नकल की है अथवा नहीं जिससे यह साबित हो सके कि नकल हुयी है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह माननीय शिक्षा मंत्री कैसे बता देंगे। विश्वविद्यालय स्वायत्त शासी संस्था है।

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

जिन विद्यालयों में नकल हुयी है, अध्यापकों के जरिये से, यदि यह स्थिति है तो इसका दंड छात्रों को क्यों दिया जा रहा है ? मेरे विचार में यदि उन ही विद्यालयों में एक्जामिनेशन के लिए दूसरे विद्यालयों से अध्यापक भेज दिए जांय।

श्री उपाध्यक्ष—

यह दंड सरकार ने नहीं दिया है। विश्वविद्यालय के जो अधिकारी हैं, उन्होंने किया है। आप वही सवाल कर सकते हैं जिनसे माननीय मंत्री जी सम्बन्धित हों।

श्री महरम सिंह (जिला फर्रूखाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो बद्री विशाल कालेज फर्रूखाबाद, डी० एन० कालेज, फतेहगढ़, डी० एस० एन० कालेज, उन्नाव के ५ हजार छात्रों की परीक्षा जो अप्रैल में हुयी थी वह अब रद्द कर दी गई। इनमें से बहुत से विद्यार्थी गांवों के रहने वाले हैं, जिनको परीक्षा के रद्द करने की सूचना अभी तक नहीं दी गयी है,। इन छात्रों में से बहुत से निर्दोष और गरीबों के बच्चे हैं और अब उन की परीक्षा आप कानपुर में लेने जा रहे हैं जिसमें विद्यार्थियों के अभिभावकों को काफी व्यय वहन करना पड़ेगा। तो क्या माननीय मंत्री जी कानपुर विश्वविद्यालय की एक्जीक्यूटिव कौंसिल से अनुरोध करेंगे कि वे अपने आदेश वापस ले लें और जो छात्र निर्दोष हैं उनको फिर से परीक्षा न देनी पड़े ?

श्री उपाध्यक्ष—

क्या आप चाहते हैं कि विश्वविद्यालय सम्बन्धी मामलों में सूचना देने का काम शिक्षा मंत्री जी करें ?

श्री महरम सिंह—

श्रीमन्, विधान सभा के सदस्यों की भावनाओं को देखते हुये शिक्षा मंत्री जी उनसे अनुरोध तो कर सकती हैं क्योंकि यह मामला ५ हजार विद्यार्थियों का है और बड़ा नाजुक है ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप केवल सरकार से सम्बन्धित ही प्रश्न पूछें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

क्या इस सम्बन्ध में स्वायत्त शासी संस्था से कोई सम्पर्क स्थापित किया गया ? यदि हां, तो क्या किसी सलाह मश्विरे की गुन्जायश है, उनके और सरकार के बीच में ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां, जब यह प्रश्न उपस्थित हुआ तो विश्वविद्यालय से सम्बन्ध स्थापित किया और इसकी पूरी जानकारी मैं जानना चाहती थी वह भी विस्तृत रूप से की और मैं इस बात से सन्तुष्ट हूं कि विश्वविद्यालय ने जो कदम उठाया वह सही उठाया।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैं यह निवेदन करना चाहता था मंत्री जी से कि जैसा उन्होंने कहा कि उन्होंने सम्बन्ध स्थापित किया है। तो क्या यह सम्भव है कि जिन छात्रों के सम्बन्ध में ऐसा ज्ञात हो कि वाकई में इन्होंने नकल की है उनको छोड़कर शेष समस्त परीक्षा को रद्द न किया जाय ? इस रूप में विश्वविद्यालय से सम्पर्क स्थापित करके क्या माननीय मंत्री जी प्रयास कर सकेंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जिन विद्यालयों में मास स्केल पर कापिंग हुई है उन्हीं जगहों में दोबारा परीक्षा हो रही है सब जगह नहीं।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)—

क्या माननीय मंत्री सम्बन्धित विश्वविद्यालय से यह सिफारिश करने की कृपा करेंगी कि जिन विद्यालयों में सामूहिक तौर पर नकल की गई है उनके सुपरिन्टैन्डेन्ट के विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही की जाय ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया)

श्री हिम्मत सिंह---

जब आपने विश्वविद्यालय से सम्बन्ध स्थापित किया और आपकी बातचीत हुई तो क्या उस दौरान में यह भी सुझाव दिया था कि जिन विद्यार्थियों के इम्तहान बाद में होंगे तो क्या अगली कक्षा में उनके दाखिले आसानी से हो जायेंगें ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

इसमें तो निश्चित रूप से उनको मौका दिया जायेगा ।

श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)---

अपराध करने वाला भी अपराधी होता है और अपराध कराने वाला भी अपराधी होता है । इस सिद्धान्त के अन्तर्गत क्या माननीय मंत्री जी को यह भी पता लगा है कि जिन कालिजों में नकल हुई है उसमें जो गार्ड थे उनको भी सजा दी गई है ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया)

श्री कृष्ण स्वरूप---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि इन विद्यालयों की परीक्षा अब कब तक होंगी ? परीक्षायें विलम्ब से होने के कारण और परीक्षा फल भी देर से आने के कारण, उन विद्यार्थियों का यूनीवर्सिटीज में एडमिशन नहीं होगा । तो इन छात्रों के हितों का संरक्षण हो सके, क्या इस पर वे विचार करेंगीं ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

यह देखते हुये कि इसमें बहुत बड़े दंड की विधि है, बहुत दंड मिला है, मुझे शुबहा नहीं मालूम होता कि बहुत से विद्यार्थीगण इस कापिंग में सम्मिलित भी नहीं होंगे तो क्या इस प्रकार का फर्क माननीय शिक्षा मंत्री के गुड आफिसेज के द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारियों से यह कहा जा सकता है, उनसे प्रार्थना की जा सकती है कि मास कापिंग होते हुये भी इस प्रकार की आज्ञा जिसमें सभी को दंड दिया जाय इसको निरस्त करके केवल उनको जिनके सम्बन्ध में यह संशय हो सके, केवल उनके विरुद्ध कार्य किया जाय । समस्त सदन की भी यही भावना है और मेरे मित्र पांडेय जी ने भी यह बात कही है । इसको देखते हुये यदि शिक्षा मंत्री जी इस प्रकार विश्वविद्यालय के अधिकारियों से कहेंगीं तो हम अतुग्रहीत होंगे । यदि वे ऐसा कर सकें तो बहुत कृपा होगी ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

विद्यार्थियों का वर्ष नष्ट न हो इसी पर विचार करके एक्जीक्यूटिव काउन्सिल ने १८ जुलाई से उनकी परीक्षायें फिर से लेने का निश्चय किया है और अगर एक विद्यार्थी के केस को कि किसने नकल की किस ने नकल नहीं की बड़े पैमाने पर नकल हुई है इसमें जाने से छः महीने भी लग सकते हैं । ऐसी हालत में एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने यह निर्णय लिया कि चूंकि मास स्केल पर कापिंग हुई है इसलिये सारी परीक्षा पुनः हो । हालांकि इसमें फिर से प्रश्न पत्र आदि छपवाने में यूनिवर्सिटी का ही व्यय होगा, किन्तु यही विद्यार्थियों के हित में सब से उचित कदम समझा गया । विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रख कर ही यह निर्णय लिया गया है । यही सबसे उचित और विद्यार्थियों के हित में कदम हो सकता था ।

श्री अध्यक्ष---

अब हम उठते हैं कल ११ बजे तक के लिये ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
२५ जन, १९७० ।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम २६ (४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४२ पर]

	थाना हजरतगंज		थाना हुसेनगंज		कुल
	मामूली चोरी तथा धारा ४५६ भा०दं०वि० के अपराध	साइकिल चोरी	मामूली चोरी	साइकिल चोरी	कुल योग
१	२	३	४	५	६
मामलों की सं० जिनकी रिपोर्ट की गई	१५	२०	१५	३	५३
,, जिनमें जांच की गई	१३	२०	१५	३	
			(एक में साइकिल मिल गई अपराध होना नहीं पाया गया)		
,, जिनमें जांच नहीं की गई	२	—	—		
,, जो चालान किये गये	—	—			
,, जो लापता रहे (अंतिम रिपोर्ट लगी)	७	१७	७	१	
,, जिनमें जांच अभी जारी है	६	३	८	१	

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३८ (२) के अन्तर्गत ता० प्र० सं० १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४६ पर]

तालिका क

वर्ष १९६७–६८, १९६८–६९ तथा १९६९–७० में विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिये दिये गये लाइसेंस व उनसे प्राप्त राजस्व के आंकड़े

वर्ष १९६७–६८

जिला	अनुज्ञापी का नाम	अनुज्ञापन का प्रकार	राजस्व की प्राप्ति (रुपयों में)		
			१९६७–६८	१९६८–६९	१९६९–७०
१—नैनीताल ..	१—श्री अशोक कुमार, हल्द्वानी ..	एफ० एल०–५	२,१३४.५३	६,२६५.११	६,०५२.०८
	२—श्री तिलक राज अरोड़ा, रुद्रपुर ..	एफ० एल०–५	२,६०९.००	६,७५१.६८	६,८३६.०१
	३—श्री वी० जी० दास, भीमताल ..	एफ० एल०–४	१,०००.००	१,०००.००	७१०.५१
२—अल्मोड़ा ..	१—श्रीमती कुशल रेखी, वेस्ट व्यू होटल, रानीखेत ।	एफ० एल०–६	४६४.५०	४९१.७४	४७६.७४
३—आगरा ..	१—श्री आर० पी० अग्रवाल व डी० सी० श्रीवास्तव, आगरा शहर ।	एफ० एल०–५	८,२७०.९३	९,९७२.५४	११,२०६.०२
४—जौनपुर ..	१—त्रिभुवन भास्कर, जौनपुर ..	एफ० एल०–५	५६६.२८	२,०२७.९४	१,९०५.७८

तालिका—ख

वर्ष १९६७–६८, १९६८–६९ तथा १९६९–७० में विदेशी मदिरा के फुटकर बिक्री के लिये दिये गये लाइसेंस व उनसे प्राप्त राजस्व के आंकड़े

वर्ष १९६८–६९

जिला	अनुज्ञापी का नाम	अनुज्ञापन का प्रकार	राजस्व की प्राप्ति (रुपयों में)	
१	२	३	४	
			१९६८–६९	१९६९–७०
१—मेरठ ..	१—विष्ण स्वरूप, गाजियाबाद	एफ० एल०–५	९१,४७८.५७	२,७६,०९४.१३
२—नैनीताल ..	१—हंसराज सचदेव, नैनीताल	एफ० एल०–४	१,०००.००	३,६९२.४३
	२—शंकरलाल शाह, नैनीताल	एफ० एल०–४	२००.००	३०९.५२
३—मिर्जापुर ..	१—श्यामसुन्दर झुनझुनवाला, ओबरा	एफ० एल०–५	१९,०३३.६४	३७,३४०.६९
	२—बद्री प्रसाद आजाद, पिपरी	एफ० एल०–५	१६,१५५.८२	३८,४१९.८६
४—कानपुर ..	१—योगेन्द्र सिंह भसीन, गुमटी नं० ५, कानपुर ..	एफ० एल०–५	१२,७५८.००	२०,९५९.००
	२—द्वारिका नाथ कल्सी, मेस्टन रोड, कानपुर ..	एफ० एल०–५	३,५२८.३०	३,५२८.३०
	३—उजागर सिंह लाली, गोविन्दनगर, कानपुर ..	एफ० एल०–५	२,७२५.३६	३,१५०.९०
	४—सुन्दरलाल अरुणकुमार, आर्य नगर, कानपुर ..	एफ० एल०–५	३,५२०.००	३,०३२.००
	५—हरगोविन्द, हरिश्चन्द्र बिरहाना रोड, कानपुर ..	एफ० एल०–५	३,६१७.८६	३,६१७.८६
५—बरेली ..	१—श्री एम० आर० कपूर, रायल होटल, बरेली ..	एफ० एल०–७	२७८.८६	६,८५०.०४
६—अलीगढ़ ..	१—चमनलाल, गुरु बक्सलाल, खिरनीगेट, अलीगढ़ ..	एफ० एल०–५	३,४६७.६९	३,८२०.८८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

तालिका—ग

वर्ष १९६७–६८, १९६८–६९ तथा १९६९–७० में विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिये दिये गये लाईसेंस व उनसे प्राप्त राजस्व के आंअड़े

वर्ष १९६९–७०

जिला	अनुज्ञापी का नाम	अनुज्ञापन का प्रकार	राजस्व की प्राप्तियां (रुपयों में)
१	२	३	४
			१९६९–७०
१—देहरादून ..	१—श्री जी० एस० मुलरिया व इन्दरानी–विकासनगर, देहरादून	एफ० एल–५	११,१८४.६१
२—पौड़ी गढ़वाल ..	१—श्री शिवकुमार सिंह, ढिकाला, पौड़ी	एफ० एल०–४	३,४७४.१३
३—रामपुर ..	१—हर हाईनेस श्रीमती रफात जमानी बेगम, होटल ऐवाने-शाही, रामपुर	एफ० एल०–६	९९६.५५
४—हमीरपुर ..	१—रमेश चन्द्र शिवहरे, हमीरपुर	एफ० एल०–५	२००.००
	२—योगेन्द्र सिंह अरोरा, राठ (हमीरपुर)	एफ० एल०–५	२००.००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३८ (२) के अन्तर्गत ता० प्र० सं० १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५१ पर]

चमोली जिले में राजकीय जूनियर हाई स्कूलों, राजकीय हाई स्कूल/स्कूलों एवं राजकीय इन्टर कालेजों के स्कूल/कालेज बिल्डिंग तथा छात्रावास से संबन्धित सूची ।

क्र० संख्या	विद्यालय के प्रकार	विद्यालयों की कुल संख्या	ऐसे विद्यालयों की संख्या जिनके लिये स्कूल / कालेज बिल्डिंग एवं छात्रावास दोनों बनवाये जा चुके हैं	ऐसे स्कूलों कालेजों की संख्या जिनके भवन का निर्माण हो चुका हो परन्तु छात्रावास का नहीं	ऐसे विद्यालयों की संख्या जिसके लिये न तो भवन का निर्माण हुआ है न छात्रावास का	ऐसे विद्यालयों की संख्या जिनके लिये सिर्फ छात्रावास का निर्माण करवाया गया है । मुख्य भवन का नहीं	रिमार्क
१	२	३	४	५	६	७	८
१	राजकीय यूनियर हाई स्कूल	२७	७	०	१६	४	कुल सात स्कूलों के लिये भवन तथा ग्यारह छात्रावासों का निर्माण हुआ है ।
२	राजकीय हाई स्कूल	७	०	०	५	२	सात स्कूलों के लिये भवन तथा पांच के लिये छात्रावास अभी नहीं बनवाये गये हैं ।
३	राजकीय इन्टर कालेज	८	५	१	१	१	इन कालेजों में से दो के लिये मुख्य भवन का दो के लिये छात्रावास का निर्माण नहीं हुआ है ।

विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये ता० प्र० सं० ९१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७१ पर)

गांधी शताब्दी योजना के अन्तर्गत बाराबंकी जनपद के उन ग्रामों की तहसीलवार सूची, "अ" जिनका विद्युतीकरण होना है ।

क्र० सं०	गांव का नाम	तहसील	विवरण
१	२	३	४
१—मो० पुरखाला	.. ..	फतेहपुर	विद्युतीकरण
२—नहरवल	.. ..	,,	,,
३—त्रिलोकपुर	.. ..	,,	,,
४—बिन्दौरा	.. ..	,,	,,
५—बुढ़वल	.. ..	,,	,,
६—बदोसराय	.. ..	,,	,,
७—रसूलपुर	.. ..	,,	,,
८—सहादतगंज	.. ..	,,	,,
९—अनूपगंज	.. ..	,,	,,
१०—मझगवां	.. ..	,,	,,
११—टिकैतगंज	.. ..	,,	,,
१२—कुर्सी ..	.. ..	,,	,,
१३—मूजापुर ..	.. ..	,,	,,
१४—मोहम्मद विशनपुर	.. ..	,,	,,
१५—दल सराय	.. ..	,,	,,
१६—मलौली ..	.. ..	,,	विद्युतीकृत नहीं है
१७—गनेशपुर ..	.. ..	,,	,,
१८—सुरियामऊ	.. ..	,,	,,
१९—सूरतगंज	.. ..	,,	,,
२०—निन्दूरा ..	.. ..	,,	,,
२१—भरसवां	.. ..	,,	,,
२२—मरकामऊ ..	.. ..	,,	,,
२३—हसनपुर टांडा	.. ..	,,	,,
२४—गंगोली ..	.. ..	,,	,,
२५—नन्दनकला	.. ..	,,	,,
२६—हैदरगंज ..	.. ..	,,	,,
२७—महादेवा ..	.. ..	,,	,,
२८—शफीपुर ..	.. ..	,,	,,
२९—मलूकपुर	.. ..	नवाबगंज	विद्युतीकृत
३०—बहादुरपुर ..	.. ..	,,	,,
३१—जाठा बरौली	.. ..	,,	,,
३२—जसमण्डा	.. ..	,,	,,
३३—मोहम्मदपुर बंकी	.. ..	,,	,,

१	२	३	४
३४—सरथरा	.. ..	नवाबगंज	विद्युतीकृत
३५—हासेमऊ	.. ..	,,	,,
३६—असेनी ..	.. ..		,,
३७—बीजामऊं ..	.. ..	,,	,,
३८—शेरपुर ..	.. ..	,,	,,
३९—गाल्हामऊ ..	.. ..	,,	,,
४०—करखा ..	.. ..	,,	,,
४१—शरीफाबाद	.. ..	,,	,,
४२—मरखापुर ..	.. ..	,,	,,
४३—आलमपुर	.. ..	,,	,,
४४—सरायपरसन्डा	.. ..	,,	,,
४५—पलिया मशूदपुर	.. ..	,,	,,
४६—हरख ..	.. ..	,,	,,
४७—नयागांव ..	.. ..	,,	विद्युतीयकृत नहीं है
४८—हसीर नगर	.. ..	,,	,,
४९—दलहीपुर ..	.. ..	,,	,,
५०—शेषपुर ..	.. ..	,,	,,
५१—करउन्दा ..	.. ..	,,	,,
५२—सिपहिया ..	.. ..	,,	,,
५३—मन्जनी ..	.. ..	,,	,,
५४—सेठमऊ ..	.. ..	,,	,,
५५—नानमऊ ..	.. ..	,,	,,
५६—भानमऊ ..	.. ..	,,	,,
५७—महमूदाबाद	.. ..	,,	,,
५८—सरसन्डा	.. ..	,,	,,
५९—दरहरा ..	.. ..	,,	,,
६०—सफदरगंज	.. ..	,,	,,
६१—जेठौंती कुरमियान	.. ..	आर० एस० घाट	विद्युतीकृत
६२—जेठौती राजपूतान	.. ..	,,	,,
६३—दुलहदेपुर ..	.. ..	,,	,,
६४—मुरारपुर ..	.. ..	,,	,,
६५—कुश्मर ..	.. ..	,,	,,
६६—मझेला ..	.. ..	,,	,,
६७—अलियाबाद	.. ..	,,	,,
६८—बेलखरा ..	.. ..	,,	,,
६९—बनगवां ..	.. ..	,,	,,
७०—रतनपुर ..	.. ..	,,	,,
७१—तिवारीपुर	.. ..	,,	,,
७२—मो० पुर उपाध्याय	.. ..	,,	,,
७३—महुलारा ..	.. ..	,,	,,
७४—मेनवा ब्रह्मापुरा	.. ..	,,	,,
७५—पकरिया गांव	.. ..	,,	,,

१	२	३	४
७६—जरैलखुर्द ..	.. ..	आर० एस० घाट	विद्युतीयकृत
७७—खेतासराय	.. ..	,,	विद्युतीकृत नहीं है
७८—तालगांव ..	.. ..	,,	,,
७९—बीबीपुर ..	.. ..	,,	,,
८०—रानीगंज ..	.. ..	,,	,,
८१—चौखण्डी ..	.. ..	,,	,,
८२—सैदनपुर ..	.. ..	,,	,,
८३—बगौली ..	.. ..	,,	,,
८४—सिपहिया कोटवा	.. ..	,,	,,
८५—असरफ नगर	.. ..	,,	,,
८६—संडवा ..	.. ..	,,	,,
८७—सेमसी ..	.. ..	,,	,,
८८—चन्द्रभाऊ ..	.. ..	,,	,,
८९—चन्द्रा बेरम	.. ..	,,	,,
९०—सरवा ..	.. ..	,,	,,
९१—कुशहर ..	.. ..	,,	,,
९२—अमरापुर ..	.. ..	,,	,,
९३—मगरन्डा ..	.. ..	,,	,,
९४—मलौली ..	.. ..	,,	,,
९५—नरोली ..	.. ..	,,	,,
९६—चन्दरौली ..	.. ..	,,	,,
९७—रहीमगंज ..	.. ..	,,	,,
९८—हलीमनगर	.. ..	,,	,,
९९—खनसपपरा	.. ..	,,	,,
१००—बरोली ..	.. ..	,,	,,
१०१—बहूला ..	.. ..	हैदरगढ़	विद्युतीकृत
१०२—जरगांव ..	.. ..	,,	,,
१०३—मीरापुर ..	.. ..	,,	,,
१०४—त्रिवेदीगंज	.. ..	,,	,,
१०५—कोठी ..	.. ..	,,	,,
१०६—अनसारी ..	.. ..	,,	विद्युतीकृत नहीं है
१०७—रमापुर ..	.. ..	,,	,,
१०८—मिर्चिया ..	.. ..	,,	,,
१०९—लाही ..	.. ..	,,	,,
११०—पोखरा ..	.. ..	,,	,,

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ संख्या १८० पर)

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९७०

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, १९७० कहलायेगा।

उ० प्र० अधिनियम सं० ५, १९५४ में नई धारा ४१-क का बढ़ाया जाना

२—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा ४१ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"४१-क—इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में, जिसके अन्तर्गत कोई अपील या शपथ पत्र पुनरीक्षण भी है, प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र उसी रीति से और उन्हीं अपेक्षाओं के अनुरूप दिये जायेंगे जैसे कि सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन कोई शपथ-पत्र दिया जाता है और उनका सत्यापन उक्त संहिता की धारा १३९ के खण्ड (ख) के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा अथवा खण्ड (ग) के अधीन किसी अन्य न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।"

नई धारा ५२-क का बढ़ाया जाना

३—मूल अधिनियम की धारा ५२ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

चक मार्गों तथा चक गूलों के लिए विशेष व्यवस्था

"५२-क (१) किसी ऐसे कटक की दशा में जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, १९७० के प्रारम्भ होने के पूर्व धारा ५२ की उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति जारी कर दी गई हो धारा ५२ में दी गई किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, कलक्टर, यदि उसकी यह राय हो कि कटक में चक मार्गों या चक गूलों की कोई व्यवस्था नहीं है अथवा अपर्याप्त व्यवस्था है तो, उपधारा (२) के अधीन कार्यवाही कर सकता है, और यदि उक्त प्रारम्भ होने के दिनांक से छः महीने के भीतर कुल खातेदारों में से कम से कम दस प्रतिशत द्वारा इस आशय का अभ्यावेदन दिया जाय, तो उपधारा (२) के अधीन कार्यवाही करेगा।

(२) कलेक्टर इस धारा के अधीन कार्यवाही करने के प्रस्ताव की, और यदि कोई हो, उपधारा (१) के अधीन प्राप्त अभ्यावेदन की भी, सूचना कटक में डुग्गी पिटवाकर और ऐसी अन्य रीति से, यदि कोई हो, जिसे वह उचित समझे, दिलवायेगा, और किसी चकबन्दी अधिकारी को उस क्षेत्र का निरीक्षण करने तथा खातेदारों की या उनमें से ऐसे व्यक्तियों की, जो अभ्यावेदन में सम्मिलित न हों, इच्छाओं को सुनिश्चित करने के निमित्त युक्तियुक्त कदम उठाने, और मामले में ऐसी अन्य जांच करने, जिसे वह उचित समझे, का निदेश देगा।

(३) ऐसा चकबन्दी अधिकारी कटक में चक मार्गों या चक गूलों की व्यवस्था करने या, जैसी भी दशा हो, और अधिक पर्याप्त व्यवस्था करने के लिये योजना बनाने या न बनाने के औचित्य के सम्बन्ध में कलेक्टर को एक रिपोर्ट देगा, और कलेक्टर, उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर है, योजना का एक प्रारूप तैयार करवायेगा।

(४) तदुपरान्त सहायक चकबन्दी अधिकारी कटक के उतने खातेदारों की, जितना वह व्यवहारगम्य समझे, इच्छा को अनौपचारिक रूप से सुनिश्चित करने के पश्चात् नियम प्रपत्र में योजना का एक प्रारूप तैयार करेगा जिसमें चक मार्गों या चक गुलों की व्यवस्था अथवा अतिरिक्त व्यवस्था, जैसी आवश्यकता हो, करने का प्रस्ताव करेगा। योजना का प्रारूप तैयार करने में सहायक चकबन्दी अधिकारी निम्नलिखित सिद्धान्तों को ध्यान में रखेगा, अर्थात्:—

(क) जहां तक व्यवहारगम्य हो, चक मार्गों और चक गूलों की व्यवस्था प्रथमतः गांव सभा में निहित भूमि का उपयोग करके और द्वितीयतः उन खातेदारों द्वारा धृत भूमि में से जिनके चक प्रस्तावित चक मार्ग या चक गूल से संबंधित हों, और अन्ततः किसी अन्य भूमि से की जानी चाहिये।

(ख) चकों का पुनर्व्यवस्थापन केवल उस सीमा तक, जहां तक वह चक मार्गों तथा चक गूलों की व्यवस्था करने के लिये वास्तविक रूप में आवश्यक हों, और पहले से ही पुष्टिकृत चकबन्दी योजना में कम से कम व्यतिक्रम किये बिना, किया जाना चाहिये।

(५) उपधारा (४) के अधीन तैयार की गई योजना का प्रारूप कटक में नियत रीति से प्रकाशित किया जायेगा।

(६) योजना के प्रारूप से प्रभावित कोई व्यक्ति, ऐसे प्रकाशन के दिनांक से १५ दिन के भीतर चकबन्दी अधिकारी के पास लिखित रूप में आपत्ति कर सकता है।

(७) (क) चकबन्दी अधिकारी सम्बद्ध पक्षों को नोटिस देने के पश्चात् सभी आपत्तियों का निस्तारण करेगा।

(ख) खंड (क) के अधीन चकबन्दी अधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति आज्ञा के दिनांक से १५ दिन के भीतर बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी के समक्ष अपील कर सकता है, जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा।

(ग) खंड (क) के अधीन आपत्तियों पर निर्णय देने के पूर्व चकबन्दी अधिकारी और खंड (ख) के अधीन अपील पर निर्णय देने के पूर्व बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी सम्बद्ध पक्षों को नोटिस देने के पश्चात् विवादग्रस्त स्थल का निरीक्षण कर सकता है।

(घ) खंड (क) के अधीन चकबन्दी अधिकारी और खंड (ख) के अधीन बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, के लिये उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, उपधारा (४) में निर्दिष्ट सिद्धान्तों के अनुसार योजना के प्रारूप में परिष्कार करना, और बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी के लिये उसे चकबन्दी अधिकारी या सहायक चकबन्दी अधिकारी का ऐसे निर्देशों के साथ, जिन्हें वह उचित समझे अतिप्रेषित करना, वैध होगा।

(८) बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी—

(क) यदि उपधारा (६) में निर्दिष्ट समय के भीतर कोई आपत्ति प्रस्तुत न की जाय; या

(ख) यदि ऐसी आपत्तियां प्रस्तुत की जायें, तो ऐसे परिष्कारों या परिवर्तनों के पश्चात् जो उपधारा (७) के अधीन आपत्तियों तथा अपीलों पर दी गई आज्ञाओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक हो ;

योजना की पुष्टि कर देगा ।

(९) उपधारा (८) के अधीन पुष्टीकृत योजना कटक में नियत रीति से प्रकाशित की जायगी और ऐसे प्रकाशन के दिनांक को प्रवृत्ति होगी और तदुपरान्त धारा २३ के अधीन अंतिम रूप से बनी चकबन्दी योजना और दी गई प्रदेशन आज्ञायें योजना में इंगित सीमा तक संशोधित हो जायेंगी और तदनुसार बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी द्वारा नई प्रदेशन आज्ञायें जारी की जायेंगी ।

(१०) अध्याय ४ के उपबन्ध उक्त योजना के संबंध में आवश्यक परिवर्तनों के साथ उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे अंतिम चकबन्दी योजना के संबंध में लागू होते हैं और अध्याय ४ को लागू किये जाने के प्रयोजनों के लिये, इस धारा के अधीन व्यवस्थित चक मार्गों और चक गूलों के लिये दी गई भूमि धारा ८–क के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये दी गई भूमि समझी जायगी ।"

———

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ के अधीन चकबन्दी क्रियायें वर्ष १९५४ से चल रही हैं। प्रारम्भ में, अक्सर चक मार्गों तथा चक गूलों की पर्याप्त व्यवस्था करने पर ध्यान नहीं दिया गया। चूंकि चक मार्ग तथा चकगूल ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के लिये बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिये यह आवश्यक है कि जहां इनकी पहले से व्यवस्था नहीं की गई है या जहां ये अपर्याप्त हैं, वहां इनके बनाने का प्रबन्ध किया जाय। ऐसी व्यवस्था करने के लिये अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

२—इस समय, चकबन्दी प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत शपथ-पत्र नोटरीज पब्लिक द्वारा सत्यापित किये जाते हैं यह कार्य सर्वसाधारण के लिये खर्चीला तथा असुविधाजनक भी है। अतएव, यह प्रस्ताव है कि सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ की धारा १३९ के अधीन नियुक्त शपथ आयुक्तों को उक्त उपथ-पत्रों को भी सत्यापित करने का प्राधिकार दे दिया जाय।

चतुर्भुज शर्मा,
राजस्व मंत्री।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९७० के ऐसे उपबन्धों के सम्बन्ध में जिनमें प्रतिनिहित विधायन की प्रस्थापनायें हैं ज्ञापन-पत्र

क्रम संख्या	खण्ड	उप-खण्ड	विधायन अधिकार
१	३	४	इस खण्ड में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ में जोड़ी जाने वाली नई धारा ५२--क में चक मार्गों और चक गलों की व्यवस्था करने हेतु योजना के नियत प्रपत्र के रूप में नियत करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया जा रहा है ।
२	३	५	उक्त उप-खण्ड में तैयार की गई योजना का प्रारूप कटक में प्रकाशित करने हेतु रीति नियत करने का अधिकार सरकार को दिया जा रहा है ।
३	३	९	पुष्टीकृत योजना के कटक में प्रकाशन हेतु रीति नियत करने का अधिकार सरकार को दिया जा रहा है ।

चतुर्भुज शर्मा,
राजस्व मन्त्री ।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९७० से संबंधित वित्तीय ज्ञापन

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९७० अधिनियमित हो जाने की दशा में नवीन धारा ५२–क को कार्यान्वित करने में जो व्यय होगा उसका विवरण इस प्रकार है:—

(१) चक मार्गों व गूलों की व्यवस्था पर व्यय

चक मार्गों व गूलों की व्यवस्था अधिकतर उन तहसीलों के गांवों में करनी होगी जहां चकबन्दी योजना का प्रसार १९५४ व १९५५ में हुआ था। इन तहसीलों में भी १० प्रतिशत गांवों में चक मार्गों व गूलों की व्यवस्था किये जाने की सम्भावना है जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग ३,७०,००० एकड़ होगा। ५ रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से इतने क्षेत्रफल पर लगभग १८.५० लाख रुपये व्यय होने की सम्भावना है।

(२) चक मार्गों व गूलों की व्यवस्था के लिये प्रतिकर की धनराशि

लगभग ३,७०० एकड़ भूमि के आरक्षण की आवश्यकता पड़ेगी जिस पर भूमिधरी व सीरदारी जोतों पर जोत चकगन्दी अधिनियम की धारा २९–ख के अन्तर्गत नियत प्रतिकर की दरों के हिसाब से दिये जाने वाले प्रतिकर की धनराशि लगभग ५०,००० रुपये होगी। इस धनराशि का भुगतान काश्तकारों को उनसे वसूल होने वाले चकबन्दी व्यय–भाग में एडजस्टमेंट करके किया जाता है।

कुल व्यय में से लगभग ७.५० लाख रुपये लाभ पाने वाले काश्तकारों से वसूल होगा। इस प्रकार सरकार को चक मार्गों व गूलों की योजना पर लगभग ११.५० लाख रुपये वहन करना होगा।

चतुर्भुज शर्मा,
राजस्व मंत्री।

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ संख्या २३५ पर)

अध्यक्ष महोदय,

दिनांक १५ मई, १९७० को श्री अनन्त राम जायसवाल , सदस्य, विधान सभा, द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या १ के सम्बन्ध में श्री अनन्तराम जायसवाल ने अनपरक प्रश्न पूछा था कि "चूंकि संविधान के अनुसार ऐसी यूनियन बन सकती है तो फिर माननीय मंत्री जी हमदर्दी से उस पर विचार करके उनको पुन: लेने का कष्ट करेंगे ।"

उस समय सदन में उत्तर दिया गया कि "यह आल इंडिया पालिसी है । लेकिन जहां तक मेरी इत्तला है जो लोग हड़ताल में शामिल हुये थे और जिनकी नौकरी चली गयी थी उनमें से बहुत से लोग वापस ले लिये गये हैं ।"

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला । सही उत्तर इस प्रकार है "यह आल इंडिया पालिसी है । लेकिन जहां तक मेरी इत्तला है सैनिक स्कूल के जिन कर्मचारियों ने स्कूल के बारह सेवा मुक्त कर्मचारियों की सहानुभूति में हड़ताल की थी उन सब लोगों को वापस ले लिया गया है ।"

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है ।

चरण सिंह,
मुख्य मंत्री ।

श्री अनन्त राम जायसवाल , सदस्य, विधान सभा, द्वारा पूछे गये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न के उत्तर--

प्रश्न	उत्तर
क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि दिनांक २८ अप्रैल, १९७० से उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल के कर्मचरियों की विधान भवन के सामने भूख-हड़ताल चल रही है ? यदि हां, तो हड़ताल के कारण क्या हैं और इनको दूर करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?	जी हां । भूख हड़ताल ५ मई, १९७० से समाप्त हो गई है। स्कूल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की मांगें संक्षेप में निम्न प्रकार है:-- (१) विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से लिये जाने वाले काम के घंटे कम किये जायं। (२) कर्मचारियों के लिये सेवा नियमावली बनाई जाय । (३) कर्मचारियों को साप्ताहिक तथा त्योहारों पर छुट्टी दी जाय। (४) कर्मचारियों को ग्रीष्म अवकाश भी दिया जाय ।

प्रश्न	उत्तर
	उपरोक्त मांगों के बारे में स्थिति निम्न प्रकार है:—
	कर्मचारियों से सामान्यतया केवल आठ घण्टे काम लिया जाता है । उनकी सेवा नियमावली को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया दिया जायगा । कर्मचारियों को साप्ताहिक तथा त्योहारों पर छुट्टी दी जाती है तथा उन्हें तथा उन्हें वर्ष में एक महीने का उपार्जित अवकाश भी दिया जाता है ।
	चरण सिंह, मुख्य मंत्री ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १२० एल० ए०—१९७१—८४५ ।